महानगर नई दिल्ली बुधवार 13 मार्च, 2024, रु. 6.00 (22+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

भाजपा का नायाब फार्मूला, हटाए गए मनोहर लाल खट्टर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

सैनी के साथ ही कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जय प्रकाश दलाल और बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से छह बार के विधायक अनिल विज को नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। समझा जा रहा है कि विज नाराज हैं और वह शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं रहे। पार्टी की बैठक के बाद वह सीधे अपने अंबाला स्थित आवास के लिए रवाना हो गए।

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सैनी हरियाणा सचिवालय पहुंचे और कार्यभार संभाल लिया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश पार्टी प्रभारी बिप्लब देव ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। 54 वर्षीय सैनी को खट्टर का करीबी माना जाता है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि बहुमत साबित करने के लिए उन्होंने राज्यपाल से बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्यपाल को 48 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है।

इससे पहले, भाजपा विधायक दल की बैठक में सैनी को नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और हरियाणा मामलों के प्रभारी बिप्लब देब मौजूद थे। नेता चुने जाने के बाद सैनी ने खट्टर और अन्य नेताओं के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद शाम पांच बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा निवास में जहां भाजपा की बैठक हो रही थी, उसमें खट्टर सरकार में गृह मंत्री का पद संभालने वाले वरिष्ठ नेता अनिल कुमार विज भी मौजूद थे। हालांकि, वह बैठक जारी रहने के दौरान वहां से निकल गए। इसकी वजह पूछे जाने पर वह सवालों को टाल गए। उन्होंने कहा, 'जो लोग दिल्ली से आए हैं, वे बताएंगे।'

हरियाणा विधानसभा के पिछले चुनाव के बाद भाजपा ने जजपा और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और जजपा अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री बने थे। पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खट्टर ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब राज्य मंत्रिपरिषद में उनको मिलाकर बाकी पेज 8 पर

हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नायब सिंह सैनी (बाएं)।

क्यों पड़ी रिश्ते में दरार !

जजपा लोकसभा चुनाव में हिसार और भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट से अपना उम्मीदवार उतारना चाह रही थी, लेकिन भाजपा दोनों सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीटों के बंटवारे के सिलसिले में बातचीत भी की थी, लेकिन संभवतः वह विफल रही। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि न तो जजपा तरफ से और न ही हमारी तरफ से कोई बयान आया है। भाटिया ने कहा कि जजपा अगर अपना समर्थन जारी रखती है, तो इस पर किसे आपत्ति होगी। क्या जजपा के लिए दरवाजे खुले हैं, तो भाटिया ने कहा कि किसी ने भी दरवाजे को बंद नहीं किया है।

भाजपा चुनाव से पहले कई राज्यों में बदल चुकी है मुख्यमंत्री

नई दिल्ली, 12 मार्च (ब्यूरो)।

ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले बदला हो। पार्टी ऐसा त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में भी कर चुकी है।

गुजरात चुनाव से पहले सितंबर, 2021 में मुख्यमत्री विजय रूपाणी से इस्तीफा लेकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। गुजरात में यह प्रयोग सफल रहा। उत्तराखंड में जुलाई, 2021 में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से त्यागपत्र दिलाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत मिला। इसी तरह मई, 2022 में त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब से इस्तीफा लेकर मणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की।

कर्नाटक में जुलाई, 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिलवाया गया। उनके स्थान पर बसवराज बोम्मई को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि अन्य राज्यों को तरह यह प्रयोग कर्नाटक में सफल नहीं रहा और भाजपा को दक्षिण के इस राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी।

एसबीआइ ने चुनावी बांड का ब्योरा आयोग को सौंपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार शाम को निर्वाचन आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंपा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एसबीआइ को 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बाड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया था।

आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित बाकी पेज 8 पर

'राष्ट्रपति मुर्मू न्यायालय से लें परामर्श'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख आदिश सी अग्रवाल ने एक असामान्य घटनाक्रम में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बांड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया।

-पूरी खबर पेज 8

अरुणाचल भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की हालिया यात्रा पर चीन की आपत्ति को दृढ़ता से खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य हमेशा भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीनी पक्ष को कई अवसरों पर इस अडिग रुख से अवगत कराया गया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश के इस प्रकार के दौरों या राज्य में भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति जताने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे के संबंध में चीनी पक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं।

चीन ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश का दौरा बाकी पेज 8 पर

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन की आपत्ति को सिरे से खारिज किया।

पाक नौका से 480 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त

भारतीय तटरक्षक बल ने चालक दल के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में बहु-जांच एजेंसी के दल ने गुजरात में पोरबंदर के पास अरब सागर में एक पाकिस्तानी नाव से 480 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया है। करीब 80 किलोग्राम यह पदार्थ 60 पैकेट में छिपाकर रखा गया था। जांच दल ने इस नाव पर सवार चालक दल के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि तटरक्षक बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गत 11 मार्च की मध्यरात्रि में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तट रक्षक बल को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की एक नाव में नशीले पदार्थ की खेप लाई जा रही है। इसके बाद तटरक्षक बल ने एनसीबी और एटीएस के साथ मिलकर समुद्र में इस नाव की तलाश शुरू कर दी। तटरक्षक बल ने संभावित इलाके में गहन तलाशी के बाद पाकिस्तानी नाव का पता लगा लिया। इसके बाद एनसीबी और गुजरात एटीएस के साथ मौके पर पहुंचे संयुक्त दल ने इस नाव को घेर लिया। यह नाव पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में मौजूद थी और इस पर सवार चालक दल के सदस्य रात के अंधेरे में रास्ता खोज रहे थे।

तटरक्षक बल के जहाज को देखकर पाकिस्तानी नाव में सवार लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन संयुक्त कार्रवाई दल ने नाव का पीछा कर उसे अपने कब्जे में ले लिया।

गुजरात एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने बताया कि जांच करने पर नाव में छिपाकर रखा गया 80 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। नाव में सवार छह लोगों से जांच एजंसियां पूछताछ कर रही हैं।

तीन वर्षों में गुजरात एटीएस और एनसीबी के साथ मिलकर तटरक्षक बल ने 3,135 करोड़ रुपए मूल्य का 517 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया है। साथ ही एक महीने में अरब सागर में यह दूसरा बड़ा मादक पदार्थ विरोधी अभियान है। 26 फरवरी को पोरबंदर तट से पांच विदेशी नागरिकों को 3,300 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

भीड़ हिंसा के मामले में 10 को उम्रकैद

हापुड़, 12 मार्च (जनसत्ता)।

हापुड़ जिले की एक अदालत ने भीड़ हिंसा के करीब छह वर्ष पुराने एक मामले में सभी 10 दोषियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भीड़ हिंसा से संबंधित मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

-पूरी खबर पेज 12

चार साल के तनाव से भारत व चीन को कुछ हासिल नहीं हुआ : जयशंकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगभग चार साल से जारी सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस अवधि के दौरान तनाव से दोनों देशों में से 'किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ।'

सोमवार शाम को 'एक्सप्रेस अड्डा' कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत 'निष्पक्ष और उचित समाधान' खोजने के लिए प्रतिबद्ध बाकी पेज 8 पर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'एक्सप्रेस अड्डा' कार्यक्रम में कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए।

सीएए भारत में प्रवेश की प्रामाणिकता के लिए देना होगा 20 में से एक दस्तावेज

नौ में से एक दस्तावेज मूल देश का देना होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को अपने मूल देश के नौ दस्तावेजों में से एक जमा कराना होगा। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के बाद ही विदेशी नागरिकों का आनलाइन पंजीकरण संभव होगा। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से आनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने की प्रामाणिकता के लिए बीस दस्तावेज सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार व 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले ऐसे लोगों को स्थानीय नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 साल से कम कर पांच साल कर दिया गया है।

नागरिकता पाने के लिए जरूरी नौ प्रमाण

पासपोर्ट की प्रति, भारत में विदेशी या प्रादेशिक रजिस्ट्री अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कोई भी जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान की ओर से जारी पत्र, कोई भी पहचान दस्तावेज, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र, परिवार में माता-पिता व दादा-दादी की नागरिकता का पत्र, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो संबंधित देश की नागरिकता की प्रमाणिकता देता हो। इन प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि समाप्त होने बाद भी ये भी मान्य होंगे।

भारत आगमन पर वीजा और आव्रजन टिकट की प्रति, विदेशी या भारत के अधिकारी द्वारा जारी आवासीय परमिट, जनगणना से संबंधित पर्ची, भारत बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Smita Das W/O Samanwaya Das R/O of P3051, ATS Pristine, Sector-150, Noida have changed my name to Smita Patnaik. 0050238780-1

I , THAKOR LABHUBEN legally wedded wife of Army No . 15446935Y Sep THAKOR MUKESHBHAI THAKARSIBHAI of AMC Records, Lucknow ; R/o Chichodara, Bhabhar. Banaskantha (Gujarat) changed my Name from THAKOR LABHUBEN to THAKOR LABHUBEN MUKESHBHAI. My correct name is THAKOR LABHUBEN MUKESHBHAI for all Future purposes. 0050238782-1

I,Sunita w/o Pawan Kumar 148A Zamrudpur declare Sunita Chaudhary and Sunita are the same person . 0050238781-1

It is for general information that I,KUNDAN S/o-Ramadhar Singh,R/o,H.no-1280 BSS Camp Rajokari Pahadi A.F Rajokari-South West-Delhi, Delhi-110038,declare that name of my father has been wrongly-written as Ramaadhar in my class-10th and class-12th marksheet and certificate educational documents.The actual-name of my father is Ramadhar Singh,which may be amended accordingly. 0040719444-10

I,pradeep s/o Kamal Kumar Luthra,r/o-101-A st.no.2,New lahore-colony Shastri-Nagar Gandhi-Nagar East,Delhi-110031,have changed my name to pradeep Luthra. 0040719441-8

I,hitherto known as PRATAP NARAYAN,S/o FATHEY BHADUR,R/o df-63,HARI-ENCLAVE-1,KIRARI SULEMAN-NAGAR,North West-Delhi, Delhi-110086,have changed my name and shall hereafter be known as RAM PRATAP. 0040719441-10

I,Yogesh Punia S/o Mahender Singh,R/o Flat No.602, 6th-Floor,Airport-Apartment, Sector -47,Near-Subhash Chowk,Gurgaon (Haryana), have changed my name to Yogesh Singh Punia. 0040719436-7

I,Syed Nazrul Islam,S/o Mohd Anwar Ali,R/o-1957,Ganj Mir Khan,Darya Ganj,Delhi have changed my name to Sekh Nazrul Islam,for all purpose 0040719444-4

I,Sweta Gupta W/o Suresh Mahajan R/o-A-2/15 First-Floor Sector-17,Rohini Delhi-110089,have changed my name to Shweta Mahajan 0040719435-6

I,Suresh Gupta S/o Satpal Mahajan R/o-A-2/15 First-Floor Sector-17,Rohini Delhi-110089,have changed my name to Suresh Mahajan 0040719435-5

I,Sunil Kumar Modi s/o Harish Chand Modi R/o,RZ-F20, F-Block,Nayepul Wali Gali, Ashok-Park,West Sagar Pur,New Delhi-110046,have changed my name to Sunil Modi,permanently. 0040719433-5

I,Siddharth S/o Sunil Kumar, R/o WZ-67, UGF PVT No-001, Dayal Sar, Uttam Nagar,New Delhi-110059,have changed my name to Sidharth Arora permanently. 0040719433-10

I,Seema Sinha W/o Srikant Singh R/o-H-406 J.J Colony, Shakurpur Saraswati Vihar Delhi-110034,have changed my name to Seema Singh 0040719435-9

I,Sharif Ahmed,S/o Abdul Samad,R/o D-394 Gali No-14,Brijpuri Delhi 110094 have changed name to Sharif Ahmad 0040719433-2

I,Sabroon Nisha W/o Mohammad Asraf,R/o RZ-D-4/5,Gali No-11,Durga Park, Nasirpur, Delhi-110045,have changed my name to Sabrun Nisha. 0040719444-2

I,SURENDER KUMAR,S/O HARBANS LAL ARORA,63 THIRD-FLOOR,OLD GUPTA COLONY, GTB NAGAR,NORTH-WEST, DELHI-110009,HAS CHANGED MY NAME TO SURENDER KUMAR ARORA,FOR ALL,FUTURE PURPOSES. 0040719441-1

I,SHIV SINGH TOMAR S/O JASHI RAM R/O HNO.L/62,PREM-NAGAR-II,KIRARI,SULEMAN NAGAR,DELHI-110086.HAVE CHANGED MY NAME TO SHIV SINGH. 0040719439-1

I,Rajender Kumar S/o Jaswant Singh R/o H.No.S/146, School Block, Shakarpur, Delhi-110092, have changed my name to Satpal Singh. 0040719439-5

I,Rafi Ahmed S/o Sharif Ahmad R/o D-394 Gali No-14 Brijpuri Delhi 110094 have changed my name to Rafi Ahmad. 0040719433-1

I James Kutty Valolickel Antony R/o 104A Kanchanjunga Apts Sector 53 Noida holding Passport No M6274258 have changed my name to James Valolickel Antony. 0040719425-1

I Aparna Saxena D/o Anoop Saxena and W/o Tushar Diwan Khurana R/o A- 144, Defence Colony, First Floor, New Delhi- 110024, have changed my name to Aparna Saxena Khurana 0070893742-1

व्यक्तिगत

I,RIZWAN S/O SIRAJUDDIN, K-2/759 SANGAM-VIHAR,NEW DELHI-110080,HAVE CHANGED MY NAME RIZWAN ANSARI, FOR ALLPURPOSES. 0040719441-6

I,RITU GIRDHAR W/O RITESH, R/O HNO.C-5/76,KESHAV-PURAM, LAWRANCE-ROAD, DELHI-110035.HAVE CHANGED MY NAME TO RITU WAD-HAWAN. 0040719444-7

I,RAGINI SAXENA,W/O HIREN-DRA SAXENA R/O-B-403, GODREJ OASIS,SECTOR-88A,GARHI,HARSARU,GUR-GAON, HARYANA-122505, inform that in my,passport my name SHIVALI VAMAN CHITALIA wrongly-written.My correct,name RAGINI SAXE-NA,for all,future purposes. 0040719436-5

I,Priya Mukhia Tamang, legally wedded spouse of No-9426624L Lnk Sanil Tamang resident of Vill-Sittong-I, Mana Busty PO-Ghalaytar Sittong Dist-Darjeeling State-West Bengal-734008 have changed my name from Priya Mukhia Tamang to Priya Mukhia, vide affidavit dated 12/03/2024 at Lucknow. 0040719402-2

I,Prince s/o Dharmapal Sharma,R/o 293, Asola Extn. Fateh Pur Beri,New Delhi-110074,have changed my name to Prince Sharma permanently. 0040719433-9

I,Pradeep Gupta S/o Radhey Shyam Gupta R/o A-50, Ist-Floor, Gurmandi, Malkaganj, Delhi-110078, have changed my name to Pradeep Kumar. 0040719439-4

I,Pankaj S/o Babu Ram Saini, R/o E-436/1-A, Jagjeet Nagar Shastri-Park Delhi-110053, have changed my name to Pankaj Saini. 0040719437-1

I,Padam Singh Dagar,R/o Ram Pat,R/o H.No.286,Sector-15, Part-1,Gurgaon (Haryana), have changed my name to Padam Singh. 0040719436-6

I,PRAVESH KUMAR MISHRA, S/O AKHILESH KUMAR MISHRA,R/O HUSAINGANJ KALA, GRAM-LALIPUR,P.S-JAGDISHPUR, MUSAFIRKHANA, DISTRICT-AMETHI,UTTAR PRADESH-227809,Have Changed My Name to PRAVESH MISHRA, Permanently. 0040719444-8

I,PAVNI NAGI W/O Nikhil Juneja R/O S-19, First Floor, Rajouri Garden, Delhi- 110027, Changed my name after mar-riage is PAVNI JUNEJA. 0040719437-2

I,Nafeesa Begum,W/O Mushtaq Ahmad R/o H No-F-329, F-Bkock,Gali No-15, Khajoori Khas, Delhi-110094.have changed my name to NAFISA BEGUM.Permanently. 0040719435-1

I,Mukhtar Ahmad, S/o MD Zeyaullah,R/o C-93,Second Floor,Shaheen Bagh Abul Fazal Enclave-2 South Delhi Delhi-110025,have changed my name to Mukhtar Ahmed. 0040719439-2

I,Monica Modi,w/o Sunil Modi,R/o RZ-F20, F Block, Nayepul Wali Gali, Ashok Park, West Sagar Pur,New Delhi-110046,have changed my name to Monika Modi, permanently. 0040719433-6

I,Mohit Kumar,S/o Raj Kumar, R/o C-1647, 1st Floor,Sushant Lok-1,Gurgaon,Haryana-122009,have changed my name to Mohit Kumar Rajnandani. 0040719441-9

I,Mohd Asraf S/o Ainul Haque R/o RZ-D-4/5, Gali No-11, Durga Park, Nasirpur, Delhi-110045,have changed my name to Mohammad Asraf. 0040719444-1

I,Mahima w/o Sharad Jain,R/o 496-497,Top Floor, Guru Ram Dass Nagar,Laxmi Nagar, Delhi-110092,have changed my name to Mahima Jain permanently. 0040719433-8

I,Mahendra Thakral S/o Subhash Chand R/o-19 Ext.2 Nangloi Delhi-110041,have changed my name to Mahender Kumar 0040719435-8

I,Mahender Singh,s/o Gopal Singh,R/o H. No-4,Street No-4,F-Block,Dayal Pur,Delhi-110094,have changed my name to Mahender Singh Bisht permanently. 0040719433-7

I,MUSKAAN DAVID,D/O EMENU-AL DAVID HOUSE.NO.303,3rd-FLOOR PLOT.NO-25/26 CHAN-DRA-PARK SAI RESIDENCY-DELHI 110078,N S IT,DWAR-KA,HAVE CHANGED MY NAME MUSKAN DAVID,FOR ALL PURPOSES. 0040719441-7

I,MALI RAM DIKHANI,S/O RAM KISHOR GOYAL,WARD.NO.19, ANDESARI,AJITGARH, SIKAR, AJITGARH-AMARSAR, RAJASTHAN- 332701,HAVE CHANGED MY NAME MALI RAM GOYAL,FOR ALL,FUTURE PURPOSES. 0040719441-2

I,Lehar W/o Gaurav Gupta,R/o B-2205,Gaur Sportswood, Sector-79,Bishrakh,Gautam Budh Nagar,U.P-201306,have changed my name to Lehar Gupta. 0040719437-6

I Sonu Mittal D/o Ram Kumar Mittal and W/o Aman Bansal R/o House No.-34, Block-C, Pkt-5, Sec-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sonal Bansal 0070893664-1

I, PARVEEN NIRWAL S/O RAJBIR SINGH R/o H.NO 389, GARHI PANA, BAKHTAWAR PUR DELHI-110036 HAVE CHANGED MY MINOR DAUGHTER'S NAME FROM AGUSTYA NIRW-AL TO GESHNA NIRWAL FOR ALL PURPOSES IN FUTURE. 0070893730-1

I,Laxmi W/o Himanshu R/o C-2/296, Yamuna Vihar, Delhi-110053,have changed my name to Laxmi Katiyar. 0040719437-4

I,Laxmi Katiyar,W/o Himanshu, R/o C-2/296, Yamuna Vihar, Delhi-110053,have changed the name of my minor daugh-ter from Nitya Prasad to Nitya Thakur. 0040719437-5

I,Kumari Asha,D/o Ram Shohade R/o 651, B Block, Phase-2,Metro Vihar, Holambi Kalan, Delhi-110082 have changed my name to Asha permanently. 0040719433-4

I,Kulbir Singh S/o S. Avtar Singh R/o 1247,Third-Floor Rani Bagh Delhi-110034 have changed my name to Kulbir Singh Sudan 0040719435-7

I,Jatin S/o-Subhash Kumar,R/o-B-203, Second-Floor,B-block, Mayurdhwaj Apartment, Geeta-Colony, Gandhi-Nagar Delhi-110031,have changed my name to Jatin Nasla,for all purposes. 0040719434-1

I,JYOTI W/O FERANANDIS,R/O 80,ASIAD VILLAGE, BAGHTAWAR SINGH BLOCK, ANDREWSRANJ,DELHI-110016. HAVE CHANGED MY NAME TO JYOTI FERANANDIS. 0040719444-6

I,JATINDER KUMAR NAGI,S/O Mangat Ram R/O A-2/90, Hastal,Uttam Nagar,Delhi-110059,have changed my name from JATINDER KUMAR NAGI to JITINDER NAGI. 0040719434-3

I,HEENA FATMA,D/O MOHAMMED IDRIS, HOUSE. NO-C-88, RAJU PARK KHAN-PUR,SOUTH DELHI-110062, changed my name to HINA FATIMA, 0040719444-5

I,Inderjit Singh,S/o-Balwant Singh,R/o-27-A,Rani Garden, Shastri Nagar,Delhi-110031, have changed my name,from Inderjit Singh to Inderjeet Singh,for future. 0040719435-3

I,Himanshu S/o Jagdish Prasad Sharma,R/o-E-20/11,Street No.6,Subhash Vihar,North Ghonda, Delhi,North East, Bhajanpura Delhi-110053,have changed my name to Himanshu Sharma,for all purposes. 0040719433-3

I,HARJEET KAUR,D/O TRILOK SINGH,F-7B, FIRST-FLOOR,SIN-GLE STOREY,VIJAY NAGAR, DR.MUKERJEE NAGAR S.O, NORTH WEST,DELHI-110009, HAS CHANGED MY NAME TO RITA JUNEJA,FOR ALL,FUTURE PURPOSES. 0040719441-3

I,Gauri Khanna W/o Sandeep Ahuja R/o B-18/2, Double-Storey, Ramesh Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Gauri Ahuja. 0040719439-3

I,FIRDOS,W/O INTEZAR ALI,H, NO-138 GALI,NO-5 D,BLOCK SANGAM-VIHAR,NEW DELHI 110080,HAVE CHANGED MY NAME FIRDAUS ALI,FOR ALL PURPOSES. 0040719441-4

I,Dilbagh Singh S/o Balbir Singh R/o WZ-36, Nangli Jalib, Janakpuri, New Delhi-58, have changed my name Dilbagh Singh to Dilbagh Singh Chaudhary,for all future purposes. 0040719444-3

I,Daljit Kaur W/o Jasvinder Singh,R/o WZ-807 Navyug Block Vishnu Garden Delhi have changed my name to Manjeet Kaur. 0040719436-1

I,DHARAMANDER KUMAR S/O HARI RAM R/O 38/10,EXTEN-SION-2B,NANGLOI, NILOTHI, DELHI-110041.HAVE CHANGED MY NAME TO DHARMENDER KUMAR. 0040719437-3

I,BHARAT S/O NAVEEN TYAGI R/O-378 Hastsal-Village Uttam-Nagar D.K. Mohan-Garden West Delhi-110059, have changed my-name to BHARAT PARASHAR. 0040719439-9

I,BHARAT BHUSHAN,S/O BHAG-WAT SWAROOP,R/O-D17A,SEC-OND FLOOR,EAST JYOTI NAGAR,DELHI-110093,HAVE CHANGED MY NAME TO BHARAT SHARMA,FOR ALL PURPOSES. 0040719436-4

I,BATI DEVI,W/O KISHAN LAL,H,NO-246 KUAN MOHALLA TUGLAKABAD VILLE DELHI-110014,HAS CHANGED MY NAME TO VATI DEVI,FOR ALL PURPOSES. 0040719441-5

I,BALVINDER KAUR,W/o HARINDER PAL SINGH KOHLI,ADDRESS.A-40,NARANG COLONY,JANAKPURI B-1,NEW DELHI 110058,changed my name to BALWINDER KAUR. 0040719436-3

I,B S KANWAR,S/O JAGDISH SINGH KANWAR,R/O VILLAGE-DHO,POST-KANJIAN DISTT-HAMIRPUR,HIMACHAL,PRADE SH-177025,HAVE CHANGED MY NAME,FROM B S KANWAR TO BHUPENDER SINGH KANWAR, VIDE-AFFIDAVIT IN-DL57222472748611W, DATED-12/03/2024 BEFORE,NCT-DELHI. 0040719444-9

I, Chanchuwar Arpana Sudhakarrao,W/o Deshraj Mehalawat,H.No-366, Gali.No-17, Near Shiv Mandir Gali,Phase-1,Gurgaon, Haryana-122001,have changed my name to Arpana Mehalawat. 0040719436-8

I, Anil Kumar Sharma S/o Arya Nand Sharma R/o A-492, Sector-19, Noida that Anil Kumar Sharma & Anil Sharma is one and the same person. 0070893722-1

I Manisha Aggarwal d/o Jai Prakash Aggarwal R/o 207/C Than Singh Nagar Gali No. 10 Anand Parbat Delhi-110005 has changed my name after marriage to Manisha Garg for all future purposes 0040719426-1

व्यक्तिगत

सूचित हो मैं महेलका अंजुम पत्नी जिया उल्ला सिद्दीकी निवासी- D-165/2, इंदिरानगर लखनऊ मेरा नाम शादी से पहले महेलका बेगम था एवं महेलका अंजुम एक ही महिला हैं! अब मुझे दोनों नाम से जाना पहचाना जाए!

I,Ashima D/o Ramesh Kumar R/o C-26, Flat-No.103, Surya-Nagar, Ghaziabad, U.P.-201011,have changed my minor daughter's name Vaani to Vaani Mitter. 0040719439-7

I,Ankit,S/O-Shri Sunder Lal, R/O-G-21/356,Sector-7, Rohini,Delhi-110085,Have Changed my name to Ankit Srivastava. 0040719435-4

I,Anamika Somanath Adhya W/O Somnath Adhya,R/O 584,Sector-E, Pocket-2, Vasant Kunj Delhi-110070,Have Changed my Name to Anamika Adhya. 0040719436-2

I,Anamica Dubey D/o Govind Kumar Dubey R/o A-57, Ramprastha Colony, Ghaziabad, U.P.-201011, have changed my name to Anamika Dubey. 0040719439-6

I,Ibrar S/O Samaydin R/o H No-424, Mandoli Village,Delhi-110093.have changed my name to ABRAR. Permanently. 0040719435-2

I,Ajya Kumar Alias Ajay Alias Ajay Kumar,S/o-Jagpal Singh, R/o-Flat No.303,J1B-Sangwan Heights,Raj-Nagar Extentio, Ghaziabad-201017,UP,have changed my name and shall hereafter be known as Ajay Kumar. 0040719434-2

I,AKASH DEEP SUMAN S/O, NAND KISHORE SUMAN R/O, A2-SF3 Jindel-Road SLF Ved-Vihar Loni-Dehat,Ghaziabad U.P.-201102 have changed my-minor daughter's name ASH-LYN SUMAN to AVISHA SUMAN aged-2-Years. 0040719439-8

I, Sushma Bhandari W/o-Surendra Singh Bhandari, R/o-H.No.-64, Ashok Nagar, Dhandera, Haridwar, U.K.-247666, declare that my actu-al D.O.B. is 05/11/1984 instead of 05/11/1983. 0040719431-2

I, Surendra Singh Bhandari, R/o- H.No.-64, Ashok Nagar, Dhandera, Haridwar, U.K.-247666, declare that my son's actual name is Lakshya Singh Bhandari instead of Lakshya Bhandari 0040719431-3

I, Shikha D/o Satya Pal Rajput R/o S-110, Infinity Tower, Sec-44, Noida have changed my name to Shikha Rajput. 0070893698-1

I, Sharad Kumar Agarwal S/o Vasu Dev Agrawal R/o New Gopalpuri, Gali-9, Pala Road, Aligarh have changed my name to Sharad Kumar Agrawal. 0070893695-1

I, Shakuntla Singh, M/o Raj Kumar Singh, R/o- VPO-Dehari, Teh.- Kerakat, Dist.-Jaunpur, U.P.-222142, declare that my actual name and D.O.B. is Shakuntla Singh and 20/10/1958 Instead of Sakuratala Singh and 21/10/1958. 0040719431-1

I, Piar Singh S/o Late Salig Ram R/o AG-562-C, Shalimar Bagh, Delhi-110088 have changed my name from Piar Singh to Piar Singh Jaiswal 0040719421-1

I, NEERU, Spouse of No.15415138M(HAV) SANT SARAN SINGH, R/o Village-Ramnagar, P.O.-Kaila, Distt.-Etah, Uttar Pradesh-207247 declare that my name incor-rectly updated as NEERU in my husband's service records and to be corrected to NIRU vide affidavit IN-DL57070910807359W dated:12/03/2024 before Notary Advocate: Rajkumar, Regd. No.-6536, New Delhi. 0070893686-1

I, Kateyayni Agarwal D/o Sharad Kumar Agrawal R/o New Gopalpuri, Gali-9, Pala Road, Aligarh have changed my name to Kateyayni Agrawal. 0070893693-1

I, KALI ALIAS KUSUM D/o OM PRAKASH R/o H. No. 205/9, Subhash Nagar, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name to Kusum for all purpose in future. 0070893726-1

I, Harkiran Kaur Kohli W/o Sarabjot Singh R/o-J-3/66, 3rd-Floor, Rajouri Garden, Delhi-27 have changed my name to Harkiran Kaur for all purposes 0070893734-1

I, Deep Kaur alias Manjeet Kaur Chadha W/o Lakhbir singh Chadha R/o 3A052, GC grand 2C, Vaibhav Khand, indirapuram, Ghaziabad-201014, Uttar hereby declare that I have changed my name after marriage to Deep Kaur Chadha for all future purpos-es. I hereby also confirm that both names Manjeet Kaur Chadha and Deep Kaur Chadha are of the same per-son only. 0070893684-1

I VEENA DEVI W/O LATE MARTU LAL R/O B-8, VIKAS NAGAR, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059, HAVE CHANGED MY NAME TO BEENA DEVI. 0040719335-2

I Shyam Bhavan S/o Drag Pal Singh R/o O, Maduri Baripal, Kanpur, Kanpur Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208001, have changed my name to Anurag Singh 0070893662-1

I Noopur Rajak W/O, Akshay Kumar R/o E-20 Dronacharya Apartments, MV 1, Delhi 110091 have changed my name to Noopur Ralhan due to my marriage. 0040719424-1

I Neelam, W/o-JC.no-542631M, Subedar Rajesh Kumar. My nameiswrongly mentionedas Neelam Devi in my husband 0060113748-1

मेरे आर्मी रिकॉर्ड में truttivash मेरे पुत्र का नाम Jai अंकित हो गया है, जो कि गलत है। उसका सही नाम Jai Shrivastava है, जो अन्य समस्त अभिलेखों में दर्ज है। संतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र संत किशोर लाल श्रीवास्तव, ग्राम बीसापुर, पोस्ट मथेला, जिला चंदौली, उ. प्र.

मेरे आर्मी रिकॉर्ड में truttivash मेरे पुत्री का नाम Tanu अंकित हो गया है, जो कि गलत है। उसका सही नाम Tanu Shrivastava है, जो अन्य समस्त अभिलेखों में दर्ज है। संतोष कुमार श्रीवास्तव पुत्र संत किशोर लाल श्रीवास्तव, ग्राम बीसापुर, पोस्ट मथेला, जिला चंदौली, उ. प्र.

मेरा नाम मेरे पति आर्मी नं० 15446935Y Sep THAKOR MUKESHBHAI THAKARSIBHAI, निवासी Chichodara, Bhabhar, Banaskantha, (Gujarat) के AMC Records, Lucknow में त्रुटिवश THAKOR LAB-HUBEN दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम THAKOR LABHUBEN MUKESHBHAI है। भविष्य में मुझे THAKOR LABHUBEN MUKESHBHAI नाम से ही जाना व पहचाना जाए। 50238782

मेरे पुत्र कुंवर नवनीत सिंह (Kuwar Navneet Singh) पुत्र श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के सेना सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम लीला सिंह (Leela Singh) त्रुटिवश अंकित हो गया है। जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम लीला देवी (Lila Devi) अंकित है, जो कि सही है। लिखा, पढा व दर्ज किया जाय। लीला देवी पत्नी श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम महराजपुर, पोस्ट गोरियाबाद, थाना जामों, जनपद अमेठी

I, SUHAIL ALI S/o Sajid Ali R/o T-476 Gali No-17 Near Masjid Khastagul Gautam puri New Seelampur Shastri park East Delhi-11053 declare that name of mine has been wrongly written as Mohd Suhail in my class-10th and class-12th marksheet and certificate educational documents. The actual mine name is Suhail Ali which may be amended accordingly. 0040718796-9

खोया+पाया

I, Amrish Mathur S/o Late B.B. Mathur has to inform that I have misplaced the Original Share Certificate of J-102, Shree Ganesh Apartments, 93, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092. 0040719412-1

I, Mohd. Aslam S/o Mohd. Ismail lost Original Builder Buyer Agreement (BBA) of Tower B14 Flat no. 0003, Signature Global solera, Sector 107,Gurugram 122006 Finder please call 9810111854 0040719414-1

I, Neeru Arora,W/o Ravinder Kumar Arora,R/o BF-5,Tagore-garden,New Delhi-27,have lost my original-allotment and Position later of house Number BF-21,Tagore gar-den,New Delhi-27. 0040719444-11

Lost My Original Marksheet of First and Second Year of Diploma in Pharmacy and Diploma Certificate.Finder Please Contact Naveen Kumar,S/O-Dilasa Ram,R/O-E-20/20,Sector-3,Rohini,Mobile-8384033516. 0040719444-12

My all original property docu-ments original Title chain in respect of property-No.271, Ground-Floor, Area 60 Sq.Yds., Out of Khasra-No.66 min, Lal Dora, Khureji-Khas, Delhi-110051,has been lost/mis-placed. Finder contact: Samina Bano,W/o Karim, Mobile No. 9540387123 0040719439-10

व्यापार संबंधित

TYFFYN provides All types of Women/ Men Jeans, Jackets, Blazers . Contact us- Shri Balaji Traders, Gandhi Nagar, Delhi- 110031. Mobile-9873684951, 9319450631. 0040718751-5

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Manju Aggarwal W/o Sh. Satinder Kumar Aggarwal R/o Society Flat. No. 20-B, The Navyug Adarsh CGHS Ltd, F-12, Bodella Phase-II, Vikas Puri, New Delhi-110018. The Original property document i.e. Possession Letter has been lost. An FIR to this effect has lodged in Police Station, Vide NCR/LR No. 1534029/2024 dated: 11/03/2024. Any Person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with above named person at above address within 15 days from the date of publication of this notice.

Sd/- B.B.N. DEO, Advocate
S.R.IInd,B Coumpus, Janak Puri,ND-58

PUBLIC NOTICE

It is to inform to public that my client Shri Kailash S/o Late Radhey Shyam and Smt. Asha W/o Kailash both R/o H.No. F-1675, JJ Colony, Tigri, South Delhi-110062, disinherited/disowned his sons Sagar Kumar, Nitin Kumar and daughter in law Hema and his daughter Diya Nagarwal from their all moveable and immoveable properties and severed all their relations from them. Our client shall not be responsible for their acts.

Yogesh Gupta (Advocate)
Ch. No.467 Saket Court New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the General Public at large that my client Smt. Sunita wife of Shri Rakesh Kumar resident of RZ-A-40, Indra Park Prajapat Colony, Uttam Nagar, New Delhi-110059, has severed all her relations socially, financially in all respects with her son Shri Chetan Kumar son of Shri Rakesh Kumar because he is not obedient to my client and misbehaved with my client since long time and also debarred and disowned him from inheriting any movable and immovable properties owned by my above said client. Any person dealing with them will do so at his/her/their own risk.

PARDEEP KUMAR (ADVOCATE)
Res.:C-437, Anandika, Sector-1, Rohini, Delhi-110085

सूचना

मैं विनोद कुमार यादव पुत्र संतराम यादव निवासी 624जीवी/208, गौरव विहार कलोनी, निकट रामा किडी कॉलेज, जिनहट, लखनऊ-226028 उ०प्र० एतद्द्वारा ये सूचित करता हूँ कि मैंने अपना नाम यादव विनोद कुमार संतराम पुत्र संतराम यादव से विनोद कुमार यादव पुत्र संतराम यादव कर लिया है। अतः भविष्य के सभी उद्देश्यों हेतु मुझे विनोद कुमार यादव पुत्र संतराम यादव के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

PUBLIC NOTICE

GENERAL PUBLIC IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT MS GEETA W/O LT GULSHAN BRAR, TEMPORARILY RESIDENT OF 23A/5, TILAK NAGAR, N.D 18 HAS SEVERED ALL HER SOCIAL AND PERSONAL TIES WITH HER DAUGHTER MS PUMMY AND ALL OTHER CHILDREN AND RELATIVES OF MY CLIENT HAVE NO CONNECTION WITH HER AND SHE HAS BEEN DISOWNED BY MY CLIENT AND IS NOT ENTITLED TO ANY OF THE MOVABLE OR IMMOVABLE PROPERTIES OF MY CLIENT.ANYBODY DEALING WITH SAID MS PUMMY SHALL DO AT HIS OWN RISKS AND CONSEQUENCES.

Sd/-
Sanjay Kapoor
Advovate
Chamber No-788, Western Wing,
Tis Hazari Courts

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Satish Kumar Arora S/o Sardari Lal Arora R/o JU-66C, Pitampura, Delhi-34, purchaser of FLAT NO.66-C, S.F., Pkt-JU, Pitampura, Delhi-34, has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold, vide File No.F2(26)83/HB/INP, in DDA. The original DDA documents i.e. Original Demand Letter, Possession Letter, Possession Slip and N.O.C. for water & electricity of the above flat have been lost. An FIR/NCR on this effect has been lodged online. Any person (s) claiming any right, interest having any objection or found in possession of original documents, may right, contact with above named person, at above address/Mobile No.9818573461, within 15 days from date of the publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property can personally inform or write to Deputy Director/LAB (H) Janta or Director (H)-II, Block-D, 3rd Floor, Vikas Sadan, New Delhi-23.

Sd/-
DINESH JAIN
Advocate
Enrl. No. UPO4527/10

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Manoj Kumar S/o Ramphal R/o H. No. C.N.-636, Sanjay Camp/Chankyapuri, Delhi-110021 has disowned his son Prashant R/o Ward No. 4, Village Rakseda, Raksehra (91) Panipat, Haryana-132115, from inheritance of all his movable and immovable properties and my client has severed all his relations with elder son namely Prashant and if Prashant will do or has done any wrongful/illegal act, Prasahant will do so on his own responsibility. My client and his family shall not in any way be held responsible for any act done or to be done by him in future. Herein after who so ever deals with Mr. Prashant will do so at his own risk and responsibility.

Sd/-
Nikhil Gautam (Advocate)
Enrl No. D-3427/2014
Ch. No. 651, Dwarka Court
New Delih-110075

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नदीम असलम और श्रीमती उरूज नदीम, सेक्टर 93ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश के प्लॉट नंबर 002 पर निर्मित पार्श्वनाथ प्रेस्टीज-पेज-1 नामक कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल पर अवास इकाई नंबर एच-104 के मालिक हैं। उपरोक्त संपत्ति के संबंध में श्री नदीम असलम और श्रीमती उरूज नदीम के पक्ष में पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया मूल कब्जा पत्र और मूल कब्जा प्रस्ताव पत्र दोनों कहीं गायब हैं। इस आशय की एक गुमशुदगी सूचना/एनसीआर पहले से ही दिल्ली पुलिस अपराध शाखा में एलआर संख्या: 1534091/2024 दिनांक 11/03/2024 दर्ज की गई है। इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या इकाई, फर्म/कंपनी, बैंक, एचएफसी/एचएफसी का सदस्य, वित्तीय संस्थान, उपरोक्त दस्तावेजों और/या उस पर अपत्ति के आधार पर किसी भी शुल्क, अग्रह या ग्रहणाधिकार या दीग का दावा करता है, तो वह / वे अधोहस्ताक्षरी के ईमेल-adv.shreyansh29@gmail.com पर इस प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण/व्यापासय के फैसले के साथ अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना दे सकते हैं, ऐसा न करने पर ऐसे किसी भी दावे/आपत्ति पर विचार शून्य और शून्य होना किया जाएगा।

Shreyansh Upadhyay (Advocate)
Ch. No. 7, Patiala House Court,
New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that our Clients Mrs. Dhaneshwari Devi proposes to purchase a Flat vide Flat No. 202, MIG-II, Second Floor, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad. The Above said Flat was purchased by Mr. Dinesh Bhatt & Mrs. Rashmi Bhatt. Mr. Dinesh Bhatt died on 10.05.2021. As per Survivor Certificate dated 06.10.2021, Mrs. Rashmi Bhatt (Wife), Ms. Stuti Bhatt (Daughter) & Mr. Kritrath Bhatt (Son) becames the owners. of respective Share of 1/12 1/6 & 1/6 respectively by virtue of law of inheritance Mr. Kritrath Bhatt has issued NOC through legal & natural guardian for sale of Flat.

Any person having any right or interest by way of agreement, sale, contract, or otherwise upon the said property are hereby required to give notice of the same to the undersigned on below mentioned address within 15 days from the date of publication hereof together with copies of all documents on the basis of which claims are made, failing which any such right, title, interest, or claim, if any, will be deemed to have been waived and not binding on our Clients.

Sd/-
Chandra Kishore Jha(Advocate)
E-524. Karkardooma Courts,
Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

I, Smt. Sangeeta Dogra W/o Shri Dhirendra Dogra R/o Flat No.321, Ground Floor, Pocket-GH-9, Paschim Vihar, New Delhi, Is the owner of DDA MIG Flat No.321, Ground Floor, Pocket-GH-9, situated at Paschim Vihar, New Delhi, Vide DDA File No. M032(110) 89/PV/NP. The Original Documents i.e. Original Demand Cum Allotment Letter of the above said property have been lost or misplaced by me and is not traceable inspite of my best efforts. An F.I.R./ncr to this effect has been lodged in the Police Station, crime branch, Delhi (IR no. 1522257/2024 dated 07.03.2024).

Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 9911751000, within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director (Housing) MIG or Director (Housing), D Block, Vikas Sadan, New Delhi.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अपने ग्राहक अनुज सेठी, पुत्र श्री ओम प्रकाश सेठी को उनके व्यावसायिक भवन संख्या 569क/248, जो खसरा संख्या 202/3 के अंश भूखंड संख्या 29, क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट, स्थित मोहल्ला स्नेह नगर, राजस्व ग्राम बरगवां, वार्ड गुरूनानक नगर, लखनऊ के विरुद्ध ऋण दिया जाना प्रस्तावित है किंतु उनकी स्वामित्व की पूर्व श्रृंखला का मूल विक्रय पत्र दिनांकित 09.06.1989 जो फ्रेंड्स सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा श्रीमती रीता के पक्ष में है, कहीं खो गया है। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को इस प्रस्तावित ऋण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह अपने पक्ष में विधिक साक्ष्य के साथ मुझसे 7 दिनों के अंदर संपर्क कर सकता है। उक्त अवधि में कोई विधिक व पोषणीय आपत्ति न प्राप्त होने पर मेरे उपरोक्त मुवक्किल द्वारा उक्त ऋण प्रदान कर उक्त संपत्ति को बंधक किया जायेगा तथा उक्त संपत्ति पर मेरे मुवक्किल का प्रथम प्रभार होगा।

(तरुण प्रकाश श्रीवास्तव)
एडवोकेट, मो०- 9335914262
रूम नं0-110-111, सिटी होटल, बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ-226001

PUBLIC NOTICE

This is informed to General Public that my clients Smt. Seema Malik W/o Sh. Sanjiv Malik and Sh. Sanjiv Malik S/o Sh. Rajkumar Malik both R/o Flat C- 302, Radison Appts., the New Rajput CGHS Ltd., Plot No.23, Sector-12, VTC, Dwarka South-West Delhi, New Delhi-110078, have disowned and disinherited their son namely Sh. Pranav Vashist and their daughter-in-law Smt. Arzoo Garg W/o Pranav Vashist from their all moveable and immoveable properties and Assets i.e. Flat C-302, Radison Appts., the New Rajput CGHS Ltd., Plot No.23, Sector-12, VTC, Dwarka South-West Delhi, New Delhi-110078 (in the name of Seema Malik) and 1) Property bearing Flat No.463, Vikas Kunj, Vikas Puri, New Delhi 110018 and 2) Property bearing No.R-128, Model Town, Rohtak, Haryana (both properties in the name of Sanjiv Malik) and have also sever

जामिया में सीएए के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बढ़ाई गई सुरक्षा

सीएए वापस लेने की मांग, परिसर के आसपास पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी

नई दिल्ली,12 मार्च (भाषा)।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र समूहों ने सीएए लागू किए जाने के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की।

विश्वविद्यालय के एक गेट के पास संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रदर्शनकारी छात्रों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को रद्द करने और लगभग चार साल पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को रिहा करने की मांग की। उन्होंने छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की।

छात्रों ने जामिया परिसर के अंदर से मीडिया को संबोधित किया, जबकि दिल्ली पुलिस बाहर तैनात रही। विरोध प्रदर्शन में 'दिल्ली पुलिस वापस जाओ' और 'इंकलाब जिंदाबाद' जैसे नारे लगाए गए। साल 2019 में हुए सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा रहे छात्र कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग संबंधी पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में छात्र परिसर में एकत्र हुए।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट पर सीएए का विरोध करते छात्र।

गेट नंबर सात बंद : सीएए लागू होने के बाद से दिल्ली पुलिस संवेदनशील इलाकों में तैनात है। पिछली बार सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन वाले स्थान शाहीन बाग में भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जामिया का गेट नंबर सात बंद कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। शाहीन बाग और जामिया एक ही स्थान पर है।

प्रदर्शन से पहले डीयू परिसर में 55 छात्र हिरासत में लिए गए

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय में एकत्रित हुए लगभग 55 छात्रों को मंगलवार को हिरासत में लिया गया। वामपंथ से संबंधित आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कई विद्यार्थियों ने सोमवार को केंद्र द्वारा लागू सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। आइसा की दिल्ली विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष माणिक गुप्ता ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने दावा किया कि विद्यार्थियों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) एम के मीणा ने बताया कि पिटाई के सभी आरोप निराधार हैं क्योंकि हमने सभी की वीडियो रिकार्डिंग की है।

नई दिल्ली में मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामने तैनात अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान।

अर्धसैनिक बलों ने किया 'फ्लैग मार्च'

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं, दिल्ली के अनेक हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अर्धसैनिक बल के जवान गश्त और फ्लैग मार्च करते रहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया है।

सीएए के खिलाफ विरोध का केंद्र रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग इलाकों में 2019-20 में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे। उत्तर-पूर्व दिल्ली में 2020 की शुरुआत में इस कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा घायल हो गए थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मद्देनजर पुलिस ने उत्तर पूर्व जिले में 43 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी शामिल हैं। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सोमवार की रात शाहीन बाग, जामिया नगर और उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। वहीं, मंगलवार को भी गश्त जारी रहा।

खबर कोना

अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 मार्च।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत मंगलवार को बढ़ा दी। सिसोदिया की हिरासत अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही थी, जिसके कारण उन्हें विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने सिसोदिया की हिरासत अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने यह आदेश तब दिया जब सीबीआइ के वकील ने दावा किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं या न्याय की जद से भाग सकते हैं। न्यायाधीश ने मामले के कुछ आरोपियों द्वारा आरोप तय करने को लेकर शुरू की गई बहस पर आपत्ति जताने वाली एक अर्जी पर भी दलीलें सुनीं।

मंदिर तोड़फोड़ मामला, सोमनाथ भारती सहित पांच के खिलाफ शिकायत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 मार्च।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती, पार्षद सरिता फोगाट सहित पांच लोगों के खिलाफ सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता वकील और टंडन सेना के मुख्य राष्ट्रीय सलाहकार मोहन कुमार ने आरोप लगाया कि आपराधिक साजिश के तहत एक पवित्र स्थल को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि यह घटना नौ मार्च को सफदरजंग एन्क्लेव में हुई।

लेडी इरविन महाविद्यालय ने मनाया अपना 91वां स्थापना दिवस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 मार्च।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी इरविन कालेज ने अपना 91वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सन्याल व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कि अतिरिक्त सचिव तृप्ति गुरहा उपस्थित रहीं। कालेज के चेयरपर्सन एवम गवर्निंग बाडी के सदस्य दिलीप चिनाय ने कालेज के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि कालेज बीते लगभग 9 दशकों से गृहविज्ञान की शिक्षा में एक मील का पत्थर बनकर महिला शिक्षा पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। इस कालेज की नींव महिलाओं को शिक्षित करने व उनके संपूर्ण विकास के अवसर दिए जाए के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी। कालेज की निदेशक अनूप सिद्धू ने कहा, कि इस कालेज की मुख्य भूमिका ये रही कि इसने घर में छुपे विज्ञान यानी गृहविज्ञान को महिला जगत शिक्षा का एक सशक्त औजार दिया है।

सीएए लागू होने के बाद हिंदू और सिख प्रवासियों के साथ जश्न मनाते दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा।

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों संग भाजपा नेताओं ने खेली होली

नई दिल्ली, 12 मार्च (संवाददाता)।

सीएए लागू होने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए सिख एवं हिंदू शरणार्थियों को एक मंच पर सम्मानित किया और गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। इस मौके पर शरणार्थियों ने एक पत्र भी वीरेंद्र सचदेवा को दिया, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वीरेंद्र सचदेवा एवं उपस्थित शरणार्थी प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपनी खुशी जाहिर की और सभी को बधाई दी। वहीं मजनू का टीला पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें मकान देने का आश्वासन भी दिया।

पुलिस उपनिरीक्षक के निलंबन के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रदर्शन, कहा

'नमाजी पर बल प्रयोग करने वाले मनोज तोमर को बहाल करो'

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने इंद्रलोक इलाके में नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को लात मारने के आरोप में उप-निरीक्षक को निलंबित किए जाने के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दक्षिणपंथी संगठन के कई सदस्यों ने 'हनुमान चालीसा' का पाठ किया और 'जय श्री राम' के नारे लगाए। उप-निरीक्षक मनोज कुमार तोमर ने 8 मार्च को उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों को धक्का दिया था और लात मारी थी, जिसे लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पढ़ी हनुमान चालीसा

हिंदू रक्षा दल के एक नेता ने कहा कि अगर उन्हें सड़कों पर नमाज पढ़ने का अधिकार है, तो हमें भी सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का अधिकार है। हमारी मुख्य मांग उप-निरीक्षक की काम पर बहाली और उसके निलंबन आदेश को रद्द करने को लेकर है।

50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया गया

एक अन्य नेता विष्णु गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात करके कहेंगे कि एसआइ मनोज कुमार तोमर को ड्यूटी पर वापस लाया जाए और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने करीब 50 से 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और उन्हें संसद मार्ग थाने में रखा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने लगभग 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया, संसद मार्ग थाने ले गए और तुरंत रिहा कर दिया। हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल को तैनात किया है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।

दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में दावा

चोरी के बाद भागते समय पीड़ित बोरवेल में गिरा था

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

दिल्ली जल बोर्ड के 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरने से जिस व्यक्ति की मौत हुई, वह चोरी करने के बाद पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि एक स्कूटी पर सवार दो लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिसे एक सुरक्षा गार्ड ने देखा था। इस जानकारी का सत्यापन किया जा रहा और यह अभी प्राथमिकी का हिस्सा नहीं है।

प्राथमिकी में कहा गया है कि बोरवेल एक कमरे में था जिसका दरवाजा खुला था। पीड़ित रविवार को बोरवेल में गिर गया था, जिसका शव राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा चलाए गए लगभग 14 घंटे के लंबे अभियान के बाद बाहर निकाला गया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को विकासपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिकी में कहा गया है कि वह व्यक्ति चोरी करने के बाद भाग रहा था, तभी वह केशवपुर जल बोर्ड कार्यालय में 30 से 40 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया। सूत्रों ने बताया कि पीड़ित की पहचान करने के लिए पुलिस 'फिंगरप्रिंट' विशेषज्ञों और चेहरे की पहचान प्रणाली आदि की मदद ले रही है।

CHANDRA SHEKHAR AZAD UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, KANPUR-208 002 (U.P)
Advertisement

Applications are invited from eligible candidates for various posts in the University.
Advt No.01/2024- Professor for different colleges of the University (23 posts).
Advt No.02/2024- Associate Professor for different colleges of the University(46 posts).
Advt No.03/2024- Programme Coordinator/Senior Scientist and Head (03 posts) of different KVKs.
Advt No.04/2024- Subject Matter Specialist/T-6 (18 posts) of different Krishi Vigyan Kendra.
Advt No.05/2024- Farm Manager/T-4(15 posts), Programme Assistant (Lab Technician)/ T-4(11 Posts) in different KVKs.
Advt No.06/2024- Assistant (14 Posts), Stenographer Grade-III (03 Posts) in different KVKs.
Advt No.07/2024- Driver T-I(07 Posts), Skilled Support Staff (06 Posts) in different KVKs.
Details may be downloaded from the University website (**www.csauk.ac.in**). Applications on prescribed proforma must reach to the office of the undersigned on or before 5.00 pm of **15 April, 2024** through Registered/Speed post only.

Sd/-
Director,
Administration & Monitoring

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न)
सीआईएन: - L74899DL1999GOI101707

विज्ञापन संख्या : 21/2024
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
आईआरसीटीसी
में
निदेशक (वित्त)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 02/04/2024 है।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदकों को लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 11/04/2024 है।
जानकारी के लिए वेबसाइट http://www.pesb.gov.in में लॉग इन करें।

रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी

विज्ञापन संख्या RLBCAU/03/2024 दिनांक : 11.03.2024
विज्ञापन संख्या RLBCAU/03/2024 के माध्यम से निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र. सं.	पद	स्तर	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1.	अर्थनियंत्रक(सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति /अनुबंध पर)	14	1	-	-	-
2.	कुलसचिव(सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति /अनुबंध पर)	14	1	-	-	-
3.	सह-प्राध्यापक, मृदा विज्ञान	13A	1	-	-	-
4.	सह-प्राध्यापक, वेटिरिनेरी फिजियोलॉजी	13A	1	-	-	-
5.	सहायक प्राध्यापक, लाइवस्टॉक फार्म कॉम्पलैक्स (एनीमल न्यूट्रीशन)	10A	-	-	1 (दिव्यांग)	-
6.	सहायक प्राध्यापक, वेटिरिनेरी क्लीनिकल कॉम्पलैक्स(वेटिरिनेरी गायनोकॉलोजी एण्डऑब्सट्रैटिक्स)	10A	-	-	-	1
7.	सहायक	7	2	-	-	-
8.	लैबोरेटरी टेक्नीशियन	5	1	1	-	-
9.	अपर डिवीजन क्लर्क	4	2	-	1	-
10.	पर्सनल सहायक	6	1	-	-	-
	योग		10	1	2	1

अधिक जानकारी के लिए जैसे आवश्यक योग्यता, आरक्षण की श्रेणी, वेतनमान, आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र और अन्य निर्देश, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rlbcau.ac.in पर देखें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल, 2024 होगी।
कुलसचिव

शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
शेख सराय, फेज-II, नई दिल्ली - 110017
फोन नं. : 29253430, वेबसाइट: www.sbsec.org
ईमेल : principal.sbsec@gmail.com

विज्ञापन No.: SBSC/EVE/417 दिनांक 12.02.2024
स्थाई आधार पर निम्नलिखित पद (पदों) के लिए वेब लिंक http://dunt.uod.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों के विवरण, रिक्तियों की संख्या, वेतन बैंड, रिक्तियां भरने के लिए प्रकिया आदि, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय नियमों के तहत निर्धारित किया गया है, नीचे दी गई है.

क्रम सं.	पद का नाम	अना	अपिव	अजा	अजजा	पीडब्ल्यू बीडी	ईडब्ल्यू एस	अधिकतम आयु	मूल वेतन (रू)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1.	प्रशासनिक अधिकारी*	-	-	-	-	01 (वीआई)	-	35	56100-177500	स्तर-10
2.	वरिष्ठ निजी सहायक	-	-	-	-	01 (एलडी)	-	35	44900-142400	स्तर-7
3.	सहायक	-	-	01	-	-	-	30	25500-81100	स्तर-4
4.	कनिष्ठ सहायक	-	01	01	-	01 (एचआई)	-	27	19900-63200	स्तर-2
5.	पुस्तकालय अटेंडेंट	-	01	01	-	-	-	30	18000-56900	स्तर-1

*अपिव विस्तार अधीन
अना-अनारक्षित, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वीआई-दृष्टि विकलांग-दृष्टिबाधिता और अल्प दृष्टि सहित, एलडी-गतिविषयक विकलांगता-कुष्ठ निवारित, बौनापन, एसिड हमला पीड़ित, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और मस्कुलर डिस्ट्राफी सहित, एचआई-श्रव्य विकलांगता, ओबीडी-अन्य बेंचमार्क निःशक्तता (एएसडी-एम, एमओडी), आईडी एसएलडी, एमआई
- पीडब्ल्यूबीडी/अजा/अजजा/महिला आवेदकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं।
- फीस का एक बार भुगतान कर देने पर इसे किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- पात्रता मापदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थी कॉलेज वेबसाइट www.sbsec.org पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। बेंचमार्क निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, यदि उन्हें आवेदन फार्म भरने में किसी भी प्रकार की सहायता अपेक्षित है तो वे कॉलेज में स्थापित किये गये सहायता डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।
- अर्हता, रिक्तियां भरने के लिए प्रकिया, आवेदन फीस आदि के संबंध में अधिक विवरण के लिए कॉलेज वेबसाइट www.sbsec.org पर जाएं।
- कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल कॉलेज वेबसाइट पर डाला जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन है।
- कॉलेज के पास विज्ञापित पदों की प्रकति और/अथवा संख्या में परिवर्तन करने अथवा किसी/सभी उपर्युत पदों को किसी भी चरण में बगैर कोई कारण बताये नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित है।

Principal

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन विभाग, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, राय्पेट्टा, चेन्नै 600 014

विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती - 2024

इंडियन बैंक, स्केल I, II, III और IV में निम्नलिखित विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

क्र.सं	विशेषज्ञ	रिक्तियों की संख्या				
		स्केल 1	स्केल 2	स्केल 3	स्केल 4	कुल
1	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वर्टीकल	30				30
2	सुरक्षा अधिकारी	11				11
3	सूचना सुरक्षा		3	3	1	7
4	सूचना प्रौद्योगिकी		5	5	5	15
5	ऋण			10	10	20
6	रिलेशनशिप प्रबंधक (एमएसएमई)		10	10	5	25
7	जोखिम प्रबंधन		5	5	3	13
8	ट्रेजरी (डीलर)		5	5	1	11
9	फोरेक्स अधिकारी		5	5		10
10	डिजिटल मार्केटिंग			3	1	4
	कुल	41	33	46	26	146

आवेदन की तिथियाँ	
अभ्यर्थी द्वारा आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार (ऑनलाइन) का भुगतान	12/03/2024 से 01/04/2024

विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in के 'करियर' पेज पर जाएं।
स्थान : चेन्नै दिनांक : 12.03.2024 महाप्रबंधक (मासंवि / एचआर स्ट्रेटेजी)

www.readwhere.com

यीडा की बोर्ड बैठक में करीब दस हजार करोड़ रुपए का बजट मंजूर

नोएडा हवाई अड्डे के पास महंगा हुआ आशियाना

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 मार्च।

जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बदौलत पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) का बजट 5 गुना से ज्यादा बढ़ हो गया है। मंगलवार को यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने करीब 10 हजार करोड़ रुपए का बजट पास किया है। एक वक्त ऐसा भी था, जब राज्य सरकार यमुना प्राधिकरण को ग्रेटर नोएडा में समाहित करने की योजना तैयार कर रही थी। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट 1,950 करोड़ रुपए था। जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 5,629 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब अगले 2024-25 के लिए बजट 9,992 करोड़ रुपए हो गया है।

यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले करीब दो गुना है। वहीं, जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चलते जमीन की बढ़ती मांग के चलते सभी श्रेणियों के आबंटन में 5.14 फीसद की बढ़ोतरी कर दी गई है। आवासीय भूखंडों की आबंटन दरें 24600 रुपए थीं इन्हें बढ़ाकर 25900 रुपए कर दिया गया है। वहीं अभी तक बिल्डरों को जमीन लेने के लिए 30750 रुपए से आगे बोली लगानी पड़ रही थी। अब न्यूनतम बोली दर 32375 रुपए कर दी गई है। साथ ही पहली बार ट्रांसपोर्ट आबंटन की दर निर्धारित की है। बढ़ी हुई दर एक अप्रैल से लागू होगी।

यीडा अध्यक्ष अनिल सागर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। बजट में सबसे ज्यादा राशि 6,063 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के मद में रखी गई है। आगामी विकास योजनाओं के लिए बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में जमीन खरीदी जानी हैं। निर्माण व विकास कार्यों के लिए दो हजार करोड़, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 702 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 51,800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तय की गई है। मेडिकल डिवाइस पार्क की आबंटन दर में भी पांच फीसद का इजाफा किया है।

5.14 फीसद बढ़ी आबंटन दर, हवाई अड्डे ने बढ़ाई जमीन की मांग

51 हजार 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर ट्रांसपोर्ट आबंटन के लिए निर्धारित

शून्यकाल का लाभ खरीदारों को दें भवन निर्माता

प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में यह भी फैसला लिया है कि शून्य काल का जो फायदा भवन निर्माता को होगा, वही खरीदारों को भी होना चाहिए। भवन निर्माता को 01.04.2020 से 31.03.2022 तक की अवधि में मिले अनुमन्य छूट खरीदारों को भी दी जाए।

फिल्म सिटी का आबंटन पत्र योगी ने बोनी कपूर को सौंपा

यमुना एक्सप्रेस-वे शहर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का आबंटन पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बोनी कपूर को जारी किया। जेवर में निर्माणाधीन हवाई अड्डे के पास बनने वाली फिल्म सिटी की वैश्विक निविदा में कई बड़ी कंपनियों ने आवेदन किए थे। गत 26 दिसंबर को इसकी तकनीकी बिड और 27 दिसंबर को वित्तीय निविदा खुली।

जमीन खरीदने की आधी रकम ब्याज मुक्त देने की मांग

यीडा ने भूमि बैंक बढ़ाने के लिए अपनी परियोजनाओं, सेक्टर- 10, 7, 5, 6, 8, 9, 4ए, 5ए, टप्पल-बाजना अर्बन सेंटर और सेक्टर 28, 29, 32 की अवशेष भूमि के अधिग्रहण के लिए 11,750 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें 50 फीसद धनराशि 5,875 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाने का अनुरोध किया गया। शेष 50 फीसद का प्रबंध प्राधिकरण स्वयं करेगा।

गाजियाबाद से जेवर के लिए रैपिड मेट्रो, 300 करोड़ मंजूर

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 मार्च।

गाजियाबाद से जेवर इलाके में निर्माणाधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के लिए रैपिड मेट्रो को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूर किया गया है। बोर्ड बैठक में मल्टी माडल कनेक्टिविटी के लिए तीन सौ करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट रैपिड मेट्रो के लिए मंजूर किया गया है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को रैपिड रेल से जोड़ने के लिए एनसीआरटीसी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर दो रूट सुझाए थे। एक रूट में दिल्ली के न्यू अशोक नगर और दूसरा रूट गाजियाबाद से हवाई अड्डे तक प्रस्तावित था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्राधिकरणों के साथ आनलाइन बैठक की थी, जिसमें गाजियाबाद से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक रैपिड रेल चलाने की मंजूरी दी गई। एनसीआरटीसी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक इस रूट से गाजियाबाद, ग्रेनो वेस्ट, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र जुड़ जाएगा।

पहला चरण 2031 तक होगा पूरा

गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन से ग्रेनो वेस्ट और परी चौक के रास्त नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक रैपिड रेल कारिडोर को मंजूरी दी गई है। परी चौक पर नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के साथ रैपिड रेल मर्ज होगी। इसका निर्माण दो चरण में होगा। पहले चरण में गाजियाबाद और इकोटेक-6 (कासना) के बीच 37.15 किलोमीटर का कारिडोर बनेगा। इसे 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कारिडोर गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद की करीब 1.1 करोड़ की आबादी को जोड़ेगा। एनसीआरटीसी, गाजियाबाद से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक रैपिड रेल कारिडोर की विस्तृत कार्य योजना रपट (डीपीआर) तैयार करेगा। इस कारिडोर के प्रारूप (डिजाइन) को इस तरह से तैयार किया जाएगा, ताकि इसमें रैपिड रेल के साथ मेट्रो भी चलाई जा सके।

खबर कोना

ग्रेनो वेस्ट में अतिक्रमण ढहाया, करीब 460 करोड़ रुपए की जमीन कराई मुक्त

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 मार्च।

ग्रेनो वेस्ट के सैनी और सुनपुरा गांव में मंगलवार को प्राधिकरण के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण ढहाया। दोनों गांवों में करीब 460 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन मुक्त कराई गई है। सैनी और सुनपुरा गांव में प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कालोनी बसाने का कार्य चल रहा था। प्राधिकरण की तरफ से कई बार चेतावनी भी दी गई थी। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने गांव पहुंचकर अवैध अतिक्रमण ढहाया। इस जमीन पर प्राधिकरण द्वारा उद्योगों के लिए आबंटन किया जाएगा। जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 12 मार्च।

चोरी की मोटरसाइकिल से रेकी करने के बाद वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सेक्टर-24 पुलिस ने मंगलवार को चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की सात मोटरसाइकिल, दो स्कूटी और एक कार बरामद हुई है। गिरोह में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों की पहचान सेक्टर-22 निवासी आरिफ उर्फ जायमुल, राजेश और अंकित व दिल्ली के कोंडली निवासी अनकेश के रूप में हुई है। बदमाशों के खिलाफ सेक्टर-24 थाने में ही 13 मामले दर्ज हैं।

कोविन पोर्टल की तर्ज पर यू-विन से होगा टीकाकरण पंजीकरण

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 12 मार्च।

कोविड के दौरान कोविन पोर्टल के माध्यम से लोगों को टीकाकरण कराने के लिए आनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी। उसी की तर्ज पर अब 'यू-विन' पोर्टल पर शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों एवं गर्भवती को टीके लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों की जानकारी व आनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। टीका लगवाने के बाद उन्हें डिजिटल प्रमाण पत्र भी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा ने दी।

तीसरे साल लगातार ग्रेनो की बिजली वितरण कंपनी को ए प्लस 'रेटिंग'

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 मार्च।

ग्रेनो में विद्युत वितरण करने वाली नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने ऊर्जा मंत्रालय की ओर 12वें वार्षिक समेकित 'रेटिंग' और ऊर्जा वितरण उपयोगिताओं की उच्चतम 'रेटिंग ए प्लस' हासिल की है। एनपीसीएल उत्तर प्रदेश में एकमात्र डिस्काम है, जिसे उच्चतम 'ए प्लस रेटिंग' हासिल हुई है। मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा और पावर फाइनेंस कारपोरेशन की देखरेख में तैयार की गई इस रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने जारी किया है।

अपनी भाषाओं के सेनापति हैं पुरस्कृत रचनाकार : माधव कौशिक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 मार्च।

साहित्य अकादेमी के 'साहित्योत्सव' के दूसरे दिन 24 भारतीय भाषाओं के लेखक पुरस्कृत हुए। कमानी सभागार में हुए साहित्य अकादेमी पुरस्कार अर्पण 2023 की मुख्य अतिथि प्रतिभा राय ने कहा कि साहित्य सभी को जोड़ता है। अन्य की तरह वह विभाजन की बात कभी नहीं करता। इसलिए लेखन हमेशा सार्वभौमिक होता है और विभिन्न बदलावों के दौर में भी अपनी चमक नहीं खोता।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि पुरस्कृत सभी रचनाकार अपनी-अपनी भाषाओं के सेनापति हैं और वे केवल सृजन नहीं करते बल्कि संरक्षण भी करते हैं। वर्तमान समय में जो भी खूबसूरती या कहीं इंसानियत नजर आती है, उसके पीछे साहित्यकारों का ही सृजनात्मक परिश्रम है। आम आदमी के प्रवक्ता साहित्यकार

को हमेशा अंगारों पर ही चलना पड़ता है। साहित्य अकादेमी के सचिव के श्रीनिवासराव ने कहा कि लेखक ज्ञान की अनमोल संपत्ति हम तक पहुंचाकर हमें समृद्ध करते हैं। संजीव को हिंदी में तो नीलम सरन गौड़ को अंग्रेजी के लिए पुरस्कृत किया गया। साहित्य अकादेमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा ने कहा कि इस मंच पर आज भारतीय साहित्य का स्वाभिमान सौंदर्य और गरिमा एक साथ देखे जा सकते हैं। साहित्य अखंड होता है और आने वाले समाज के लिए मनुष्यता की राह बनाता है।

गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय में रिश्वत लेने का आरोप

पांच कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआइ ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने पासपोर्ट आवेदकों के लंबित मुद्दों के समाधान के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद के पांच कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एजंसी ने मामले में वरिष्ठ पासपोर्ट सहायकों और पासपोर्ट सहायकों रवि किशन, चंद्रकांत, पवन शर्मा और जंदैल सिंह और मुजफ्फरनगर के बिचौलिए फरहान गौड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजंसी ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कई शहरों में तलाशी ली। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि जिन आवेदकों के आवेदन लंबित थे, उनकी पुलिस सत्यापन

आवेदकों के लंबित मुद्दों के समाधान के लिए रिश्वत मांगने का आरोप, एजंसी ने प्राथमिकी दर्ज कर कई शहरों में ली तलाशी।

रिपोर्ट भेजने, दस्तावेजों की स्कैनिंग, पासपोर्ट की छपाई और प्रेषण के लिए बिचौलिया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद में कार्यरत अधिकारियों से संपर्क करता था।

बदले में गौड ने कथित तौर पर विभिन्न भुगतान माध्यम का इस्तेमाल करके आरोपी पासपोर्ट अधिकारियों को अवैध रूप से रकम का भुगतान किया। सीबीआइ के प्रवक्ता ने कहा कि यह आरोप लगाया गया कि 14 जून, 2022 से दो जुलाई, 2023 के दौरान, आरोपी व्यक्ति ने पासपोर्ट आवेदकों के मुद्दों को हल करने के लिए 1.57 लाख रुपये की रिश्वत ली। प्राप्त की गई कथित राशि, उसके द्वारा यूपीआई के माध्यम से आरोपी पासपोर्ट अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, ज्ञात व्यक्तियों के बैंक वॉलेट और बैंक खातों में विभिन्न लेनदेन के माध्यम से अंतरित की गई थी।

महिला हस्तियों को शक्ति सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 मार्च।

गांधी शांति प्रतिष्ठान में भारतीय महिला शक्ति सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें वक्ताओं ने भारतीय महिलाओं की शक्ति का सही आकलन करने की मांग की गई।

दुनिया भर में महिलाओं के लिए महान आदर्श के रूप में शुमार की जाने वाली सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग की गई। अतुल कुमार प्रभाकर की अध्यक्षता में हुए समारोह में विभिन्न राज्यों की विभिन्न विधाओं में उल्लेखनीय कार्यों के लिए तीस महिलाओं को सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर साहित्य के लिए नूतन पांडेय को सम्मानित किया गया। अश्रुतपूर्वा डाट काम की संस्थापक सांत्वना श्रीकांत भी सम्मानित हुई।

कदाचार के आरोपी दो अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दिए आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 'घोर कदाचार' के आरोपी दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) कैडर के दो अधिकारियों की 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का आदेश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने अपने लिखित बयान और अभ्यावेदन में आरोपों से किया था इनकार।

उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव द्वारा आठ मार्च को अलग-अलग आदेश जारी किए गए थे। डीएएसएस के ग्रेड-एक के आरोपी अधिकारियों पर 2012 में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक (प्रवर्तन) के रूप में काम करते हुए 'घोर कदाचार' करने का आरोप लगाया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि उन पर 24 अगस्त 2012 को करोल बाग में एक व्यावसायिक परिसर का 'अनधिकृत' निरीक्षण का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने अपने लिखित बयान और अभ्यावेदन में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। 15 अक्तूबर 2012 को कथित अनधिकृत निरीक्षण और रिश्वत की मांग के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने एक मामला दर्ज किया था।

ग्रेनों में दोस्त की डंडे से पीट कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 12 मार्च।

सेक्टर 36 में निर्माणाधीन स्थल पर बतौर मुनीम का काम करने वाले कृष्णपाल की उसके दोस्त धर्मेंद्र ने ही सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि कृष्णपाल का उसकी साली से संबंध है। घटना के 12 घंटे के अंदर थाना बीटा टू पुलिस ने धर्मेंद्र को एच्छर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त डंडा, मोबाइल और जैकेट बरामद की गई है।

घटना के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को एच्छर गांव के पास से दबोच लिया।

थाना बीटा प्रभारी मुनेंद्र कुमार के मुताबिक बुलंदशहर निवासी कृष्णपाल सेक्टर-36 में एक कंपनी में विगत पांच महीने से मुनीम के रूप में नौकरी कर रहा था। उसके बच्चे व पत्नी बुलंदशहर में रहते हैं। निर्माणाधीन स्थल पर ही कानपुर का रहने वाला धर्मेंद्र भी रहता था। दोनों में पांच महीने से दोस्ती थी। धर्मेंद्र के साथ उसकी साली भी रहती थी। आरोप है कि कृष्णपाल धर्मेंद्र की साली से बातचीत किया करता था। जिसके चलते धर्मेंद्र को शक हुआ कि कृष्णपाल का उसकी साली से संबंध हैं। इसी बात को लेकर सोमवार रात दोनों के बीच कहासुनी हुई। उस समय लोगों ने मामला शांत करा दिया। बाद में धर्मेंद्र ने कृष्णपाल की डंडे से वार कर हत्या कर दी।

पहल एमसीडी के नए आधुनिक कचरापट्टी स्थल का उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

दिल्लीवालों को अब परेशान नहीं करेगी राख

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 मार्च।

दिल्ली नगर निगम के नए इंजीनियर्ड कचरापट्टी स्थल की मंगलवार को शुरुआत हो गई। इसके शुरू होने से प्रदूषण से राहत मिलेगी और दिल्ली साफ व स्वच्छ बनेगी। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नगर निगम का यह एक बड़ा कदम है। इससे कूड़े के पहाड़ों को जल्द खत्म करने में भी मदद मिलेगी।

मंगलवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंजीनियर्ड कचरापट्टी स्थल का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस आधुनिक प्लांट में कूड़े के निस्तारण के बाद निकली राख को डालने की व्यवस्था होगी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ओखला तेहखंड में नगर निगम के नए इंजीनियर्ड कचरापट्टी स्थल की शुरुआत की। इस प्लांट में कूड़े के निस्तारण के बाद निकली राख को प्रोसेस करने की व्यवस्था होगी। जिसके लिए 15 एकड़ जमीन को विकसित किया गया है।

कूड़े के पहाड़ों को कम करने में मिलेगी मदद

इंजीनियरिंग कचरापट्टी स्थल से कूड़े के पहाड़ों को कम करने में मदद मिलेगी। अभी तक राख को कूड़े के पहाड़ों पर फेंका जाता था। लेकिन अब राख को इंजीनियरिंग कचरापट्टी स्थल पर डाला जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस कचरापट्टी स्थल को आइआइटी दिल्ली की मदद से तैयार किया गया है। इसको तैयार करने में 42.31 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ओखला के तेहखंड में 15.47 एकड़ में स्थल बनाया गया है। इसमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकली हुई राख को निस्तारित किया जाएगा। राख को डालने के लिए एमसीडी को 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से राशि मिलेगी। यहां रोजाना करीब 500 टन राख डाली जाएगी।

दिल्ली की 645 सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा संयंत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,12 मार्च ।

सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम की 500 वर्गमीटर से बड़ी 645 इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने मंगलवार को सरकारी इमारतों पर 'रूफटाप' सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इन भवनों में शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, डीटीएल सब स्टेशन आदि शामिल होंगे।

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दी परियोजना को मंजूरी।

आतिशी ने बताया कि सरकारी इमारतों पर यह संयंत्र लगाने की पहल केजरीवाल सरकार की दिल्ली सौर ऊर्जा नीति का हिस्सा है। इसके साथ हमारा नजरिया राजधानी में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। इन परियोजनाओं के साथ हमारा लक्ष्य दिल्ली में बिजली की बढ़ती खपत के बावजूद, 2027 तक शहर की कुल ज़रूरत की 25 फीसद बिजली सौर ऊर्जा के संयंत्र से पैदा की जाए। उन्होंने बताया कि परियोजना से सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की ज़रूरतों को स्वयं पूरा करने में मददगार बनेगा। पैसों की बचत के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। उन्होने बताया कि सभी संयंत्रों की कुल क्षमता 50 मेगावाट होगी। उन्होंने कहा कि, 29 जनवरी, 2024 को कैबिनेट द्वारा पारित दिल्ली सोलर नीति को भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील नीति में से एक के रूप में देखा जा रहा है। यह नीति सौर ऊर्जा के रूप में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगी।

www.readwhere.com

महा मेट्रो

PUNE METRO

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.

(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र शासन का संयुक्त उपक्रम)

पुणे मेट्रो रेल परियोजना

महा मेट्रो, ब्लाक नं. ए 3, फूड ग्रेन गोडाऊन, दिवाणी न्यायालय के पास कामगार पुतला वसाहत से आगे, शिवाजीनगर, पुणे 411005

ई-मेल : tenders.pmrp@mahametro.org

संकेतस्थळ : www.punemetrorail.org टेलि. : 020-26051074

निविदा सूचना सं. P1-IT-04/2024 दि. 12/03/2024

कार्य का नाम : मेट्रो भवन, पुणे में टेलिकॉम प्रणाली का आरेखन, आपूर्ति, संस्थापना, परीक्षण तथा कार्यान्वयन

निविदा सूचना देखने हेतु इच्छुक बोलीकर्ता **www.punemetrorail.org** भेंट करें अथवा निविदा दस्तावेज़ डाऊनलोड करने हेतु तथा अधिक जानकारी **दि. 13/03/2024, 15:00 बजे से दि. 15/04/2024, 15:00 बजे तक** ई-निविदा पोर्टल **https://mahatenders.gov.in** पर भेंट करें।

कार्यकारी निदेशक (खरेदी एवं करार)
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.

Pune Metro : City's Transport Solution

SBI

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियां वसूली शाखा–II स्टेट बैंक भवन, (शाखा कोड 51521)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005
दूरभाष : 011–28752163, फैक्स : 28755674, ई–मेल : sbi.51521@sbi.co.in

[नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई भवन, चतुर्थ तल, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधि. सं. 54) के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 05–01–2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारक / गारंटरों श्री मदन लाल एवं श्रीमती मीना अनेजा को सूचना में अंकित राशि रु. 19,06,706.44/– (रुपये उन्नीस लाख छह हजार सात सौ छह एवं चौवालीस पैसे मात्र), 05.01.2024 के अनुसार, का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणधारक/गारंटर निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 12 मार्च 2024 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणधारक/गारंटर को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 19,06,706.44/– (रुपये उन्नीस लाख छह हजार सात सौ छह एवं चौवालीस पैसे मात्र), 05.01.2024 के अनुसार, तथा राशि पर नियत भावी ब्याज एवं आकस्मिक शुल्कों, इत्यादि हेतु, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई भवन, चतुर्थ तल, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धार (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :–

छताधिकारों के साथ संपूर्ण प्रथम एवं द्वितीय तल, संपत्ति सं. 97 पर निर्मित स्वामित्वधारक संपत्ति का भाग जो पॉकेट–13, सेक्टर–24, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में स्थित है, जिसका अधिमापन 32.00 वर्ग मीटर है।

दिनांक : 12–03–2024, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

कार्यालय वसूली अधिकारी – II
ऋण वसूली अधिकरण देहरादून
पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

मांग सूचना

ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 की धारा 25 से 28 तथा आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना।

आरसी/673/2023 **15–02–2024**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध मैसर्स ईएसएस ईएसएस ट्रेडिंग कंपनी एवं अन्य

प्रति,

(सीडी 1) मैसर्स ईएसएस ईएसएस ट्रेडिंग कंपनी कार्यालय, 24/12, कमलनाथ विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। (सीडी 2) सुरेंद्र सिंह राणा पुत्र श्री राजपाल राणा पता 24/12, कमलनाथ विहार, लेबर कॉलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। (सीडी 3) जीतेन्द्र राणा पुत्र श्री चौपाल सिंह, निवासी 330, आवास विकास कॉलोनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। (सीडी 4) शक्ति सिंह पुत्र श्री जल सिंह, निवासी ए–11, ब्रिजेश नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। (सीडी 5) मनविंदर सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी ए–1791–415–सी, चंदर नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

यह अधिसूचित किया जाता है कि टीए/35/2019 में ऋण वसूली अधिकरण देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के क्रम में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, रु. 18,99,007.00 (रुपये अट्ठारह लाख निन्यानबे हजार सात मात्र) की एक राशि पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज 11.00: वार्षिक की साधारण ब्याज दर के साथ, 07/07/2008 से प्रभावी होकर वसूलीकरण तक, और लागत रु. 78,000.00 (रुपये अट्ठहत्तर हज़ार मात्र) की एक राशि, आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप में और अलग–अलग रूप में / पूरी तरह से / सीमित) देय हो गई है। 2. आपको सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरा. क्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 और उसके तहत विरचित नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी। 3. आपको सुनवाई की अगली तिथि पर या उससे पहले एक शपथपत्र पर अपनी परिसंपत्तियों के विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है। 4. आपको आगे की कार्यवाहियों के लिए 03/05/2024 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। 5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप इन राशियों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे : (क) इस प्रमाणपत्र / निष्पादन कार्यवाहियों की इस सूचना के तुरंत बाद आंरभ होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज। (ख) इस सूचना और वारंट की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही। दिनांक 15/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा ट्रिब्यूनल के कार्यालय द्वारा निर्गत।

वसूली अधिकारी –II, ऋण वसूली अधिकरण देहरादून

एल एफ एल NFL

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
नंगल यूनिट, नया नंगल–140 126 (पंजाब)
फोन नं. :01887-220568 | फैक्स नं. :220541

दिनांक : 13.03.2024

निविदा सूचना

निम्नलिखित के लिए ई–टेंडर और जीईएम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा के आधार पर दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं:

क्र. सं.	टेंडर नं.	विवरण	ईएमडी राशि	अनुमानित लागत	निविदाएं जमा करने और तकनीकी बोलियां खोलने की अंतिम तिथि और समय
1.	पीएन/एसएस/2021/7	शंटिंग लोकोमोटिव की खरीद।	रु. 1.00 लाख	रु. 252.00 लाख	जीईएम शेड्यूल के अनुसार
2.	एनएफएल/पीएन/एसपी एक्स/2023/195	उच्च दक्षता ट्रे आदि सहित पूर्ण यूरिया संश्लेषण रिएक्टर की खरीद।	रु. 1.00 लाख	रु. 45.71 करोड़	ई–टेंडर बोली के अनुसार अनुसूची

अधिक जानकारी और कार्य के दायरे आदि के लिए कृपया वेबसाइट देखें: www.nationalfertilizers.com, https://gem.gov.in और https://etenders.gov.in/eprocure/app इस निविदा में कोई भी अन्य संशोधन/शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाएगा। विक्रेताओं को उपरोक्त वेबसाइटों पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी जाती है।

उप महाप्रबंधक (सामग्री)

केनरा बैंक Canara Bank

लाजपत नगर शाखा
दिल्ली–110024

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक की **लाजपत नगर शाखा** के साथ कई लॉकर लॉकर धारकों द्वारा खोले गए हैं और जिनके संबंध में लॉकर समझौते गायब हैं और साथ ही, लॉकर धारक पिछले लॉकर का संचालन नहीं कर रहे हैं। वर्षों की संख्या या लॉकर शुल्क के बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

क्र. नं.	लॉकर धारक का नाम	लॉकर नं.	पता	लॉकर किराया देय से	अंतिम संचालन	बकाया राशि
1	बीबी देवी	738	जी 1366 चितरंजन पार्क नई दिल्ली 110019	2019	30.07.07	17700
2	सुरिंदर मोहिन्द्रू	1230	688 औद्योगिक क्षेत्र लुधियाना	2019	29.03.2005	17700
3	संतोष असलम	1240	31 राष्ट्रीय उद्यान लाजपत नगर	2007 से संचालित नहीं	13.02.2007	शून्य
4	संगीता	1217	क्वार्टर नं. 25 टाइप III सेक्टर II सादिक नगर नई दिल्ली 110049	2019	08.04.2019	17543/-
5	रमिंदर कौर अरोड़ा	1238	बी 25 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव II नई दिल्ली 110048	2011 से संचालित नहीं	21.09.2011	शून्य

कुछ मामलों में लॉकर धारक का स्वर्गवास होने का पता चला है। इस सूचना के द्वारा, एतद्द्वारा सभी इच्छुक व्यक्तियों को यह अधिसूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के 15 दिन की अवधि के भीतर संबंधित शाखाओं में लॉकर के संबंध में पुष्ट प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट, आधार कार्ड और निवास का प्रमाण इत्यादि के साथ पधारें, लॉकर की बकाया राशि अदा करें तथा नया लॉकर एग्रीमेंट करें अथवा अपना सामान निकालें। यदि किसी लॉकर के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई के लिए विवश होगा। लॉकर शुल्क के बकाया की वसूली के लिए लॉकर की सामग्री पर अपना ग्रहणाधिकार निष्पादित करते समय इसकी सामग्री को अलग रखें।

दिनांक: 12.03.2024 स्थान: नई दिल्ली शाखा प्रबंधक

ऋण वसूली अधिकरण देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
दूसरी मंजिल, पारस टावर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड 248171
वसूली अधिकारी-II, डीआरटी, देहरादून के समक्ष

बिक्री उद्घोषणा

नीलामी की तिथि : 30.04.2024 को 01.00 बजे अप. से 02.00 बजे अप.

(समय-समय पर यथासंशोधित ऋण वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 52(2) के तहत बिक्री उद्घोषणा)

आरसी नं. 315/2022

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रोहताश सिंह एवं अन्य

सेवा में,

(सीडी 1) रोहताश सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम चौकी खैरातसिल धनौरा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।
(सीडी 2) कौशल पाल सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी ग्राम दलियाभूर गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश।

प्रमाणपत्र देनदार

जबकि रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसार देय रु. 61,59,544/- तथा पेंडेंटलाइट और भावी ब्याज के साथ ओए दाखिल करने की तारीख यानी 13.09.2021 से इसकी वसूली तक 10.45% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं लागत और शुल्क की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून द्वारा ओ.ए. 410/2021 में रिकवरी सर्टिफिकेट दिनांक 18.10.2022 तैयार किया गया है।

जबकि माननीय पीठासीन अधिकारी ने वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय की वसूली के लिए प्रमाणपत्र देनदारों से वसूली के लिए उपरोक्त वसूली प्रमाणपत्र को अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया है। और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि में संलग्न अनुसूची में उल्लिखित बंधक संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी और बोली मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड /ऑक्शन टाइगर की वेबसाइट **https://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से 30.04.2024 को 01:00 बजे अप. से 02:00 बजे अप. के बीच यदि जरूरी हुआ तो 02:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: वसूली अधिकारी कार्यालय, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून संपर्क नंबर 0135 -2974077 और संपत्ति निरीक्षण के लिए श्री विनय कुमार, प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गजरौला शाखा, उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। बिक्री उपरोक्त प्रतिवादी/सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में बताया गया है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है, प्रत्येक लॉट/संपत्ति के खिलाफ अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार संपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली प्रमाण पत्र में उल्लिखित कुल राशि, उसमें उल्लिखित ब्याज और लागत (बिक्री की लागत सहित) के साथ नीलामी आयोजित करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या इस संतुष्टि के लिए प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है तो नीलामी बोली समाप्त होने से तुरंत पहले बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री पर, जनता को आम तौर पर पोर्टल **https://drt.auctiontiger.net** पर बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जिसके पास बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाने, अधिग्रहण करने या बेची गई संपत्ति में कोई हित हासिल करने का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 25 और 29 के साथ पठित नियमों और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी के सूचना के अनुसार सत्य कहे गये हैं किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस सूचना में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. संपत्तियों को यहां निर्धारित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
   (क) इच्छुक बोलीदाताओं को पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण आदि दस्तावेजों के साथ और कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी का दावा करने वाले या किसी अन्य दस्तावेज के साथ 26.04.2024 को शाम 4:00 बजे से पहले रिकवरी ऑफिसर, डीआरटी, देहरादून के कार्यालय में ईएमडी जमा करना आवश्यक है और उसके बाद 30.04.2024 को 01:00 बजे अप. से 02:00 बजे अपराह्न तक आयोजित होने वाले ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
   (ख) ईएमडी केवल 'वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून के कार्यालय में जमा की जाएगी।
   (ग) ई-नीलामी की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रासंगिक विवरण संभावित बोलीदाताओं/प्रतिभागियों और आम जनता की जानकारी के लिए यहां प्रस्तुत किए गए हैं।
   सेवा प्रदाता का नामः ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड
   सेवा प्रदाता का पोर्टलः **https://drt.auctiontiger.net**
   हेल्पलाइन नंबरः +91 -79-68136880/881/837/842, 09265562821, 09265562818, 09265562819
   सेवा प्रदाता की ईमेल आईडीः **support@auctiontiger.net**
   ई-नीलामी का पोर्टलः **https://drt.auctiontiger.net**

(घ) ई-नीलामी हेतु अनुसूची निम्नलिखित है :

नीलामी की तिथि : 30.04.2024 (01:00 बजे अप. से 02:00 बजे अप.)
बोली की अन्तिम तिथि : 26.04.2024 (04:00 बजे अप. तक)

लॉट नं.	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	बोली वृद्धि राशि
1	रु. 53.13 लाख	रु. 5.32 लाख	रु. 2.50 लाख

(प्रत्येक बार 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ यदि कोई बोली समापन समय के अंतिम 5 मिनट या नीलामी के ऐसे विस्तारित समय में लगाई जाती है)

3. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रु. 2,50,000/- होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को तुरंत दुबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
4. असफल बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर तुरंत वसूली अधिकारी, डीआरटी, देहरादून के कार्यालय से सीधे ईएमडी लेनी होगी।
5. सफल/उच्चतम संविदाकारों को ईएमडी समायोजित करने के पश्चात संविदा/विक्रय राशि के 25% का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण देहरादून के पक्ष में या चालू खाता सं. 7360878086, इंडियन बैंक, आईएसबीटी देहरादून शाखा, देहरादून, आईएफएससी कोड- **IDIB000D557** में एनईएफटी/आरटीजीएस अगले कार्यदिवस अर्थात 04.00 बजे अप. तक इस अधिकरण के पास जमा करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
6. सफल/उच्चतम संविदाकार विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि वसूली अधिकारी, डीआरटी, देहरादून के समक्ष वसूली अधिकारी, डीआरटी, देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर चालू खाता सं. 7360878086, इंडियन बैंक, आईएसबीटी देहरादून शाखा, देहरादून, आईएफएससी कोड- **IDIB000D557** में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सम्पत्ति की नीलामी की तिथि के 15वें दिन या इससे पूर्व, ऐसे दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात प्रथम कार्यालयी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% की दर से तथा इस राशि के रु. 1000/- से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित रजिस्ट्रार, डीआरटी, देहरादून के पक्ष में जमा करेगा। (75% की शेष राशि डाक द्वारा जमा करने के मामले में यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)।
7. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि को सरकार के लिए जब्त कर लिया जा सकता है और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के लिए सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
8. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त लगे तथा ऐसा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक हो तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
9. संपत्ति किसी भी बैंक कार्य दिवस पर अपराह्न 03:00 बजे के बाद संभावित बोलीदाता द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। सुविधा अधिकारी, श्री विनय कुमार, प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
10. संपत्ति **"जहां है जैसा है", "जो है यही है" और "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर बेची जा रही है। संपत्ति/संपत्तियों पर किसी भी प्राधिकरण का बकाया, यदि कोई हो, बोली राशि के अलावा नीलामी क्रेता/क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
11. इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में राजस्व/ऋणभार या संपत्तियों के खिलाफ दावे का कोई अद्यतन विवरण नहीं है। हालाँकि, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ईएमडी जमा करने से पहले, अपने हित में, बिजली/पानी/हाउस टैक्स बिलों या किसी अन्य बाधा आदि के बकाया के संबंध में स्वयं सावधानी बरतें।
12. सफल बोलीदाता को कन्वीएंस, पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क आदि के लिए शुल्क/प्रभार वहन करना होगा।
13. अधोहस्ताक्षरी के पास आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अधीन किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित करने/आस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. बिक्री वसूली अधिकारी-कक ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा पुष्टि के अधीन होगी जिसे किसी भी कारण से या बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।
15. वसूली अधिकारी को किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही में संपत्ति का कोई भी हिस्सा जोड़ने या निकालने का अधिकार है।
16. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी के सूचना के अनुसार सत्य कहे गये हैं किन्तु अधोहस्ताक्षरी इस सूचना में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

लॉट नं.	अन्य नामों के साथ जहां सम्पत्ति चूककर्ता या सह-स्वामी के रूप में अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित है, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	उस ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हों, जिसे सम्पत्ति पर किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
(i)	कृषि भूमि का 1/6 हिस्सा खाता संख्या 26, खसरा संख्या. 2एम, 29एम, 30एम, 33, 42एम, 58, 60एम, 62एम, 75, 103, 105, 119, 150, 151एम, 15, कुल क्षेत्रफल 5.7990 एकड़ में से 0.966 हेक्टेयर क्षेत्रफल, ग्राम चाकी खेड़ा, तहसील धनौरा जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में स्थित, श्री रोहताश सिंह पुत्र श्री राम सिंह के नाम पर ।	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की मुहर सहित देहरादून में 27 फरवरी, 2024 को दी गयी।

वसूली अधिकारी-II, डीआरटी, देहरादून

SBI

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-I

प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित **चल/अचल** सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांकों को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार(बी)/गारंटर(रों)(जी) का नाम एवं पता	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता (सम्पत्ति का भौतिक/सांकेतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) / वृद्धि राशि	बकाया राशियां जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	संपर्क हेतु व्यक्ति का नाम और नं.	ई-नीलामी की तिथि प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय:
1	**मैसर्स बाला जी सेल्स कॉर्पोरेशन,** खसरा नं. 327ए और 327बी रोहटा पुलिस स्टेशन के पास ग्राम रसूलपुर रोहटा, मेरठ यू.पी. –250002 **श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री वेद प्रकाश सिंह (प्रोपराईटर), मैसर्स बाला जी सेल्स कॉर्पोरेशन, खसरा नं. 327ए और 327बी रोहटा पुलिस स्टेशन के पास ग्राम रसूलपुर रोहटा, मेरठ यू.पी.–250002** **श्री वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री वेद प्रकाश सिंह,** 217, गगन एन्क्लेव रोहटा रोड, मेरठ, यूपी –250002	साम्यिक बंधक सम्पत्ति खसरा नं. 327ए और 327बी का भाग (कुल क्षेत्रफल 1107.83 वर्ग मी), गाँव रसुलपुर, रोहता पुलिस चौकी के पास, रोहता रोड, जिला मेरठ, यू.पी. में स्थित, चौहद्दी : पूरब में – तारा चंद का पूर्वी प्लॉट 146 फीट, पश्चिम में – सुनीता का 146 फीट प्लॉट, उत्तर में – धर्मपाल का प्लॉट 81.6 फीट और 81.60 फीट रास्ता 10 फीट बाकी पुष्पा का प्लॉट (भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	₹ 40.00 लाख / ₹ 4.00 लाख / ₹ 0.50 लाख	रु. 80,84,355/- दिनांक 05.07.2021 तक और भविष्य का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि	श्री रा.के. जामवाल मो. नं. 8595677877 श्री जगपाल सिंह 9810208650	28-03-2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे तक	22-03-2024 अपरा 01.00 बजे से अपरा 04.00 बजे तक

ई-नीलामी हेतु नियम व शर्तें:-

1. ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक वेबपोर्टल **https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp** के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज **ibapi** के ई-नीलामी प्लेटफार्म **https://ibapi.in & http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** पर उपलब्ध है
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनबद्धता/प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो/ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पूर्व एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं। एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति और ई-नीलामी वेबसाइट में इस तरह की जानकारी को अपडेट करने के बाद ही बोलीदाता को प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को अपने हित में सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि अग्रिम रूप से जमा करें।
4. यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी।
5. ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों **https://ibapi.in** पर प्रकाशित की गई है।

**ध्यान दें: उधारक

कल्पमेधा

मनुष्य की बुद्धि के खिलाफ सबसे बड़ा पाप यह है कि बिना कोई सबूत मिले, किसी बात पर विश्वास कर लिया जाए।

– थामस हक्सले

अनावश्यक आपत्ति

प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश दौरा चीन को खटक गया है। उसने भारत के समक्ष राजनयिक आपत्ति दर्ज कराई कि अरुणाचल में इस तरह भारतीय नेताओं के दौरे से दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे मामले और उलझ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और वहां भारतीय नेताओं के दौरों को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चीन के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग था, है और रहेगा। दरअसल, पिछले हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में बनी सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली यह सुरंग हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। इससे सामरिक महत्त्व के तवांग इलाके तक हर मौसम में भारतीय सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाएगी। करीब तेरह हजार फुट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग माना जा रहा है। जाहिर है, इससे चीन असहज हो उठा है। तवांग तक भारतीय सैनिकों की पहुंच आसान होने का अर्थ है, चीन को बड़ी सामरिक चुनौती।

चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहते हुए अपना क्षेत्र बताता रहा है। पिछले वर्ष जब उसने भारतीय क्षेत्र की कुछ जगहों को अपने नक्शे में दिखाते हुए उनके नाम बदल दिए थे, तो उनमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। चीन ने अरुणाचल का नाम बदल कर जैगनान रख दिया है। इस पर भारत ने उस वक्त भी सख्त नाराजगी जाहिर की थी। कोई भी देश इस तरह किसी दूसरे देश के किसी हिस्से का नाम बदल कर उसे अपने नक्शे में शामिल कर ले, तो इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हुए समझौते के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। वहां रहने वाले लोगों को बकायदा यहां की नागरिकता प्राप्त है। मगर चीन समय-समय पर यह जताने से बाज नहीं आता कि भारत ने अरुणाचल पर अवैध कब्जा कर रखा है। जबकि हर बार भारत ने उसके इस दावे का पुरजोर खंडन किया है। इस बार भी उसके दावे को निराधार बता कर खारिज कर दिया गया है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी समझौते को झुठलाने और वहां अस्थिरता पैदा करने की चीन की कोशिशें किसी से छिपी नहीं हैं। अक्सर उसके सैनिक सीमा पार कर भारत के अधिकार वाले हिस्से में आ जाते हैं। जब उन्हें चुनौती दी जाती है, तो वे लौट जाते रहे हैं। करीब चार वर्ष पहले उसके सैनिक गलवान घाटी में घुस कर भारतीय सैनिकों से गुत्थमगुत्था हो गए थे। उस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक शहीद हो गए। तबसे दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के सैन्य अधिकारी बातचीत की मेज पर आते रहे हैं। यह दिखाने का प्रयास करते रहे हैं कि वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, मगर हकीकत में यह मसला अभी तक उलझा हुआ है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह भारत के हिस्से वाली कई जगहों के नाम बदल कर उन्हें अपना हिस्सा बताता रहा है। मगर भारत ने उसकी विस्तारवादी नीतियों को हर समय ठोस चुनौती दी है।

बच्चों की फिक्र

कई बार कानूनी प्रावधानों की तकनीकी बारीकियों की व्याख्या इस तरह की जाती है, जो अपराध को रोकने के बजाय उसे संरक्षण देती दिखती है, भले उसके पीछे मंशा वही न हो। कुछ समय पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में व्यवस्था दी थी कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंटरनेट से डाउनलोड करना और निजी तौर पर देखना यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पाक्सो और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। 'निजी दायरे' की दलील को एक हद तक सही माना जा सकता है, मगर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना कुंठा, मानसिक विकृति और अपराध को उकसाने वाला भी हो सकता है। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को 'भयावह' या 'नृशंस' बताया और तमिलनाडु पुलिस व आरोपी को नोटिस जारी किया। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है।

इंटरनेट एक खुला आकाश है, जिस पर सकारात्मक और नकारात्मक सामग्री की भरमार है। मगर आज इस पर जिस तरह अश्लीलता का भी कारोबार हो रहा है, कम से कम भारत जैसे देश और यहां के समाज पर उसके जटिल सामाजिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अश्लील सामग्री में डूबे रहने वाले व्यक्ति की त्रासदी इसी से समझी जा सकती है कि उसके भीतर गहरे पैठी कुंठा उसे बच्चों से जुड़ी ऐसी चीजों को देखने की ओर प्रवृत्त करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से कुंठा मानसिक विकृतियों का स्रोत और वाहक है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति कब बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसी हरकत कर बैठे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें बच्चों की अश्लील सामग्री का प्रसार भी शामिल है। अपराध के कई स्तर और चरण होते हैं। इसलिए किसी भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि उसके स्रोत और कारणों की पहचान की जाए, उसे शुरुआती स्तर पर ही रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

महिला अधिकारों की खुरदुरी जमीन

जब आधी आबादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह भाग न ले रही हो, तो समावेशी और टिकाऊ विकास कठिन है। अगर लगभग पचास फीसद महिलाएं कार्यबल में शामिल हो जाएं, तो देश के विकास दर की कल्पना की जा सकती है।

ज्योति सिडाना

अब सार्वजनिक मंचों पर अक्सर कहते सुना जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव गुजरे जमाने की बात हो गई। अब लैंगिक बराबरी का जमाना है। अब तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों को पीछे छोड़ कर आगे निकल गई हैं। पर सवाल है कि क्या सचमुच समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई सकारात्मक और व्यापक बदलाव हुआ है। क्या उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और सोच में परिवर्तन आया है। अगर नहीं, तो फिर महिला सशक्तीकरण की बात करना बेमानी है। कहते हैं कि किसी राष्ट्र की प्रगति को मापने का उत्तम तरीका है यह जानना कि वहां की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। महिला सशक्तीकरण के बिना एक राष्ट्र की समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की न्यायसंगत सहभागिता एक मजबूत और जीवंत समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है।

इसके बावजूद इस वक्त भारत में कामकाजी उम्र की 43.2 करोड़ महिलाओं में से 34.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रपट के अनुसार महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 अरब अमेरिकी डालर की वृद्धि कर सकता है। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का वर्तमान योगदान अठारह फीसद है, जबकि जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी अड़तालीस फीसद है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहां महिलाओं ने अपना परचम न फहराया हो। छोटे व्यवसायों से लेकर स्टार्ट-अप तक महिलाएं अपने-अपने उद्योगों में नवाचार और विकास को बढ़ावा दे रही हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक 'जेंडर गैप' रपट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष से आठ स्थान का सुधार दर्शाती है।

जब आधी आबादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह भाग न ले रही हो, तो समावेशी और टिकाऊ विकास कठिन है। अगर लगभग पचास फीसद महिलाएं कार्यबल में शामिल हो जाएं, तो देश में विकास दर क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। कई सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों ने एशिया में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को आकार दिया है। देखभाल कार्य का असमान बोझ विकासशील और विकसित देशों में महिलाओं को औपचारिक कार्यबल में शामिल होने से रोकने वाली एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बाधा है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी, देखभाल के बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और भूमि, वित्त और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंच में बाधा, उन्हें आर्थिक विकास की ओर बढ़ने से रोकते हैं। भारत के औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होने के बावजूद महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि, अनौपचारिक क्षेत्रों और छोटे व्यवसाय आधारित उद्यमों में लगा हुआ है। हालांकि यह उन्हें औपचारिक रोजगार से बाहर रखता है, जो लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए हानिकारक है।

'एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रपट' 2023 के अनुसार भारत में 43.7 फीसद लड़कों के पास स्मार्टफोन है, जबकि सिर्फ 19.8 फीसद लड़कियों के पास अपना स्मार्टफोन है। यह रपट कहती है कि एक चौथाई लड़के पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं कि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता और बीस फीसद लड़कियां इसलिए छोड़ देती हैं, क्योंकि परिवार उन्हें पढ़ने नहीं देता। भारत में सिर्फ दस फीसद शिक्षित कामकाजी उम्र की महिलाएं 'जाब मार्केट' में हैं, जबकि शिक्षा में उनकी भागीदारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी आठ फीसद से भी कम है, जबकि भारतीय उत्तराधिकार कानून उन्हें यह हक काफी समय पहले दे चुका है। अगर लड़कियां अपने पिता की संपत्ति में हक मांगने का दुस्साहस करती हैं तो भाई-बहन के रिश्ते ही हाशिये पर चले जाते हैं।

> **एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि स्त्री को भी मनुष्य के रूप में परिभाषित किया जाए। वर्तमान सदी ज्ञान की सदी है, जहां ज्ञान को शक्ति माना जाता है। ऐसे में महिला को भी ज्ञान के क्षेत्र में इतने गहरे उतरना होगा कि वह न केवल हर तरह के भय का सामना कर सके, बल्कि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में एक शिष्ट जीवन जी सके। ज्ञान की इस शक्ति द्वारा ही महिला न केवल अपने शोषण से मुक्ति पा सकती, अपितु शक्ति-संबंधों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है शायद तभी बराबरी का समाज उभार ले सके।**

वास्तविक दुनिया में तो महिलाएं दुर्व्यवहार और हिंसा का सामना करती आई हैं, लेकिन सूचना तकनीक के विकास ने आभासी दुनिया में भी महिलाओं के अस्तित्व को चुनौती दी है। हाल ही में ब्रिटेन में एक विचित्र मामला सामने आया। आभासी दुनिया में एक सोलह साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ। एक ऐसी आभासी दुनिया, जहां कोई भी अपना एक आभासी अवतार बना सकता है। लड़की ने बताया कि बलात्कार भले आभासी दुनिया में हुआ, उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन उसके मन पर गहरा असर हुआ है। जब आभासी दुनिया में उसके काल्पनिक अवतार के साथ बलात्कार होने से ही वह बच्ची दर्द और सदमे में है, तो वास्तविक दुनिया में जिन बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, वे किस पीड़ा का सामना करती होंगी।

ऐसा नहीं कि संविधान में महिलाओं को संरक्षण या बराबरी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यस्थल पर यौन शोषण/ उत्पीड़न के विरुद्ध कानून, सुरक्षित कार्य वातावरण, मातृत्व अवकाश की सुविधा, चाइल्ड केयर सुविधा आदि के कानून हैं, पर इन सबके बावजूद गैर-बराबरी बनी हुई है। कानून तो बना दिए गए, पर उनका पूरी तरह पालन आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि इन कानूनों का उल्लंघन करना पुरुष समाज की नजर में अपराध नहीं है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि महिलाएं अनौपचारिक और असुरक्षित रोजगार में अधिक शामिल होती हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। वे अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी निभाती हैं, जिस पर लगभग ढाई गुना अधिक समय खर्च करती हैं।

डिजिटल साक्षरता में भी लैंगिक विभाजन देखा जा सकता है। कंपनियों के सर्वोच्च पदों पर केवल पांच फीसद महिलाएं हैं। इसी तरह महिला किसानों के पास अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में भूमि और उत्पादक संपत्तियों पर नियंत्रण और स्वामित्व बहुत ही कम (लगभग 12.8 फीसद) है। समाज वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि अगर लैंगिक विभेद कम हो जाए तो जीडीपी में 15 फीसद की वृद्धि हो सकती है। इन नीतियों का सख्ती से पालन करने पर भारत की अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों में अग्रणी बन सकती है।

जब भी स्त्री मनुष्य की तरह व्यवहार करती है, तो उस पर पुरुष की नकल करने का आरोप लगाया जाता है। एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है कि स्त्री को भी मनुष्य के रूप में परिभाषित किया जाए। वर्तमान सदी ज्ञान की सदी है, जहां ज्ञान को शक्ति माना जाता है। ऐसे में महिला को भी ज्ञान के क्षेत्र में इतने गहरे उतरना होगा कि वह न केवल हर तरह के भय का सामना कर सके, बल्कि इस सभ्य कहे जाने वाले समाज में एक शिष्ट जीवन जी सके। ज्ञान की इस शक्ति द्वारा ही महिला न केवल अपने शोषण से मुक्ति पा सकती, बल्कि शक्ति-संबंधों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर सकती है शायद तभी बराबरी का समाज उभार ले सके।

समय का दर्द

निधि शर्मा

एक सुनसान बंद पड़ा हुआ दरवाजा और उसके पीछे हजारों ख्वाहिशें, जो चाहती हैं कि ये दरवाजा रोज खुलता रहे। मगर मन या दिमाग में चल रही हसरतों का क्या! वे तो हर दिन जन्म लेती हैं और हर दिन दम भी तोड़ देती हैं। ऐसी हसरत किसी बंद पड़े दरवाजे की भी हो सकती है, जिसे छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर अपने सपनों को बड़ा करने के लिए गए परिवार अपनी जड़ों से ही दूर हो जाते हैं। उनके पीछे रह जाते हैं उस घर के एक या दो कमरे में रह रहे अपनी आस की डोर थामे बुजुर्ग, जो बस टकटकी लगाए अपनों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब उनके अपनों का आना होगा और कब बंद बड़े तालों को खोला जाएगा।

यह स्थिति आजकल पंजाब सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में बहुत सारे घरों में देखने को मिल जाएगी, जहां शहरों के मुकाबले गांव में बड़े-बड़े घरों में देखरेख करने वाले घरेलू सहायक या उनके परिवार या फिर सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं जो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए घर के रखवाले बन कर रह गए हैं। गांव में किसी की शादी या फिर सुख के अन्य कार्यक्रम, जो योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किए जाते हैं, उसमें तो परिवार की एक या दो पीढ़ियां एक साथ दिखने को मिल जाती हैं, लेकिन जीवन में आने वाली अनियोजित दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए उस समय सिर्फ बुजुर्गों की पीढ़ी ही नजर आती है। आलम यह रहता है कि विदेश से आने वाली पीढ़ी के इंतजार के लिए लाश को भी मुर्दा घर में बर्फ की सीलियों के बीच और इंतजार करना पड़ता है।

कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ ज्यादा सुविधा हासिल करने और उसके बीच जीने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए लोग अपनी जमीन से तो टूटते ही हैं, अपने साथ के उन लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं, जिन्होंने उनकी जिंदगी को संवारने के लिए न जाने कितने दंश झेले और कैसा समय देखा। मगर फिर यह जटिल तस्वीर यह भी उभर आती है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों के मन में भी 'आगे बढ़ने' का जो सपना होता है, उसकी परिभाषा भी यही और ऐसी ही तय की जाती है कि उसमें कुछ बेहद जरूरी लोग हाशिये पर चले जाते हैं।

इन दिनों गुरु-पीरों की धरती की सजावट नौजवानों की खुली हंसी से नहीं, बल्कि बुजुर्गों की नम आंखों से हो रही है। गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग किसी परिचर्चा में डूबकर एक-दूसरे से यही सवाल करते दिखते हैं कि कहां कमी रह गई? देश का पेट भरने वाले पंजाब के नौजवान को अपने पेट भरने के लिए विदेश का रुख करना पड़ रहा है। बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि जब हम छोटे थे, तब खेत-खलिहानों के बीच इकट्ठा होकर खेलते हुए कब बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। थोड़े वक्त बाद जब युवा हुए, तब पढ़े-लिखे नौजवान के रूप में सेना में भर्ती होने, शिक्षक बनने और बैंक में नौकरी करने में गर्व महसूस करते थे। अगर ज्यादा ऊंचे स्तर पर शिक्षित नहीं भी हुए तो खेती करके देश का पेट पालना अपना धर्म समझते थे। मगर आज के युवा का बचपन तकनीक में फंसकर अपनी जड़ों से दूर होकर अपने गांव और देश में न रहकर विदेश में बसना चाहता है। इस कशमकश भरी दुविधा का स्रोत पिछले कुछ समय से बन रहा ऐसा वातावरण है जो युवा के भविष्य को उज्ज्वल होने का प्रमाण पत्र नहीं देता।

दूसरी ओर, बड़े हो रहे बच्चों का सवाल बुजुर्गों से यह है कि क्या हमें भी युवा होने पर हर वाजिब अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा! क्या हमें शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी दी जाएगी? क्या स्वच्छ वातावरण का सपना सुनिश्चित हो पाएगा? इन सवालों के जवाब बुजुर्गों के पास नहीं हैं। ऐसा लगता है कि सरकारों ने भी इस मुद्दे पर हाथ खड़े कर दिए हैं। नारों और वादों में तो सुनहरे पंजाब का नारा सुनाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवा अपने सपने सच करने के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं। सवाल है कि उन सपनों में उन बुजुर्गों की जगह क्या है, जिन्होंने अपनी जिंदगी झोंक कर अपने बच्चों को सपने देखने लायक बनाया? संबंधों का महल अगर भावनाओं की बुनियाद पर टिका होता है, तो उसमें युवाओं की महत्त्वाकांक्षाओं की वह सीमा कहां है, जिसमें भावनाओं और रिश्तों के लिए भी जगह हो?

ऐसे में इस तरह सोचने वाले लोग भी होंगे ही कि काश कोई फरिश्ता आए, जो टूटते युवा और कमजोर होते बुढ़ापे का सहारा बने कुछ ऐसे कि अपनों की मद्धिम होती आंखों से कब रोशनी चली जाए, कहा नहीं जा सकता। इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। समय रहते समाज और सरकारें इस मसले पर सोचें। ऐसा न हो कि इस तरह के हालात का सामना करते हुए कोई राज्य सिर्फ बुजुर्गों की आबादी के तौर पर जाना जाने लगे और युवा अनुपस्थित दिखने लगें। कहीं यह नई संस्कृति पनप रही है कि संयुक्त परिवारों को अपने 'विकास' में बाधक मान कर युवा पीढ़ी अपने एकल परिवार के दायरे में सिमट रही है, तो कहीं अपनी जमीन ही छोड़ कर बाहर जा रही है। हालांकि आए दिन हमें बताया जाता है कि भारत युवाओं का देश है और देश इनके ही बूते हर कदम आगे बढ़ा रहा है। काफी हद तक यह बात सही है भी, लेकिन अगर युवा पीढ़ी के होने को देश की ताकत के रूप में देखा-जाना जाता है, तो उनके जीवन को बेहतर और संतोषजनक बनाने की भी जरूरत है, ताकि वे कहीं और जाने की हालत में न पहुंचे।

दुनिया मेरे आगे

> **इन दिनों गुरु-पीरों की धरती की सजावट नौजवानों की खुली हंसी से नहीं, बल्कि बुजुर्गों की नम आंखों से हो रही है। गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग किसी परिचर्चा में डूबकर एक-दूसरे से यही सवाल करते दिखते हैं कि कहां कमी रह गई?**

सपनों का बोझ

वर्ष 2024 में कोटा में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले अलग-अलग कोचिंग के चार छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाने से उनके माता और पिता का सपना टूट जाएगा। आमतौर पर इन बच्चों की उम्र महज 16 से 19 वर्ष के बीच होती है और इस उम्र में उन्हें करिअर और सपनों का अर्थ पता ही नहीं होता है। अपने माता-पिता की आंखों से दुनिया देखने वाले बच्चों का जब वास्तविक जीवन से सामना होता है तो वे संतुलन नहीं बना पाते और जीवन समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे में परिवारजनों को यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को जीवन की महत्ता को करिअर से जोड़ कर बताना बंद करें और उन्हें शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए उन्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से संबल प्रदान करें, ताकि वे जीवन के थपेड़ों को झेलने में सक्षम हो सकें। माता-पिता को यह समझना और समझाना होगा कि करिअर जीवन को केवल सुगम बनाने की कवायद है, न कि जीवन का आखिरी लक्ष्य। जीवन अपने आप में पूर्ण और निरपेक्ष है और इसे भरपूर जीना ही हमारा कर्तव्य है।

– रोली श्रीवास्तव, नई दिल्ली

संयोग के आंकड़े

धर्मशाला टैस्ट में जीत ने भारत के खेल इतिहास में एक अजीब आंकड़ा जोड़ दिया। पहली बार टीम इंडिया की जीत और हार का आंकड़ा बराबर हुआ है। भारतीय टीम ने अपना पहला टैस्ट मैच 1932 में खेला था। तब से लेकर अब तक भारत ने 579 टैस्ट मैच खेले हैं और इसमें 178 मैचों में जीत हासिल की और 178 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। 222 मैच अनिर्णीत रहे और एक मैच टाई रहा। भारत ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीती। इस तरह भारत ने घरेलू धरती पर लगातार सत्रहवीं टैस्ट श्रृंखला जीती। जीत का यह सिलसिला 22 फरवरी 2013 से लेकर अब तक जारी है। दूसरे स्थान पर रहे आस्ट्रेलिया ने 1994 से 2001 तक घरेलू मैदान पर लगातार दस टेस्ट श्रृंखला जीती। धर्मशाला में जब भारतीय टीम ने मैच जीता तो टैस्ट इतिहास में 112 साल बाद एक ऐतिहासिक रिकार्ड बन गया। टैस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा सिर्फ तीन बार हुआ है और आस्ट्रेलिया ने दो बार ऐसा किया है।

– विजय कोष्टी, सांगली, महाराष्ट्र

समानता की ओर

दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून की एक छात्रा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए आदेश पारित किया कि भविष्य में शैक्षणिक दस्तावेज पर माता-पिता का नाम अंकित करना जरूरी होगा। यह फैसला न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि लैंगिक समानता के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। भविष्य में छात्रों को दी जाने डिग्री में माता-पिता का नाम अंकित होने से लैंगिक समानता के साथ ही एक नई व्यवस्था के दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर चर्चा के दौरान उचित ही इसे सामाजिक महत्त्व का मुद्दा बताया गया और याचिकाकर्ता को नई डिग्री दिए जाने के साथ ही माता-पिता का नाम अंकित करने का आदेश भी पारित किया गया। उम्मीद है कि भविष्य में इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा और देश के सभी दस्तावेजों में माता-पिता के नाम का उल्लेख होगा जहां अनिवार्य माना जाएगा।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

जनता का हक

लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों को सत्तारूढ़ या विपक्ष के रूप में सेवाएं देने के लिए चुना जाता है। जनता उनकी भूमिका निर्धारित करती है। राजनीतिक दलों के नेता तो अपनी विचारधारा और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, पर इस बदलाव के बावजूद संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की भूमिका में कोई बदलाव नहीं होता। निष्पक्ष और कानून सम्मत व्यवहार और उसके साथ ही 'सही को सही तथा गलत को गलत' कहना उनके आचरण का अनिवार्य घटक भी है। मगर संविधान रूपी सर्वश्रेष्ठ कसौटी के होते हुए भी कुछ संस्थाओं और अफसरों का आचरण कभी-कभी संदिग्ध होता है या सवालों से घिरा दिखाई देता है। यह स्थिति अच्छी नहीं है और हर संभव प्रयासों द्वारा इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने पर जोधपुर में पाक हिंदू शरणार्थियों ने मनाया जश्न

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) संसद से पारित होने के चार साल से अधिक समय बाद अधिसूचित किए जाने से उत्साहित जोधपुर में रह रहे पाकिस्तान से आए एक हिंदू शरणार्थी ने कहा कि उनके लिए यह वास्तविक रामराज्य की तरह है। 31 दिसंबर, 2014 से पहले बिना दस्तावेज के भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुसलिम प्रवासियों के लिए त्वरित नागरिकता प्रदान करने से संबंधित कानून के अधिसूचित किए जाने के उपरांत पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों की बस्तियों में सोमवार रात को दीपक जलाकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। पाकिस्तानी शरणार्थी दिनेश भील ने कहा कि हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। *(ए)*

कांग्रेस ने लोकसभा के लिए छह राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की

नकुलनाथ छिंदवाड़ा और वैभव गहलोत जालौर से लड़ेंगे चुनाव

जनसत्ता ब्यूरो

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जबकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालोर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को देश के छह राज्यों की 43 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी की इस दूसरी सूची में खासतौर पर युवाओं और अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है।

कांग्रेस की ओर से जारी सूची के मुताबिक, पार्टी के सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से और राहुल कस्वा राजस्थान के चुरू से चुनाव लड़ेंगे। राहुल कस्वां ने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कस्वां भाजपा में टिकट काटे जाने से नाराज थे। पार्टी ने वैभव गहलोत को राजस्थान के जालोर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान किक्रेट संघ के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत पिछले लोकसभा चुनाव में जोधपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत से हार का सामना करना पड़ा था।

वहीं, नकुलनाथ को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। वह 2019 में इसी सीट से पहली बार निर्वाचित हुए थे। उनके पिता कमलनाथ नौ बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले दिनों इस बात की अटकलें थीं कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों भाजपा के साथ जा सकते हैं, हालांकि बाद में दोनों ने इसका खंडन किया था। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। वह वर्तमान में कलियाबोर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। असम में परिसीमन के चलते उन्हें नए क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बारदोलोई को नागांव से उम्मीदवार बनाया गया है।

असम की बारपेटा लोकसभा सीट से कांग्रेस के वर्तमान प्रतिनिधि अब्दुल खालिक को टिकट नहीं मिला है। उनके स्थान पर कांग्रेस ने दीप बायान को उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि परिसीमन के चलते बदले सामाजिक समीकरण के कारण कांग्रेस ने बारपेटा में उम्मीदवार बदला है। कांग्रेस ने असम की ढुबरी लोकसभा सीट पर आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआइयूडीएफ) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन को उम्मीदवार घोषित किया है। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से हरीश मीणा, झुंझनू से बृजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव और बीकानेर से गोविंदराम मेघवाल कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल को मध्य प्रदेश की सीधी सीट से उम्मीदवार बनाया गया।

पार्टी के सोशल मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख रोहन गुप्ता को गुजरात में अहमदाबाद पूर्व लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियल को गढ़वाल और प्रदीप टम्टा को अल्मोड़ा से टिकट दिया गया है।

देश

13 ओबीसी, 10 अजा और नौ अजजा के उम्मीदवार

नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। उन्होंने बताया कि दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों में से 10 सामान्य उम्मीदवार, 13 ओबीसी, 10 अनुसूचित जाति (एससी) और नौ अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में पार्टी ने एक मुसलिम उम्मीदवार को भी चुनाव मैदान में उतारा है। वेणुगोपाल ने कहा कि सोमवार देर रात हुई केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, दमनद्वीव से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दे गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब सीईसी की अगली बैठक आगामी 15 मार्च को होगी, जहां पर अन्य राज्यों के नामों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में 39 नामों की घोषणा की थी।

कांग्रेस ने अल्मोड़ा सीट से पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को उतारा

जनसत्ता संवाददाता

भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी उत्तराखंड की तीन लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जहां भाजपा ने टिहरी नैनीताल और अल्मोड़ा के लिए अपने उम्मीदवार एक हफ्ते पहले घोषित कर दिए थे। वहीं कांग्रेस ने एक हफ्ते बाद उत्तराखंड की तीन लोकसभा सीटों पौड़ी गढ़वाल सीट से विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, अल्मोड़ा संसदीय सुरक्षित सीट से राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा तथा टिहरी से जोत सिंह गुनसोला को उम्मीदवार बनाया गया है।

कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल संसदीय सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं जबकि भाजपा ने हरिद्वार और पौड़ी के लिए अपने उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए हैं। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांग रहे हैं।

जबकि हरिद्वार कांग्रेस के स्थानीय नेता बाहरी नेता के रूप में हरीश रावत को देखते हैं और वह हरीश रावत और उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने की बजाय स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार कांग्रेस के स्थानीय नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व दर्जाधारी मंत्री संजय पालीवाल को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। अब टिहरी सीट पर भाजपा की उम्मीदवार मौजूदा सांसद टिहरी रियासत की रानी राजलक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला से होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा टिहरी संसदीय क्षेत्र से देहरादून के चकराता क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते थे। परंतु कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया।

इसके बाद कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को टिहरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है,जो भाजपा की उम्मीदवार टिहरी की रानी के मुकाबले बहुत कमजोर उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से होगा। अजय टम्टा 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप टम्टा को पटकनी दे चुके हैं।

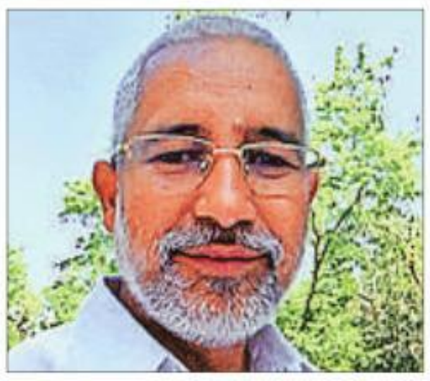

उत्तराखंड

हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट मांग रहे हैं।

जाति आधारित जनगणना कराना हमारी पार्टी की गारंटी : जयराम रमेश

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में कहा कि जाति आधारित जनगणना कराना उनकी पार्टी की गारंटी है। रमेश पार्टी नेता राहुल गांधी की ह्यभारत जोड़ो न्याय यात्राह्न के अंतिम चरण में महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर देश को विभाजित करने और समाज का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमने गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह हमारे समाज का एक्स-रे है जो हमें विभिन्न जातियों की जनसंख्या और हमारे देश की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी दिखाएगा। यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में उनकी हिस्सेदारी को भी प्रतिबिंबित करेगा। रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक राजनीतिक रैली है, लेकिन निस्संदेह यह किसी चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं है। इसका एक राजनीतिक लक्ष्य है और यह एक विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, संतों का समूह नहीं है। *(ए)*

जयराम रमेश

यूपी के 91 हजार गांवों के नक्शे हुए आनलाइन

अंशुमान शुक्ल

गावों में खेतों की सरहदों को लेकर होने वाले विवाद से अब उत्तर प्रदेश मुक्त होने जा रहा है। कृषि विभाग ने राजस्व विभाग के साथ मिल कर प्रदेश के 91 हजार गांवों के नक्शों को पूरी तरह से आनलाइन कर दिया है। प्रदेश के 90 फीसद गांव अब इस जद में आ गए हैं। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी।

उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। इस बाबत प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कहते हैं कि भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद अयोध्या, चदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया, गोरखपुर में इस योजना के तहत शत प्रतिशत नक्शों को आनलाइन कर दिया गया है। जबकि 54 जिलों की दस-दस ग्राम सभाओं के नक्शों को इस योजना के तहत अब तक आनलाइन किया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि 2023 में उत्तर प्रदेश में ई खसरा पड़ताल के तहत एक करोड़ 15 लाख 89 हजार 645 सर्वेक्षणों को पूरा किया गया है। इस उपलब्धि की वजह से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का शुमार देश के अग्रणीय राज्यों में किया है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में ई-खसरा पड़ताल प्रदेश के सभी जिलों में मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इससे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 91 हजार 404 राजस्व गावों में यह किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में एक करोड़ 71 लाख 50 हजार 89 सर्वेक्षणों की ई-खसरा पड़ताल किया जा चुका है।

इस योजना से किसानों को होने वाले लाभ का जिक्र करते हुए सूर्य प्रताप शाही कहते हैं कि इससे कितनी फसल कहां लगी है, इसकी सटीक जानकारी तो मिलेगी ही साथ ही राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का सही आकलन भी मिलेगा। इसके अलापा बैंक फसली ऋण का सही आकलन कर सकेंगे। योजना से किसानों को बार-बार बिना सरकारी सत्यापन के योजनाओं का लाभ भी हासिल होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने में भी यह योजना बेहद कारगर साबित होगी। इतना ही नहीं, बारिश या अन्य किसी वजह से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान का सही आकलन करने में भी सरकार को खासी सहूलियत होगी। इससे बिना समय गंवाए किसानों को मुआवजा दिया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे प्रदेश के सभी गांवों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। इससे किसानों को तहसीलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वो घर बैठे अपने मोबाइल पर ही अपनी खसरा-खतौनी और फसलों की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही किसानों को उनकी जमीन के स्वभाव के आधार पर कौन सी फसल बोनी है, इस बात की भी जानकारी दी जाएगी। इससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकेगा।

अब किसान घर बैठे मोबाइल पर ही अपनी खसरा-खतौनी और फसलों की जानकारी ले सकेंगे। इससे सरकार को किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान का सही आकलन करने में भी खासी सहूलियत होगी। इससे बिना समय गंवाए किसानों को मुआवजा दिया जा सकेगा।

इस योजना से किसानों को होने वाले लाभ का जिक्र करते हुए सूर्य प्रताप शाही कहते हैं कि इससे कितनी फसल कहां लगी है, इसकी सटीक जानकारी तो मिलेगी ही साथ ही राज्य में सकल घरेलू उत्पाद का सही आकलन भी मिलेगा। इसके अलापा बैंक फसली ऋण का सही आकलन कर सकेंगे।

उत्तराखंड के जंगलों में आग रोकने के लिए विशेष अभियान

सुनील दत्त पांडेय

उत्तराखंड के जंगलों में इस बार आग लगने की घटनाएं साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्योंकि इस बार शीतकाल में उत्तराखंड में पिछले कई सालों के मुकाबले 50 से 60 फीसद कम बारिश और बर्फबारी हुई है और मौसम अत्यधिक शुष्क रहा है। इस कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं अत्यधिक बढ़ने की संभावनाएं वन विशेषज्ञ जता रहे हैं।

उत्तराखंड में इस बार आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग वन पंचायत को और अधिक सक्रिय करने में लगा हुआ है। उत्तराखंड में 11 हजार से ज्यादा वन पंचायतें काम कर रही है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा महिला और युवक मंगल दलों को भी सक्रिय किया जा रहा है।उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन पंचायतों और मंगल दलों के कार्यकर्ताओं को वनों में आग बुझाने और वनों में आग की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

साथ ही वन कर्मियों को आग बुझाने जाने के आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दरअसल, उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं में बढ़ोतरी होना जहां जंगल में पैदा होने वाली वनस्पतियों के लिए नुकसानदायक है।

वहीं, जंगल में रह रहे जंगली जानवरों और खासकर सूक्ष्मजीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जंगल में आग लगने से कई दुर्लभ वनस्पतियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और कई दुर्लभ प्रजाति के सूक्ष्मजीव विलुप्त हो जाते हैं जो पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है।

केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार एक नवंबर 2023 से एक जनवरी 2024 के बीच उत्तराखंड के जंगलों में 1006 आग लगने की घटनाएं घटी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। जबकि पिछले सालों में इसी अवधि के दौरान 556 आग लगने की घटनाएं उत्तराखंड के जंगलों में घटी थी, वैसे तो आग लगने की घटनाएं गर्मी के मौसम के दौरान अधिक देखने को मिलती हैं, लेकिन इस साल सर्दियों के दौरान घटनाएं बढ़ गई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार इस बार सर्दियों के मौसम के समय उत्तराखंड के देहरादून उत्तरकाशी, पौड़ी ,नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा समेत सभी जिलों में जंगल की आग लगने की जानकारी मिली है।

पर्यावरण

सपा ने पूर्व सांसद अन्नू टंडन को दिया टिकट

भाजपा ने नहीं किया नारी वंदन पर भरोसा

उमाकांत मिश्र

गांव-गांव नारी वंदन करने वाली भाजपा ने उन्नाव में लोकसभा टिकट देते समय महिलाओं की ओर से आंखे फेर लीं, जबकि इंडिया के मुख्य घटक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आई पूर्व सांसद अन्नू टंडन पर भरोसा किया है। जिससे लोग यहां यह तय नही कर पर कर पा रहे है कि भाजपा जो कह रही है, वह सही है या जो कर रही है, वह सही है।

उन्नाव के मतदाताओं की समस्या यही खत्म नहीं होती क्योंकि जनपद के आधे से ज्यादा मतदाता युवा हैं और उनके सामने कोई युवा उम्मीदवार नहीं है। कारण साफ है कि भाजपा ने उम्मीदवार के रूप यहां 68 वर्षीय निवर्तमान सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज को तीसरी बार टिकट दिया है तो इंडिया गठबंधन में शरीक समाजवादी पार्टी द्वारा वर्ष 2009 में कांग्रेस क़े टिकट पर सांसद रहीं 66 वर्षीया अन्नू टंडन को टिकट दी गई है। इसके पहले वे वर्ष 2014 और 2019 में कांग्रेस उम्मीदवा रहते भाजपा के साक्षी महाराज के सामने अपनी जमानत भी गंवा चुकी हैं। इन सबसे अलग अन्य सियासी दलों का यहां कोई फिलहाल अस्तित्व नहीं है।

हां, बीते दो लोकसभा चुनावों में सपा उम्मीदवार रहे अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज दूसरे नंबर पर जरूर रहे थे यदि वर्ष 2024 क़े चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के वोट एकजाई होते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्नाव का चुनावी परिदृश्य काफी मनोरंजक हो सकता है।

चुनावी समझ की गहराई से अनजान उन्नाव क़े ग्रामीणों का कहना है कि गांव गांव नारी वंदन करने वाली भाजपा ने टिकट देते समय महिलाओं को बिसरा दिया तो उस पर यकीन कैसे किया जाए? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अन्नू टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है जो समाजसेवा की राह चलकर राजनीति में पहुंची हैं और यहां के लोगों क़े हर सुख दुख में बिना भेदभाव क़े शरीक ही नही बल्कि पीड़ितों की आर्थिक मदद भी करती रही हैं।

भाजपा सरकार ने अपनी दूसरी पारी के दौरान पुरानी संसद में ध्वनिमत से नारी वंदन बिल (महिला आरक्षण विधेयक) को कानून बनाने का काम किया। उस समय कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इसे बिना शर्त लागू करने की हायतौबा मचाए हुए था लेकिन चुनावी बयार शुरू होते ही सारे राजनीतिक दल अपने पुराने रंग में एक बार फिर सराबोर दिखाई पड़ रहे हैं।

यह बात अलग है कि भाजपा ने उन्नाव संसदीय सीट पर अपनी 75 साल की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में महिलाओं को कभी मौका नही दिया। यहां से साल 2009 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार अन्नू टंडन भारी बहुमत से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थीं लेकिन बदले सियासी समीकरणों के कारण 2014 और 2019 में क्रमशः तीसरे और चौथे पायदान पर पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 2024 में लोकसभा चुनाव की सियासी लड़ाई वे साइकिल चुनाव चिन्ह को माध्यम बना कर लड़ रही हैं।

उन्नाव

उन्नाव संसदीय सीट पर वर्ष 2009 में अन्नू टंडन को जीत अपने बलबूते पर मिली थी परन्तु 2014 और 2019 में मोदी और लोधी मतों के करिश्मे के कारण बीते दो संसदीय चुनावों में उन्नाव से साक्षी महाराज जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यदि समाजवादी पार्टी अपना परंपरागत वोट पार्टी उम्मीदवारों के चहेतों के साथ जोड़ पाई तो इस बार मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।

www.readwhere.com

'भारत शक्ति' में सेनाओं के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने कहा

आसमां से जमीं तक दिखाई गई शक्ति नए भारत का आह्वान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार को तीनों सशस्त्र सेनाओं का संयुक्त और एक बेहद मारक युद्धाभ्यास 'भारत शक्ति' आयोजित किया गया। इसमें भारत ने 50 मिनट तक अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 'भारत शक्ति' अभ्यास के दौरान आसमान में विमान की गर्जना और जमीन पर प्रदर्शित किया गया पराक्रम नए भारत का आह्वान है। उन्होंने याद किया कि यह पोखरण ही था, जहां अतीत में भारत का परमाणु परीक्षण किया गया और अब यही भारत की आत्मनिर्भरता, विश्वास और आत्म गौरव का गवाह बन गया है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू विमानों, हेलिकाप्टर, मिसाइल सिस्टम की युद्धाभ्यास में हो रही गर्जना, हथियार,

गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और अंतरिक्ष तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। ये ही भारत की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करती है। रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की गारंटी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही पड़ेगा। इस पर ध्यान देते हुए आज भारत खाने के तेल से लेकर लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वह उनके अपने हैं और कभी भी कम नहीं पड़ेंगे तो सैन्यबलों की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश था, लेकिन आज वह एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। भारत का रक्षा आयात 2014 की तुलना में आठ गुना से ज्यादा बढ़ चुका है।

मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना मुख्य रूप से शामिल है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं। इनमें सात हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। साथ ही हेलिकाप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री ने भारत में काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं द्वारा एक सकारात्मक सूची बनाकर सैन्य उपकरणों को विदेशों से आयात न करने के निर्णय की सराहना की।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा

तमिलनाडु में सीएए लागू नहीं करेंगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना जारी होने के एक दिन बाद विपक्ष की राज्य सरकारों ने इसे नहीं लागू करने और इसी वैधता पर सवाल उठाए हैं।

स्टालिन ने लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बीच सीएए लागू करने के लिए नियमों को 'जल्दबाजी में' अधिसूचित करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीएए और इसके नियम संविधान की मूल संरचना के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सीएए से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह भारतीय जनता के बीच सिर्फ फूट डालने का रास्ता तैयार करेगा। उनकी सरकार का रुख यह है कि यह कानून पूरी तरह अनुचित है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत

स्टालिन ने सीएए को 'विभाजनकारी और बेकार' बताते हुए इसे खारिज कर दिया। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए में जिन नियमों को अधिसूचित किया गया है, उनमें कोई स्पष्टता नहीं है।

सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए में जिन नियमों को अधिसूचित किया गया है उनमें कोई स्पष्टता नहीं है।

तमिलनाडु के ही एक अन्य दल आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव एके पलानीस्वामी ने सीएए के लागू होने की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार ने इसके कार्यान्वयन के साथ एक ऐतिहासिक भूल की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) पोलित ब्यूरो ने सीएए लागू किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान में निहित नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है। दिग्गज अभिनेता और 'मक्कल निधि मय्यम' पार्टी के संस्थापक कमल हासन और अभिनेता विजय ने सीएए लागू किए जाने का कड़ा विरोध किया। विजय ने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिझागा वेत्री कषगम' गठित की है। हासन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले सीएए के माध्यम से लोगों को विभाजित करने और सद्भाव को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने कानूनी और राजनीतिक रूप से सीएए का दृढ़ता से विरोध किया है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सीएए को लागू करके भाजपा हिंदू महासभा के 'दो राष्ट्र' सिद्धांत की अवधारणा पर चल रही है। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले के लंबित रहने के बावजूद सीएए को लागू करना सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने तंज करते हुए कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने सीएए के नियमों को अधिसूचित करके मुसलिमों को रमजान का तोहफा दिया है।

चुनावी बांड : राष्ट्रपति से अनुरोध, न्यायालय से लें परामर्श

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख आदिश सी अग्रवाल ने एक असामान्य घटनाक्रम में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बांड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया। उन्होंने न्यायालय से यह भी आग्रह करने का अनुरोध किया कि जब तक शीर्ष अदालत मामले की दोबारा सुनवाई न कर ले, तब तक संबंधित फैसले पर अमल न किया जाए।

अग्रवाल ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में कहा है, 'विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले कारपोरेट घरानों के नामों का खुलासा करने से ये घराने उत्पीड़न की दृष्टि से संवेदनशील हो जाएंगे।' अग्रवाल ने कहा, 'अगर कारपोरेट घरानों के नाम और विभिन्न दलों को दिए गए चंदे की राशि का खुलासा किया जाता है, तो कम चंदा पाने वाले दलों

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख आदिश सी अग्रवाल ने कहा, 'अगर कारपोरेट घरानों के नाम और विभिन्न दलों को दिए गए चंदे की राशि का खुलासा किया जाता है, तो इन्हें निशाना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

द्वारा इन्हें निशाना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और उन्हें परेशान किया जाएगा। यह (कारपोरेट कंपनियों से) स्वैच्छिक चंदा स्वीकार करते वक्त उनके साथ किए गए वादे से मुकरने जैसा होगा।'

अग्रवाल आल इंडिया बार एसोसिएशन (एआइबीए) के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि यदि सभी संवेदनशील जानकारियों को जारी किया जाता है और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से तो इससे 'अंतरराष्ट्रीय जगत में राष्ट्र की प्रतिष्ठा' धूमिल होगी। उन्होंने कहा कि खुलासे से भविष्य में चंदा खत्म हो जाएगा और इस तरह का कृत्य विदेशी कारपोरेट संस्थाओं को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने में हतोत्साहित करेगा।

सीएए के जरिए हिंदू, जैन व सिख शरणार्थियों को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के जरिए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानित किया है। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण और वोट-बैंक की राजनीति के कारण सीएए का विरोध किया।

शाह ने सीएए लागू करने को जायज ठहराते हुए कहा कि हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस ने सीएए का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस और हमारे संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण और वोट-बैंक की राजनीति के कारण सीएए का विरोध किया।

धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को भारत आने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन तुष्टीकरण और वोट-बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी ने सीएए का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों-करोड़ों लोग अपनी आस्था और सम्मान को बचाने के लिए भारत आए लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि नागरिकता नहीं मिलने से उन्होंने अपने देश में खुद को अपमानित महसूस किया।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएए के जरिए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देकर उनका सम्मान किया है। शाह ने अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण, तीन तलाक को खत्म करने और देश के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने जैसी केंद्र सरकार की कुछ उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के कारण राम मंदिर मुद्दे को 70 वर्षों तक लटकाया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया।शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित किया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-913 के निर्माण के लिए 6,621.6 करोड़ रुपए स्वीकृत

नई दिल्ली, 12 मार्च (ब्यूरो)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने फ्रंटियर राजमार्ग के रूप में वर्गीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग-913 पर आठ हिस्सों के निर्माण के लिए 6,621.62 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि इस परियोजना की कुल लंबाई 265.49 किलोमीटर की है। गडकरी ने कहा कि इन राजमार्ग खंडों का विकास सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाने और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करता है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग-716 पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा से पुत्तूर तक की मौजूदा दो-लेन वाली पक्की सड़क के विस्तार के लिए 1,346.81 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस विकास का उद्देश्य निर्दिष्ट खंड को पूरी तरह से पहुंच-नियंत्रित गलियारे में बदलना है।

देश भर के 500 किसान संगठन लामबंद

नई दिल्ली, 12 मार्च (ब्यूरो)।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों के समर्थन में लामबंद किसान दिल्ली पहुंचेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित महापंचायत में देश भर के करीब 500 किसान संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। किसानों का विरोध का सिलसिला अगर जल्द नहीं थमा तो आगामी आम चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब ढाई साल पहले किसानों का आंदोलन एक साल से भी अधिक दिन तक जारी रहा था।

वायुसेना का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

वायुसेना का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस मंगलवार को राजस्थान के जैसलमेर के नजदीक एक आवासीय कालोनी में अपनी प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच (कोर्ट आफ इंक्वायरी) के आदेश दे दिए हैं। तेजस लड़ाकू विमान से जुड़ा यह पहला हादसा है। वायुसेना ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी।

वहीं, सैन्य सूत्रों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ यह तेजस विमान राज्य की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किए गए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। लेकिन यह हादसा 12 मार्च की दोपहर लगभग दो बजे विमान के युद्धाभ्यास में भाग लेने के बाद जैसलमेर वायुसैन्य अड्डे की ओर लौटते वक्त पोखरण रेंज से करीब सौ किलोमीटर की दूरी पर हुआ। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना के कुल तीन तेजस लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। इनमें से एक दुर्घटना का शिकार हो गया।

वायुसेना ने 'एक्स' पर बताया कि मंगलवार को एक तेजस लड़ाकू विमान रणनीतिक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उधर, जैसलमेर के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह ने कहा कि इस हादसे में कला आवासीय कालोनी में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां ये घटना हुई थी वहां पर एक मंजिला ईंटों के ढांचे से धुएं का मोटा गुबार उठते हुए देखा गया।

मालूम है कि तेजस से पहले वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान हाक पश्चिम बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए थे और हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। तेजस भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल एक अग्रणी पंक्ति का लड़ाकू विमान है। वर्तमान में इसकी कुल करीब दो स्क्वाड्रन यानी करीब 40 विमान वायुसेना में तैनात हैं। इनसे जुड़ी स्क्वाड्रन को नंबर 18 स्क्वाड्रन और 'फ्लाइंग बुलेट' के नाम से जाना जाता है।

हादसा

राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त तेजस विमान में लगी आग को बुझाते दमकलकर्मी।

पेज 1 का बाकी

चार साल के तनाव से भारत व चीन को कुछ हासिल नहीं हुआ : जयशंकर

है, लेकिन यह ऐसा समाधान होना चाहिए, जो समझौतों का सम्मान करता हो और वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता हो। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए।'

हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान की आधिकारिक यात्रा से लौटे जयशंकर ने कूटनीति की बदलती प्रकृति से लेकर बदल रही वैश्विक व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बाद में, उन्होंने राजनयिकों, व्यवसायियों, शिक्षाविदों, उद्यमियों, पत्रकारों और विदेश नीति के बारे में जानने के इच्छुक लोगों के एक वर्ग के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जब उनसे सवाल किए गए कि सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए चीनी पक्ष ने अतीत में किन प्रस्तावों की पेशकश की और क्या कभी ऐसी स्थिति बनी जब उन्हें ऐसा लगा कि इस मुद्दे को वास्तव में सुलझाया जा सकता है, तो मंत्री ने कहा कि सीमा संबंधी विवादों को लेकर वार्ता कर रहे हर देश को यह मानना होता है कि इसका कोई समाधान अवश्य होगा।

जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर इतनी अधिक संख्या में बल नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि हमें उन समझौतों का पालन करना चाहिए जिन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। चार साल से हमने जो तनाव देखा है, उससे हम दोनों देशों में से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जयशंकर ने कहा कि इसलिए, मेरा वास्तव में मानना है कि हम जितना जल्द इसे सुलझाते हैं, हमारे लिए यह उतना ही अच्छा होगा।

अरुणाचल भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा : विदेश मंत्रालय

करने को लेकर उसने भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया है और उसने भारत के इस कदम से सीमा विवाद और जटिल होने की बात कहकर क्षेत्र पर फिर से अपना दावा जताया। जायसवाल ने कहा कि ऐसी यात्राओं पर चीन की आपत्ति इस वास्तविकता को नहीं बदल पाएगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जायसवाल ने मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन की आपत्ति से जुड़े मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह कहा। चीन, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। वह भारतीय नेताओं के राज्य का दौरा करने पर नियमित रूप से आपत्ति जताता रहा है। चीन ने इस इलाके का नाम जैंगनान रखा है।

भाजपा का नायाब फार्मूला, हटाए गए मनोहर लाल खट्टर

कुल 14 मंत्री थे। इनमें चौटाला सहित जजपा के तीन सदस्य भी शामिल थे। वर्तमान में 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक हैं। इस गठबंधन को सात में से छह निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त था। आंकड़ों के लिहाज से भाजपा सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इनेलो व हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट है। हरियाणा में हुए इस आश्चर्यजनक घटनाक्रम के बाद जजपा ने दिल्ली में अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि हरियाणा के उसके पांच विधायकों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसे पार्टी में संभावित टूट का संकेत माना जा रहा है।

जजपा की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष निशान सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि पार्टी नेताओं के बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने की और इसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है और इस अवसर पर हिसार में आयोजित नव संकल्प रैली में पार्टी के आगामी रुख की घोषणा की जाएगी। जजपा के कुछ विधायकों के भाजपा संग जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिसार की रैली में ही सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओबीसी समुदाय से हैं सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से ताल्लुक रखने वाले नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल अक्तूबर में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बदलाव को ओबीसी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के भाजपा के प्रयास के तौर पर देखा गया था। राज्य में सबसे अधिक आबादी जाट समुदाय की है।

माना जाता है कि इस समुदाय का वोट कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (जजपा) और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के बीच बंट जाता है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सैनी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में 'सर्वसम्मति' से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं का आभार जताया।वहीं, बिप्लव देब ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में शुरू हुए हरियाणा के विकास कार्यों को वह आगे बढ़ाते हुए राज्य को विकास के मामले में आगे लेकर जाएंगे।

चौटाला ने सेवा के अवसर के लिए जनता का आभार जताया दुष्यंत चौटाला ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जनता का आभार जताया और कहा कि राज्य का हित व जनता के कार्यों के लिए उनका समर्थन और सहयोग उनके लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित समय और सीमित संख्या के साथ हमने दिन-रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए हैं। प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी को दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा नेता नायब सिंह सैनी को बधाई दी।

नौ में से एक दस्तावेज मूल देश का देना होगा

सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र (लाइसेंस या आधार आदि), राशन कार्ड, सरकार या अदालत द्वारा जारी स्टाम्प के साथ कोई भी आवेदन, भारत में जारी जन्मपत्र, आवेदक के नाम जमीन की रजिस्ट्री या किराया करार और पैन कार्ड प्रमाण पत्रों में शामिल हैं। इसके अलवा ग्रामीण-शहरी या डाक खातों से संबंधित ब्योरा, भारत की बीमा कंपनी की पालिसी, आवेदक के नाम कोई भी बिजली कंपनी का दस्तावेज, अदालत से संबंधित आदेश, कर्मचारी भविष्य निधि संबंधित दस्तावेज, भारत में जारी विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र, शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी अकादमी पत्र, आवेदक को नगर पालिका से जारी व्यापार लाइसेंस और विवाह प्रमाणपत्र शामिल हैं। कौन अवैध प्रवासी है नागरिकता अधिनियम, 1955 की तरह सीएए कानून अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है, जिसने वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है।

नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी।क्या अन्य देश से आने वाले मुसलिम प्रवासियों के लिए कोई प्रतिबंध है सीएए प्राकृतिक आधार पर कानूनों को रद्द नहीं करता है, इसीलिए किसी भी अन्य देश से आए मुसलिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है। यह अधिनियम किसी भी मुसलिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जिसे इस्लाम के अपने तौर-तरीकों का पालन करने के लिए उन तीन इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

एसबीआइ ने चुनावी बांड का ब्योरा आयोग को सौंपा

करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक, एसबीआइ ने शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बांड का विवरण निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। एसबीइ ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्त में 16,518 करोड़ रुपए के चुनावी बांड जारी किए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए इसे 'असंवैधानिक' करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके और प्राप्तकर्ताओं द्वारा दान की गई राशि का खुलासा करने का आदेश दिया।

एसबीआइ ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने बैंक की याचिका खारिज कर दी और उसे मंगलवार को कामकाजी समय समाप्त होने तक सभी विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा। राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड को पेश किया गया था। चुनावी बांड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। चुनावी बांड राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से भुनाए जाने थे और एसबीआइ इन बांड को जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है।

www.readwhere.com

कार्यालय ग्राम पंचायत मुड़िगवां, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में उपलब्ध केन्द्रीय वित्त, राज्य वित्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा योजना की धनराशि से व्यक्तिगत नाडेप, सामुदायिक नाडेप, कचरा वाहन, ई-रिक्शा, RRC केन्द्र का निर्माण, सोक पिट, फिल्टर चेम्बर, लीचपिट, प्लास्टिक बैग, सामुदायिक इंसीनेटर निर्माण, सिल्ट कैचर, वर्मी कम्पोस्ट, खाद के गड्डे, स्वच्छता किट, आई.सी.सी./वॉल पेंटिंग, स्वच्छता नारा लेखन, नाली निर्माण, नाली मरम्मत, इण्टरलाकिंग निर्माण, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी भराव आदि कार्य कराये जाने हैं। उपरोक्त कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, रोड़ी, मौरंग, रेत, सीमेन्ट, मिट्टी, सरिया, पत्थर, पाइप एंगल, लोहे की जाली, टीन शेड, तार, बजरी, ई-रिक्शा, सफाई ठेली, इण्टरलाकिंग ईंट, गेट विंडो आदि सामग्री क्रय की जानी है। इच्छुक समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा दिनांक 10.02.2024 को दोपहर 12 बजे तक कुटेशन/निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। समस्त निविदायें उसी दिन दोपहर 02 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

सुरेश पाल, ग्राम प्रधान **कोमल शर्मा, सचिव**

कार्यालय ग्राम पंचायत पंथी, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में उपलब्ध केन्द्रीय वित्त, राज्य वित्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा योजना की धनराशि से व्यक्तिगत नाडेप, सामुदायिक नाडेप, कचरा वाहन, ई-रिक्शा, RRC केन्द्र का निर्माण, सोक पिट, फिल्टर चेम्बर, लीचपिट, प्लास्टिक बैग, सामुदायिक इंसीनेटर निर्माण, सिल्ट कैचर, वर्मी कम्पोस्ट, खाद के गड्डे, स्वच्छता किट, आई.सी.सी./वॉल पेंटिंग, स्वच्छता नारा लेखन, नाली निर्माण, नाली मरम्मत, इण्टरलाकिंग निर्माण, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी भराव आदि कार्य कराये जाने हैं। उपरोक्त कार्य हेतु ईंट प्रथम श्रेणी, रोड़ी, मौरंग, रेत, सीमेन्ट, मिट्टी, सरिया, पत्थर, पाइप एंगल, लोहे की जाली, टीन शेड, तार, बजरी, ई-रिक्शा, सफाई ठेली, इण्टरलाकिंग ईंट, गेट विंडो आदि सामग्री क्रय की जानी है। इच्छुक समस्त आपूर्तिकर्ता फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निविदा दिनांक 10.02.2024 को दोपहर 12 बजे तक कुटेशन/निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। समस्त निविदायें उसी दिन दोपहर 02 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत/ निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा।

फूलमती, ग्राम प्रधान **कोमल शर्मा, सचिव**

SBI

कॉरपोरेट केंद्र, नरीमन पॉइंट, मैडम कामा रोड, मुंबई-400021

हवाई यात्रा टिकटों की बुकिंग के लिए ट्रैवल एजेंसियों का सूचीबद्धता

बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए हवाई यात्रा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए हवाई यात्रा एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु निविदा.

भारतीय स्टेट बैंक, कॉरपोरेट सेंटर, मुंबई द्वारा पूरे भारत में तैनात बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन माध्यम से हवाई यात्रा टिकटों की बुकिंग के उद्देश्य से 03 वर्ष की अवधि के लिए पात्र एवं प्रतिष्ठित कंपनियों/एजेंसियों से सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रित करता है.

सेवा के ''नियमों व शर्तें'', मनोनीत / चयनित होने के लिए पात्रता मानदंड और निविदा जमा करने हेतु प्रारूप सहित बैंक की विशिष्ट आवश्यकताएँ बैंक की वेबसाइट : **www.bank.sbi** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं. इन्हें संपर्क विभाग, मेज़ेनाइन फ्लोर, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई-400021 से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है.

संपर्क नंबर: 022-22740050/53/62

बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि: 06.04.2024 (1700 बजे तक).

दिनांक: 13.03.2024 **मुख्य संपर्क अधिकारी**

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को मांग सूचना जारी करता है, जिसमें उधारकर्ताओं से संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्तन ोटिस की प्राप्ति की तारीख से, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए प्रासंगिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के रूप में॰ ाविष्य के ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता /गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एव कब्जे का प्रकार
1	46108640000138	1) मैसर्स. युथ एण्ड स्टाईल इसके मालिक मोहम्मद आरिफ, के माध्यम से। 2)मो. आरिफ (उधारकर्ता), 3)श्रीमती आमना (गारंटर)	20.11.2023 रु.92,12,622.09/-/- (बयानबे लाख बारह हजार छह सौ बाईस रुपये और केवल नौ पैसे) 15.11..2023 तक	तारीख: 12.03.2024 समय: 11:57 सुबह सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल मकान संख्या 100/132 कुल माप 1135 वर्ग फुट, गन्ने वाली गली, अमीनाबाद, लखनऊ-226018। श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद सिड और श्रीमती आमना, पत्नी मोहम्मद सईद. के स्वामित्व में। इसकी सीमा इस प्रकार है:- पूर्वः सड़क 20 फीट, पश्चिमः चुन्ने का घर, उत्तरः गुलाब का घर, दक्षिणः मुन्ने का प्लॉट।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षितपरिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः लखनऊ **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक:13.03.2024, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकद्ध

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071
शाखा कार्यालय16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

प्रपत्र जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये निमंत्रण, हेतु
मैसर्स समर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
पंचकुला, हरियाणा में रियल एस्टेट उद्योग में परिचालनरत्

(भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 36ए के उप-विनिमय (1) के अंतर्गत)

क्र. सं.	सुसंगत विवरण	
1.	पैन एवं सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ निगमित देनदार का नाम	मैसर्स समर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड पैन : AAICS0083L सीआईएन : U70101HR2003PTC055332
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	जीएचएस-105 के सामने एस्वी अपार्टमेंट, सेक्टर-20, पंचकुला, हरियाणा, भारत, 134112
3.	वेबसाइट का यूआरएल	अनुपलब्ध
4.	उस स्थान के विवरण, जहां स्थायी परिसंपत्तियां बहुतायत में अवस्थित हैं	पंचकुला, हरियाणा-134112
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	अनुपलब्ध
6.	विगत वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों / सेवाओं की प्रमात्रा एवं मूल्य	उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष में बेची गई वस्तुओं / सेवाओं का मूल्य शून्य है।
7.	कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), ऋणदाताओं की सूचियों, सहित भावी विवरण इस यूआरएल पर उपलब्ध हैं :	विवरण समाधान व्यवसायी के संचार पते पर उपलब्ध हैं : 109, सूर्य किरण बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 और इनसे cirp.samarestates@gmail.com पर ईमेल करके संपर्क किया जा सकता है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान आवेदकों की योग्यता इस यूआरएल पर उपलब्ध है:	विवरण समाधान व्यवसायी के संचार पते पर उपलब्ध हैं : 109, सूर्य किरण बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001 और इनसे cirp.samarestates@gmail.com पर ईमेल करके संपर्क किया जा सकता है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	27-03-2024
11.	प्रस्तावित समाधान आवेदकगणों की अनंतिम सूची निर्गतन की तिथि	06-04-2024
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	11-04-2024
13.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गतन की तिथि	21-04-2024
14.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों को जानकारी ज्ञापन, मूल्यांकन आव्यूह तथा समाधान नियोजन के अनुरोध के निर्गतन की तिथि	21-04-2024
15.	समाधान नियोजन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21-05-2024
17.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रोसेस ईमेल आईडी	cirp.samarestates@gmail.com

हस्ता./-
राहुल जिंदल
समाधान व्यवसायी
आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी-02649/2021-2022/14048
पंजीकृत पता : 52/24, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
संचार पता : 109, सूर्य किरण बिल्डिंग, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001
कृते मैसर्स समर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 12-03-2024
स्थान : नई दिल्ली

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Reliance Commercial Finance Limited

पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 11वीं मंजिल, नॉर्थ-वेस्ट विंग, प्लॉट नंबर 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (वेस्ट), मुंबई 400 028

कब्जा सूचना [नियम - 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत दिनांक 12.10.2023 को एक डिमांड नोटिस जारी कर उधारकर्ता अमूल ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और सह-उधारकर्ता श्री सुरेश कुमार के संतोकी, श्री चंदूलाल के संतोकी, श्री नितिन कुमार के संतोकी, श्री गौतम चंदूलाल संतोकी, श्री गिरधरलाल वेलजीभाई संतोकी, श्री नानजीभाई एन संतोकी, श्री विपुल कुमार नानजीभाई पटेल, श्री दीपक कुमार नानजीभाई संतोकी और श्री निपुलभाई जी संतोकी को बुलाया गया। एंवम नोटिस में उल्लिखित राशि 4,37,45,400/- (रुपए चार करोड़, सैंतीस लाख, पैंतालीस हजार, चार सौ मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऋण खाता संख्या **RLLSRAJ000358482** और **RLLSRAJ000358478** के तहत देय राशि का भुगतान करने को निगर्त किया गया है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस 11 मार्च 2024 को प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के शुल्क जिसकी राशि रु. 4,37,45,400/- (रुपये चार करोड़, सैंतीस लाख, पैंतालीस हजार, चार सौ मात्र) और उस पर ब्याज के अधीन होगा,

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

टाटा मोटर्स वेंडर पार्क, ली सिडकुल, पंत नगर, खसरा नंबर 395, 400, 423, कल्याणपुर की ग्राम सीमा में शामिल प्लॉट नंबर सेक्टर - 11 की संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व और ब्याज, साथ ही उस पर निर्माण, तहसील किच्छा, उधम सिंह नगर, जिला -उत्तराखंड. माप 22821.03 वर्ग मीटर निम्नानुसार परिबद्धः- पूर्व -प्लॉट नंबर 32 सेक्टर 11, पश्चिम - 2 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर - 24 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण - प्लॉट नंबर 41 सेटर 11.

दिनांकः 11 मार्च 2024 **(प्राधिकृत अधिकारी)**
स्थानः उत्तराखंड **रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

HDB FINANCIAL SERVICES

कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डनरोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनकोडः 380009 शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, हरि कॉम्प्लेक्स, डी-कॉर्बिज होटल के पास, वेव मॉल के पीछे, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश

जबकि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षाहित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सुरक्षा के नियम 3 के साथ पढ़ें ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने उधारकर्ता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मांग सुचना जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता से भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त सूचना में उल्लिखित राशि को 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।उसी की प्राप्ति की, तारीख से उक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि यह अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उल्लिखित तिथि पर यहां वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन संबंधित तिथि से भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ यहां निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।कब्जा नोटिस जबकि, वित्तीय और शक्तियों के प्रयोग में अधिकृत पुनर्निर्माण हित (प्रवर्तन), सभी लागतों, शुल्कों और उसी की प्राप्ति का आह्वान करता है। इसके द्वारा उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को सांकेतिक कब्जा प्रदान किया जाता है, संबंधित तिथि के लिए विशेष संपत्ति और किसी भी डीलिंग सर्विसेज लिमिटेड में उधारकर्ता की सुरक्षा के नियम बताए गए हैं। प्रतीकात्मक कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम और पता 2) ऋण खाता संख्या 3) ऋण राशि 4) मांग सूचना की तारीख 5) दावा की गई राशि रुपए में 6)प्रतिभूतियों का विवरण 7) कब्जा की तिथि

1. उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नामः) 1. कल्लू रस्सी तिरपाल भंडारः सहाय मार्केट धनोखर चौराहा बाराबंकी बाराबंकी एचओ -225001 उत्तर प्रदेश। इसके अलावाः हाउस बेयरिंग म्युनिसिपल नंबर बीई-108 (पुराना नंबर 67) प्लॉट नंबर 1201/901 पर निर्मित, मोहल्ला भितरी पीरबटावन वार्ड भितरी बाराबंकी एचओ-225001 2. इंतेखाब आलमः बीपी/282 हाफिज इशरत ऑल के पास भीतरी पीर बटावन नवाबगंज बाराबंकी बाराबंकी हो-225001 उत्तर प्रदेश - 3. साकिया बानोः बीपी/282 निकत हाफिज इशरत अली भीतरी पीर बतावन नवाबगंज बाराबंकी बाराबंकी एचओ -225001 उत्तर प्रदेशः- 4. सरफराज आलमः बीपी/282 भीतरी पीरबतावन निकत शुतुर खाना मस्जिद नवाबगंज बारा. बंकी बाराबंकी एचओ -225001 उत्तर प्रदेश- 5. मकसूद आलमः बीपी 282 भीतरी पीरबटावन नवाबगंज बाराबंकी हो-225001 उत्तर प्रदेशः ऋण खाता संख्याः 18734028, ऋण राशिः रु. 3460000/- (चौंतीस लाख साठ हजार मात्र) ऋण खाता संख्या 18734028 द्वारा, 4) मांग सूचना दिनांकः15-12-2023, 5) दावा की गई राशिः रु. 3332068.83/- (रुपए तैंतीस लाख बत्तीस हजार अड़सठ और तिरासी पैसे मात्र) 11-दिसंबर-2023 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, जिसमें आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि शामिल हैं.6), एनपीए दिनांकः 03-12-2023, सुरक्षा का विवरणः संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, हाउस म्युनिसिपल नंबर बीई-108 (पुराना नंबर 67) प्लॉट नंबर 1201/901 पर निर्मित है, जिसका माप 1620 वर्ग फीट मुहल्ला-भीतरी पीरबटावन, वार्ड-भीतरी पीरबटावन, तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित, संपत्ति का स्वामित्व मकसूद आलम के पास है, उप-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार बुक नंबर 1 जिल्ड नंबर 239 पृष्ठ संख्या 351/370 पर क्रमांक के अनुसार क्रमांक 880 दिनांक 18-03-1993. संपत्ति की सीमा इस प्रकार हैः उत्तर- रौनक अली और रौशन अली का घर, दक्षिण- सड़क, पूर्व-सड़क, पश्चिम-अब्दुल रऊफ का प्लॉट, प्रतीकात्मक कब्जे की तारीखः 06-03-2024

1. उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम -) 1. गुप्ता कचौरी-हनुमान रोड फिरोजाबाद फिरोजाबाद फिरोजाबाद-283203 उत्तर प्रदेश इसके अलावा यहांः छप्पर मोहल्ले के साथ प्लॉट ओझा नगर मौजा सुखमलपुर निजामाबाद (आबादी नगर पल्लिका), फिरोजाबाद-283203 इसके अलावा : मकान नंबर 167/1 का हिस्सा, मोहल्ला दुर्गा नगर, हनुमान रोड फिरोजाबाद -283203साथ हीः मकान धारक नगर पालिका परिषद नंबर 41/1, मोहल्ला चौबेजी का बाग फिरोजाबाद -283203 2. अंकुर गुप्ता- 669 कोटला रोड ओझा नगर फिरोजाबाद -283203 उत्तर प्रदेश - 3. सुख देव गुप्ता- 669 कोटला रोड ओझा नगर फिरोजाबाद फिरोजाबाद -283203 उत्तर प्रदेश 4. सुधा गुप्ता - 669 कोटला रोड ओझा नगर फिरोजाबाद -283203 उत्तर प्रदेश : ऋण खाता संख्याः 36117145 , ऋण राशिः रु. 70,00,000/- (केवल सत्तर लाख) ऋण खाता संख्या 36117145 द्वारा 4) मांग सूचना दिनांकः 15-12-2023, 5) दावा की गई राशिः रु. 7268972.93/- (रुपये बहत्तर लाख अड़सठ हजार नौ सौ बहत्तर और तिरानवे पैसे मात्र) 11-दिसंबर-2023 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज, जिसमें आकस्मिक खर्च, लागत और शुल्क आदि शामिल हैं। 6), एनपीए दिनांकः 03-12-2023, सुरक्षा का विवरणः अनुसूची /।- नगरपालिका निगम नंबर वाले घर के सभी टुकड़े और पार्सल। 41/1, माप 450 वर्ग फुट (41.85 वर्ग मीटर), मोहल्ला चौबे जी का बाग, तहसील और जिला फिरोजाबाद में स्थित है। संपत्ति सुखदेव गुप्ता पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता के नाम पर है। विक्रय पत्र क्रमांक के अनुसार पंजीकृत 43 दिनांक 06.01.2009. सीमा इस प्रकार हैः पूर्व-गली 10 फीट चौड़ी, पश्चिम-सुभाष चंद्र गुप्ता का घर, उत्तर-सुरेंद्र आर्य का घर, दक्षिण-सतीश चंद्र सविता का घर। अनुसूची ।।- नगर निगम फिरोजाबाद की सीमा के अंदर, मोहल्ला ओझा नगर, मौजा सुखमलपुर, निजामाबाद, तहसील और जिला फिरोजाबाद में स्थित प्लॉट माप के सभी टुकड़े और पार्सल संपत्ति सुखदेव गुप्ता के नाम पर है. विक्रय पत्र 36384 दिनांक 24-09-1991 के अनुसार पंजीकृत, सीमा इस प्रकार हैः उत्तर- सुरेंद्र आर्य का घर, दक्षिण- सुभाष चंद्र सविता का घर, पूर्व- विक्रेता के घर का शेष भाग, पश्चिम- छोटे हनुमानजी का मंदिर। अनुसूची ।।। - नगर पालिका परिषद क्रमांक वाले मकान का वह सारा टुकड़ा और पार्सल 41/1 का माप 450 वर्ग फुट या 41.85 वर्ग मीटर है, जिसका माप पूर्व-15 फीट, पश्चिम-15 फीट, उत्तर-30 फीट और दक्षिण-30 फीट, कवर क्षेत्र 27.9 वर्ग मीटर, मोहल्ला चौबेजी का बाग, तहसील और जिला फिरोजाबाद। सीमा इस प्रकार हैः उत्तर- सुरेंद्र आर्य का घर, दक्षिण- सुभाष चंद्र सविता का घर, पूर्व- गली रास्ता 10 फीट चौड़ा, पश्चिम- सुभाष चंद्र गुप्ता का घर प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 07-03-2024

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कुश कपूर फोनः 9838076150- विकास आनंद - 9711010384 से संपर्क करें

स्थानः लखनऊ, **हस्ता/-**
दिनांकः 13.03.2024 **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी,**

शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएनः L27101HP1984PLC005862
पंजीकृत कार्यालय : 16-18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, जनपद सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173213, दूरभाष : +91-1792-23-578, फैक्स : +91-1792-230475-230475, 230578
ईमेल : investor@shivalikbimetals.com, वेबसाइट : www.shivalikbimetals.com

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर्स के ध्यानार्थ) कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) डिमेट अकाउंट में अंतरण

यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) के तहत कंपनी के शेयरधारकों को दिया जाता है। नियम, 2016 ('नियम'), समय-समय पर संशोधित।

अधिनियम और नियमों में, अन्य मामलों के अलावा, IEPF को अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश के हस्तांतरण और शेयरों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल हैं, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अवैतनिक या दावा न किया गया है, IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में। . हालाँकि, जहां ऐसे शेयरों के किसी भी हस्तांतरण और लाभांश के भुगतान पर रोक लगाने के लिए न्यायालय या न्यायाधिकरण या वैधानिक प्राधिकरण का एक विशिष्ट आदेश है या जहां ऐसे शेयर डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत गिरवी रखे गए हैं या गिरवी रखे गए हैं, कंपनी ऐसे शेयरों को स्थानांतरित नहीं करेगी। मैं ईपीएफ डीमैटअकाउंट के लिए।

जैसा कि नियमों के तहत प्रदान किया गया है, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं। कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण भी अपनी वेबसाइट www.shivalikbimetals.com पर अपलोड कर दिया है, जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों से लावारिस पड़े हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित होने वाले हैं। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ डीमैटअकाउंट में स्थानांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करें। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए संबंधित शेयरधारकों के विवरण को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी / कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा। नियमों के अनुसार आईईपीएफ डीमैट खाता। शेयरधारक कंपनी/रजिस्ट्रार और कंपनी के ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को लिखकर अपने दावा न किए गए लाभांश का दावा कर सकते हैं। एमएएस सर्विसेज लिमिटेड निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म आईएसआर -1, फॉर्म आईएसआर - 2, फॉर्म नंबर एसएच 13 (नामांकन फॉर्म) और फॉर्म आईएसआर -3 (नामांकन से बाहर निकलने) को समर्थन के साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरकर प्रदान करता है। भौतिक प्रतिभूतियों के मामले में खाताधारक का नाम बताते हुए मूल रद्द चेक सहित दस्तावेज। निवेशक अनुरोध फॉर्म हमारे आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: **https://www.masserv.com** इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों के मामले में क्लाइंट मास्टर सूची की प्रति जमा की जानी है। भुगतान डीमैट खाते के विरुद्ध पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि लाभांश का दावा करने की आज अंतिम तिथि है। यदि उक्त तिथि तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी संबंधित शेयरधारकों द्वारा रखे गए लावारिस लाभांश और शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में नियमों के अनुसार स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी:

- भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए - मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, रद्द और गैर-परक्राम्य माना जाएगा।
- डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए - कंपनी डिपॉजिटरी को कॉर्पोरेट कार्रवाई निष्पादित करने और शेयरधारक के डीमैट खाते में पड़े शेयरों को डेबिट करने और ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए सूचित करेगी।

सेबी के मानदंडों के अनुसार यदि फोलियो केवाईसी के अनुरूप है तो बकाया भुगतान सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यदि फोलियो केवाईसी के अनुरूप है तो भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को भुगतान किया जा सकता है।

संबंधित शेयरधारक को यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे शेयरों पर भविष्य में होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार आई ईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लावारिस लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयरधारक ध्यान दें कि उनके दावा न किए गए लाभांश और शेयरों को आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करने की स्थिति में (ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभों सहित, यदि कोई हो), संबंधित शेयरधारक उसी से दावा करने के हकदार हैं प्ब्ब् प्राधिकरण को वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित ई-फॉर्म आईईपीएफ-5 में एक

ऐ भाई...

मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में मंगलवार को लोकसभा चुनाव से पहले एक सार्वजनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ।

मोदी की सराहना के अगले दिन भाजपा ने खट्टर को क्यों बदला

जनसत्ता ब्यूरो

हरियाणा की राजनीति में मंगलवार को दिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व जननायक जनता पार्टी (जजपा) के गठबंधन में दरार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की चर्चा के साथ हुई। दोपहर तक खट्टर बाहर हो गए और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। इससे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खट्टर की सराहना की थी। इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें क्यों बदला, यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है।

भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पार्टी विधायक दल की बैठक में खुद मनोहर लाल खट्टर ने अगले मुख्यमंत्री के लिए नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। हरियाणा में यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में हरियाणा के विकास के लिए खट्टर और उनके दृष्टिकोण की सराहना करने के एक दिन बाद हुआ। गुरुग्राम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेस-वे के हरियाणा खंड का शुभारंभ किया था। मोदी ने बताया था कि कैसे वह अक्सर खट्टर की मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठकर रोहतक से गुड़गांव (अब गुरुग्राम) तक यात्रा करते थे। छोटी सड़कें थीं, लेकिन आज पूरा गुरुग्राम क्षेत्र एक्सप्रेसवे सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगतिशील मानसिकता को दर्शाता है। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर हरियाणवी का भविष्य सुरक्षित है।

खट्टर ने भी हरियाणा के 2.82 करोड़ लोगों की ओर से मोदी को आश्वासन दिया कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। जनवरी में लाभार्थियों के साथ अपनी वीडियो वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने रोहतक के एक किसान से बात करते हुए खट्टर को बहुत मजबूत आदमी बताया, जो यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा सूत्रों ने बताया कि खट्टर को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने की संभावना है। दिल्ली में एक भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें बदलने का निर्णय दो कार्यकाल के बाद अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने के पार्टी के रुख के अनुरूप था।

खट्टर का कार्यकाल

मनोहर लाल खट्टर ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2014 में हरियाणा के करनाल से लड़ा था और 2019 में भी यहीं से जीत हासिल की। 2014 में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटों के साथ बहुमत हासिल करके इतिहास रचा। अपने साढ़े नौ साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान खट्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से कई प्रमुख कानून-व्यवस्था की समस्याओं का। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए थे। 2017 में पंचकूला की एक सीबीआइ अदालत द्वारा बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद सशस्त्र बलों और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के अनुयायियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें 40 से अधिक लोग मारे गए थे। 2018 में धार्मिक नेता रामपाल की गिरफ्तारी, जिसके दौरान कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। 2020-21 का किसानों का विरोध, पिछले साल नूंह में सांप्रदायिक हिंसा और वर्तमान में चल रहा किसानों का विरोध शामिल है।

कभी थे भाजपा मुख्यालय के कर्मचारी, अब मुख्यमंत्री बने

जनसत्ता

नायब सिंह सैनी निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ संगठन में काम करते हुए भाजपा मुख्यालय के दफ्तर में कर्मचारी हुआ करते थे। जब मनोहर लाल भाजपा में संगठन मंत्री थे तब वह अपने कार्यालय के कर्मचारियों में सबसे अधिक भरोसा कंप्यूटर आपरेटर नायब सिंह पर ही करते थे।

कई साल तक भाजपा मुख्यालय में काम करने वाले नायब सिंह सैनी ने कुछ समय संगठन की राजनीति को छोड़कर जिला अंबाला के नारायणगढ़ में 'केबल आपरेटर' के रूप में भी काम किया है। कुछ समय बाद वे फिर भाजपा की सक्रिय राजनीति में लौट आए व फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैनी को मनोहर लाल खट्टर (69) का करीबी माना जाता है। उन्होंने खट्टर की जगह ली, जिनका मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल इस साल अक्तूबर में पूरा होना था।

सत्तारूढ़ भाजपा ने यह आश्चर्यजनक कदम लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले उठाया है जबकि हरियाणा में अक्तूबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भाजपा ने ओम प्रकाश धनखड़ के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सैनी को हरियाणा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में सैनी की नियुक्ति को ओबीसी और गैर-जाट समुदायों पर पकड़ मजबूत करने के मकसद से पार्टी के एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया था। राज्य में सबसे अधिक आबादी वाले समुदाय जाट का समर्थन बड़े पैमाने पर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (जजपा) और इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के बीच बंटा हुआ माना जाता है। इसके अलावा, सैनी को मुख्यमंत्री चुने जाने को खट्टर सरकार के खिलाफ जारी सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिहाज से उठाए गए कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

पहली बार एक ही नेता के पास तीन पद

हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई नेता एक ही राजनीतिक दल में तीन महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन रहा हो। सैनी वर्तमान में कुरुक्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं व उनका कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच पार्टी ने पिछले साल 27 अक्तूबर को उन्हें भाजपा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष की बागडोर सौंप दी।

चुनाव पर चर्चा

हैदराबाद में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मतदाता केंद्र कार्यकताओं की बैठक के दौरान मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी व अन्य नेता।

जम्मू-कश्मीर : आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पार्टियों के साथ परामर्श शुरू

निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों के साथ परामर्श शुरू किया। जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को यहां पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों ने नेशनल काफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विभिन्न प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी। नेशनल काफ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी नेता नासिर असलम वानी ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वानी ने कहा, हमने आयोग को बताया कि 10 साल हो गए हैं, जब जम्मू-कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं। आयोग ने हमें धैर्यपूर्वक सुना। वानी ने कहा, हमने आयोग से कहा कि 10 साल से जम्मू-कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किए गए हैं। आयोग ने हमारी बातें धैर्यपूर्वक सुनीं। पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हंजुरा ने कहा कि उनकी पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, इस पर अब निर्वाचन आयोग को फैसला करना है। अधिकारियों ने बताया कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करेगा। इसके बाद में शाम को निर्वाचन आयोग के अधिकारी जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोल और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। (ए)

गूगल ने झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग से मिलाया हाथ

जनसत्ता ब्यूरो

अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने आगामी चुनावों के दौरान झूठी सूचना के प्रसार की रोकथाम, अधिकृत सामग्री को बढ़ावा देने और कृत्रिम मेधा (एआइ) के जरिए उत्पन्न डेटा का उपयोग करने के लिए निर्वाचन आयोग से हाथ मिलाया है। गूगल इंडिया ने एक ब्लाग पोस्ट में मंगलवार को कहा कि इसके उत्पाद चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधिकारिक सूचना बढ़ाने की विशेषताओं से लैस किए गए हैं। गूगल ने कहा, 'हम मतदान के बारे में गूगल सर्च पर अंग्रेजी और हिंदी में महत्त्वपूर्ण जानकारी ढूंढने में लोगों की सहायता के लिए सहयोग कर रहे हैं। इन जानकारियों में, पंजीकरण कैसे करें और मतदान कैसे करें शामिल हैं।' अधिक संख्या में लोगों के कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करने के विषय पर गूगल ने कहा कि यह ऐसी प्रक्रियाएं तैयार कर रही है जो उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम मेधा सामग्री की पहचान करने में मदद करेगी।

गूगल ने कहा, 'अधिक विज्ञापनदाताओं द्वारा एआइ की शक्ति और अवसर का लाभ उठाए जाने पर, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अधिक पारदर्शिता और विषय पर सभी जानकारियों के साथ लोगों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते रहें।' गूगल ने कहा, 'हमारी विज्ञापन नीतियां पहले से ही, गुमराह करने वाली 'डीपफेक' या छेड़छाड़ की गई सामग्री के उपयोग को निषिद्ध करती हैं।' गूगल ने इस बारे में कड़ी नीतियां एवं पाबंदियां निर्धारित की हैं कि चुनाव संबंधित विज्ञापन उसके मंचों पर कौन जारी कर सकता है। इनमें निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान का सत्यापन, प्रमाणन और अधिकृत किया जाना शामिल है।

लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू

राजनीतिक पैंतरेबाजी का मंच तैयार

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज होने का अनुमान है। जो पश्चिम बंगाल में चुनावी दिशा को काफी हद तक प्रभावित करेगा और इस स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों तैयार दिखते हैं।

साल 2019 में संसद द्वारा पारित सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने में तेजी लाना है।

सीएए से जुड़े नियमों की अधिसूचना सोमवार को जारी होने के साथ इन देशों में उत्पीड़न के शिकार गैर-मुस्लिम प्रवासी (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं। बंगाल भाजपा आगामी चुनाव में सीएए को एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखती है, खासकर मतुआ-प्रभुत्व वाले निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके विपरीत तृणमूल नेता चुनावी विमर्श को गढ़ने में सीएए की क्षमता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन भाजपा की कथित बंगाली विरोधी भावनाओं के खिलाफ अपने रुख को उजागर करने के लिहाज से इसका लाभ उठाने की भी मंशा रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि 12-15 निर्वाचन क्षेत्रों में सीएए का काफी असर पड़ सकता है। खासकर मतुआ और अल्पसंख्यक प्रभाव वाले क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की मांग की जा रही थी, जो बांग्लादेश के साथ 2000 किमी से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। सीएए पर अमल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था और इसका उसे सकारात्मक परिणाम मिला तथा भाजपा को राज्य में 18 सीट मिलीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर सीएए भारत में कुछ समूहों के साथ भेदभाव करता है या किसी भी तरह से उनके नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, तो वह इसका कड़ा विरोध करेंगी। ममता ने चिंता व्यक्त की कि सीएए देशभर में एनआरसी के लागू किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

टीएमसी प्रमुख ममता ने कहा कि हम हर कीमत पर एनआरसी को लागू करने का विरोध करेंगे। मुझे केवल इस बात की चिंता है कि क्या नए सीएए नियम हमारे नागरिकों के पिछले अधिकारों को अमान्य कर देंगे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सीएए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन यह जवाबी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है खासकर अल्पसंख्यक समूहों के बीच। (ए)

बंगाल

सीएए से जुड़े नियमों की अधिसूचना सोमवार को जारी होने के साथ इन देशों में उत्पीड़न के शिकार गैर-मुस्लिम प्रवासी (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं।

'चंद्रशेखर बताएं कि भाजपा ने तिरुवनंतपुरम के लिए क्या किया'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके 'अज्ञानी प्रतिद्वंद्वी' को पहले मतदाताओं को यह बताना चाहिए कि भाजपा ने अपने 10 साल के शासन में क्षेत्र के लिए क्या किया।

शशि थरूर

चंद्रशेखर ने थरूर पर अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करने का आरोप लगाया था। थरूर ने सोमवार रात एक सवाल के जवाब में कहा, मैं सवाल को घुमाऊंगा और पूछूंगा कि भाजपा ने अपने 10 साल के शासन में तिरुवनंतपुरम के लिए क्या किया। यहां तक कि संसद में किए गए वादों का भी सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने तिरुवनंतपुरम के लिए एम्स, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और कई अन्य परियोजनाओं का वादा किया था। थरूर ने पूछा, वे केंद्र में वादे करते हैं लेकिन वे उन्हें कभी पूरा नहीं करते हैं। यह भाजपा का ट्रैक रेकार्ड है। हमें इस पार्टी के किसी भी नए वादे पर भरोसा क्यों करना चाहिए।

हालांकि, थरूर ने कहा कि वह चन्द्रशेखर के इस बयान से सहमत हैं कि यह चुनाव व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है, यह विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। थरूर ने कहा, हम जानते हैं कि हम किसके लिए खड़े हैं। क्या वह जानते हैं कि उनकी पार्टी किस लिए खड़ी है? क्या वह इस तरह के सांप्रदायिक एजंडे का बचाव कर सकते हैं जिसका भाजपा कर रही है? मैं चाहूंगा कि वह इस सवाल का जवाब दें।

उन्होंने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी सभी उपलब्धियों की 70 पेज की रपट जारी करेंगे। भाजपा नेता चंद्रशेखर ने कहा था कि उनका मानना है कि तिरुवनंतपुरम के लोग इस चुनावी लड़ाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह चुनाव परिणामों में दिखाई देगा। चंद्रशेखर ने कहा था, निस्संदेह जनता सब जानती है। वे जानते हैं कि काम की राजनीति क्या है, कौन काम करता है और किसने 15 वर्ष तक काम नहीं किया। थरूर पिछले 15 वर्ष से तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (ए)

अब कांग्रेस की निगाह आधी आबादी पर

पंकज रोहिला

युवाओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी की नजर आधी आबादी पर है। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले ही युवाओं के लिए अपनी गारंटी घोषित कर चुकी है। अब पार्टी जल्द ही महिलाओं के लिए भी एक गारंटी कार्ड लेकर आ रही है।

यह गारंटी कार्ड पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जारी करेंगे। यह पहल भी इस बार भारत जोडो न्याय यात्रा के दौरान ही होगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी लगातार आम जनता से जुड़े मसलों को उठा रही है और उन्हें आगामी लोकसभा के चुनाव अभियान से जोड़ रही है।

सामान्य तौर पर अब तक की परंपरा रही है कि राजनीतिक दल अपने बड़े वादों का ऐलान अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से करती है। इस घोषणा पत्र को बनाने की तैयारियां भी कांग्रेस पार्टी कर रही है।

कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनावी घोषणा पत्र की मुख्य योजनाएं पहले ही जनता के सामने होगी। इन्हें कांग्रेस पार्टी बतौर चुनावी गारंटी के तौर पर पेश कर रही है और इसके लिए कांग्रेस शासित राज्यों की योजनाओं को आधार बनाया जा रहा है।

इस माडल के आधार पर ही जल्द ही महिलाओं के लिए न्याय की गारंटी घोषित होती। इसे पार्टी ने कांग्रेस न्याय गारंटी का नाम दिया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही इन गारंटियों का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने धुले में एक सभा भी रखी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी गारंटी इस देश के लोगों से हमारा वादा है क्योंकि हम इस देश के गरीब लोगों के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

तैयारी

युवाओं के बाद अब महिलाओं के लिए भी जारी होंगे गारंटी कार्ड। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही होगी नारी न्याय गारंटी की घोषणा।

www.readwhere.com

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola
Enter a better life

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम – मोबाइल नंबर 8287233717

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट **https://chola-lap.procure247.com/** के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन सम्पत्ति	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. **HE01DEF00000018865, HE01DEF00000021139, HE01DEF00000030795** तथा **X0HEDEF00003286388)** 1. शशि कुमार भूप सिंह उर्फ शशि कुमार (आवेदक) आर–254, मोहन गार्डन, पीपल चौक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 शशि कुमार भूप सिंह उर्फ शशि कुमार (आवेदक) आर–258, पीपल चौक, आर ब्लॉक, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059 2. भूप सिंह (सह–आवेदक) आर–254, मोहन गार्डन, पीपल चौक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 भूप सिंह (सह–आवेदक) आर–258, पीपल चौक, आर ब्लॉक, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059 3. रेणु (सह–आवेदक) आर–254, मोहन गार्डन, पीपल चौक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 रेणु (सह–आवेदक) आर–258, पीपल चौक, आर ब्लॉक, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059 4. ए.के. स्पोर्ट्स (इसके स्वामी शशि कुमार के माध्यम से) (सह–आवेदक) आर–254, मोहन गार्डन, पीपल चौक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 ए.के. स्पोर्ट्स (इसके स्वामी शशि कुमार के माध्यम से) (सह–आवेदक) आर–258, पीपल चौक, आर ब्लॉक, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059 5. आशीष कुमार (सह–आवेदक) आर–254, मोहन गार्डन, पीपल चौक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 आशीष कुमार (सह–आवेदक), आर–258, पीपल चौक, आर ब्लॉक, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059 6. सरोज उर्फ सरोज बी (सह–आवेदक), आर–254, मोहन गार्डन, पीपल चौक, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 सरोज उर्फ सरोज बी (सह–आवेदक), आर–258, पीपल चौक, आर ब्लॉक, मोहन गार्डन, नई दिल्ली–110059	10–10–2023 रू. 63,60,830.00/– **कब्जा का प्रकार** **सांकेतिक**	प्लॉट नंबर 254, क्षेत्रफल परिमाप 40 वर्ग गज (आकार 12 गुणा 30), खसरा नंबर 60/6 का भाग, राजस्व सम्पदा ग्राम हस्तसाल, दिल्ली राज्य, कालोनी मोहन गार्डन के नाम से ज्ञात, ब्लॉक आर, उत्तम नगर, नई दिल्ली, जो निम्नानुसार परिबद्ध है :– पूरब : प्लॉट नंबर 255, पश्चिम : प्लॉट का भाग, उत्तर : गली 10 फीट, दक्षिण : प्लॉट का भाग	रू. 95,00,000/– रू. 9,50,000/– रू. 1,00,000/–	18–04–2024 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 17–04–2024 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार

1. ओएन–नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), **Ms.procure247**; (सम्पर्क व्यक्ति : करण मोदी : 70167 16557– **karan@procure247.com,** अपूर्व पटेल : 91061 96864– **apurva@procure247.com,** अल्पेश बोरिसा – **alpesh@procure247.com**
2. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया **https://chola-lap.procure247.com/** एवं **https://cholamandalam.com/auction-notices** देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : दिल्ली, एनसीआर दिनांक : 13–03–2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank
(A Government Of India Undertaking)
Head Office: Bangalore

एआरएम–1 शाखा
दूसरी मंजिल, नंबर 86, स्पेंसर टॉवर,
एम.जी. रोड, बैंगलोर–560001
दूरभाष : 080–25588028,25588641 एक्सटेंशन: 530,
मोबाइल: 94835 32366
ई–मेल: cb2366@canarabank.com

बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा केनरा बैंक की एआरएम शाखा–1, बेंगलुरू के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, केनरा बैंक की एआरएम शाखा–1, बेंगलुरू के 1. मैसर्स पेगासी स्पिरिट्स प्रा. लिमिटेड (पूर्व की 3 एसेस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, कार्यालय – मकान नंबर 22, रोड नं. 62, पंजाबी बाग, नई दिल्ली –110026, प्रधान कार्यालयः एस के आर्केड, नंबर 33/1, डोड्डाकननाली, कार्मलाराम पोस्ट, सतजापुरा रोड, बैंगलुरू–560035, 2. श्री नीरज कुकरेजा (निदेशक) पुत्र जगदीश कुकरेजा, 3. श्रीमती रितिका कुकरेजा (निदेशक) पत्नी नीरज कुकरेजा दोनों 2 और 3 निवासी : विला #151, आदर्श पाम रिट्रीट, बेलंदूर, बैंगलुरू–560103, 4. श्री जगदीश कुकरेजा (गारंटर) पुत्र कौरा राम कुकरेजा, 5. श्रीमती पुष्पा कुकरेजा (गारंटर), दोनों 4 और 5 निवासी : बी1801, स्काईलार्क एस्टा हुडी, व्हाइटफील्ड, बैंगलोर – 560048 से बकाया 09.03.2024 तक रु. 8,48,81,083.64 साथ ही अतिरिक्त ब्याज और उस पर लागत की वसूली के लिए ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर 30.03.2024 (10.30 बजे पूर्वा. से 11.00 बजे पूर्वा.) को बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि का विवरण निम्न प्रकार है और जमा धरोहर राशि जो 28.03.2024 को या उससे पहले प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक एआरएम–1 शाखा के पक्ष में डीडी के माध्यम से या खाता संख्या 209272434 (आईएफएससी CNRB0002366) पर ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमा की जाएगी, इस प्रकार है :

लॉट नं.	अचल/चल आस्तियों का विवरण :	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	बोली पर वृद्धि मूल्य
2	मकान नंबर 22, माप 2000 वर्ग फुट, रोड नं. 62, पंजाबी बाग पश्चिम, नई दिल्ली–110026 में स्थित आवासीय भवन की पूरी दूसरी मंजिल का समस्त भाग, बिना छत/टेरेस के अधिकार के साथ फ्रीहोल्ड भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सेदारी/अधिकारों के साथ और निम्नानुसार सीमाएंः पूर्व द्वाराः सर्विस लेन, पश्चिम द्वाराः रोड नंबर 62, उत्तर द्वाराः संपत्ति संख्या . 20 एवं दक्षिण द्वाराः संपत्ति संख्या 24	रु. 331.20	रु. 33.12	रु. 1.00

ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हों: बैंक की जानकारी में नहीं।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (**www.canarabank.com**) पर दिए गए लिंक ''ई–नीलामी'' को देखें या मुख्य प्रबंधक, एआरएम–1 शाखा, बेंगलुरु, केनरा बैंक, फोन नंबर 9483532366, अन्य संपर्क नंबर 9627872626 से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 11.03.2024 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः बेंगलुरु **केनरा बैंक**

NIDHAN COMMERCIAL COMPANY LIMITED

CIN: L36911WB1982PLC034794
Registered Office: 97, Park Street, 5th Floor, Kolkata - 700016
Tel. No.: 033 2226 7376, Email: ncc_l@hotmail.com, Website: www.nidhanltd.com.

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ["SEBI (SAST) Regulations"] of M/s. Nidhan Commercial Company Limited ("NCCL" or the "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Mr. Kapil Hiralal Jain (hereinafter referred to as the "Acquirer") to the public shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

Date	12.03.2024
Name of the Target Company	Nidhan Commercial Company Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	This Open Offer is being made by the Acquirer for the acquisition of 76600 (Seventy-Six Thousand and Six Hundred) fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each, representing 25.67% of the fully paid-up equity and voting share capital of the Target Company at a price of Rs. 49/- (Rupees Forty-Nine Only) **("Offer Price")**, payable in cash in terms of Regulation 3(1) & (4) of the SEBI (SAST) Regulations.
Name(s) of the Acquirer ~~and PACs with the~~ Acquirers	Mr. Kapil Hiralal Jain [There is no other person acting in Concert with the Acquirer]
Name of the Manager to the Offer	VC Corporate Advisors Private Limited
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	**Chairman:** Shri Sanjay Gandhi **Member:** Shri Gandhi Chandra Mandal
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	1. All IDC Members are the Independent Directors and Non-Executive Directors of the Target Company 2. Both the IDC Members hold 200 equity shares each constituting 0.13% of the fully paid-up equity and voting share capital of the Target Company 3. IDC members have not entered into any other contract or have any other relationship with the Target Company except for being Directors and as stated above, of the Target Company
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the equity shares / other securities of the Target Company since their appointment as IDC members
IDC Member's relationship with the Acquirer, if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirer
Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	Not Applicable
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement, the Detailed Public Statement, The Draft Letter of Offer and the Letter of Offer issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer, the IDC Members believe that the Open Offer is fair and reasonable.
Summary of reasons for recommendation	Since the equity shares of the Target Company are listed on Metropolitan Stock Exchange of India ('MSEI') and The Calcutta Stock Exchange of India Limited ('CSE'), i.e. two inoperative Stock Exchanges, therefore the equity shares of the Target Company are infrequently traded. The IDC recommends acceptance of the Open Offer made by the Acquirer, as the Offer Price of Rs. 49/- per equity share of the Target Company is significantly higher than the fair value per equity share of the Target Company which is Rs. 26.03 as certified by the Chartered Accountant.
Details of Independent Advisors, if any.	None
Any other matter to be highlighted	No

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For Nidhan Commercial Company Limited
Sd/-
Sanjay Gandhi
DIN: 00242342
Chairman- Committee of Independent Directors

Place: Kolkata
Date: 12.03.2024

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 TO THE SHAREHOLDERS OF

Khemani Distributors & Marketing Limited

(**CIN:** L74300GJ2011PLC063520) **Registered Office:** D/91-92, Laxminarayan Industrial Park, BRC Compound, Udhna, Bhestan, Surat - 394 210, Gujarat, India. **Phone No.** +91 97 3774 7888; **Email:** investors@khemanigroup.net, **Website:** www.khemanigroup.net

Open Offer for acquisition of upto 56,91,200 (Fifty Six Lakhs Ninety One Thousand and Two Hundred) Equity Shares of face value Rs. 5/- each of Khemani Distributors and Marketing Limited (the "Target Company") representing 24.77% of the total equity and Voting Share Capital of the Target Company from the Eligible Shareholders on behalf of Vijaykumar Khemani ("the Acquirer"), BSAS Infotech Limited ("PAC 1"), ONYX Partners ("PAC 2"), Vijaykumar Mangturam Khemani HUF ("PAC 3") and Gryffin Advisory Services Private Limited ("PAC 4") (PAC 1, PAC 2, PAC 3 and PAC 4 are collectively referred to as "PACs") pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended from time to time ("SEBI SAST Regulations") (the "Open Offer" / "Offer").

This Post Offer Public Announcement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Sundae Capital Advisors Private Limited, on behalf of Acquirer, in connection with the offer made by the Acquirer, in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI SAST Regulations. This Post Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with: (a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirer to BSE on August 09, 2023 **("Public Announcement");** (b) Corrigendum to the Public Announcement dated August 17, 2023 (c) Detailed Public Statement published on August 18, 2023; (d) the Letter of Offer dated February 05, 2024 **("Letter of Offer");** and (e) the Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum published on February 09, 2024 **("Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum).**

1.	Name of the Target Company	Khemani Distributors and Marketing Limited			
2.	Name of the Acquirers and PACs	Vijaykumar Khemani (**"the Acquirer"**), BSAS Infotech Limited (**"PAC 1"**), ONYX Partners (**"PAC 2"**), Vijaykumar Mangturam Khemani HUF (**"PAC 3"**) and Gryffin Advisory Services Private Limited (**"PAC4"**) (PAC 1, PAC 2, PAC 3 and PAC 4 are collectively referred to as **"PACs"**)			
3.	Name of the Manager to the Offer	Sundae Capital Advisors Private Limited			
4.	Name of the Registrar to the Offer	Bigshare Services Private Limited			
5.	Offer Details:				
	a. Date of Opening of the Offer	February 12, 2024 (Monday)			
	b. Date of Closure of the Offer	February 26, 2024 (Monday)			
6.	Date of Payment of Consideration	March 05, 2024 (Tuesday)			
7.	**Details of Acquisition**	**Proposed in the Offer Document**		**Actuals**	
7.1	Offer Price	Rs. 155.67 per equity share		Rs. 155.67 per equity share	
7.2	Aggregate number of shares tendered	56,91,200		1,41,600	
7.3	Aggregate number of shares accepted	56,91,200 (Assuming Full Acceptance in the Offer)		1,41,600	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	Rs. 88,59,49,104		Rs. 2,20,42,872	
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements / Public Announcement (No. & %)	59,10,000 25.72%		59,10,000 25.72%	
7.6	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement 1 dated August 09, 2023 • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	18,02,800 7.85%		18,02,800* 7.85%	
7.7	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement 2 dated August 09, 2023 • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	32,26,400 14.04%		32,26,400* 14.04%	
7.8	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement 3 dated August 09, 2023 • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	9,78,400 4.26%		9,78,400* 4.26%	
7.9	Shares Acquired by way of Open Offer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	56,91,200 24.77%		1,41,600 0.62%	
7.10	Shares acquired after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	Nil Nil Not Applicable		Nil Nil Not Applicable	
7.11	Post offer shareholding of Acquirer • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	1,76,08,800 76.65%		1,20,59,200 52.49%	
7.12	Pre & Post offer shareholding of Public Shareholders (other than Acquirer)	**Pre-Offer**	**Post Offer**	**Pre-Offer**	**Post Offer**
	• Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	56,91,200 24.77%	Nil Not Applicable	56,91,200 24.77%	55,49,600 24.16%

Note:

1. *The number of shares acquired is cumulative of the equity shares acquired through Share Purchase Agreement 1, Share Purchase Agreement 2 and Share Purchase Agreement 3 (hereinafter referred as "SPA 1", "SPA 2" and "SPA 3" and defined under the Letter of Offer dated February 05, 2024, which triggered the open offer and the shares validly tendered and acquired under the open offer process. The shares acquired through SPAs are credited in separate Demat Escrow Account(s) by the respective sellers in terms of the SPA 1, SPA 2 and SPA 3, which shall be transferred to the Acquirer upon fulfillment of necessary conditions of "closure of Agreement" and the time frame mentioned under the SPA 1, SPA 2 and SPA 3.*
2. *The shareholding of the Acquirer along with the PACs and other Promoter group before the Offer was 1,72,82,800 Equity shares representing 75.23% of the Equity share capital of the company and after the Offer is 1,74,24,400 Equity shares representing 75.84% of the Equity share capital.*

The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of obligations under SEBI SAST Regulations, in respect of this Offer.

Capitalised terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Public Announcement and / or Detailed Public Statement and / or Letter of Offer or its corrigendum. This Post Offer Advertisement is being issued in all newspapers in which the Detailed Public Statement has appeared.

A copy of this Post Offer Document will be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE (www.bseindia.com) and the registered office of the Target Company.

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER BY THE MANAGER TO THE OFFER

SUNDAE

Sundae Capital Advisors Private Limited
404, 4th Floor, Vaibhav Chambers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India
Tel No.: +91 96 6785 9191
E-mail ID: kdml.openoffer@sundaecapital.com
Investor Grievance e-mail id: greviences.mb@sundaecapital.com
Website: www.sundaecapital.com
SEBI Regn. No.: INM000012494
Validity Period: Permanent
Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma

for and on behalf of Acquirer and PACs

Sd/-
Vijaykumar Khemani

Sd/-
BSAS Infotech Limited
Represented by Vijaykumar Khemani, Director

Sd/-
Gryffin Advisory Services Private Limited
Represented by Shrawan Kumar Agarwal

Sd/-
ONYX Partners
Represented by Vijaykumar Khemani, Partner

Sd/-
Vijaykumar Mangturam Khemani HUF
Represented by Vijaykumar Khemani, Karta

Place: Surat, Gujarat
Date: March 12, 2024

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

रजि. कार्यालयः स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, 7, ल्योंस रेंज, कोलकाता – 700 001
सीआईएन : न67120ॅठ1923च्स्004707, फोनः 033–40253000, फैक्सः 033–40253019,
ईमेलः pduta@cse-india.com: वेबसाइटः www.cse-india.com

सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 21(बी) के साथ पठित सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 के विनियम–32(5)(ए) के संदर्भ में कंपनियों के इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना।
अब सूचना दी गई है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 ("डीलिस्टिंग रेगुलेशन") के विनियमन 32(5)(ए), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम 1956 की धारा–21ए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के संदर्भ में, निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को दिनांक 11 मार्च, 2024 से असूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
गैर–अनुपालन के कारण कंपनी को अनिवार्य रूप से सूची से हटा दिया गया है

कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता*	उचित मूल्य (रुपये)	कंपनी के प्रवर्तकों/निदेशकों के नाम	कंपनी के प्रमोटरों का पता**
कैंडिड कमर्शियल कंपनी लिमिटेड 9,ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कोलकाता–700001	17.20/–	रंजीत कुमार मन्ना	उपलब्ध नहीं है
		कृष्ण कुमार डागा	उपलब्ध नहीं है
		बिक्रमादित्य उपाध्याय	उपलब्ध नहीं है
क्लेटोन कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, बी–97, दूसरी मंजिल, अमृत पुरी, गार्गी ईस्ट ऑफ कैलाश, दक्षिणी दिल्ली, पिनकोड –110065	1.62/–	यशवंत कुमार	उपलब्ध नहीं है
		शशि के सिकदर	उपलब्ध नहीं है
		रवि चौहान	उपलब्ध नहीं है
आदिनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड दूतावास, फ्लैट नंबर 9जी, 4, शेक्सपियर सारणी, कोलकाता–700071	3.58/–	नीलम बागरी	उपलब्ध नहीं है
		प्रिया घंगस	उपलब्ध नहीं है
		रंजन रॉय	उपलब्ध नहीं है
		जय कुमार बागरी	उपलब्ध नहीं है

*पता एमसीए/एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध है
**एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार पता उपलब्ध है

टिप्पणियाँः अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैंः
कः असूचीबद्धता विनियमों के विनियम 34(1) के अनुसार, असूचीबद्धता कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशकों, प्रमोटरों और समूह कंपनियों को अनिवार्य डीलिस्टिंग की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
ख : ऐसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है–
•ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करेगी और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभ नहीं दिए जाएंगे प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों को तब तक फ्रीज कर दिया जाता है, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रमोटर प्रासंगिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित अनुसार इन विनियमों के विनियमन–33 के उप–विनियम (4) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं।
• अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी खंड (ए) में उपलब्ध उल्लिखित निकास विकल्प तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे।
गः सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने और उचित मूल्यांकन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी प्रदान करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रमोटरों पर है। यदि प्रमोटरों द्वारा निकास प्रदान नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रश्न को पैनल फॉर कंपल्सरी डीलिस्टिंग, द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, 7, ल्योंस रेंज, कोलकाता–700001, फोन नंबर 033–4025–3076, ईमेल : compulsorydelisting@cse-india.com पर संबोधित किया जा सकता है।

पी.दत्ता
सीएफओ
कलकत्ता स्टॉक लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

स्थानः कोलकाता
9 मार्च 2024

www.readwhere.com

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सूचकांक 165 अंक चढ़ा

मुंबई, 12 मार्च (भाषा)।

एशियाई बाजारों के मिले-जुले संकेतों के बीच एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में लिवाली के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक और निफ्टी मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 165.32 अंक या 0.22 फीसद बढ़कर 73,667.96 अंक पर बंद हुआ।

दिन में कारोबार के दौरान यह 501.52 अंक बढ़कर 74,004.16 अंक पर पहुंच गया था। इसी तरह नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 3.05 अंक या 0.01 फीसद की मामूली वृद्धि के साथ 22,335.70 अंक पर लगभग स्थिर बंद हुआ।

सूचकांक की कंपनियों में एचडीएफसी बैंक दो फीसद से अधिक चढ़ गया। इसके अलावा टीसीएस, मारुति, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल में उल्लेखनीय बढ़त हुई। दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक, जेएसडब्लू स्टील, आइटीसी, टाटा मोटर्स,

अल्ट्राटेक सीमेंट और नेस्ले के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि पिछले दिन की तेज मुनाफा वसूली के बाद घरेलू बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। मूल्यांकन को लेकर आशंकाओं के चलते मिडकैप और स्मालकैप शेयरों पर दबाव रहा। उन्होंने कहा कि वैश्विक धारणा भी मिली-जुली बनी हुई है, क्योंकि निवेशक अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। व्यापक बाजारों में बीएसई स्मालकैप सूचकांक में 2.11 फीसद और मिडकैप में 1.31 फीसद की गिरावट हुई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए आंकड़े

खुदरा महंगाई फरवरी में चार महीने के निचले स्तर 5.09% पर

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में मामूली घटकर चार महीने के निचले स्तर 5.09 फीसद पर आ गई। इसके साथ, यह लगातार छठे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के दो से छह फीसद के संतोषजनक दायरे में है।

मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 5.1 फीसद के लगभग बराबर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की महंगाई फरवरी में 8.66 फीसद रही, जो इससे पिछले महीने 8.3 फीसद से मामूली अधिक है। मासिक आधार पर सब्जियों, फल, तेल और वसा, दाल व उसके उत्पादों की महंगाई में मामूली कमी आई।

मासिक आधार पर सब्जियों, फल, तेल और वसा, दाल व उसके उत्पादों की महंगाई में मामूली कमी आई। हालांकि, अनाज और उसके उत्पाद, मांस और मछली व दूध एवं उसके उत्पाद खंड में कीमत वृद्धि की दर ऊंची रही।

हालांकि, अनाज और उसके उत्पाद, मांस और मछली व दूध एवं उसके उत्पाद खंड में कीमत वृद्धि की दर ऊंची रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 50 फीसद है। एनएसओ के अनुसार, फरवरी में औसत मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक 5.34 फीसद रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4.78 फीसद थी। राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई ओड़ीशा में 7.55 फीसद जबकि दिल्ली में सबसे कम 2.42 फीसद रही। भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो फीसद घट-बढ़ के साथ चार फीसद पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। केंद्रीय बैंक ने पिछले महीने मौद्रिक नीति समीक्षा में मुद्रास्फीति के 2023-24 में 5.4 फीसद और जनवरी-मार्च तिमाही में 5.0 फीसद रहने का अनुमान जताया था।

सीपीआइ आंकड़े के बारे में इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खाद्यान्न और पेय पदार्थों को छोड़कर सभी उप-समूह में फरवरी में महंगाई दर नरम हुई। यह संकेत देता है कि गैर-खाद्य वस्तुओं की श्रेणी में नरमी जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति (खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन और प्रकाश को सीपीआइ से हटाने पर) नरम होकर इस साल फरवरी में 3.5 फीसद रही, जो जनवरी, 2024 में 3.7 फीसद थी। यह जनवरी, 2015 से उपलब्ध मेट्रिक आधारित आंकड़ों में सबसे कम है।

खबर कोना

अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने चेन्नई में राज्य में नशीली दवाओं के प्रसार के विरोध में मंगलवार को सत्तारूढ़ द्रमुक के खिलाफ प्रदर्शन किया।

भीड़ हिंसा के मामले में 10 को उम्रकैद

हापुड़, 12 मार्च (जनसत्ता)।

हापुड़ जिले की एक अदालत ने भीड़ हिंसा के करीब छह वर्ष पुराने एक मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भीड़ हिंसा से संबंधित मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 58-58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भीड़ हिंसा से संबंधित मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 58-58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जून 2018 में हापुड़ के धौलाना के गांव बझैड़ा निवासी कासिम (45) की गोहत्या के झूठे आरोप में भीड़ ने हत्या कर दी थी। समयदीन (62) पर भी जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वह बच गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया था और विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।

चौहान ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को हापुड़ की अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के बाद 10 आरोपियों धौलाना के बझैड़ा निवासी राकेश, हरिओम, युधिष्ठिर, रिंकू, करनपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान और मांगेराम को आजीवन कारावास सजा सुनाई और सभी पर 58-58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 8% रहेगी : नागेश्वर

मुंबई, 12 मार्च (भाषा)।

उद्योग और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर आठ फीसद के करीब रहेगी।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने पंजीकृत निवेश सलाहकार संघ (एआरआइए) के एक कार्यक्रम को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धि सांख्यिकी मंत्रालय के 7.6 फीसद के अनुमान से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि निकट अवधि में भारत की संभावनाओं के बारे में आशावादी होने के कई कारण हैं। नागेश्वरन ने कहा, 'अगर चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े उस गति से बहुत कम नहीं होते हैं, जो हमने पहली तीन तिमाहियों में देखे हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.6 फीसद के बजाय आठ फीसद के करीब रहेगी।' उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.6 फीसद रहने का अनुमान जताया है।

घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री फरवरी में 11 फीसद बढ़ी

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री फरवरी में सालाना आधार पर 11 फीसद बढ़ी। उद्योग निकाय सियाम ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि स्पोर्ट यूटीलिटी वाहनों (एसयूवी) की बाजार पर पकड़ बरकरार है। आटो कंपनियों ने पिछले महीने डीलरों को कुल 3,70,786 यात्री वाहन भेजे, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 3,34,790 इकाई था।

आदिवासी बाहुल नंदुरबार में राहुल गांधी ने

जातिगत गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का वादा किया

मुंबई, 12 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो वह जातिगत गणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी तथा भाजपा नीत शासन में 'कमजोर' हुए वन अधिकार अधिनियम को भी मजबूत करेगी।

'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद आदिवासी-बहुल नंदुरबार जिले में उन्होंने कहा कि भारत की आबादी में आदिवासियों की आठ फीसद हिस्सेदारी है और कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें विकास में उनकी जनसंख्या के अनुरूप हिस्सा मिले।

उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार 50 फीसद से अधिक आदिवासी आबादी वाले गांवों को 'संविधान की छठी अनुसूची' में शामिल करेगी, ताकि स्थानीय स्तर के फैसले आदिवासियों की सहमति के बिना लागू नहीं किए जा सकें।

गांधी ने कहा, 'जब हम सत्ता में आएंगे, तो कांग्रेस देशभर में जातिगत गणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी। यह एक क्रांतिकारी कदम होगा... हमारे पास प्रत्येक जाति और जनसंख्या में उसके प्रतिनिधित्व का सटीक आंकड़ा होगा।'

नाराजगी भोपाल में मंगलवार को शिक्षण कार्य के इच्छुक उम्मीदवारों ने भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

रुपया तीन पैसे की गिरावट के साथ 82.78 प्रति डालर पर

मुंबई, 12 मार्च (भाषा)।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को डालर के मुकाबले रुपया तीन पैसे की गिरावट के साथ 82.78 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ। प्रमुख वृहद आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से पहले बाजार प्रतिभागियों ने सतर्कता बरती। बाजार सूत्रों ने कहा कि डालर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण भारतीय रुपए में मामूली गिरावट आई। हालांकि, सकारात्मक घरेलू बाजारों और पिछले तीन सत्रों में निरंतर विदेशी कोषों के प्रवाह ने रुपए को निचले स्तर पर समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.74 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के दौरान इसने 82.74 प्रति डालर के निचले स्तर और 82.72 प्रति डालर के उच्च स्तर को छुआ। कारोबार के अंत में डालर के मुकाबले रुपया दो पैसे की गिरावट के साथ 82.78 प्रति डालर (अस्थायी) पर बंद हुआ। सोमवार को रुपया आठ पैसे की गिरावट के साथ 82.75 प्रति डालर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.01 फीसद की गिरावट के साथ 102.85 रह गया।

योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के एक सप्ताह बाद

चार नए मंत्रियों को विभाग आबंटित

लखनऊ, 12 मार्च (भाषा)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में चार नए मंत्रियों को शामिल करने के एक हफ्ते बाद मंगलवार को उन्हें विभाग आबंटित कर दिए।

सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि भाजपा नीत राजग में शामिल हुए सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण, हज और मुस्लिम वक्फ विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दारा सिंह को जेल विभाग दिया गया है।

उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक सुनील शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स और राजग के घटक रालोद के कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। विभागों के बंटवारे में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति के पास से जेल विभाग हटाकर दारा सिंह चौहान को दिया गया है और अब प्रजापति के पास नागरिक सुरक्षा विभाग का दायित्व रहेगा। इन सभी को पांच मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई थी।

राजग के घटक दल सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर गाजीपुर जिले के जहूराबाद से विधायक हैं, वहीं रालोद के अनिल कुमार पुरकाजी से विधायक हैं। दारा सिंह चौहान भाजपा के विधान परिषद सदस्य हैं और सुनील शर्मा गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद से विधायक हैं और 2022 के चुनाव में उप्र में सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले विधायक हैं। योगी ने 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला था। उनके नेतृत्व वाले वर्तमान मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 22 कैबिनेट मंत्री हैं तथा 14 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 20 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में फिलहाल अधिकतम 60 मंत्रियों की सीमा के भीतर 56 सदस्य हैं। राजभर और चौहान अति पिछड़ा वर्ग, अनिल कुमार अनुसूचित जाति और सुनील शर्मा ब्राह्मण हैं। राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद 16 जुलाई 2023 को राजग में अपनी वापसी की घोषणा की थी।

राजभर ने 2017 में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन बाद में उनके रिश्ते खराब हो गये और उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। राजभर ने 2022 में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पिछले वर्ष सपा से गठबंधन तोड़कर पुनः राजग का हिस्सा बन गये।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पहली सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने

भोजशाला में हिंदुओं ने मनाया जश्न, हनुमान चालीसा का पाठ किया

धार, 12 मार्च (भाषा)।

मध्य प्रदेश के धार में मध्यकालीन युग की संरचना भोजशाला को लेकर अदालत के फैसले पर मंगलवार को हिंदू संगठनों के सदस्यों ने परिसर में जश्न मनाया। लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं, मुसलिम समुदाय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गत सोमवार को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को छह सप्ताह के भीतर भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। भोजशाला परिसर पर हिंदू और मुसलिम, दोनों अपना दावा करते हैं। एएसआइ द्वारा संरक्षित 11वीं सदी के स्मारक भोजशाला को हिंदू वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर मानते हैं। जबकि, मुसलिम समुदाय के लोग इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। सात अप्रैल, 2003 को एएसआइ द्वारा की गई एक व्यवस्था के अनुसार, हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं। जबकि, मुसलिम शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं।

भोज उत्सव समिति के नेता अशोक जैन ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को लोगों ने भोशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया। भोज उत्सव समिति के महासचिव सुमित चौधरी ने कहा कि एएसआइ सर्वेक्षण की लंबे समय से की जा रही मांग को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए सिडबी ऋण योजना शुरू

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि जन औषधि केंद्रों के संचालकों के लिए सिडबी की ऋण सहायता योजना इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने और मजबूती देने में मददगार साबित होगी। मांडविया ने ऋण सहायता योजना और इसके लिए एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत करने के बाद कहा कि जन औषधि केंद्र के छोटे संचालकों को बिना किसी गारंटी के सिडबी से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिडबी की इस योजना से जन औषधि केंद्र के संचालकों को कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी। ऐसे कर्ज पर गारंटी, चाहे कार्यशील पूंजी हो या सावधि ऋण को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसइ) की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है।

दुविधा

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा

आंकड़ों की कमी से किसानों की आय का पता लगाना मुश्किल

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं, इसका पता लगाने के रास्ते में कृषकों और अन्य स्रोतों से उनकी आय को लेकर आंकड़ों की कमी बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान गैर-कृषि स्रोतों से अधिक कमाई कर रहे हैं।

रमेश चंद ने यह भी कहा कि कृषि वस्तुओं की कीमतें किसी कानून के जरिए तय नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव हैं। यह न तो कृषि क्षेत्र और न ही किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा, 'सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था ताकि हम इसके लिए और अधिक प्रयास करें। इस लक्ष्य के हिसाब से हम कहां हैं, इसका आकलन करने की जरूरत है, लेकिन आवश्यक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है।'

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली

रमेश चंद ने यह भी कहा कि कृषि वस्तुओं की कीमतें किसी कानून के जरिए तय नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव हैं। यह न तो कृषि क्षेत्र और न ही किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा, 'सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था ताकि हम इसके लिए और अधिक प्रयास करें। इस लक्ष्य के हिसाब से हम कहां हैं, इसका आकलन करने की जरूरत है, लेकिन आवश्यक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है।'

सरकार ने 2016 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों के बारे में सुझाव देने को लेकर अप्रैल, 2016 में अंतर-मंत्रालयी समिति बनाई गई थी। समिति ने सितंबर, 2018 में अपनी रपट सौंपी। सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद सरकार ने प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक 'अधिकार प्राप्त निकाय' की स्थापना की है। इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए, चंद ने कहा, 'हमारे पास किसानों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं है...क्योंकि जब आप किसानों की आय की गणना करना चाहते हैं, तो आपको आंकड़े चाहिए।' जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री ने कहा कि सरकार के पास 2018-19 के बाद गैर-कृषि स्रोतों से किसानों को होने वाली आय का आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि 2018-19 में छोटे और सीमांत किसान गैर-कृषि स्रोतों से अधिक कमाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'अगर हमारे पास वह आंकड़ा होगा, तभी यह स्पष्ट होगा कि क्या हमने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है या नहीं।'

विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की विभिन्न किसान संगठनों खासकर पंजाब के कृषकों की मांग से जुड़े सवाल के जवाब में चंद ने कहा कि अगर कृषि वस्तुओं की कीमतें कानूनी रूप से तय की जा सकती, तो किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कोशिश में जुटे कई देशों ने इसे कानूनी रूप दे दिया होता। उन्होंने कहा, 'कीमतें कानूनी तौर पर तय नहीं की जा सकतीं। इससे विभिन्न तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं...इसके काफी गंभीर प्रभाव होंगे। यह कृषि क्षेत्र या किसानों के हित में भी नहीं हैं।'

सोना 50 रुपए टूटा, चांदी में 400 रुपए की तेजी

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 66,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 66,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमत 400 रुपए की मजबूती के साथ 75,900 रुपए प्रति किग्रा पर बंद हुई।

www.readwhere.com

सार्वजनिक सूचना

HeroHousing Finance

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, अपनी शाखाओं को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित पते पर स्थित इसकी शाखा **14 जून 2024** से प्रभावी, बंद कर दी जाएगी

सी-120, द्वितीय तल, सेक्टर-02, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त शाखा के बंद होने से कंपनी के ग्राहकों की सेवा पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा

किसी भी अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करें:
customer.care@herohfl.com, टोल फ्री नंबर: 18002128800

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 9, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
CIN : U65192DL2016PLC301481

प्रपत्र सं. यूआरसी-2
अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र में रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि **रिचटर रेजिलिएन्स एलएलपी**, एलएलपी को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित धातुओं, अभियांत्रिकी उत्पादों, डम्पिंग उपकरणों, इंजीनियर्ड उत्पादों, ल्युब्रिकेन्ट्स, रसायनों अथवा किसी अन्य मिश्रण, डेरिवैटिव्स तथा उसके कम्पाउण्ड्स, रबड़ एवं पैन्ट्स, डेवी एवं लाइट केमिकल्स का निर्माण, उत्पादन, शोधन, प्रसंस्करण, निर्माण, अर्जण, रूपांतरण, बिक्री, वितरण, आयात, निर्यात, प्रधान अथवा एजेन्ट्स के रूप में व्यवसाय करना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 231, **एफआईई, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली**-110092 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिनकोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

आज, दिनांक 12 मार्च, 2024 को।
स्थान दिल्ली
राजेश अम्बानी
पदनामित पार्टनर
DPIN: 02197692

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

Aavas Financiers

(पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा करायें अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार साम्पिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
धीरेंद्र कुमार, मूलचंद सुमन, मीना देवी खाता सं. LNLKO03422-230284530	12 मार्च 2024 ₹ 6426922/- 11 मार्च 2024	प्लाट नं. 9डी गाटा नं. 327 का मिनजुमला हिस्से पर बना मकान, ग्राम तिवारीपुर, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ क्षेत्रफल 1800 वर्ग. फीट

स्थान : जयपुर दिनांक 13.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालयः 31, जेल चुंगी, मेरठ — डिमांड नोटिस

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) तहत मांग सूचना

एतद्दवारा एक नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों ने हमारे द्वारा उनके अनुरोध पर उन्हें दी गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और उक्त सुविधाएं गैर-निष्पादित संपत्ति बन गई हैं। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस उधारकर्ताओं/गारंटरां को उनके अंतिम उपलब्ध पते पर जारी किया गया था। हालाँकि, या तो नोटिस बिना डिलीवर हुए वापस आ जाते हैं या उनकी पावती प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण	एनपीए की तिथि / मांग नोटिस की तिथि / बकाया राशि
1.	**शाखा: देवबंद** **ऋणी:** श्री सुमित शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण, पताः मकान नं0 27, रेलवे रोड, दूधा देवबंद, जिला-सहारनपुर। **गारन्टरः** श्री हिमांशु शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार, पताः मौहल्ला- रविदास मार्ग, देवबंद (3080)।	बंधक आवासीय मकान (भूमि एवं भवन), स्थित मौहल्ला- दुधा, देवबंद, जिला- सहारनपुर, माप क्षेत्रफल 39.27 वर्ग मीटर। सम्पत्ति स्वामी श्री सुमित शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण शर्मा। सीमाएँ:- उत्तरः श्री लक्ष्मी नारायण, शर्मा की गैलरी फिर श्री भूषण का मकान, दक्षिणः श्री सुदामा का मकान, पूर्वः श्रीमती तारो सैनी का मकान, पश्चिमः 15 मीटर चौड़ा रास्ता।	29.12.2023 08.01.2024 रू0 12,09,962.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे

हम उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों से आह्वान करते हैं कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें, ऐसा न करने पर हम वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 का प्रवर्तन।

दिनांक–12.03.2024 स्थान– मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

भारतीय स्टेट बैंक बनाम राम लाल गुप्ता

(मैसर्स श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर)
आईबीसी, 2016 की धारा 99 के तहत रिपोर्ट दाखिल करने की सूचना
सी.पी. (आईबी) सं. (IB)-697(PB)/2022 **में**

जबकि, माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-12-2023 के तहत अधोहस्ताक्षरी को विषय के मामले में संकल्प पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया है और आईबीसी 2016 की धारा 99 के तहत अपनी रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
अधोहस्ताक्षरी ने आईबीसी 2016 की धारा 99 के तहत अपनी रिपोर्ट तैयार की है जिसे माननीय एनसीएलटी के समक्ष दायर किया जाएगा। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18.03.2024 है और राम लाल गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, अधोहस्ताक्षरी fcapankajgupta2011@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-
पंकज कुमार गुप्ता
(समाधान पेशेवर)
12.03.2024

भारतीय स्टेट बैंक बनाम अमर चंद गुप्ता

(मैसर्स श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर)
आईबीसी, 2016 की धारा 99 के तहत रिपोर्ट दाखिल करने की सूचना
सी.पी. (आईबी) सं. (IB)-666(PB)/2022 **में**

जबकि, माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-12-2023 के तहत अधोहस्ताक्षरी को विषय के मामले में संकल्प पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया है और आईबीसी 2016 की धारा 99 के तहत अपनी रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
अधोहस्ताक्षरी ने आईबीसी 2016 की धारा 99 के तहत अपनी रिपोर्ट तैयार की है जिसे माननीय एनसीएलटी के समक्ष दायर किया जाएगा। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18.03.2024 है और श्री अमर चंद गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, अधोहस्ताक्षरी fcapankajgupta2011@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-
पंकज कुमार गुप्ता
(समाधान पेशेवर)
12.03.2024

भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज कुमार गुप्ता

(मैसर्स श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर)
आईबीसी, 2016 की धारा 99 के तहत रिपोर्ट दाखिल करने की सूचना
सी.पी. (आईबी) सं. (IB)-698(PB)/2022 **में**

जबकि, माननीय एनसीएलटी प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-12-2023 के तहत अधोहस्ताक्षरी को विषय के मामले में संकल्प पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया है और आईबीसी 2016 की धारा 99 के तहत अपनी रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
अधोहस्ताक्षरी ने आईबीसी 2016 की धारा 99 के तहत अपनी रिपोर्ट तैयार की है जिसे माननीय एनसीएलटी के समक्ष दायर किया जाएगा। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18.03.2024 है और श्री राज कुमार गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, अधोहस्ताक्षरी fcapankajgupta2011@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-
पंकज कुमार गुप्ता
(समाधान पेशेवर)
12.03.2024

केन फिन होम्स लिमिटेड

CanFin Homes Ltd

डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पारस सिनेमा, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
फोन: 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108
ईमेल: delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A [नियम 8 (6) के परंतुक देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्यामूत लेनदार के पास प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा **केन फिन होम्स लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्रीमती गीता गर्ग (कर्जदार), श्री दीपक गर्ग (सह–कर्जदार), श्री केशव चंद (गारंटर)** की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की **12.03.2024** तक बकाया राशि **रु. 28,06,000/– (रूपये अठाईस लाख छः हजार मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **17.04.2024** को **"जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु. 21,50,000/– (रुपए इक्कीस लाख पचास हजार मात्र)** तथा धरोहर राशि जमा **रु. 2,15,000/– (रुपये दो लाख पंद्रह हजार मात्र)** होगी।

अचल संपत्ति का विवरण
फ्लैट नंबर– एफ–3, प्रथम तल, प्लॉट नंबर–एफ–81, ब्लॉक–एफ, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली–110095, क्षेत्रफल 27.87 वर्ग मीटर)
उत्तरः सड़क दक्षिणः प्लॉट नंबर–एफ–82
पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः सड़क

ज्ञात भारः शून्य
बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट **(https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx).** उपलब्ध कराई गई हैं।
ई–निलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.bankeauctionwizard.com

दिनांक : 12.03.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली केन फिन होम्स लि.

केन फिन होम्स लिमिटेड

CanFin Homes Ltd

प्रथम तल, एससीओ 2, सैक्टर 9, हुडा मार्किट, करनाल, हरियाणा–132001, E-mail : karnal@canfinhomes.com, टेलि. : 0184–2231555, 7625079210,
CIN:L85110KA1987PLC008699

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **04.01.2024** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री नरसी राम पुत्र श्री बचना राम, श्रीमती विजय लक्ष्मी पुत्री श्री नरसी राम और** (गारंटर) **श्रीमती बबली पत्नी श्री नरसी राम** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु. 5,11,724/– (रुपये पाँच लाख ग्यारह हजार सात सौ चौबीस मात्र)** उस पर आगे ब्याज, व्यय तथा अन्य प्रभारो के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों, और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **11 मार्च 2024** को प्राप्त कर लिया है।
सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड की बकाया राशि **रु. 5,11,724/– (रुपये पाँच लाख ग्यारह हजार सात सौ चौबीस मात्र)** और उस पर आगे ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
नर कटारी रोड, दरोनाचार्य स्कूल के पास, खेवट नंबर 18, खतौनी नंबर 31 से 34, किट्ठा 15, खेवट नंबर 19, खतौनी नंबर 35 और 36, किट्ठा 3, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा–136118 में स्थित भूमि के सभी हिस्से और पार्सल. जिसकी माप 126.66 वर्ग गज में निर्मित है।
चौहद्दी निम्नानुसार है:–
उत्तर – 38 फीट, गली दक्षिण – 38 फीट, भूखंड का शेष भाग
पूर्व – 30 फीट, दूसरे मालिक का प्लॉट पश्चिम – 30 फीट, दूसरे मालिक का प्लॉट

हस्ता./-
तिथि : 12.03.2024 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : करनाल **केन फिन होम्स लिमिटेड**

ई–नीलामी अचल संपत्ति बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट–IV-A) (नियम 8(6))

Sale of Immovable Properties

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉटनंबर 98, उद्योग विहार, फेज–4, गुरूग्राम–122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालय "5वीं मंजिल, एल्डिको कॉर्पोरेट चौंबर्स–1,, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010" के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(इसमें आगे"अधिनियम"कहा गया है) के तहत।जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल– एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है जहा है एवं जैसी है जो है आधार" पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाइट :**www.iiflonehome.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

कर्जदार(ओ)/सह–कर्जदार(ओ)/गारंटर(ओ)	मंग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	भौतिक कब्जे की तिथि	सुरक्षित मूल्य
1.श्रीमान कैलाश कुशवाह 2.श्रीमती –पूनम कुशवाह (प्रॉस्पेक्ट नंबर 873137)	04–अक्टुबर–2021 रु.9,28,499/– (नौ लाख अट्ठाईस हजार चार सौ निन्यानवे रुपये मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल, खसरा नंबर 30 पर प्लॉट, क्षेत्रफल 65.055 वर्ग मीटर, वार्ड फैजुल्लागंज, ग्राम गोरभीट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिनकोड: 226001,	08–मार्च–2023 दिनांक 05–जन–2024 तक कुल बकाया रु. 12,88,356/– (बारह लाख अट्ठासी हजार तीन सौ छप्पन रुपये मात्र)	रु.4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु 40,000/–(रुपए चालीस हजार मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
22 मार्च 2024 1100 बजे–1400 बजे	26 मार्च 2024 अप. 5 बजेतक	28 मार्च 2024 1100 बजे–1300 बजे

भुगतान की विधि : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भुगतान करने के लिए आप **https://www.iiflonehome.com** पर जाएं और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करें।
नोट : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष
भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आपको भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। खाता विवरण निम्नानुसार है : क) खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, ग) खाता नंबर : 9902879 प्रॉस्पेक्ट नंबर द्वारा अनुसरित, घ) आईएफएससीकोड :– एससीबीएल0036001 ञ) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई–400001

नियम और शर्तें :–
1. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना विवरण सेवा प्रदाता **https://www.iiflonehome.com** के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइनआईडी और पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना"निविदा फार्म" ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी तथा पैनकार्ड की प्रति के साथ उपरि वर्णित शाखा कार्यालय में जमा/प्रेषित करना होगा।
2. बोलीदाता अपनी ऑफर कालम" बोलीवृद्धि राशि" में वर्णितराशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिड आने पर समाप्तिका समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोलीराशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एओ द्वारा बोलीमूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के भीतर और बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि प्रतिभूतलेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी।सभी जमा और भुगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।
4. खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागूस्टाम्प ड्यूटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसेकि म्युनिसिपलकर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।
5. बोलीदाताओं कोई–नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** तथा **https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction** देखने की सलाह दी जाती है।
6. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवाप्रदाता की ई–मेल आईडी : नबजपवदीस/पपसिण्ववउ सपोर्ट हेल्पलाइननंबर : /1800 2672 499पर सम्पर्क करें।
7. किसी सम्पत्ति विवरण, सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिड इत्यादि के संबंध मेंपूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल टोल फ्रीनंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच 09.30 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई–मेल : **auction.hl@iifl.com** को मेल लिखें।
8. एतद्द्वारा उपरोक्त कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि भौतिक कब्जा लेते समय प्रतिभूत आस्ति में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के भीतर हटा लें, अन्यथा आईआईएफएल एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सम्पत्ति की किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नही होगी।
9. एतद्द्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर ने में चूक की स्थिति में उनको विधि सम्मतढंग से बेचा जाएगा।
10. सफल बोलीदाता/नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति की बिक्री दोबारा की जाएगी।
11. एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी स्थगित/निरस्त करने या नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार को अधिसूचित किया जाता है कि उपरि वर्णित राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साथ निविदा/नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति बेची/नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : कानपुर तिथि : 13–मार्च–2024 हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD.

CIN - U67100MH2007PLC174759
Edelweiss House, Off C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098.
Edelweiss — Ideas create, values protect

PUBLIC NOTICE

Oriental Trimex Limited **("Borrower")** and Mr. Rajesh Punia and Mrs. Savita Punia **("Promoters/Guarantors")** had availed financial facilities/loans from Jammu & Kashmir Bank Ltd **[J&K Bank]**. As security towards the loans, the Borrower created a mortgage/charge in favour of J&K Bank over its assets situated at Greater Noida, Uttar Pradesh, Mouza Chinnamore, District Hoogly, West Bengal and Gummidipoondi, Chennai. The said mortgage/charge was created by deposit of title deeds. Similarly, the Promoters/Guarantors created a charge/mortgage in favour of J&K Bank over their asset situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi by deposit of title deeds.

The present notice is issued by Edelweiss Asset Reconstruction Company Ltd **("EARC")** being the assignee of the loans/financial facilities availed by the Borrower and Promoters/Guarantors from J&K Bank and the loans availed by the Borrower from State Bank of India **[SBI]** and IDBI Ltd (Since assigned to Asset Reconstruction Company of India Limited). Pursuant to assignment of debt, J&K Bank handed over to EARC the documents of title deposited with them at the time of creation of mortgage.

The public at large are informed that the following documents of title which were in the custody of EARC have been lost/ misplaced. EARC has filed a complaint with police authorities with respect to loss of original title deeds and a certificate regarding the same has been issued.

Sr. No.	Description of Title Deeds
Asset at Gummidipoondi, Chennai	
1	Copy of Lease Deed dated 28.05.1990 bearing reference/registration no 1064/2008, executed by SIPCOT favouring Uniqshine Granite Pvt Ltd
Asset at Noida, Uttar Pradesh	
2	Original Lease Deed dated 27.06.2001 bearing registration no 4382, executed by UPSIDC in favour of Oriental Trimex Private Limited
3	Original Agreement dated 09.03.1999 executed by UPSIDC in favour of Oriental Trimex Private Limited
4	Original Permission to mortgage dated 30.06.2001 issued by UPSIDC
5	Original allotment letter dated 11.01.1999 issued by UPSIDC
Asset at District Hoogly, West Bengal	
6	Original Deed of Conveyance dated 31.07.2009 executed between M/s Pashupati Food Products Limited and Oriental Trimex Private Limited
7	Copy of Lease Deed bearing no. 2738, dated 25.02.1993
8	Attested copy of Deed of Surrender of Lease bearing no. 01137, dated 22.07.2009
9	Copy of Conveyance of land dated 06.01.1995
10	Copy of receipt no 0606022IF, dated 02.06.2009 issued by Pradhan, Begdanga-Chhinamore Gram Panchayat
Asset at Old Rajinder Nagar, New Delhi	
Documents of Smt. Savita Punia	
11	Certified/True Copy of Lease Deed dated 30.06.1965
12	Certified/True Copy of Release Deed dated 07.04.2000
13	Original Sale Deed bearing Registration No 2013 Vo 10221 dated 23.04.2001
14	Copy of Conveyance Deed dated 31.12.1999
15	Original Sale Deed bearing Registration No 4812 Vo 10100 dated 24.10.2000
16	Copy of Conveyance Deed dated 25.07.2000
17	Original Agreement dated 01.12.1989
18	Original Agreement to Sell bearing Registration No 7851 Vol 6530
19	GPA dated 11.03.1999
20	GPA dated 21.10.2000
21	GPA dated 17.10.2000
22	GPA dated 10.03.1999
23	GPA dated 29.09.1989
24	Copy of GPA dated 19.05.1989
25	Copy of Sale Deed dated 30.03.1989
26	Copy of Lease Deed dated 08.03.1972
27	Copy of Deed of Conveyance of building 08.03.1972
Documents of Shri Rajesh Punia	
28	Original Sale Deed dated 30.12.2008 bearing Registration No 9708 Vol 13053
29	Original Sale Deed dated 02.06.2001bearing Registration No 3505 Vol 10291
30	Copy of Conveyance Deed dated 25.07.2000
31	Copy of Sale Deed dated 30.03.1989
32	Copy of Lease Deed dated 08.03.1972
33	True Copy of Conveyance Deed dated 08.03.1972
34	Original Sale Deed dated 17.11.2006 bearing Registration No 7491 Vol 12152
35	Original Sale Deed dated 20.06.1997 bearing Registration No 3605 Vol 9489
36	Original Agreement for Sale dated 07.07.1989
37	Copy of Sale Deed dated 30.03.1989
38	GPA dated 07.07.1989
Asset at Mouza Telagadia, Orissa	
39	Original Sale Deed dated 31.12.2003 bearing Registration No 8413, Vol 2
40	Original Encumbrance Certificate dated 05.08.2010 by Sub Registrar, Balasore
41	Original Registered Lease Deed No. 308 dated 09.08.1989
42	Original Registered Lease Deed No. 1488 dated 22.03.1991
Asset at Somnathpur, Orissa	
43	Original Lease Deed Regd No 2829 dated 09.08.2005 from OIIDC
44	Original Agreement for sale of immovable assets dated 17.03.2003
45	Original letter permission to mortgage from OIIDC favouring J&K Bank

Sd/-
Authorised Officer

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मिड कार्पोरेट सैंटर, जम्मू, जोनल ऑफिस अमृतसर, ई-मेल : mcc8101@pnb.co.in
(रिवाइज्ड-SI-4)
01.02.2024

कर्जदार/जामन को 60 दिनों का नोटिस

कर्जदार/सह-कर्जदार	जामन/मोर्टगेजर
मैसर्स शुहूल मोटर्स प्राइवेट

डार्नियर विमान के जरिए नौसेना ने लक्षद्वीप में मरीज तक पहुंचाई सहायता

नई दिल्ली, 12 मार्च (ब्यूरो)

बीते 11 और 12 मार्च की मध्यरात्रि के बीच भारतीय नौसेना ने अपने डार्नियर विमान के जरिए लक्षद्वीप के अगात्ती द्वीप से एक मरीज को इलाज के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में मदद की है। नौसेना ने बताया कि बल की दक्षिणी कमांड को स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस बाबत मदद के लिए एक अनुरोध किया गया था। इसके बाद कोच्चि के आइएनएस गरुड़ नौसैन्य अड्डे से डार्नियर विमान ने उड़ान भरी और मरीज को एयरलिफ्ट कर आगे के इलाज के लिए कोच्चि पहुंचाया।

टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार]

सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएफएसएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग लोअर परेल, मुंबई-400013 और अन्य स्थानों में एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली ('शाखा') में है, 01.01.2024 से टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) में विलय कर चुकी हैं।

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत टाटा कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा मांग सूचना की तिथि से उस पर ब्याज और दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	भौतिक कब्जे की तिथि
79006 17 तथा जीईसीएल ऋण खाता सं. TC FLA0 37000 00108 74200	1. मैसर्स गर्वित कम्युनिकेशन, इसके प्रोपराइटर ललित रहेजा के माध्यम से, दुकान नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282002, 2. ललित रहेजा, पुत्र मनोहर लाल रहेजा फ्लैट जी-1, ग्राउंड फ्लोर, शिव अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज-II, प्लॉट नंबर 52, खसरा नंबर 317/16, कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश-282003 मोबाइलः 9719511179 इसके अलावाः पानी की टंकी के पास, 29/291 कटरा हाजी हसन, काला महल, आगरा, उत्तर प्रदेश-282003, 3.मनोहर लाल रहेजा, पुत्र महोहर लाल रहेजा फ्लैट जी-1, ग्राउंड फ्लोर, शिवा अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज- कक्ष प्लॉट नंबर 52, खसरा नंबर 317/16, कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश-282003, यहां भीः 29/291/1, कटरा हाजी हसन काला महल, आगरा, उत्तर प्रदेश-282003 इसके अलावा पताः 37/115, हकीम गली, बेलनगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001	रु. 4347294/- तथा 08.12.2023	11.03.2024

अनुसूची-ए संपत्ति नंबर 1: फ्लैट नंबर जी-1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 52 पर निर्मित, भूमि खसरा नंबर 317/16, क्षेत्रफल 66.17 वर्ग मीटर, शिवा अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज>, हरीपर्वत वार्ड, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित, विशेष रूप से बिक्री विलेख दिनांक 03.08.2016 में वर्णित है, ललित रहेजा के पक्ष में निष्पादित। संपत्ति नंबर 2: मकान नंबर जी-1 का हिस्सा, भूतल, प्लॉट नंबर 52 पर निर्मित, भूमि खसरा नंबर 317/16, क्षेत्रफल 54.07 वर्ग मीटर, शिवा अपार्टमेंट, शुभम विहार, फेज-ii, हरीपर्वत वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित, विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2016 में विशेष रूप से वर्णित, ललित रहेजा के पक्ष में निष्पादित

TCFL A0370 00001 11041 02	1. मेसर्स राजावत इंटरप्राइजेज अपने मालिक की दुकान नंबर 2 नगर निगम मार्केट, डैम्पियर नगर, मथुरा - 281001 के माध्यम से 2. तृप्ति सिंह पत्नी स्वर्गीय गौरव सिंह 106, कृष्णा पैराडाइज -2, मयूर विहार, मथुरा - 281001 मोबाइलः 9758177777 3. स्वर्गीय गौरव सिंह पुत्र माखन सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी, 106, मयूर विहार कॉलोनी, थाना सदर बाजार मथुरा (यूपी) - 281001	रु. 32,73,700/- तथा 08.12.2023	11.03.2024

अनुसूची-ए फ्लैट नंबर 108, ऊपरी भूतल, संपत्ति का क्षेत्रफल 86.95 वर्ग मीटर, श्री कृष्ण पैराडाइज के नाम से मशहूर इमारत में स्थित, परिसर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैंटोनमेंट बोर्ड सर्वे नंबर 221, मोहल्ला - मुहाल - वरामद, छावनी, मयूर विहार, तहसील और जिला मथुरा - 281004. सीमाएंः पूर्वः मार्ग पश्चिमः खुला स्थान उत्तरः फ्लैट नंबर 109 दक्षिणः फ्लैट नंबर 107

तिथि : 13.03.2024, ह./-अधिकृत प्राधिकारी

स्थान : आगरा एवं मथुरा कृते टाटा कैपिटल लिमिटेड

हम राष्ट्र निर्माण के लिए विकास कार्य करते हैं, न कि चुनाव जीतने को : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के अपने मिशन के तहत विकास कार्य करती है, न कि चुनाव जीतने के लिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले, गुजरात के अहमदाबाद शहर के साबरमती इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के लिए 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो देश अपनी विरासत को संजोकर नहीं रखता, उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है।

इससे पहले उन्होंने परिसर के पास डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) आपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पण वाली परियोजनाओं में 10 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत समेत 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं तथा गुजरात में भरूच जिले के दहेज में 20,600 करोड़ रुपए के निवेश वाली पेट्रोकेमिकल्स परिसर परियोजना शामिल है।

मोदी ने कहा कि कुछ लोग हमारे प्रयासों को चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम राष्ट्र निर्माण के मिशन के तहत विकास कार्य करते हैं, न कि (चुनाव जीतकर) सरकार बनाने के लिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को वह कष्ट न सहना पड़ें जो उनसे पहले की पीढ़ियों को झेलने पड़े। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि 10 वर्ष में उनकी सरकार ने रेलवे के विकास पर पहले की तुलना में लगभग छह गुना अधिक राशि खर्च की है।

अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम के उद्घाटन के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया।

मोदी ने कहा कि 2024 के केवल दो महीनों में, हमने 11 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में रेलवे क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास के बजाय ह्यराजनीतिक उद्देश्योंह्न को प्राथमिकता दी। मोदी ने कहा कि पहले रेल मंत्री जब ट्रेन के रुकने के स्थानों की संख्या या डिब्बों की संख्या बढ़ाने की घोषणा करते थे तो सांसद संसद में तालियां बजाया करते थे। तब यही सोच थी। अगर 21वीं सदी में भी यही रवैया बना रहता तो क्या होता? इसीलिए मैंने सबसे पहला काम यह किया कि रेल बजट को मुख्य केंद्रीय बजट में मिला दिया जाए ताकि रेलवे के विकास के लिए केंद्र की निधि उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पहले रेलगाड़ियां का स्टेशन पर देरी से पहुंचना बहुत आम बात थी और सब कुछ यात्रियों के भाग्य पर छोड़ दिया जाता था।

सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कार्ययोजना जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश के प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंगलवार को एक राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की है ताकि उसके कारण होने वाली अपंगता एवं मौतें 2030 तक घटाकर आधी की जा सके। राष्ट्रीय सर्पदंश जहर रोकथाम एवं नियंत्रण कार्ययोजना (एनएपीएसई) के तहत परीक्षण के आधार पर पांच राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, पुदुचेरी, मध्यप्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जाएगा और उस नंबर पर सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति या समुदाय को तत्काल सहायता, मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य चिकित्सा देखभाल शीघ्र मुहैया कराना तथा आम लोगों के बीच इस बारे में सूचनाओं का प्रसार करना है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्र द्वारा जारी एनएपीएसए के अनुसार सर्पदंश से होने वाली अधिकतर मौतों एवं अन्य घातक प्रभावों को सुरक्षित एवं प्रभावी जहर विरोध दवा की शीघ्र उपलब्धता, समय से चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने की सुविधा किया जा सकता है। एनएपीएसई राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों एवं संबंधित पक्षों के लिए एक ऐसा मार्गदर्शिका दस्तावेज है, जिसकी मदद से वे अपनी जरूरतों के हिसाब से विशिष्ट कार्ययोजना बना सकते हैं। इसका लक्ष्य सर्पदंश रोधी दवाइयों की निरंतर उपलब्धता, क्षमता निर्माण, जरूरत के हिसाब से अन्यत्र भेजने की परामर्श व्यवस्था के जरिए सर्पदंश के जोखिम को कम किया जाना है।

किसान आंदोलन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 12 मार्च (ब्यूरो)।

भाजपा नेता नंदकिशोर गर्ग के द्वारा किसान आंदोलन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता को किसान आंदोलन के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट के इनकार किए जान के बाद भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जैसे ही इस मामले में दखल देगा तो हाईकोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा तो इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता चंडीगढ़ से कुछ दूरी पर है इसीलिए वह हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं।

'कानून स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कहता कि खनिज पर कर लगाने का अधिकार केवल संसद के पास'

नई दिल्ली, 12 मार्च (एजंसी)।

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि कानून स्पष्ट शब्दों में यह क्यों नहीं कहता कि केवल संसद के पास ही खनिजों पर कर लगाने की शक्ति है और राज्यों को इस तरह की वसूली करने का अधिकार नहीं है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या उनकी यह दलील है कि संघ एकरूपता लाने के लिए खनिजों पर कर तय करता है, संविधान में निहित शक्ति के संघीय वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस मामले में अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई और बुधवार को भी जारी रहेगी।

संविधान पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश राय, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि कानून यह क्यों नहीं कहता कि यह वह कर है जो संघ वसूल करेगा और उस हद तक राज्य की शक्ति का हनन होगा या ऐसा कुछ? आपको इसे अनुमान के आधार पर क्यों कहना पड़ेगा।

मेहता ने अपनी दलीलों में कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआरए) की संपूर्ण संरचना खनिजों पर कर लगाने की राज्यों की विधायी शक्ति की सीमा से जुड़ी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक वांछनीय दलील है कि करों में एकरूपता के लिए केंद्र इसे तय कर सकता है और यह नीतिगत मामल है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह संविधान के तहत शक्ति के संघीय वितरण पर असर डालेगा।

उन्होंने कहा कि सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि 53 के तहत, राज्य सरकारें बिजली की बिक्री और खपत पर कर लगा सकती हैं और सूची 2 की प्रविष्टि 54 के तहत प्राकृतिक गैस के लिए भी यही बात लागू होती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि यह हमारे संविधान की योजना है कि विभिन्न राज्य बिजली की खपत पर या प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में अलग-अलग कर लगा सकते हैं।

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

शाखा कार्यालय : 621/38, डब्ल्यू 2 जूही कला, प्रथम तल, नीलम कॉम्प्लेक्स, कानपुर - 208027, निकट सचान गेस्ट हाउस, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010

सार्वजनिक सूचना - अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

ख्प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(5) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत,
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल सम्पत्ति/यों की बिक्री हेतु सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा आईएसएफसी (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 28-03-2024 (नीलामी की तिथि) को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित की गई है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी राशि युक्त सीलबंद लिफाफा आईएफएससी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 27-03-2024 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक शाखा/कार्पोरेट कार्यालय : शाखा कार्यालय : 621/38, डब्ल्यू 2 जूही कला, प्रथम तल, नीलम कॉम्प्लेक्स, कानपुर - 208027, निकट सचान गेस्ट हाउस, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) /कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक बकाया राशि	कब्जा का प्रकार (प्रलक्षित/ भौतिक के तहत)	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
LA11CLLONS000 005025525 & LA11CLLONS000 005035561/AP1004 1750 & AP10072292	1. श्री/श्रीमती बीनू रावत 2. श्री/श्रीमती शरद कुमार रावत 3. श्री/श्रीमती रीना सिंह	22-09-2022 रू. 20,35,201.43 (रूपए बीस लाख पैंतीस हजार दो सौ एक तथा पैसे तेतालीस मात्र) दिनांक 23-09-2022 तक बकाया	सांकेतिक कब्जा	रू. 17,00,000/- (रूपए सत्रह लाख मात्र)	रू. 1,70,000/- (रूपए एक लाख सत्तर हजार मात्र)
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट परिमाप 16 बिस्वांसी यानी 100 वर्ग गज, अराजी नंबर 205 का भाग, स्थित विनायकपुर, कानपुर, चौहद्दी - पूरब : अराजी नंबर 205 का भाग, पश्चिम : अराजी नंबर 205 का भाग, उत्तर : अराजी नंबर 206, दक्षिण : 30 फीट रास्ता					
HL11LILONS0000 05011688/AP10026 882	1. श्री/श्रीमती नीलम सिंह 2. श्री/श्रीमती रोहित शर्मा	20-07-2023 रू. 9,12,328.73 (रूपए नौ लाख बारह हजार तीन सौ अठ्ठाईस तथा पैसे तिहत्तर मात्र) दिनांक 17-07-2023 तक बकाया	सांकेतिक कब्जा	रू. 9,00,000/- (रूपए नौ लाख मात्र)	रू. 90,000/- (रूपए नब्बे हजार मात्र)
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति मकान नंबर 65/17-ए का दक्षिणी भाग, मोहल्ला गांधी ग्राम, परिमाप 56 वर्ग गज यानी 46.816 वर्ग मीटर, कानपुर नगर, चौहद्दी - पूरब : मकान नंबर 65/17-बी, पश्चिम : रोड 6.10 मीटर चौड़ी, उत्तर : मकान नंबर 65/17-ए का भाग, दक्षिण : मकान नंबर 65/17-ए का भाग					
HL11SHLONS000 005013761/AP1003 7099	1. श्री/श्रीमती सुशीला 2. श्री/श्रीमती रोहिणी 3. श्री/श्रीमती आशीष कुमार मिश्रा	12-01-2022 रू. 14,94,727.36 (रूपए चौदह लाख चौरानवे हजार सात सौ सत्ताईस तथा पैसे छत्तीस मात्र) दिनांक 31-01-2022 तक बकाया	सांकेतिक कब्जा	रू. 14,00,000/- (रूपए चौदह लाख मात्र)	रू. 1,40,000/- (रूपए एक लाख चालीस हजार मात्र)
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : श्री राम स्वरूप पुत्र श्री जगन की सम्पत्ति भूमि खसरा नंबर 299 रकबा 0.4960 हेक्टेयर, स्थित ग्राम भूहर परगना लखनऊ तहसील एवं जिला लखनऊ, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 46.468 वर्ग मीटर (500.17 वर्ग फीट) चौहद्दी - पूरब : राम स्वरूप की भूमि, पश्चिम : रोड 20 फीट चौड़ी, उत्तर : भूखंड सं. 82, दक्षिण : भूखंड सं. 82 बी					

नियम और शर्तें :

1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम और शर्तें शाखा कार्यालय : 621/38, डब्ल्यू 2 जूही कला, प्रथम तल, नीलम कॉम्प्लेक्स, कानपुर - 208027, निकट सचान गेस्ट हाउस, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 से प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।
2) अचल सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
3) उपरोक्त सम्पत्ति/यों के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी बोलियों/निविदाओं के साथ उपरिवर्णित अनुसार धरोहर राशि संलग्न करनी होगी। ईएमडी "इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में दिल्ली में देय होनी चाहिए। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि, नीलामी के बाद, वापस की जाएगी।
4) उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह है कि वह बोली देने हेतु कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उच्चतम बोली अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि प्रस्तावित राशि उसको स्वीकार करने हेतु अपर्याप्त प्रतीत होती है।
5) भविष्यलक्षी बोलीदाता भेंट का समय पूर्व निर्धारित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 25-03-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे तथा अप. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं।
6) सफल बोलीदाता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तत्काल पश्चात, क्रय रशि/उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि, जिसमें ईएमडी राशि सम्मिलित होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और इसके जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
7) उपरोक्तानुसार आरंभिक राशि जमा करने के बाद, क्रय राशि की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की बिक्री पुष्टि की तिथि से, उस दिन को छोड़कर, 15वें दिन को अथवा पूर्व, या 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्यदिवस को अदा करनी होगी।
8) उपरिवर्णित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चुकी राशि ईएमडी सहित इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे समाप्त माने जाएंगे।
9) उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि सांविधिक और अन्य बकाया जैसेकि बिक्री/सम्पत्ति कर, बिजली बकाया तथा सोसायटी बकाया की जांच/पुष्टि संबंधित विभागों/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी सम्पत्ति पर किसी बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेगी।
10) 1 प्रतिशत टीडीएस, यदि कोई, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि पर देय होगा। उच्चतम बोलीदाता को भुगतान कम्पनी के पैन में करना होगा तथा चालान की प्रति कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी।
11) बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन में और निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
12) सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कानून के अनुसार लागू सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुषंगी खर्चे वहन करने होंगे।
13) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्रास्थगित/स्थगित/निरस्त करने और बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।
14) इच्छुक बोलीदाता श्री सुधीर तोमर से मोबाइल नंबर +91 - 98184 60101 पर कार्यालय समय के दौरान (पूर्वा. 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक) सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को 15 दिन का बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदार/बंधकदाता/गारंटरों को सूचना दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में वर्णितानुसार राशि उस पर अद्यतन ब्याज और खर्चों सहित, नीलामी की तिथि से पहले चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

तिथि : 13-03-2024 वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लि. प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : लखनऊ श्री सुधीर तोमर मोबा- +91 - 98184 60101

धोखाधड़ी वाले फोन काल पर हर पल टिकी है 'चक्षु' की निगाहें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च

धोखा देने के इरादे से की गई कोई भी संदिग्ध फोन काल या मैसेज की शिकायत करने की सुविधा इस पोर्टल में है।

साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मकसद से की जाने वाली फोन काल या संदेश पर शिकंजा कसने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक और कदम बढ़ाया है। इसके तहत ऐसी किसी घटना की 'चक्षु' पोर्टल के जरिए शिकायत की जा सकती है।

धोखा देने के इरादे से की गई कोई भी संदिग्ध फोन काल या मैसेज की शिकायत की जाने की सुविधा इस पोर्टल में है।

विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी गई है कि संचार सारथी पोर्टल में 'चक्षु' का विकल्प है। अगर आपसे बातचीत या संदेश के जरिए बैंक खाते, भुगतान वालेट, सिम, गैस कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, सरकारी अधिकारी या रिश्तेदार के रूप में प्रतिरूपण का कोई मामला है तो पोर्टल पर इसे रिपोर्ट कर सकते हैं।

इसके तहत मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, ताकि सैकड़ों और ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। सरकार ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैंकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय मध्यस्थों समेत तमाम हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म (डीआईपी) की भी शुरुआत की है। इससे धोखाधड़ी के इरादे से की जाने वाली फोन काल या संदेश से जुड़ी शिकायत का सत्यापन किया जाता है। ऐसा नहीं होने पर मोबाइल नंबर को काटने की सुविधा है ताकि कोई और धोखाधड़ी का शिकार ना हो।

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालयः एटा

(अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस)

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ पठित धारा-13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों एवं गारन्टरों को विशेष रूपसे सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 (4) एवं नियमों के उपनियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं/जमानतदाताओं/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है कि वे उपलब्ध अवधि के अन्दर बैंक देयों का भुगतान कर बंधक सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त करा लें। एतद्द्वारा ऋणियों/गारन्टरों को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्ति का प्रतीकात्मक अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार केनरा बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा।

ऋणियों/गारण्टरों का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
शाखाः तिलक नगर, फिरोजाबाद (18814)		
ऋणीः मै0 गिरोज जी ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्री मनोज कुमार शर्मा।	सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड भूमि एवं भवन मकान नं0 92/70, चाँदनी प्रेस, पुलिस स्टेशन के पास रामनगर, फिरोजाबाद, उ0प्र0, एरियाः 66.96 वर्ग मीटर। सम्पत्ति श्री सुनील कुमार एवं श्री मनोज कुमार के नाम। **चौहद्दी**- पूर्व - राम प्रकाश की सम्पत्ति एवं अन्य, पश्चिम- भोपाल सिंह की सम्पत्ति, उत्तर- रास्ता 12 फीट चौंडा, दक्षिण- रामगोपाल की सम्पत्ति।	रू. 13,33,527.00 रू. 204462.00 रू. 64539.00 + ब्याज दि. 04.12.2023 से व अन्य खर

उत्तर रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (समन्वय), उत्तर रेलवे, दिल्ली डिवीजन अनुभवी और सक्षम निविदाकर्ताओं से निम्नलिखित कार्य के लिए सिंगल पैकेट सिस्टम' पर सीलबंद ई–निविदा आमंत्रित करता है।

ई–निविदा संख्या	116–एस–एचएनजेडएम–एलए
कार्य का नाम	हजरत निजामुद्दीन – विभागीय मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में क्षमता वृद्धि और अन्य सुधार कार्य।
कार्य स्थल	हजरत निजामुद्दीन
कार्य अवधि	नौ महीने
विज्ञापित राशि	रु. 2,22,34,997.39 (जी.एस.टी. सहित)
बयाना राशि	रु. 2,61,200/–
निविदा प्रपत्र मूल्य	शून्य
ई–निविदा प्रपत्र की उपलब्धता	दिनांक 11.03.2024; 18:30 बजे से दिनांक 02.04.2024 को 15:00 बजे तक
ई–निविदा बंद होने की तिथि और समय	दिनांक 02.04.2024 को 15:00 बजे
ई–निविदा खुलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 02.04.2024 को 15:00 बजे के बाद यदि खोलने की तारीख अवकाश होता है तो ई–निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी
ई–निविदा खोलने का स्थान	मैकेनिकल विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली–110055

नोटः निविदा का पूरा विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in में पाया जा सकता है।

सं0 116–एस–डब्ल्यूपी–22–23–डीआरएमएलएसपी–एचएनजेडएम–एलए–एमसी–IV 777/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

फॉर्म नंबर यूआरसी–2

अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, एक आवेदन इसके 15 दिनों के बाद लेकिन इसके बाद 30 दिनों की समाप्ति से पहले किया जाना प्रस्तावित है। कंपनी रजिस्ट्रार का कहना है कि TEACHERS GRACE SCIENTIFICAYURVEDA LLP कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सहित सभी प्रकार की औषधियों के निर्माण/व्यापार से संबंधित व्यवसाय करना। कंपनी के मुख्य व्यवसाय से संबंधित अन्य सभी गतिविधियाँ करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति का निरीक्षण बी–98, शिवालिक मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी गई है कि इस आवेदन पर आपत्ति जताने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में कंपनी रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, आईआईसीए, प्लॉट नंबर 6, 7 और 8, सेक्टर–5, आईएमटी, मानेसर 122052, हरियाणा को भेज सकता है। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति भेजें।

आवेदकों का नाम
1. प्रवीण मल्होत्रा
2. संजीव सरना

दिनांक 12 मार्च, 2024

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809–815, 8वीं मंजिल, टॉवर–ए, ईएमएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर–61, गुरुग्राम–122002 (हरियाणा),
सीआईएनः U65922HR2016PTC057984

सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

चूंकि, ऋण खाता एनपीए बन चुकी है, अतः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम,2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने तालिका में नीचे दिये गये ऋणधारक/आवेदक/गारंटर/ **बंधकों** को 60 दिनों की मांग सूचना जारी की थी। सूचना के अनुसार यदि ऋणधारक 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उस राशि की वसूली गिरवी सम्पत्ति/नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की नीलामी से की जानी थी। अतः ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा खर्चे के साथ सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान करें अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा 14 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नीचे वर्णित रूप में गिरवी सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री के लिये उसका कब्जा करेंगे।
ऋणधारक ध्यान रखें कि अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर की पूर्व सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अंतरण करने से निषिद्ध किये गये हैं।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियम, 2002 की धारा 13(8) के साथ पठित नियम 3(5) के प्रति आकृष्ट की जाती है कि ऋणधारक नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व नीचे वर्णित सम्पूर्ण बकाया देयता का भुगतान कर अपनी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत होंगे जिसका उसके बाद अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

ऋणधारक/आवेदक/गारंटर/बंधक का नाम	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि और राशि	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण
1. रामवीर पुत्र चन्द्रपाल (ऋणकर्ता) 2. मीनू पत्नी रामवीर (सह–उधारकर्ता/गारंटर) उपरोक्त दोनों का यहां निवासः 536, पूजा कॉलोनी, उस्मान प्रधान गली के पास, लोनी, गाजियाबाद, यूपी–201102 ,इसके अलावा–1367 पूजा कॉलोनी लोनी गाजियाबाद–201102 ऋण संख्या LXLAX02818–190003139 ऋण अनुबंध दिनांक– 30–नवंबर–2018 ऋण राशिः रु. 6,18,604/–	5 मार्च 2024 रु.4,66,234.99/–(चार लाख छियासठ हजार दो सौ चौंतीस रुपये एवं निन्यानवे पैसे मात्र) साथ ही दिनांक 06 मार्च 2024 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों।	रतन विहार ग्राम पाबिलशादपुर, परगना–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित खसरा नंबर 279 में शामिल प्लॉट संख्या 37–ए वाली संपत्ति का वह समस्त हिस्सा और अंश,जिसकी माप 50 वर्ग गज है। इसकी सीमा इस प्रकार हैः– पूर्व–20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–अन्य का प्लॉट, उत्तर–10 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण– दूसरे का प्लॉट,

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा
दिनांक : 13.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी,
उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लि.

Government of Punjab
Department of Science, Technology & Environment, Punjab

E-mail : pbti2005@yahoo.com Website : www.pbtilabs.com

RECRUITMENT NOTICE

Government of Punjab invites applications for the following post at Punjab Biotechnology Incubator (PBTI) purely on contractual basis, for a period of 5 years extendable as per requirement of PBTI:

Name of the Post	No. of Posts	Pay Matrix Level & Initial Pay
Chief Executive Officer	One (01)	Level 31 Rs.1,48,800/- per month

Last date for submitting the application: 15.04.2024
The detailed advertisement is available on website www.pbtilabs.com
Any corrigendum in this regard shall be uploaded on the website.

Rahul Tiwari, IAS
Secretary to Govt. of Punjab
Department of Science, Technology & Environment

सार्वजनिक सूचना

फॉर्म नं INC –26
[नियम 30 कंपनियों (निगमन) नियम, 2014]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बदलाव के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होना हेतु
केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनियां (निगमन) तथा
जेएमपीएम माइक्रोकेयर फाउंडेशन के मामले में
पंजीकृत कार्यालयः शॉप नंबर 5 सी–एक्सटेंशन ब्लॉक–सी–7 एलएससी मार्केट सुल्तानपुरी सिटी दिल्ली नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली–110041
——याचिकाकर्ता

सूचना

सूचना सामान्य जनता को दी जाती है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, कंपनी के सदस्य ने 01.03.2024 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में "शॉप नंबर 5 सी–एक्सटेंशन ब्लॉक–सी–7 एलएससी मार्केट सुल्तानपुरी सिटी दिल्ली नांगलोई, पश्चिमी दिल्ली–110041 में आयोजित सामान्य आम बैठक में कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को "**राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली**" से "**असम राज्य**" क्षेत्र में स्थापित करनी की अनुमति दी है!
यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से होने की संभावना है, तो इस अवस्था मे वह व्यक्ति अपनी आपत्ति का कारण निवेशक शिकायत फार्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर या हलफनामा के साथ क्षेत्रीय निदेशक को पंजीकृत कार्यालय "बी–2 विंग, द्वितीय तल, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003" में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर भेज सकता है!

कृते जेएमपीएम माइक्रोकेयर फाउंडेशन
एस.डी./–
जिंदू बोरा (निदेशक)
डी.आइ.एन : 09169001

दिनांक :13.03.2024
स्थान : दिल्ली

प्रपत्र जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये निमंत्रण, हेतु
प्रत्यूष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
कोटा एवं भोपाल में विनिर्माणन व सेवा क्षेत्र में परिचालनरत्
(भारतीय ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 36ए के उप–विनिमय (1) के अंतर्गत)

क्र. सं.	सुसंगत विवरण	
1.	पैन एवं सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ निगमित देनदार का नाम	प्रत्यूष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U45400DL2012PTC44500 पैन : AAGCP99110R
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	बेसमेंट, ए–42 कैलाश कॉलोनी, दिल्ली 110048
3.	वेबसाइट का यूआरएल	अनुपलब्ध
4.	उस स्थान के विवरण, जहां स्थायी परिसंपत्तियां बहुतायत में अवस्थित हैं	दिल्ली कार्यालय
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	अनुपलब्ध
6.	विगत वित्तीय वर्ष में बेचे गये मुख्य उत्पादों / सेवाओं की प्रमात्रा एवं मूल्य	रु. 4,46,74,168/–
7.	कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या	5 व्यक्तिगत (प्रबंधकीय पद में निहित 1 व्यक्ति सहित)
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), अनुदानाओं की सूचियों, सहित भावी विवरण इस यूआरएल पर उपलब्ध हैं :	विवरणों को cirp.pratush@gmail.com , एवं brcind@gmail.com पर एक ईमेल भेजकर आरपी से प्राप्त किया जा सकता है। दावों की सूची यहां पर उपलब्ध है : ibbi.gov.in/en/claims/frost-claim-details/15340
9.	न्यूनतम पात्रता मानदंड	समाधान आवेदक के पास ईएसी कोटकस एवं 2 करोड़ के निवल मूल्य में 5 वर्षीय अनुभव होना चाहिये।
10.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान आवेदकों की योग्यता इस यूआरएल पर उपलब्ध है:	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत निमंत्रण, जिसमें संहिता की धारा 25(2)एच के अंतर्गत समाधान आवेदकों की पात्रता समाविष्ट है, उसे cirp.pratush@gmail.com , एवं brcind@gmail.com पर एक ईमेल भेजकर आरपी से प्राप्त किया जा सकता है।
11.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	28–03–2024
12.	प्रस्तावित समाधान आवेदकगणों की अनंतिम सूची निर्गतन की तिथि	07–04–2024
13.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	12–04–2024
14.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गतन की तिथि	22–04–2024
15.	प्रस्तावित समाधान आवेदकों को जानकारी ज्ञापन, मूल्यांकन आव्यूह तथा समाधान नियोजन के अनुरोध के निर्गतन की तिथि	27–04–2024
16.	समाधान नियोजन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27–05–2024
17.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रोसेस ईमेल आईडी	cirp.pratush@gmail.com

टिप्पणी :
(1) समाधान व्यवसायी / ऋणदाताओं की समिति के पास किसी भी समय ईओआई के मानदंड को परिवर्तित करने का पूर्णाधिकार होगा।
(2) समाधान व्यवसायी / ऋणदाताओं की समिति के पास बिना कोई कारण बताये तथा बिना किसी दायित्वे, चाहे जो कुछ भी हो, के ईओआई को निरस्त / संशोधित करने / नई ईओआई निर्गत करने अथवा समयसीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।
(3) निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया अवधि के समापन की अनुमानित तिथि 22 मार्च 2024 है। उपर्युक्त समयसीमा, संहिता की धारा 12 के अंतर्गत एडजुकेटिंग प्राधिकारी द्वारा विचारणीय एवं स्वीकृ विस्तार, यदि कोई, के अधीन होगी।

विश्वा रंजन चटर्जी
समाधान व्यवसायी IBBI/IPA-002/IP-N00877/2019-2024/12806

दिनांक : 13–03–2024
स्थान : इंदौर

कृते प्रत्यूष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

मंडल सस्त्राः सैन्टर देहरादून 1, पीएनबी हाउस, पल्टन बाजार, देहरादून।

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

एतद्द्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न वर्णित ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं को मांग सूचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गए कि वे उक्त नोटिस/सी की प्राप्ति/नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भुगतान कर दें। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं द्वारा ऋण राशि का भुगतान न कर पाने के कारण सभी ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 11.03.2024** को ले लिया है। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं को विशिष्टितः और सर्वसाधारण को सामान्यतः सर्तक (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन–देन न करें। जमानती आस्ति को Redeem कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं /गारन्टीकर्ता/ओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार का लेन–देन पंजाब नैशनल बैंक के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	**शाखाः मेन ऋषिकेश** **ऋणी/बंधककर्ताः– 1.** श्री विनोद भट्ट पुत्र श्री प्रेम दत्त भट्ट, पताः ग्राम खडक माफ चौपड़ा फार्म खादरी, श्यामपुर , ऋषिकेश, **2. ऋणीः** श्रीमती भुवनेश्वरी पत्नी श्री विनोद भट्ट, पताः ग्राम खडक माफ चौपड़ा फार्म खादरी, श्यामपुर, ऋषिकेश, **3. गारन्टरः** श्री दिनेश प्रसाद नौटियाल पुत्र श्री कुलानंद नौटियाल, पताः निकट पुलिस चौकी, श्यामपुर, ऋषिकेश।	बंधक सम्पत्ति जिसका खाता नं. 292, खसरा नं. 19/5, रकबा 500 वर्गगज, अर्थात् 418.21 वर्ग मीटर, स्थित मौजा ग्राम खडक माफ, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून। विक्रय विलेख दिनांक 18.08.2007, रजिस्ट्रर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय ऋषिकेश बुक नं. 1, जिल्द 2, पेज 79,एडीएफबी नं.1, जिल्द 667, पेज 501-508, दस्तावेज नं. 5581, दिनांक 18.08.2007 में पंजीकृत है। सीमाएँ निम्न प्रकार है- उत्तर- 16 फुट चौड़ी रोड, दक्षिण- 11 फुट चौड़ी रोड, पूर्व- सुन्दर लाल भट्ट की सम्पत्ति, पश्चिम- नहर, सम्पत्ति स्वामी- श्री विनोद भट्ट पुत्र श्री प्रेम दत्त भट्ट।	11.12.2023	रु0 **11,51,445.05** + डीआई और अन्य शुल्क ब्याज दिनांक 01.12.2023 के साथ लागत और देय आदि।
2.	**शाखाः हरिद्वार रोड ऋषिकेश** **ऋणीः– 1.** मैसर्स श्री राम मार्बल्स, (प्रोपराइटर श्री विनोद भट्ट पुत्र श्री प्रेम भट्ट), पताः बाईपास चौराहा श्यामपुर, ऋषिकेश, जिला देहरादून **2. प्रोपराइटर/ बंधककर्ताः** श्री प्रेम दत्त भट्ट, पता- खडक माफ, गली नं. 3, चौपड़ा फार्म खादरी, श्यामपुर, ऋषिकेश उत्तराखण्ड।		24.03.2023	रु0 **13,44,553.66** + डीआई और अन्य शुल्क ब्याज दिनांक 01.12.2023 के साथ लागत और देय आदि।
3.	**शाखाः हरिद्वार रोड ऋषिकेश** **ऋणीः– 1.** मैसर्स श्री राम टाईल्स एवं ग्रेनाईट सप्लॉयर प्रोपराइटरशिप श्री राम स्वरूप भट्ट पुत्र श्री प्रेम दत्त भट्ट, पता- बाईपास चौराहा, श्यामपुर, ऋषिकेश जिला देहरादून। **2. प्रोपराइटरः** श्री राम स्वरुप भट्ट पुत्र श्री प्रेम दत्त भट्ट, पताः खडक माफ चौपड़ा फार्म खादरी, श्यामपुर, ऋषिकेश उत्तराखण्ड। **3. बंधककर्ता/गारन्टरः** श्री विनोद भट्ट पुत्र श्री प्रेम दत्त भट्ट, पता- खडक माफ चौपड़ा फार्म खादरी, श्यामपुर, ऋषिकेश उत्तराखण्ड।		07.09.2021	रु0 **19,36,115.57** + डीआई और अन्य शुल्क ब्याज दिनांक 01.12.2023 के साथ लागत और देय आदि।

दिनांकः 12.03.2024 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

केन फिन होम्स लि.

CIN: L85110KA1987PLC008699; केनरा बैंक के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं सी–3, सैक्टर–1, नोएडा पिनकोड–201301
ई–मेल : noida@canfinhomes.com फोनः 0120–2970164/65/67 मोबाइलः 7625079126

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (सरफासी ऐक्ट) की धारा १३(२) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ (नियमावली) के नियम ३(१) के अधीन

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों/गारंटरों (इसमें आगे उक्त कर्जदार कहे गए हैं) से, सूचना में वर्णित राशियां, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।
उक्त सूचनाएं डाक अधिकारियों द्वारा अवितरित के रूप में लौटा दी गई हैं/कर्जदारों द्वारा सम्यक् प्राप्त नहीं की गई हैं। अतएव कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचना प्रकाशित करवा रही है (नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार)। अधोहस्ताक्षरी द्वारा, अतएव, ये सूचनाएं, उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर पर चस्पा करवा दी गई हैं।
संबंधित पार्टियों द्वारा ऋण की सम्यक् वापसी के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित आस्तियां कम्पनी के पास बंधक रखी गई हैं।

क्र. सं.	कर्जदारां/गारंटरों का नाम एवं पता	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार दावित राशि*	प्रतिभूति आस्ति का वर्णन	एनपीए की तिथि
1.	**1. समरीन पंवार** (उधारकर्ता) **पता–1:** फ्लैट नंबर 562 जी, न्याय खंड III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी। पिनकोड–201014 **पता–2:** ताइकुओंडो कराटे कुंगफू क्लब, 563 जी, न्याय खंड III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी। पिनकोड–201014 **पता–3:** ईडब्ल्यूएस फ्लैट नंबर 564, ग्राउंड फ्लोर, न्याय खंड III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी, पिनकोड– 201014 **2. आदिल पंवार** (सह–उधारकर्ता) पता–1: मकान नं. 64, ओखला गांव, जामिया नगर, नई दिल्ली, पिनकोड–110025 **पता–2:** फ्लैट नंबर 564 जी, न्याय खंड III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी, पिनकोड– 201014 **3. अमीर चंद यादव** (गारंटर) फ्लैट नंबर 340 जी, न्यायखंड III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी, पिनकोड– 201014	07.03.2024	रु. 14,74,345.00 (रुपए चौदह लाख चौहत्तर हजार तीन सौ पैंतालिस मात्र)	आवासीय मकान नंबर – 564, ग्राउंड फ्लोर, (बिना छत अधिकार के), न्याय खंड–III, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी। **चौहद्दीः** पूर्वः मकान नं. 563 पश्चिमः सड़क 18 फीट चौड़ा उत्तर : मकान नं. 561 दक्षिणः खुली भूमि	28.02.2024
2.	**1. श्री कैलाश कुमार** (उधारकर्ता) **2. श्रीमती कमलेश** (सह–उधारकर्ता) **पता 1** – ग्राम– गिझोर, मकान नंबर बी–38, सेक्टर– 53, नोएडा, यूपी.–201307 **पता 2** – मकान नं. 338, ग्राम – सेमली, जिला. बुलन्दशहर–203150 **पता 3** – ईडब्ल्यूएस फ्लैट नंबर 8, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक–सी 20, सेक्टर– 71, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) 201301. **3. श्री राजेश कटियार** (गारंटर) **पता 1** – ग्राम–होशियारपुर, सेक्टर–51, नोएडा, यूपी 201301 **पता 2** – के.के. टूर एंड ट्रैवल्स विल–होशियारपुर, सेक्टर – 51, नोएडा यूपी 201301	29.02.2024	रु. 18,03,601.00 (रुपए अट्ठारह लाख तीन हजार छः सौ एक मात्र)	ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट नंबर. 8, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक सी–20, सेक्टर 71, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (यूपी). **चौहद्दीः** पूर्वः साइट के अनुसार पश्चिमः साइट के अनुसार उत्तरः साइट के अनुसार दक्षिणः साइट के अनुसार	28.02.2024

***उपरिवर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक, सहमत संविदात्मक दरों पर, आगे ब्याज के साथ देय।**
एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 12.03.2024, स्थानः नोएडा हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

---

kotak — कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

परिसर्पत कार्यालय 27BKC, C&27, G–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई– 400051
शाखा कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 3री मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर –125, जिला – गौतम बुद्ध नगर, यूपी– 201313

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणीसह–उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओंसह–उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उस पर उल्लिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन करने पर संबंधित तिथियों से भविष्य में ब्याज, लागत और शुल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख नीचे दी गई है:

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल संपत्ति का विवरण	1. कब्जे की तिथि 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग सूचना दिनांक 4. देय राशि रु.
श्रीमती पूनम पत्नी श्री देविन्द्र कुमार (अब मृतक)(स्वर्गीय देविन्द्र कुमार के सह–उधारकर्ता और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) मकान नंबर 07,कुलेसरा दादरी, तहसील गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश–201306, इसके अलावाः खसरा नंबर 398, गांव कुलेसरा परगना दादरी, तहसील और जिला, गौतमबुद्धनगर, ऋण खाता संख्याः : एलएनडीईएल00616–170000534 स्वीकृत ऋण राशिःरु.15,27,755/– (पंद्रह लाख सत्ताईस हजार सात सौ पचपन रुपये मात्र)	ग्राम कुलेसरा परगना दादरी, तहसील और जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थित खसरा संख्या 398 में शामिल 100 वर्ग गज भूमि का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश। उक्त संपत्ति निम्न रूप में घिरी हुई है: पूर्व भीम सिंह का प्लॉट, पश्चिमः हरपाल सिंह का प्लॉट, उत्तरः बुद्धू का प्लॉट, दक्षिणः 12 फीट रास्ता। गिरवीकर्ता का नामः श्री देविन्द्र कुमार (अब मृतक)	1. 09.03.2024 2. भौतिक कब्जा 3. 14.12.2020 4.रु.17,31,966/–(सत्रह लाख इकतीस हजार नौ सौ छियासठ रुपये मात्र) 14.12.2020 तक देय और बकाया और 15.12.2020 से पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री राहुल राजन (+919319447693) और श्री सोमेश सुंदरियाल (+919910563402) से संपर्क करें।

दिनांकः 13.03.2024, स्थानः नोएडा, प्राधिकृत अधिकारी , कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

याचिका की अंतिम सुनवाई की सूचना (कंपनियों के नियम 16 के अनुसार (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 सीए(सीएए)-107/एनडी/2022 सीएए-11/एनडी/2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पढ़ें। और व्यवस्था की योजना के मामले में बीच में हेरिटेज हॉस्पिटल्स लिमिटेड..... (अलग हुई कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी-I) और हेरिटेज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड..... (परिणामस्वरूप कंपनी/याचिकाकर्ता कंपनी-II)

**1. केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) (उत्तरी क्षेत्र), कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,नई दिल्ली-110003 2. कंपनी रजिस्ट्रार (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा) चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 3. सी. आर बिल्डिंग, दिल्ली, सर्कल 10(1), ए.ओ. कोड: DEL-C-42-1, नई दिल्ली - 110001 आवेदक कंपनी क्रमांक I विकास भवन

ई-नीलामी एवं विक्रय की सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV ए) [नियम 8(6)]

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालय : मूलांक सं. 98, उद्योग विहार, फेज–प्प, गुड़गांव–122015 (हरियाणा), शाखा कार्यालय– 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराशियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का "जैसी है जहां है आधार एवं जैसी है जो है आधार तथा बिना वसूली आधार" पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खाता/प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट :ूण्पण्सिवदमीवउमण्वउव पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य
1. श्री राज कुमार श्रीवास्तव 2. श्रीमती सरिता राय 3. मैसर्स रिविका बुटीक एक कंप्यूटर (प्रोस्पेक्ट नं. आईएल01666620)	27–जनवरी–2023 रु. 31,82,738/– (रुपये इकतीस लाख बयासी हजार सात सौ अड़तीस मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल पर निर्मित फ्रंट साइड एलएचएस (बिना) छत/छत अधिकार), कालीन क्षेत्र अधिमापन 674 वर्ग फुट, सुपर निर्मित क्षेत्र अधिमापन यूनिट नंबर 17, खसरा नंबर 79/10 का 675 वर्ग फीट, ग्राम– हस्तसाल, नवादा विस्तार, ओम विहार, फेज–V, उत्तम नगर, नई दिल्ली, 110059, दिल्ली, भारत।	26–अक्टूबर–2023 दिनांक 05–मार्च–2024 को कुल बकाया रु. 36,59,051/– (रुपये छत्तीस लाख उनसठ हजार इक्यावन मात्र)	रु. 20,50,000/– (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र)
	बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र)			बयाना राशि जमा (ईएमडी) रु. 2,05,000/– (रुपये दो लाख पांच हजार मात्र)

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	धरोहर अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
22–मार्च–2024 को 11.00 – 14.00 बजे	26–मार्च–2024 को 5 बजे तक	26–मार्च–2024 को 11.00–13.00 बजे

भुगतान का माध्यम :– धरोहर भुगतानों को केवल ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने के लिये आपको **https://www.iiflonehome.com** पर विजिट करना होगा और केवल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
टिप्पणी : प्रत्येक संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदने का इरादा किया है।
सफल बोलीदान होने पर, शेष भुगतान के लिये, आपको आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खाते के विवरण इस प्रकार है: क) खाता का नाम :– आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम :– स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ग) खाता सं. :– 9902879xxxxx, उसके बाद प्रोस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोड :– **SCBL0036001**, ङ) बैंक पता :– स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई–400001

नियम एवं शर्तें :–

1. ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com/** के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने "निविदा प्रपत्र", धरोहर के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।
2. बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, सांग "बोली वृद्धि राशि" के अंतर्गत अंकित राशि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (धरोहर का समायोजन करने के उपरान्त) एजी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत स्वयं प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे।
4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य सांविधानिक देयराशि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भुगतान वहन करना होगा।
5. बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसाइट **https://www.iiflonehome.com** एवं **https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction** देख लें।
6. विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी :– **auction.hl@iifl.com**, सहायता हेल्पलाइन नंबरों रू 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
7. सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली, इत्यादि से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आईआईएफएल एक्सएल टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से सायं 18.00 बजे तक कॉल करें या नवजपवदमीस/पपसिच्चवत पर ईमेल करें।
8. एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
9. एतद्द्वारा उधारकर्ता/ओं को आने वह सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने में विफल होते हैं तो उन्हें विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा।
10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राशि (धरोहर सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।
11. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा/नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा/नीलामी में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसि अधिनियम 2002 के नियम 9 उप–नियम (1) के अंतर्गत 15 दिवसीय विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राशि का अवसनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराशियों, यदि कोई निकलती हो, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 13–मार्च–2024 | हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स: 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुग्तेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	संपत्ति पता
1.	47943570	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. अमल कृष्ण पाइक 2. अर्घ्य पाइक	16.02.2024	20,83,591.62/–	संपूर्ण द्वितीय तल (पीछे/बाएं तरफ) समस्त वह भाग तथा अंश, जो छत के अधिकार के बिना, माप 112.5 वर्ग गज, संपत्ति संख्या 1923, गली नं. 19, माप 250 वर्ग गज, (या कहें 209 वर्ग मीटर) खसरा सं. 25 में से कार्ड, गोविंद पुरी एक्सटेंशन, काल. काजी, नई दिल्ली–110019 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्वः एन/ई : अन्य संपत्ति, पश्चिम : एस/डब्ल्यू : संपत्ति सं. 1924, उत्तर : एन/डब्ल्यू : संपत्ति 1923 (भूखंड का हिस्सा) दक्षिणः एस/ई : गली 15 फुट चौड़ी
2.	23989905	संपत्ति के समक्ष ऋण	1. सुनील कुमार पटेल 2. लालजी पटेल 3. सीमा पटेल	10.02.2024	20,06,386.12/–	प्लॉट नंबर जी–233 के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका, क्षेत्रफल 464.25 वर्ग मीटर है, जो एम.जी. रोड में औद्योगिक क्षेत्र, परगना और तहसील धौलाना, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश 201002 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :: पूर्व : प्लॉट नं. जी–232, पश्चिम : प्लॉट नं. जी–234, उत्तर : प्लॉट नं. एफ–326, दक्षिण : 18.0 मीटर चौड़ी सड़क नं. 20

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय–भुग्तेय धनरा. शियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां प्रारंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय/पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 13–03–2023 | आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली/राराक्षे | (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(पूर्व मेंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)
कॉर्पोरेट ऑफिसः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी–ब्लॉक, इंसपायाबीकेसी, बीकेसीमेनरोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400 051
रजि. ऑफिसः मेघटावर्स, तीसरी मंजिल, पुरानानंबर 307, नयानंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई– 600 095,

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1),

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ख्राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली), (इसके बाद इसे एसएमएफजी के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3 के तहत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपको उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उप के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और किसी के साथ लेनदेन न करें। संपत्ति के साथ लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए ष्एसएमएचएफसीष के शुल्क के अधीन होगा।

	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि
1	लैन :611439211125101 1. महिपाल मलिक पुत्र सूबे सिंह 2. राजदुलारी	संपत्ति माप क्षेत्र 200 वर्ग. गज यानि 6.2/3, मार्ला यानि 6.66 मरला होने के नाते 20/549 हिस्सा 9 कनाल 3 मरला में से, जिसमें खेवट नंबर 1191, खतों नंबर 1387 किट्टे 3 शामिल है, खानसर चौक, सफीदों, हरियाणा में स्थित है।	दिनांक : 18.12.2023 रु. 21,36, 556/– , , . (रु. इक्कीस लाख छत्तीस हजार पांच सौ छप्पन मात्र) 18.12.2023 तक ब्याज सहित	09.03.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
2	लैनः 611439211125514 1. नरेश कुमार 2. मेहा	संपत्ति माप क्षेत्र 200 वर्ग. गज यानि 6 मरला 6 सरसई 160/3552 होने के कारण, 7 में से हिस्सा, कनाल 8 मरला खेवट नंबर 920 सालम, खतौनी नंबर 1115 सालम, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा. में शामिल है।	दिनांकः 18.12.2023, , रु. 13,34,309/– (रु. तेरह लाख चौंतीस हजार तीन सौ नौ मात्र) 12.12.2023 तक ब्याज सहित	09.03.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
3	लैनः 614539211165852 1. कर्मबीर लखमीचंद पुत्र लखमी चंद 2. सुमन पत्नी कर्मवीर	संपत्ति माप क्षेत्र 129 वर्ग. गज यानि 4 मरला 3 सरसई होने के नाते 39/2205 हिस्सा 12 कनाल 5 मरला में से खेवट नंबर 66 खतौनी नंबर 71, रकबा नंबर 61 किला नंबर 10/2 (0–15), 11/1(5–12), 12/1(5–18) पांची गुजरान, तहसीलः गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा, में स्थित है। विक्रय विलेख के तहत वसीका नंबर 3712, दिनांक 26.11.2021 एस.आर. गन्नौर के कार्यालय में पंजीकृत और म्यूटेशन 6553 दिनांक 11.01.2022	दिनांकः 18.12.2023, रु. 15,45,897/– (रु. पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र) 12.12.2023 तक ब्याज सहित	09.03.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
4	लैनः 611107510453917 1. स्वर्गीय रणधीर सिंह, कानूनी नियुक्तियों के माध्यम से 2. मिथलेश पत्नी रणधीर सिंह	संपत्ति यानि बैरिंग का भाग खसरा नंबर 429, खेवट नंबर 116, खतौनी नंबर 1254, माप 118 वर्ग यार्ड, मुथरी घाटी से गुदरिया कॉलोनी, तहसील और जिले दादरी, हरियाणा. में स्थित हैं।	दिनांकः 18.12.2023, रु. 11,68,849/– (ग्यारह लाख अड़सठ हजार आठ सौ उनचास रुपये मात्र) 12.12.2023 तक ब्याज सहित	08.03.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
5	लैनः 611239511075290 1. उमेश सहनी पुत्र भोला सहनी 2. शिला देवी पत्नी. उमेश सहनी	प्लॉट नंबर 30, वाका रकबा, दाराकलां में स्थित संपत्ति, पटियाला बैंक कॉलोनी, खेवट नंबर 1979/1921, खतौनी नंबर 2224, किट्टे 4 में शामिल भूमि का अविभाजित हिस्सा, 5/533 होने के नाते भूमि का हिस्सा, माप 26 कनाल 13 मरला यानि 5 मारला वर्ष 2015–16 की जमाबंदी के अनुसार, माप 47′ • 28′ या 146.22 वर्ग गत यानि, 5 मरला, तहसील थानेसर, जिला. क्रुक्षेत्र, हरियाणा। निम्नलिखित के रूप में घिरा हुआः • पूर्व गली सरेआम, •पश्चिम : अन्य का प्लॉट, • उत्तर : प्लॉट नं 31,•दक्षिण : प्लॉट नंबर 29	दिनांकः 18.12.2023, रु. 12,04,286/– (रुपये बारह लाख चार हजार दो सौ छियासी मात्र) 12.12.2023 तक ब्याज सहित	11.03.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)
6	लैनः 610239511006573 1. बलविंदर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह 2. रुपिंदर कौर पत्नी बलविंदर सिंह	संपत्ति यानि बूथ संख्या 64, नई अनाज मंडी पिहोवा में स्थित, तहसीलः पिहोवा और जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा क्षेत्रफल 36.67 वर्गगज गुरचरण सिंह पुत्र रूलदा सिंह के नाम पर द्वारा कन्वेन्स डीड संख्या 1346, दिनांक 11.09.2008, आवंटन संख्या पत्र संख्या 398 दिनांक 03.01.2000. निम्नानुसार सीमाबद्धः • पूर्वः मार्ग पक्ष 12′, •पश्चिमः दुकान नंबर 65 साइड 12′, • उत्तर : सुशी की दुकान कुमार–जसमेर कुमार पक्ष 27′–6′′ • दक्षिणः अन्य पक्ष की संपत्ति 27′–6′′	दिनांकः 18.12.2023, रु. 37,38,981/– (सैंतीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) 12.12.2023 तक ब्याज सहित	08.03.2024 (प्रतीकात्मक कब्जा)

स्थान , जिंद/करनाल/सोनीपथ/कुरुक्षेत्र, हरियाणा
दिनांकः 13.03.2024
हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनीलिमिटेड
(पूर्व मेंफुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

पिकादिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L01115HR1994PLC032244
पंजीकृत पताः गाँव भदसों, उमरी ईंटी रोड, तहसील ईंटी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा-132109
ईमेलः piccadilygroup34@rediffmail.com

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो गए / गुम हो गए हैं और उनके पंजीकृत धारकों ने डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है।

फोलियो नं.	शेयर धारक का नाम	शेयर सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या से	विशिष्ट संख्या तक	शेयरों की संख्या
0007050	कमला देवी जैन	96012 से 96015	19494421	19494820	400
0007050	कमला देवी जैन	152320	25320071	25320470	400
0007050	कमला देवी जैन	159017	49905841	49906640	800

जनता को इसके द्वारा उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों के साथ किसी भी तरह से खरीदने या व्यवहार करने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। कोई भी व्यक्ति (ओं) जिनके पास उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कंपनी के साथ कोई दावा है, उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर पंजीकृत कार्यालय में ऐसा दावा दर्ज करना चाहिए, जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ेगी।

पिकादिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए,
तिथि : 12.03.2024 | हस्ता/–
स्थान : चंडीगढ़ | कंपनी सचिव

NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION

(Transport Department) Tender Notice (Second Call)

Nagpur Municipal Corporation (NMC), Invites Bids for Procurement, Operation and Maintenance of 250 Standard (12 meter) AC fully Built Pure Electric Buses along with supply, Installation and Commissioning of fast Charging Infrastructure on wet leased Basis for Nagpur Urban Region. Availability of Bid Documents: **From 12/03/2024 To 12/04/2024** up to 4.30 pm on **www.mahatenders.gov.in.** RFP Document fees: **Rs. 17,700/- (Including GST) and EMD Rs. 2,18,50,000/-** (Paid online), Bid Submission date: **12/04/2024 up to 4:30 pm.** Technical Bid Opening date: **15/04/2024 at 5:00 pm.** The NMC reserves the right to accept or reject any or all the bids without assigning any reason there of in the interest of the Nagpur Municipal Corporation.

Advt No. 1210 PR
Date 12.03.2024

Transport Manager
Transport Department
NMC, Nagpur

AAA

Greenlam | www.greenlamindustries.com

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 301, दूसरी मंजिल, पंचम विंग, कार्यालय 1, इरोस टावर, आर्जेन्टाई एवेन्यू, हौजखास विस्तार, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर +91-11-4279-1399, सीआईएन: L23161DL2003PLC388045
ई-मेल : investor.relations@greenlam.com ; वेबसाइट : www.greenlamindustries.com

सदस्यों को पोस्टल बैलट तथा ई-वोटिंग की सूचना की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 एवं अधिनियम, 2013 की अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो (तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के साथपठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीयद्धता विनियम") तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05/05/2022, 10/2022 तथा 11/2022 28 दिसंबर,2022 सामान्य परिपत्र 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक के सचिवीय मानकों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (इसके पश्चात "परिपत्र" सन्दर्भित) एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार अधिनियम, 2013 की धारा 102 एवं सम्बन्धित के अनुसार स्टेटमेंट सहित पोस्टल बैलट सूचना दिनांक 02 फरवरी, 2024 में निर्धारित विशेष व्यवसायों के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

कंपनी ने 12 मार्च, 2024 को अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्टेटमेंट के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस को उन सदस्यों के पास ई-मेल द्वारा भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं। उक्त परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलेट की भौतिक सूचना भेजने की आवश्यकता को 30 सितम्बर, 2024 तक समाप्त कर दिया गया है।

संकल्प पर सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगा। इस संबंध में, कंपनी ने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल') की सेवाएं ली हैं।

सदस्य ध्यान दें कि यह पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.greenlamindustries.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं तथा एलआईआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर पर भी उपलब्ध होगा।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 08 मार्च, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। केवल वे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज किए गए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 15 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 09:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शनिवार, 13 अप्रैल, 2024 को सायं 5.00 बजे (भ.मा.स.) ('मतदान अवधि') समाप्त होगी। वोटिंग अवधि के बाद, एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और तदनुसार, मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वे सदस्य जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत नहीं है, वे इसके पंजीकरण की प्रक्रिया को निम्नानुसार पूरा करके पंजीकृत कर सकते हैं:

भौतिक धारिता	भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएससी, सी -1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058; टेलीफोन: +91-11-41410592; फैक्स: +91- 11-41410591; ई-मेल: delhi@linkintime.co.in; वेबसाइट: www.linkintime.co.in को अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करें।
डीमैट धारिता	डिपॉजिटरी पार्

उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड

कार्या. कार्या: यूनिट नं. 809-815, 8वां तल, टावर-ए, एमार डिजीटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्स्टे. रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम-122102 हरियाणा
CIN: U65922HR2016PTC057984

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी 13.06.2024 से उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्रा. लि. की सीतापुर, उत्तर प्रदेश शाखा को बंद करने के लिये इच्छुक है।

शाखा का पता:
2रा तल, ऑफिस नं. 01, साई आशीर्वाद भवन, केशव ग्रीन सिटी कॉलोनी, सीतापुर, उ.प्र.-261001

यदि किसी व्यक्ति का कोई दावा/आपत्ति हो,कृपया उक्त पते पर कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। अधिक विवरणों के लिये कृपया सम्पर्क करें:

उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्रा.लि.
टोल फ्री: 1800-212-6127

प्रधान पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर।
मुकदमा नं. 734 सन् 2023

वादनी का नाम व पता **1. श्रीमती पलक, पत्नी सचिन मल्होत्रा, पुत्री अन्जुम मारवाह,** निवासी जे-2/76 विजय नगर, – महात्मा गांधी स्कूल थाना काकादेव, कानपुर नगर **2. मास्टर रेयांश** उम्र – 2 वर्ष पुत्र सचिन मल्होत्रा

बनाम

प्रतिवादी का नाम **सचिन मल्होत्रा, पुत्र श्री राम जी दास मल्होत्रा,** निवासी सी-7, 1016 सेकेन्ड फ्लोर निकट बीटा डेयरी, डी.एल.एफ. फेस 5 गुडगांव थाना सेक्टर 53 गुडगांव (हरियाणा) मूल निवासी 564/121, गुरूनानक नगर, आलमबाग थाना आलमबाग, जिला लखनऊ

चूंकि आपके विरूद्ध प्रार्थिनी ने धारा 125 जनता फौजदारी प्रार्थना-पत्र वास्ते दिलाने गुजारा प्रतिमाह दाखिल किया है।

अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 23/05/2024 को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अगर आपको कोई आपत्ति हो तो प्रेषित करे आपकी अनुपस्थिति में आपको विरुद्ध एक पक्षिय आदेश पारित होगा।

आज दिनांक 11/03/2024 न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी।

आज्ञा से – सदर मुनसरिम,
पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर।

कार्यालय ग्राम पंचायत पबला, विकास खण्ड-रजपुरा मेरठ

पत्रांक–मीमो/पंचायत/निविदा/2023–24 दिनांक– 07.03.2024

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में 15 वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग, 5 वॉ राज्य वित्त आयोग, मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पबला में कराये जाने वाले निम्नलिखित कार्य के विवरण के अनुसार इच्छुक पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों से सीलबंद लिफाफे में निविदाएं दिनांक 12.03.2024 से 18.03.2024 तक अपराहन 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिन्हें दिनांक 18.03.2024 की दोपहर 3 बजे उपस्थित निविदा दाताओं अथवा समिति के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय से 18.03.2024 तक दोपहर 01.00 बजे तक निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू0 में	प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 में	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	कम्पोजिट स्कूल पबला में दीवार निर्माण, मरम्मत कार्य एवं विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्य।।	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह
2	स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर कूलर स्थापना विभिन्न स्थानों के पास	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह
3	तालाब खुदाई, सफाई एवं जीर्णोद्धार, तार फेसिंग इत्यादि कार्य।	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह
4	ग्राम के मुख्य रास्तों पर स्वागत, यूनीपोल बोर्ड/ साईनबोर्ड स्थापना कार्य।	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह
5	आर.आर.सी. सेन्टर / संगीगेशन रोड के पास सी.सी. इन्टरलॉकिंग निर्माण, पार्क एवं तार फेसिंग इत्यादि कार्य।	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह
6	ग्राम के मुख्य चौराहों, रास्तों के पास डिजिटल कैमरा स्थापना कार्य	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह
7	धर्मवीर, महेन्द्र, टिंकू वाली गली में सी.सी./ इन्टरलाकिंग का रास्ता निर्माण कार्य।	256470	2%	500+GST	03 माह
8	राजबीर, कृष्ण, ब्रह्मसिंह, वाली गली में सी.सी. इन्टरलॉकिंग रास्ता निर्माण कार्य।	174932	2%	500+GST	03 माह
9	ओमकार, रतन, अमित वाली गली में सी.सी. इन्टरलॉकिंग रास्ता निर्माण कार्य।	189847	2%	500+GST	03 माह
10	मैन रोड नौशाद के मकान से तालाब तक सी.सी. इन्टरलॉकिंग रास्ता एवं नाला निर्माण कार्य।	364370	2%	500+GST	03 माह
11	नाला निर्माण कार्य असलम के मकान से तालाब तक।	148835	2%	500+GST	03 माह
12	ग्राम के विभिन्न स्थानों के पास मिट्टी भराव कार्य।	BOQ के अनुसार	2%	500+GST	03 माह

नियम व शर्ते–

1. निविदाओं हेतु प्रपत्र दिनांक 18.03.2024 की दोपहर 1.00 बजे तक पंचायत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। 2. निविदायें दिनांक 18.03.2024 दोपहर 3 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में खोली जायेगी। 3. बिना कारण बताये निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। 4. धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत जो कि ग्राम पंचायत पबला के नाम से बंधक हो एफडीआर अथवा एनएससी/अकाउंट पेय चैक के रूप में निविदा स्वीकार की जाएगी। 5. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जाएगी। 6. अन्य शर्ते/जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 7. कार्य/सामग्री की मात्रा बीओक्यू के अनसार होगी। जोकि घट–बढ़ सकती है।

सचिव ग्राम पंचायत पबला
वि0ख0 रजपुरा, जनपद–मेरठ

प्रधान ग्राम पंचायत पबला
वि0ख0 रजपुरा, जनपद–मेरठ

CENTRUM Home Loans

कुतोकॉपोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई– 400098, सीआईएननंबर U65922MH2016PLC273826

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित।

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के रूप में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं ('उक्त उधारकर्ता') को जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए नीचे दिया गया है।
उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे बताई गई राशि, आगे के ब्याज और अब तक के अन्य शुल्कों के साथ भुगतान करें। बकाया राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में बताया गया है, नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है।

क्रं. सं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर (ओं) का नाम/शाखा	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए तिथि ~~धारा 13(2) के अनुसार सूचना की तिथि~~ एफसीएल तिथि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	LKOST23010331/विनोद सोनी/माला सोनी/जवाहर लाल सोनी/लखनऊ	रु.516719/– (पांच लाख सोलह हजार सात सौ उन्नीस रुपये मात्र)	04.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अधिकार में अचल संपत्ति का टुकड़ा एवं पार्सल– खसरा नंबर– 330के , क्षेत्रफल 55.762 वर्ग. मीटर गांव–रायपुर रामगंज परगना–असल, तहसील एवं जिला–अमेठी, सुल्तानपुर––228159, उत्तर प्रदेश। सीमाएँ: पूर्व – अजय साहू का घर, पश्चिम – 8' चौड़ी सड़क उत्तर – सहखातेदार जय बहादुर, दक्षिण – अजय सोनी का प्लॉट ''
2	LKOKN23011473 /शौभित कुमार त्रिपाठी/आरती त्रिपाठी /लखनऊ	रु.1163263/– (ग्यारह लाख तिरसठ हजार दो सौ तिरसठ रुपये मात्र)	04.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में– 83.61 वर्ग मीटर का प्लॉट मीटर, आराजी नंबर 2108 से बना है, जो मौजा–दहेली, सुजानपुर, परगना और जिला –कानपुर–208021, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व–सड़क मार्ग और अराजी पर घर पश्चिम – अराजी के भाग से उत्तर – खुले भूखंड से दक्षिण – स्कूल द्वारा.
3	एमटीसीएजी21006207/विजय कुमार अग्रवाल/लता अग्रवाल/मेरठ	रु.932541/– (नौ लाख बत्तीस हजार पांच सौ इकतालीस रुपये मात्र)	04.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अचल संपत्ति के अधिकार, के साथ टुकड़े और पार्सल में – फ्लैट नंबर –1, निचले भूतल क्षेत्र 450.20 वर्ग फुट पर, खसरा नंबर 938 के हिस्से में, मोहल्ला बालाजी नगर (एलआईसी कार्यालय गली) टाउन और तहसील और मौजा सादाबाद, जिला–हाथरस – 281306, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व –फ्लैट नं.2 पश्चिम – श्रीमती शशि अग्रवाल का घर। उत्तर – खुली भूमि/रास्ता का उपयोग फ्लैटों के लिए। दक्षिण – संपत्ति लेट. श्री भगवती प्रसाद अग्रवाल.
4	एमटीसीएमजी22007385 /लता जैन (स्व. सुशील जैन के कानूनी उत्तराधिकारी)/ऋषभ जैन (स्व. सुशील जैन के कानूनी उत्तराधिकारी)/स्व. सुशील जैन के कानूनी उत्तराधिकारी/मेरठ	रु.410298/– (रुपए चार लाख दस हजार दो सौ अट्ठानबे मात्र)	09.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अधिकार में, अचल संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल– प्लॉट नंबर 123, क्षेत्रफल. 67.82 वर्ग. मीटर, खसरा नंबर 472/1, श्याम वाटिका कॉलोनी, बिनोली रोड, नगर पालिका परिषद सरधना मेरठ के बाहर – 250342, उत्तर प्रदेश। सीमाएं: पूर्व– सीमा दीवार कॉलोनी पश्चिम – 25' चौड़ी सड़क, उत्तर – प्लॉट नंबर 122 दक्षिण – प्लॉट नंबर 124.
5	एमटीसीएमटी22009434 / प्रिंस पधान/अरुण कुमार/ सुमन सिंह/मेरठ	रु.1448083/– (चौदह लाख अड़तालीस हजार तिरासी रुपए मात्र)	09.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में – ख नं 472, क्षेत्रफल 259.29 वर्ग. मीटर , गांव – फतेहपुर, मथनोत्रा, तहसील और जिला हापुड – 245201, उत्तर प्रदेश सीमाएँ: पूर्व – प्रकाश और अन्य का घर, पश्चिम – विक्रेता की भूमि के कुछ भाग पर और कुछ भाग पर 12'चौड़ा रास्ता, उत्तर – प्रोप्र अरुण कुमार और सुखबीर सिंह और अन्य की, दक्षिण – बुध प्रकाश और अन्य की संपत्ति
6	एमटीसीएमटी23010857/अभय गौतम/गीता रानी/ रामकली देवी/रामकुमार/ मेरठ	रु.933585/– (नौ लाख तैंतीस हजार पांच सौ पचासी रुपये मात्र)	09.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में – 56.65 वर्ग गज यानी 47.37 वर्ग मीटर का एक आवासीय घर जिसमें भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कुल क्षेत्रफल 163.05 वर्ग मीटर आरसीसी लिंटर से कवर्ड प्रथम श्रेणी निर्माण, खसरा नं. 285 ग्राम कमरूद्दीन नगर, मढियाई परगना और तहसील–सरधना, जिला–मेरठ–250221, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व–पथ 12 फीट चौड़ा पश्चिम–घर चंदकिरण उत्तर – रास्ता 10 फीट चौड़ा दक्षिण – कथानक इकबाल।
7	वीएनएसजेपी22007694/विपिन कुमार गुप्ता/विजय कुमार गुप्ता/वाराणसी	रु.2075362/– (रुपये बीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ बासठ मात्र)	04.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में – खसरा अराजी संख्या 106, एडम.1945 वर्गफुट का हिस्सा, ग्राम –अलिखानपुर, परगना हवेली, तहसील–सदर, जौनपुर – 222002, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ: पूर्व–कच्चा रास्ता, पश्चिम–सुभाष की भूमि, उत्तर–कौशाय देवी का घर, फिर मोतीलाल की भूमि,दक्षिण–नाला
8	वीएनएसजीपी22007832/अनीता यादव/संतोष यादव/ वाराणसी	रु.703938/– (सात लाख तीन हजार नौ सौ अड़तीस रुपये केवल)	09.02.2024 02.03.2024 12.03.2024	अधिकार में अचल संपत्ति का टुकड़ा– आराजी नंबर–682, क्षेत्रफल 520 वर्गफीट। मौजा–सराय गुलहरिया, टप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर। जिला–गोरखपुर – 273001, उत्तर प्रदेश। सीमाएँ: पूर्व–पी/ओ अन्य, पश्चिम–भूमि धारावती देवी, उत्तर–पथ 18 फीट चौड़ा, दक्षिण–पी/ओ अन्य

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल रहेंगे, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के लागत और परिणाम के संबंध में खिलाफ कार्रवाई करेगा, पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है। इसके तहत, अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास औरध्या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः उत्तर प्रदेश दिनांकः13.03.2024 **हस्ता/– सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी**

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

KOURA
Fine Diamond Jewellery

KOURA FINE DIAMOND JEWELRY LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Koura Fine Diamond Jewelry Limited' a public limited company under the Companies Act, 2013 at Ahmedabad, pursuant to a certificate of incorporation dated March 25, 2022, issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad ("RoC"). Subsequently, our Company has acquired the entire running business with the assets and liabilities of M/s Aurum Jewels, sole proprietorship concern of our Promoter Mr. Kamlesh Keshavlal Lodhiya vide Business Succession Agreement dated March 13, 2023. Our Company's Corporate Identity Number is U36999GJ2022PLC130379. For details, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 111 of this Prospectus.

Registered Office: 304, Iscon Emporio, B/S Star India Bazar Nr. Jodhpur Cross Road, Satellite, Ahmedabad Gujarat- 380015 India;
Telephone: +91 7016302567; **Email:** info@kouradiamondjewelry.com; **Website:** www.kouradiamondjewelry.com;
Contact Person: Ms. Asha Rameshwarlal Jain, Company Secretary & Compliance Officer;
Corporate Identification Number: U36999GJ2022PLC130379

OUR PROMOTERS: KAMLESH KESHAVLAL LODHIYA

The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited ("BSE SME")

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF 10,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF KOURA FINE DIAMOND JEWELRY LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 55.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ 45.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING ₹ 550.00 LAKHS (THE "ISSUE"). 70,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 38.50 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 9,30,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 55.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 511.50 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.77 % AND 25.82 % RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 162 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PRICE IS ₹ 55/ PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH
THE ISSUE PRICE IS 5.5 TIMES OF THE FACE VALUE

ISSUE PERIOD		
	Bid Opening Date	WEDNESDAY, MARCH 06, 2024
	Initiation of Unblocking of Funds/refund (T+2 Days)	ON OR BEFORE, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
	Bid Closing Date (T Day)	MONDAY, MARCH 11, 2024
	Credit of Equity Shares to demat accounts of Allottees (T+2 Days)	ON OR BEFORE, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024
	Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange/ Allotment of Securities (T+1 Day)	ON OR BEFORE, TUESDAY, MARCH 12, 2024
	Commencement of Trading of Equity Shares on the Stock Exchange / Listing Date (T+3 Days)	ON OR BEFORE THURSDAY, MARCH 14, 2024

RISKS TO INVESTORS

- The Merchant Banker associated with the Issue has handled 21 public issues in the past two years out of which no issues closed below the Issue Price on Listing date
- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoter Kamlesh Keshavlal Lodhiya is Rs. 9.88 per Equity Share and the Issue Price is Rs. 55 per Equity Share.
- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for year ended March 2023 for the company is 0.98%.
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2023 is 6.74%.

Detail of the Applications Received:

Sr. No.	Category	Gross		Less: Rejections		Valid	
		Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares	Applications	Equity Shares
1	Non Retail Investors	20,374	17,79,32,000	306	21,94,000	20,068	17,57,38,000
2	Market Makers	1	70,000	0	0	1	70,000
3	Retail Individual Investors	2,54,372	50,87,44,000	4,080	81,60,000	2,50,292	50,05,84,000
	Totals	2,74,747	68,67,46,000	4,386	1,03,54,000	2,70,361	67,63,92,000

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on March 12, 2024.

1) **Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections)**

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 55/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 725.48 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 690,000 Equity Shares to 345 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

No. of Applications	Valid Shares Applied	Shares Available for Allotment (After rounding off)	No. of Times Subscribed
250,292	500,584,000	690,000	725.484058

2) **Allotment to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections)**

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 55/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 732.24 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,40,000 Equity Shares to 120 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under (Sample Basis):

No. of Applications	Valid Shares Applied	Shares Available for Allotment	No. of Times Subscribed
20,068	175,738,000	240,000	732.241667

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Application Received	% of Total	Total No. of Shares Applied in each Category	% to Total	Total No. of Shares Allotted	Ratio	
4000	14584	72.67	58336000	33.19	80000	5	1823
6000	1318	6.57	7908000	4.50	12000	3	659
8000	1037	5.17	8296000	4.72	12000	6	1037
10000	487	2.37	4870000	2.77	6000	3	487
12000	186	0.93	2232000	1.27	4000	1	93
14000	140	0.70	1960000	1.12	2000	1	140
16000	142	0.71	2272000	1.29	4000	1	71
18000	270	1.35	4860000	2.77	6000	1	90
20000	1230	6.13	24600000	14.00	34000	17	1230
22000	115	0.57	2530000	1.44	4000	2	115

Summary of Allotment:

Category	Valid Shares received in each category	No. of Shares Reserved (as per Prospectus)	Based on the valid subscription & forms received in the Retail category	Equity Shares Allotted
Non-Retail Investor's	17,57,38,000	4,64,000	-2,24,000	2,40,000
Market Makers	70,000	70,000	0	70,000
Retail Individual Investor's	50,05,84,000	4,66,000	2,24,000	6,90,000
Issue Size	**67,63,92,000**	**10,00,000**	**0**	**10,00,000**

The Board of Directors of our Company at its meeting held on March 12, 2024 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before March 13, 2024 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on March 13, 2024. In case the same is not received within two working days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before March 12, 2024 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on March 14, 2024.
Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 28, 2024 filed with the Registrar of Companies, Ahmedabad ("RoC").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Kfin Technologies Limited at website: www.kfintech.com
All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

KFINTECH
EXPERIENCE TRANSFORMATION

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED
(Formerly known as KFin Technologies Private Limited)
Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana, India
Contact Person: Mr. M. Murali Krishna
Tel: +91 40 6716 2222, **Fax**: +91 40 2343 1551,
Email: kfdjl.ipo@kfintech.com
Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com
Website: www.kfintech.com
SEBI Registration No.: INR000000221

On behalf of Board of Directors
For KOURA FINE DIAMOND JEWELRY LIMITED
Sd/-
Ms. Asha Rameshwarlal Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ahmedabad, Gujarat
Date: March 12, 2024

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF KOURA FINE DIAMOND JEWELRY LIMITED.

Disclaimer: Koura Fine Diamond Jewelry Limited is proposing, public issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Gujarat Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.gyrcapitaladvisors.com, website of the BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and Website of Issuer Company at https://www.bseindia.com/ Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on Page No. 25 of the Prospectus,

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

www.readwhere.com

'आदिवासी संकल्प' से आदिवासियों के 'जल, जंगल, जमीन' की रक्षा करेंगे : खरगे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी 'आदिवासी संकल्प' की गारंटी के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों तथा उनके 'जल, जंगल, जमीन' की रक्षा करेगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान आदिवासियों के लिए छह सूत्री 'संकल्प' की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में वन सरंक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वन क्षेत्र को मित्र पूंजीपतियों को दिया जा रहा है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए कांग्रेस ने जारी की छह गारंटी

परेशान करने वाले कानूनों को वापस लेगी कांग्रेस सरकार

खरगे का कहना था, 'हम आदिवासियों के 'जल जंगल जमीन' की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसे कानून के तहत करेंगे। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को कांग्रेस वापस लेगी, जिनसे आदिवासियों को बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सभी बस्तियों या बस्तियों के समूहों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां अनुसूचित जनजाति (एसटी) सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम' (पेसा) के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 'ग्राम सरकार' और 'स्वायत्त जिला सरकार' की स्थापना हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अधिकार कानून, जो एमएसपी को कानूनी दर्जा देगा, वह छोटे वन उपज को भी कवर करेगा।

पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए एएसआइ ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

राष्ट्रीय संग्रहालय के सभागार में मंगलवार को आयोजित किए गए एक समारोह में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ चौदह पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। इनमें आठ स्थल ऐसे हैं जिनके संरक्षण की जिम्मेदारी एक कंपनी द्वारा उठाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा छह ऐसे हैं जिन्हें एक से अधिक कंपनियों द्वारा संरक्षण प्रदान करने में मदद की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एएसआइ की इस कोशिश के जरिए पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण को बड़े पर बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके लिए औद्योगिक समूहों को संरक्षण के पुराने ढर्रे से बाहर निकलना पड़ेगा।

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, 8वां तल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी कार्यालय परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
दूरभाष सं.: 011–69297163, 69297166, 69297177

अधिग्रहण सूचना

एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत सूचित किया जाता है कि बैंक ने निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर को निम्न तालिका में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उनसे उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि, वे निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उन्हें तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उधारकर्ता के नाम के समक्ष अंकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है।
उधारकर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें। सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, उनके अर्थात् उधारकर्ताओं के नामों के समक्ष अंकित राशि और इस राशि पर नियत भावी ब्याज व शुल्कों हेतु आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम तथा संपत्ति के स्वामी	मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि एवं अधिग्रहण स्थिति	बंधककृत संपत्ति का विवरण	धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में अंकितानुसार बकाया राशि
1.	श्री संदीप कुमार डांग ("उधारकर्ता") और श्रीमती अंजू डांग ("सह–उधारकर्ता")	05.01.2024	11.03.2024 (सांकेतिक)	519, प्रथम तल, शक्ति खंड 3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014	रु. 33,93,109/– (रुपये तैंतिस लाख तिरानबे हजार एक सौ नौ मात्र) 08–11–2023 के अनुसार
2.	श्रीमती कविता झा ("उधारकर्ता")	22.09.2021	11.03.2024 (भौतिक)	रेजिडेंशियल सर्विस सूट 2006, 2011 एवं 2026, द्वितीय तल, प्लॉट नं.–1, सेक्टर 5 एमसीआई द्वारा विकसित, वसुन्धरा गाजियाबाद, यूपी 201010	रु. 1,06,26,619/– (रुपये एक करोड़ छह लाख छब्बीस हजार छह सौ उन्नीस मात्र) 10.03.2021 के अनुसार

दिनांक : 12–03–2024, स्थान : नई दिल्ली
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर रेलवे

ई–नीलामी हेतु सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/माल भाड़ा, दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2022/टीसी (एफएम)/10/04 दिनांक 13.06.2022, के अनुसार दिल्ली मंडल के विभिन्न स्टेशनों (नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली, आनंदविहार एवं दिल्ली सराय रोहिल्ला) पर दो–पहिया और अन्य पार्सल की पैकिंग सेवाएँ को 03 (तीन) वर्षों के अनुबंध पर देने के लिए आईआरईपीएस के ई–नीलामी मॉडयूल के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की जाती है:

क्रम सं	ई–नीलामी के आरम्भ होने की तिथि तथा समय	संसाधन जिनकी नीलामी की जानी है
1.	27.03.2024 को प्रातः 10:30 बजे	नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली, आनंद विहार एवं दिल्ली सराय रोहिल्ला (5 पांच रेलवे स्टेशनों) पर दो–पहिया और अन्य पार्सल की पैकिंग सेवाएँ के लिए 03 (तीन) वर्षों का अनुबंध।

महत्वपूर्ण सूचना:
1. ई–नीलामी के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को **https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.html.** (e-Auction leasing section). पर जाने की सलाह दी जाती है।
2. **धरोहर राशि जमा (ईएमडी):** नीलामी के दौरान कुल संविदात्मक बोली मूल्य का 5% ऑनलाइन जमा किया जाना है। सफल बोलीदाता की ईएमडी सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी।
3. रेलवे प्रशासन किसी भी समय इन अनुबंधों को शीघ्र समाप्त करने और/या स्थितियों के आधार पर संशोधित/अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ इन अनुबंधो को बंद करने/जारी रखने के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।

789/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : भूखंड–15, 6वां तल, सेक्टर–44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002,
शाखा कार्यालय : दुकान नंबर 6, जमनी मुहाल, सीआर मॉल, पार्क रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा 282002, दूसरा टावर, दूसरी मंजिल, 19–ईसी रोड, यूनिवर्सल कार्यालय के पास, सर्वे चौक, देहरादून–248001, कार्यालय संख्या–4,5,6,7, प्रथम तल, श्री राम प्लेसेज, मोहा मार्केट, सेक्टर–27, निजामक हॉस्पिटल के पास, अहा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश, दुकान नंबर एस8, पहली मंजिल, ब्राजपत नगर, जीटी रोड, सीएमबी बैंक के पास, गाजियाबाद – 201001, 66, सी/जीडी, सिविल लाइन, दूसरी मंजिल, बाटा शोरूम के ऊपर, रायपुर–492001, पहली मंजिल, पहली मंजिल, एलसीएस 12 मुख्य बाजार, सेक्टर 14, गोल्फ्रेस – 131001

सार्वजनिक सूचना – अचल संपत्ति के विक्रय की बोलियां

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत]

निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधककृत/गिरवी रखी प्रतिभूति/यों के विक्रयार्थ सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से निम्न उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधककृत/गिरवी निम्न विवरणित अचल संपत्ति/यों, जिसका अधिग्रहण अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रतिभूत अधिकारी (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय 29–03–2024 (बोलियों की तिथि) को "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" और "यहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय निम्न वर्णित उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता एवं गारंटरों की ओर बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे दर्शाया गया है। कर्तव्यनिष्ठ बोलीदारों से प्रतिभूति हित के लिए धारण राशि के कुल भुगतान निबंधन, अधिसूचना की प्रतिभूत अधिकारी के पास 27–03–2024 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा/निगमित कार्यालय के पते : भूखंड–15, 6वां तल, सेक्टर–44, इंस्टिट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, दुकान नंबर 6, जमनी मुहाल, सीआर मॉल, पार्क रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा 282002, दूसरा टावर, दूसरी मंजिल, 19–ईसी रोड, यूनिवर्सल कार्यालय के पास, पार्क चौक, देहरादून–248001, कार्यालय संख्या–4,5,6,7, प्रथम तल, श्री राम प्लेसेज, मोहा मार्केट, सेक्टर–27, निजामक हॉस्पिटल के पास, अहा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश, दुकान नंबर एस8, पहली मंजिल, ब्राजपत नगर, जीटी रोड, सीएमबी बैंक के पास, गाजियाबाद – 201001, 66, सी/जीडी, सिविल लाइन, दूसरी मंजिल, बाटा शोरूम के ऊपर, रायपुर–492001, पहली मंजिल, पहली मंजिल, एलसीएस 12 मुख्य बाजार, सेक्टर 14, गोल्फ्रेस – 131001 के पास जिसमें भी कार्यदिवस का समय 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के मध्य उपलब्ध होगा।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी (यियों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनात्मक / भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
LA11CLLONS0 00005008497/ AP-10013523	1. श्री/श्रीमती अनीता 2. श्री/श्रीमती रविन त्यागी 3. श्री/श्रीमती विपिन त्यागी	तिथि : 17.05.2022 रु. 4534764.43/– (पैंतालीस लाख चौंतीस हजार सात सौ चौंसठ एवं तैंतालिस पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 35,00,000/– (रुपये पैंतिस लाख मात्र)	रु. 3,50,000/– (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
LA11CLLONS0 00005038547/ AP-10080938	1. श्री/श्रीमती अनीता 2. श्री/श्रीमती अनीता 3. श्री/श्रीमती मनु सिंह 4. श्री/श्रीमती मनु सिंह	तिथि : 14.12.2022 रु. 1937337.54/– (रुपये उन्नीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ सैंतीस एवं चौंतीस पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु.14,61,000/– (चौदह लाख इकसठ केवल हजार)	रु.1,46,100/– (एक लाख छयालीस हजार एक सौ केवल सौ)
CLA10000420 8 & LA28ECLONS0 0005031638/ AP-0793030 & AP-10061980	1. श्री/श्रीमती अब्दुल रशीद 2. श्री/श्रीमती मनोज रावत 3. श्री/श्रीमती रघुनाथ सिंह रावत	तिथि : 20.06.2022 रु. 2231419.11/– (रुपये बाइस लाख इकतीस हजार चार सौ उन्नीस एवं पैसे ग्यारह मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 18,00,000/– (रुपये अट्ठारह लाख मात्र)	रु. 1,80,000/– (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
CHL100002933/ AP-0690324	1. श्री/श्रीमती लखबीर कौर पत्नी गिरधर गोपाल 2. श्री/श्रीमती गिरधर गोपाल	दिनांक : 16.07.2022 रु. 1677883.58/– (रुपये सोलह लाख सत्तहत्तर हजार आठ सौ तिरानबे एवं अट्ठावन पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 13,50,000/– (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,35,000/– (रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र)
HL11CHLONS0 00005006254/ AP-10004508	1. श्री/श्रीमती संगम देवी 2. श्री/श्रीमती अजय चौधरी	दिनांक 13.10.2022 रु. 25,84,439.18/– (रुपये पच्चीस लाख चौंसठ हजार चार सौ उनतालिस एवं अठारह पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 38,00,000/– (रुपये अड़तीस लाख मात्र)	रु. 3,80,000 /– (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
CHL100003246/ AP-0700651	1. श्री/श्रीमती लता 2. श्री/श्रीमती लता 3. श्री/श्रीमती अजय कुमार 4. श्री/श्रीमती अजय कुमार	दिनांक 09.06.2021 रु. 1082255.06/– (रुपये दस लाख अस्सी हजार दो सौ पचपन एवं छह पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/– (रुपये नब्बे हजार मात्र)
LA11CLLONS0 00005013393/ AP-10033951	1. श्री/श्रीमती नीतू डागर 2. श्री/श्रीमती राजीव सिंह	दिनांक 11.12.2021 रु. 7,84,202.82/– (रुपये सात लाख चौरासी हजार दो सौ दो एवं बयानबे पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 8,50,000/– (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 85,000/– (रुपये पिचासी हजार मात्र)
HL11AHLONS0 00005026807/ AP-10046774	1. श्री/श्रीमती शिखा जैन पत्नी रजनीश कुमार अग्रवाल 2. श्री/श्रीमती रजनीश कुमार अग्रवाल	दिनांक 10.08.2022 रु. 8721005.53/– (रुपये नौ लाख बहत्तर हजार एक सौ पांच एवं तिरेपन पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/– (रुपये नब्बे हजार मात्र)
LA11CLLONS0 00005030513/ AP-10055489	1. श्री/श्रीमती गुड्डी 2. श्री/श्रीमती गुड्डी 3. श्री/श्रीमती लक्ष्मण सिंह	दिनांक 22.08.2022 रु. 10,82,305.07/– (रुपये दस लाख बयासी हजार तीन सौ पैंतीस एवं सात पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 9,55,000/– (रुपये नौ लाख पचपन हजार मात्र)	रु. 95,500/– (रुपये पिचानबे हजार पांच सौ मात्र)

संपत्ति का विवरण : खसरा नंबर 1087 (किल्ली 1399 से 1454) खसरा नंबर 2632 का समस्त भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 704.55 वर्ग मीटर, जो मौजा एटमादपुर, परगना रावला पूठा, तहसील किठौर, जिला देहरादून में स्थित है, सीमा:– पूर्व: दूसरों की भूमि, पश्चिम: नरेन्द्र कुमार त्यागी की भूमि, जिनसे की गई 45 फीट, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा उपमार्ग, मार्ग गई 25 फीट, उत्तर: दूसरों की भूमि, मार्ग गई 25 फीट।

संपत्ति का विवरण : भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 269.12 वर्ग गज अर्थात् 141.48 वर्ग मीटर का भूमि क्षेत्र जो आबादी खसरा नंबर 104 मिलाकर ग्राम गोंदा, बेगमपुर, परगना और तहसील बाबरी, जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थित, सीमाएं : पूर्व– श्री राहुल त्यागी की संपत्ति, पश्चिम– श्री हरिनारायण की संपत्ति, उत्तर– श्री रामसेवक शर्मा की संपत्ति, दक्षिण–मार्ग 15 फीट चौड़ा

संपत्ति का विवरण : भूखंड नंबर 321 के अंतर्गत आने वाले 200 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम नोएडा परगना तहसील बाबरी जिला गौतमबुद्धनगर उ.प्र. में स्थित, सीमा:– पूर्व: प्लॉट का प्लॉट, पश्चिम: प्लॉट का प्लॉट, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: सड़क 6 फीट चौड़ी।

संपत्ति का विवरण : भूखंड सं. 46 धारक भूमि के समस्त भाग तथा अंश, जो खसरा नंबर 31/1, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटरके तुल्य इकाईयों मौजा क्षेत्रफल तहसील और जिला आगरा में स्थित है, सीमा:– पूर्व– प्लॉट नंबर–45, पश्चिम– प्लॉट नंबर–43, उत्तर– अन्य भूमि, दक्षिण– सड़क 20 फीट

संपत्ति का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो, खसरा संख्या 152 मि. पा. क्षेत्र रकबा 1100.69 वर्ग मीटर, ग्राम सिकन्दरपुर, तहसील मथुरा जिला मथुरा सिद्ध नगर में स्थित, सीमा:– पूर्व: निर्माता की भूमि, पश्चिम– 3.65 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर– 3.34 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण– निर्माता की भूमि।

संपत्ति का विवरण : उक्त भूखंड के समस्त भाग तथा अंश जिसका अधिग्रहण 81 वर्ग गज क्षे–2.66एम है, जो 55/2ग्रमें किल्ले पर, खुत पूर्व 00 क्ष2.66 में से, खेवट नंबर–365/313 खाता नंबर 123, किला नंबर 241/18/3(3–0) में स्थित, मौजाना की एम.सी. सीमाओं, कुम्भ कॉलोनी, मौजाना, तह. मौजाना, जिला कोशिया में स्थित है, सीमा:– उत्तर:– प्लॉट दिनांक, दक्षिण– प्लॉट दिनांक, पूर्व:– गली 18 फीट, पश्चिम– गली 18 फीट।

संपत्ति का विवरण : खसरा नंबर 1087 (किल्ली 1399 से 1454) खसरा नंबर 2632 का समस्त भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 704.55 वर्ग मीटर, जो मौजा एटमादपुर, परगना रावला पूठा, तहसील किठौर, जिला देहरादून में स्थित है, सीमा:– पूर्व: दूसरों की भूमि, पश्चिम: नरेन्द्र कुमार त्यागी की भूमि, जिनसे की गई 45 फीट, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा उपमार्ग, मार्ग गई 25 फीट, उत्तर: दूसरों की भूमि, मार्ग गई 25 फीट।

संपत्ति का विवरण : भूखंड सं. 46 धारक भूमि के समस्त भाग तथा अंश, जो खसरा नंबर 31/1, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटरके तुल्य इकाईयों मौजा क्षेत्रफल तहसील और जिला आगरा में स्थित है, सीमा:– पूर्व– प्लॉट नंबर–45, पश्चिम– प्लॉट नंबर–43, उत्तर– अन्य भूमि, दक्षिण– सड़क 20 फीट

संपत्ति का विवरण : भूखंड धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा नंबर 874 और 877 के पर, ग्राम अलीनगर बहरूड़, परगना सकराई, तहसील जिला–करौली में स्थित है।

संपत्ति का विवरण : उक्त भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 269.12 वर्ग गज अर्थात् 141.48 वर्ग मीटर का भूमि क्षेत्र जो आबादी खसरा नंबर 104 मिलाकर ग्राम गोंदा, बेगमपुर, परगना और तहसील बाबरी, जिला गौतमबुद्ध नगर में स्थित, सीमाएं : पूर्व– श्री राहुल त्यागी की संपत्ति, पश्चिम– श्री हरिनारायण की संपत्ति, उत्तर– श्री रामसेवक शर्मा की संपत्ति, दक्षिण–मार्ग 15 फीट चौड़ा

संपत्ति का विवरण : धारक नंबर 321 के अंतर्गत आने वाले 200 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम नोएडा परगना तहसील बाबरी जिला गौतमबुद्धनगर उ.प्र. में स्थित, सीमा:– पूर्व: प्लॉट का प्लॉट, पश्चिम: प्लॉट का प्लॉट, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: सड़क 6 फीट चौड़ी।

संपत्ति का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो, खसरा संख्या 152 मि. पा. क्षेत्र रकबा 1100.69 वर्ग मीटर, ग्राम सिकन्दरपुर, तहसील मथुरा जिला मथुरा सिद्ध नगर में स्थित, सीमा:– पूर्व: निर्माता की भूमि, पश्चिम– 3.65 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर– 3.34 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण– निर्माता की भूमि।

संपत्ति का विवरण : उक्त भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका अधिग्रहण 81 वर्ग गज क्षे–2.66एम है, जो 55/2ग्रमें किल्ले पर, खुत पूर्व 00 क्ष2.66 में से, खेवट नंबर–365/313 खाता नंबर 123, किला नंबर 241/18/3(3–0) में स्थित, मौजाना की एम.सी. सीमाओं, कुम्भ कॉलोनी, मौजाना, तह. मौजाना, जिला कोशिया में स्थित है, सीमा:– उत्तर:– प्लॉट दिनांक, दक्षिण– प्लॉट दिनांक, पूर्व:– गली 18 फीट, पश्चिम– गली 18 फीट।

संपत्ति का विवरण : खसरा नंबर 1087 (किल्ली 1399 से 1454) खसरा नंबर 2632 का समस्त वह भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 704.55 वर्ग मीटर, जो मौजा एटमादपुर, परगना रावला पूठा, तहसील किठौर, जिला देहरादून में स्थित है, सीमा:– पूर्व: दूसरों की भूमि, पश्चिम: नरेन्द्र कुमार त्यागी की भूमि, जिनसे की गई 45 फीट, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा उपमार्ग, मार्ग गई 25 फीट, उत्तर: दूसरों की भूमि, मार्ग गई 25 फीट।

संपत्ति का विवरण : भूखंड धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जो ग्राम नाथोपुर, डबलपुर पलासा बरनावपुर, दादरान मंदिर के पास, सकराई हरियाणा, क्षेत्रफल 2470वर्ग में स्थित, सीमा :– पूर्व– किसान का खेत प्लॉट, पश्चिम– रास्ता 16 फीट चौड़ा, उत्तर:– बाबू का भूखंड, दक्षिण– पानम और सीमेंटी सड़क की सड़कें।

संपत्ति का विवरण : धारक नंबर 221 के अंतर्गत आने वाले 200 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम नोएडा परगना तहसील बाबरी जिला गौतमबुद्धनगर उ.प्र. में स्थित, सीमा:– पूर्व: प्लॉट का प्लॉट, पश्चिम: प्लॉट का प्लॉट, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: सड़क 6 फीट चौड़ी।

संपत्ति का विवरण : भूखंड सं. 46 धारक भूमि के समस्त भाग तथा अंश, जो खसरा नंबर 31/1, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटरके तुल्य इकाईयों मौजा क्षेत्रफल तहसील और जिला आगरा में स्थित है, सीमा:– पूर्व– प्लॉट नंबर–45, पश्चिम– प्लॉट नंबर–43, उत्तर– अन्य भूमि, दक्षिण– सड़क 20 फीट

संपत्ति का विवरण : संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो, खसरा संख्या 152 मि. पा. क्षेत्र रकबा 1100.69 वर्ग मीटर, ग्राम सिकन्दरपुर, तहसील मथुरा जिला मथुरा सिद्ध नगर में स्थित, सीमा:– पूर्व: निर्माता की भूमि, पश्चिम– 3.65 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर– 3.34 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण– निर्माता की भूमि।

ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी (यियों)/विधिक प्रतिनिधि के नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार (रचनात्मक / भौतिक के अंतर्गत)	आरक्षित मूल्य (रु.)	धरोहर राशि (रु.)
LA11CLLONS0 00005027717/ AP-10043155	1. श्री/श्रीमती सुधा 2. श्री/श्रीमती महेश कुमार	दिनांक : 24.03.2022 रु. 12,21,397.19/– (रुपये बारह लाख इक्कीस हजार तीन सौ सत्तानबे एवं उन्नीस पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 34,00,000/– (रुपये चौंतिस लाख मात्र)	रु. 3,40,000/– (रुपये तीन लाख चालीस हजार मात्र)
HL14CHLONS0 00005008356/ AP-10012850	1. श्री/श्रीमती राज कुमारी पत्नी राजाराम 2. श्री/श्रीमती पंकज कुमार शर्मा	दिनांक: 16.07.2022 रु. 1413856.45/– (रुपये चौदह लाख तेरह हजार आठ सौ छप्पन एवं पैंतालिस पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 9,50,000/– (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 95,000/– (रुपये पिचानबे हजार मात्र)
HL11CHLONS0 00005006564/ AP-10007441	1. श्री/श्रीमती शबनम बेगम 2. श्री/श्रीमती मोहम्मद जाहिद अली	दिनांक: 20.06.2022 रु. 6,00,174.00/– (रुपये छह लाख अस्सी हजार एक सौ चौहत्तर एवं नौ पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 5,50,000/– (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)	रु. 55,000/– (रुपये पचपन हजार मात्र)
LA11CHLONS0 00005049817/ AP-10112392	1. श्री/श्रीमती कविता पत्नी संजय 2. श्री/श्रीमती संजय	दिनांक: 12.01.2023 रु. 854100.00/– (रुपये आठ लाख चौवन हजार एक सौ एवं नौ पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 7,50,000/– (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)	रु. 75,000/– (रुपये पिचहत्तर हजार मात्र)
HLGZCHLONS000 005038865 & LAGZCLLONS000 005041385/ AP-10082972 & AP-10084173	1. श्री/श्रीमती सुषमा 2. श्री/श्रीमती कैलाशनाथ	दिनांक: 20.06.2023 रु. 1606201.39/– (रुपये पन्द्रह लाख छह हजार दो सौ एक एवं उनतालिस पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 12,00,000/– (रुपये बारह लाख मात्र)	रु. 1,20,000/– (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
LA11CLLONS0 00005047755/ AP-10108452	1. श्री/श्रीमती अंजलि 2. श्री/श्रीमती रमेश 3. श्री/श्रीमती नरेंद्र 4. श्री/श्रीमती विकास	दिनांक: 19.06.2023 रु. 9,48,110/– (रुपये नौ लाख अड़तालीस हजार एक सौ दस मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 9,31,000/– (रुपये नौ लाख इकतीस हजार मात्र)	रु. 93,100/– (रुपये तिरानबे हजार एक सौ मात्र)
LAGZCLLONS 000005048079 / AP-10104569	1. श्री/श्रीमती निशा 2. श्री/श्रीमती गोपाल गिरि	दिनांक: 19.06.2023 रु. 808401/– (रुपये नौ लाख आठ हजार चार सौ इकतालीस मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 8,00,000/– (रुपये आठ लाख मात्र)	रु. 80,100/– (रुपये तेरासी हजार एक सौ मात्र)
LA11CLLONS0 00005006254/ AP-10004508	1. श्री/श्रीमती संगम देवी 2. श्री/श्रीमती अजय चौधरी	दिनांक 13.10.2022 रु. 25,84,439.18/– (रुपये पच्चीस लाख चौंसठ हजार चार सौ उनतालिस एवं अठारह पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 38,00,000/– (रुपये अड़तीस लाख मात्र)	रु. 3,80,000 /– (रुपये तीन लाख अस्सी हजार मात्र)
CHL100003246/ AP-0700651	1. श्री/श्रीमती लता 2. श्री/श्रीमती लता 3. श्री/श्रीमती अजय कुमार 4. श्री/श्रीमती अजय कुमार	दिनांक: 09.06.2021 रु. 1082255.06/– (रुपये दस लाख अस्सी हजार दो सौ पचपन एवं छह पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90,000/– (रुपये नब्बे हजार मात्र)
HL24CHLONS0 00005004518/ AP-0984165	1. श्री/श्रीमती ऋतु त्यागी 2. श्री/श्रीमती गौरव कुमार त्यागी	दिनांक 16.08.2022 रु. 1937337.54/– (रुपये उन्नीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ सैंतीस एवं चौंतीस पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 20,00,000/– (रुपये बीस लाख मात्र)	रु. 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र)
LA11CLLONS0 00005013393/ AP-10033951	1. श्री/श्रीमती नीतू डागर 2. श्री/श्रीमती राजीव सिंह	दिनांक 11.12.2021 रु. 7,84,202.82/– (रुपये सात लाख चौरासी हजार दो सौ दो एवं बयानबे पैसे मात्र)	सांकेतिक अधिग्रहण	रु. 8,50,000/– (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 85,000/– (रुपये पिचासी हजार मात्र)
HL11AHLONS0 00005026807/ AP-10046774	1

पंजाब नैशनल बैंक
.....भरोसे का प्रतीक

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली,
द्वितीय तल, विक्रांत टॉवर,
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110018

शुद्धिपत्र

दिनांक 12.02.2024 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस में शाखा ओल्ड राजिन्दर नगर के कर्जदार **मैसर्स दिवयांशु इंटरप्राईजेज (क्र.सं. 13), की सम्पत्ति, के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह सम्पत्ति अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। यह संपत्ति तकनीकी कारणों से 15.03.2024 को होने वाली ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस ले ली गई है।**

शेष अन्य खाते/विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालय गुड़गाँव, प्लॉट नं. 16, इरकॉन टावर, चौथी मंजिल, सेक्टर–32, गुरुग्राम–122003
कॉर्पोरेट कार्यालय: 254–260, AVVAI शनमुगम सलाई, रोयापेटा चेन्नई–600014

सार्वजनिक सूचना

दिनांक **10.02.2024** को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि **कर्जदार:** मैसर्स सिंगला इंडस्ट्रीज (क्र.सं 4) की ई–नीलामी दिनांकित **20.03.2024 को होनी थी के इस खाते की सम्पत्ति को बैंक ने तकनीकी कारणों के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। शेष पूर्वानुसार रहेंगी।**

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का. सामान्य संचालन विभाग
ई-मेल: ho.god@psb.co.in

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी एकल संचालित जमा खातों और लॉकर खातों में 100% पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में हम पंजाब एंड सिंध बैंक अपने सभी एकल संचालित जमा खातों और लॉकर खाता धारकों को यथाशीघ्र अपनी शाखाओं में नामांकन पंजीकरण निष्पादित करने के लिए सूचित करते हैं।

दिनांक 12.03.2023 सहायक महाप्रबंधक

प्रपत्र सं. यूआरसी–2
शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में]

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में दिल्ली में कम्पनी रजिस्ट्रार के पास इस सूचना के पन्द्रह दिनों के बाद किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि सायबर एसआरसी कंसल्टेन्सी एलएलपी, एक एलएलपी को शेयर्स द्वारा एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकृत की जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: ग्राहक सुरक्षा तथा उसके व्यावसायिक उद्देश्यों तथा आईटी अधिशासन, सायबर सुरक्षा जोखिम प्रबंध, सायबर लायएबिलिटी इंस्युरैन्सेस एवं अन्य संबंधित सेवाओं, फॉरेन्सिक ऑडिट्स, सुरक्षा नियंत्रण प्रबंध, वेन्डर सिक्युरिटी जोखिम प्रबंध, अनुपालन प्रबंध, आईटी एवं सिक्युरिटी ऑडिट, आईएस ऑडिट्स, थर्ड पार्टी ऑडिट सपोर्ट तथा मैनेज्ड सुरक्षा सेवा समाधानों-सॉफ्टवेयर अथवा संगठन के सुरक्षा वातावरण का प्रबंध तथा सपोर्ट, आउटसोर्सिंग अथवा प्रतिभा प्रबंधन सेवाओं तथा पार्टनर्स के बहुमत द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अन्य सहायक कार्यों तथा उपक्रमों से जुड़ी एकीकृत सुरक्षा समाधानों के साथ सायबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा तथा अधिशासन तथा एस्युरैन्स सेवाएँ उपलब्ध कराना।
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति बी-8, बेस्मेन्ट, प्रभात किरण बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गाँव (हरियाणा), पिनकोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।

आज, दिनांक 12 मार्च, 2024 को।

आवेदकों का नाम
सुषमा तनेजा
DPIN: 08015396
विक्रम तनेजा
DPIN: 03246493

केन फिन होम्स लिमिटेड
Can Fin Homes Ltd (Sponsor: Canara Bank)

59–60, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी, फरीदाबाद–121001
फोन : 0129–2436596, 2436527 मोबाइल : 7625079140
E-mail: faridabad@canfinhomes.com
CIN: L85110KA198PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केन फिन होम्स लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **04.12.2023** को जारी की थी जिसमें **(कर्जदार) श्रीमती सुधा पत्नी श्री संजय धीमान** एवं **श्री संजय धीमान पुत्र श्री ओम प्रकाश धीमान** एवं (गांरटर) **श्री सोनू शर्मा पुत्र श्री प्रेम चन्द शर्मा** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु. 51,41,603/–** (रुपए इक्यावन लाख इकतालिस हजार छः सौ तीन मात्र) उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर वसूली की तारीख तक, संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज के साथ।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों, गारंटर/रों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **11 मार्च 2024** को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, शाखा रेवाड़ी की बकाया राशि राशि **रु. 51,41,603/– (रुपए इक्यावन लाख इकतालिस हजार छः सौ तीन मात्र)** तथा उस पर आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

दूसरी मंजिल, जिसमें तीन शयनकक्ष, एक ड्राइंग, एक स्टोर, एक रसोई, दो शौचालय हैं, इसका कुल क्षेत्रफल 950 वर्ग फुट है। आवासीय प्लॉट नंबर 1631 पर छत का निर्माण किया गया है, ब्लॉक ई, सैनिक कॉलोनी, एक्सटेंशन नं. I, सेक्टर 49, क्षेत्रफल 235 वर्ग गज, फरीदाबाद हरियाणा– 121001.
चौहद्दी: उत्तर: प्लॉट नं. 1630, दक्षिण: प्लॉट नं.1632, पूर्व: प्लॉट नं. 1594, पश्चिम: सड़क

तिथि : 12-03-2024
स्थान : फरीदाबाद

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी,
केन फिन होम्स लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग जिला वृत जयपुर।

क्रमांक :-2023-24/10540-10569 दिनांक :- 6/3/2024

निविदा सूचना 112-113/2023-24

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जिला वृत, जयपुर के अधीन खण्ड द्वितीय जयपुर में जल जीवन मिशन के कार्य हेतु ई-प्रोक्यूमेंट के माध्यम से निविदा संख्या 112/23-24 से 113/23-24 के द्वारा आमन्त्रित की जाती है। निविदा संख्या 112/23-24 से 113/23-24 दिनांक 07.03.2024 से डाउनलोड की जाकर दिनांक 27.03.2024 तक अपलोड की जा सकेगी।
निविदा प्रपत्र व इससे संबंधित नियम व शर्तें विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेवसाइट पर देखे जा सकते हैं।
NIB NO: PHE2324A6224
UBN NO: PHE2324WSOB14994/PHE2324WSOB14995
www.eproc.rajasthan.gov.in 2. www.dipronline.org. 3 SPPP Portal
" जल ही जीवन है"
DIPR/C/2596/2024

हस्ता./- अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
जिला वृत, जयपुर

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय:– सी2/21, प्रथम तल, सी–ब्लॉक, माता चानन देवी रोड, जनकपुर, नई दिल्ली –110058

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों को उधारकर्ता/ओं को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि/ नोटिस की तारीख से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी।
उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता /ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों को कब्जा ग्रहण कर लिया है।
उधारकर्ता /ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन राशि तथा ऋण समझौते के अनुसार उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में,उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता /सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	एचओपू/जनवरी/0516/285994, बी.ओ: जनकपुरी,	श्री माणिक कश्यप और श्रीमती इंदु कश्यप	16.03.2023	रु.78,88,401.62 (रुपये अठहत्तर लाख अट्ठासी हजार चार सौ एक एवं बासठ पैसे मात्र)	07.03.2024 (भौतिक)	संपत्ति नं.–फ्लैट नं.702, 7वीं मंजिल, टॉवर – डी, प्राइमेरा रामप्रस्थ सिटी, सेक्टर 37डी, गुड़गांव, हरियाणा–122001 वाली सम्पत्ति के सभी भाग और अंश।

स्थान: जनकपुरी, दिनांक:11–03–2024 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालय: सस्त्र विभाग, निकट तहसील कार्यालय, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी **पंजाब नैशनल बैंक,** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है । उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **पंजाब नैशनल बैंक, विकास भवन, बिजनौर शाखा** के प्रभारों के अधीन होगा। ''उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।''

क्रं. स.	शाखा एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि एवं कब्जे का प्रकार	बकाया राशि
1.	शाखा: विकास भवन, बिजनौर ऋणी एवं बंधककर्ता: श्री उदय वीर सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह, **सह-ऋणी: 1.** श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री उदय वीर सिंह। **2.** कुमारी शैफाली राठी पुत्री श्री उदय वीर सिंह।	बंधक आवासीय भूमि स्थित प्लॉट नं0 एफ-5, गीता नगरी (ग्राम- मीरापुर रजा एवं फरीदपुर खेमा), सिविल लाइंस जिला- बिजनौर (उ0प्र0), (सम्पत्ति स्वामी डॉ0 उदय वीर सिंह पुत्र श्री राजाराम सिंह)। कुल माप क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 2884, पेज नं0 149 से 162, क्र0सं0 10909, दिनांक 09.12.2005, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँ:- उत्तर: सुरपाल सिंह आदि का प्लॉट, दक्षिण: 30 फीट चौड़ी रोड, पूर्व: सीमा रानी का प्लॉट, पश्चिम: पूनम जैन आदि का प्लॉट।	06.01.2024	12.03.2024 कब्जे का प्रकार सांकेतिक कब्जा	रू0 56,12,043.45 दिनांक 31.12.2023 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.01.2024 से

दिनांक– 12.03.2024 स्थान: मेरठ प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालय गुड़गाँव, प्लॉट नं. 16, इरकॉन टावर, चौथी मंजिल, सेक्टर–32, गुरुग्राम–122003
कॉर्पोरेट कार्यालय: 254–260, **AVVAI** शनमुगम सलाई, रोयापेटा चेन्नई–600014

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार इंडियन बैंक (पूर्व मे – इलाहाबाद बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांको को बेचा जाएगा। ई–नीलामी मोड के माध्यम से बिक्री हेतु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	उधारकर्ता/पार्टनर्स/प्रोपराईटर/गारंटर/बंधककर्ता/निदेशक दृष्टिबंधक/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण	सम्पत्ति आईडी	प्रत्याभूत ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	संपत्ति और कागजात के निरीक्षण हेतु तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	संपत्ति पर भार का विवरण, यदि कोई ज्ञात/ज्ञात नहीं
1	(शाखा– सेक्टर 37 फरीदाबाद) 1. श्री अनिल तिवारी पुत्र बलराम तिवारी (उधारकर्ता और बंधककर्ता) 2. श्रीमती प्रवीण पत्नी श्री अनिल तिवारी (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता)	साम्यिक बंधक रिहायशी फ्लैट जोकि भूतल, प्लॉट नं. 1–ए, खसरा नं. 104/2/1 में से,, गाँव पालम के रेवेन्यू ईस्टेट में, दिल्ली स्टेट एरिया जिसे अब राजापुरी कहते है, नई दिल्ली–110059 में स्थित, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री अनील तिवारी और प्रवीन तिवारी के नाम पर है। कब्जे की स्थिति: भौतिक	IDIB3198972615	रु. 25,00,294.00 और दिनांक 10.03.2024 तक और दिनांक 11.03.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार एवं खर्चे इत्यादि	₹ 11.88 लाख ₹ 1.20 लाख ₹ 0.25 लाख	20-03-2024 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक	30.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार	मनीष मंगलानी मो. 7000751084	बैंक को ज्ञात नहीं
2	शाखा: पलवल 1. मैसर्स गोयल मोबाइल एंड कंप्यूटर वर्ल्ड (उधारकर्ता फर्म) 2. श्री गिरीश गोयल पुत्र श्री चंद्र प्रकाश (प्रोपराईटर) 3. श्री योगेश गोयल पुत्र श्री चंदर प्रकाश (गारंटर और बंधककर्ता)	**साम्यिक बंधक रिहायशी संपत्ति मकान नं. जीटी–239/2, सम्पत्ति नं. 1308, क्रमांक 5377, वार्ड नं. 20, एडजेकेंट टैगोर शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल, थाई मोहल्ला, ओल्ड जीटीडी रोड पलवल 121102 में स्थित, यह सम्पत्ति योगेश गोयल पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश के नाम पर है। बिक्री विलेख नं. 5552, दिनांकित 10.10.2013, क्षेत्रफल 125 वर्ग गज** **कब्जा की स्थिति : सांकेतिक**	IDIB3250001857	रु. 40,46,783.00 और दिनांक 11.03.2024 तक और दिनांक 12.03.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार एवं खर्चे इत्यादि	₹ 35.70 लाख ₹ 3.60 लाख ₹ 0.25 लाख	20-03-2024 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक	30.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार	श्री हेमपाल मीना, मो. 9592831654	बैंक को ज्ञात नहीं
3	शाखा: सेक्टर 55 गुड़गांव 1. श्री नीरज खन्ना पुत्र श्री राजेश खन्ना (उधारकर्ता) 2. श्री राजेश खन्ना पुत्र श्री मदन लाल (सह–उधारकर्ता)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि **द्वितीय तल पर पीछे की ओर का फ्लैट (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. डी–33, खसरा सं. 21/18 में से, ग्राम– मटियाला नन्हे पार्क, उत्तम नगर नई दिल्ली – 110059, क्षेत्रफल 65.0 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री राजेश खन्ना पुत्र मदन लाल खन्ना और श्री नीरज खन्ना पुत्र राजेश खन्ना के नाम पर है।** **क्षेत्रफल 65.00 वर्ग गज** **कब्जा की स्थिति – भौतिक**	IDIB3252011865	रु. 24,99,573.00 और दिनांक 10.03.2024 तक और दिनांक 11.03.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार एवं खर्चे इत्यादि	₹ 19.76 लाख ₹ 2.00 लाख ₹ 0.25 लाख	20-03-2024 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक	30.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार	अंचित कुमार मो. नं. 9793812250	बैंक को ज्ञात नहीं
4	शाखा: रोहतक आर648 1. मैसर्स. सुनील मेडिविजन (प्रोपराईटरशिप फर्म और उधारकर्ता) 2. श्री प्रीतम कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह (प्रोपराईटर एवं गारंटर) 3. श्रीमती सुनील पत्नी प्रीतम कुमार (गारंटर और बंधककर्ता) 4. श्री सुरिंदर पुत्र श्री सत्यवीर सिंह (गारंटर और बंधककर्ता)	रिहायशी मकान जोकि श्रीमती सुनील पत्नी श्री प्रतीम और श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री सत्यवीर सिंह के नाम पर है क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, सब रजिस्ट्रार रोहतक द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख नं. 7011, दिनांकित 07.09.2011, मकान नं. 1245/28, अर्पन स्कूल के विपरीत, अर्जुन नगर, गाँधी कैम्प, रोहतक, एम.सी लिमिट रोहतक के अंतर्गत, कब्जे की स्थिति: **सांकेतिक**	IDIB30157814327	रु. 86,02,198/- और दिनांक 10.03.2024 तक और दिनांक 11.03.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार एवं खर्चे इत्यादि	₹ 70.80 लाख ₹ 7.10 लाख ₹ 0.25 लाख	20-03-2024 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक	30.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार	मुकेश जांगिड मो. नं. 9829743273	बैंक को ज्ञात नहीं
5	शाखा: रोहतक आर648 1. मैसर्स. तुषार मेडिसिन (प्रोपराईटरशिप फर्म और उधारकर्ता) 2. श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री सत्यवीर सिंह (प्रोपराईटर और उधारकर्ता) 3. श्री रणबीर सिंह शौनक पुत्र श्री टी आर शौनक (गारंटर और बंधककर्ता) 4. श्रीमती बबीता शोनक पत्नी रणबीर सिंह शोनक (गारंटर और बंधककर्ता)	व्यवसायिक सम्पत्ति जोकि श्री रणबीर सिंह सोनक पुत्र टी आर सोनक और श्रीमती बबीता सोनक पत्नी श्री रणबीर सिंह सोनक के नाम पर है, बिक्री विलेख 9559, दिनांक 4.12.2009 को निष्पादित, क्षेत्रफल 125.25 वर्ग गज, प्लॉट नं. 13, व्यवसायिक भवन, सुभाष नगर, राज टॉकिज़ के पास, दिल्ली रोड़, रोहतक, एमसी लिमिट रोहतक के अंतर्गत कब्जे की स्थिति: **सांकेतिक**	IDIB30063247114	रु. 220,96,177/- और दिनांक 10.03.2024 तक और दिनांक 11.03.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत, अन्य प्रभार एवं खर्चे इत्यादि	₹ 320.80 लाख ₹ 32.10 लाख ₹ 0.25 लाख	20-03-2024 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक	30.03.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार	मुकेश जांगिड मो. नं. 9829743273	बैंक को ज्ञात नहीं

अधिक जानकारी और नियम एवं शर्तें : (1) जितेन्द्र कुमार मो. नं. 9838869555, (2) श्री अखिलेश कुमार जयसवाल (मो. **9198607029**) (3) श्री राकेश सोनी, प्रबंधक, मो. **8107500880**

1. संपत्ति विवरण और संपत्ति की तस्वीर और नीलामी के नियम और शर्तों के लिए कृपया **https://ibapi.in** देखें। 2. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com** में संपत्ति की खोज करते समय ऊपर उल्लिखित संपत्ति आईडी नं. का उपयोग करें।

दिनांक : 12.03.2024, स्थान : गुड़गाँव प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

कॉर्पोरेट कॉर्यालय : प्लॉट नं. 4, सैक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली–110075
मण्डल सस्त्रा केन्द्र, प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया,
सैक्टर–32, गुड़गाँव–122001, फोन : 0124-4788246

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामित्व का नाम	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क नं.
1	**शाखा: हथीन (143210)** **मैसर्स खान बैटरी हाउस कर्जदार/प्रोप.– तालीम (प्रोप.) पुत्र श्री शरीफ, उत्तरावर रोड, हातीन, पलवल, हरियाणा**	04.07.2015 रु. 16,05,986.00 दिनांक 04-07-2015 तक + भविष्य का ब्याज इत्यादि 08.12.2017 भौतिक	**मकान नं. 3623, वार्ड नं. 11, खेवट नं 1131 का पार्ट, महरम कॉलोनी, हथीन हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 101 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री तालीम पुत्र श्री शरीफ के नाम पर है।** (सम्पत्ति आई डी.**PUNB2182240039**	12.93 लाख 1.30 लाख 29.03.2024 0.50 लाख	30.03.2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं प्राधिकृत अधिकारी प्रवीन कुमार सम्मी, मुख्य प्रबंधक 8527977711
2	**पीएनबी शाखा: एनआईटी फरीदाबाद (016700)** **मैसर्स सूर्य इंजीनियरिंग,** 385/87 सोहना रोड, लाल कोठी के पास, जीवन नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद 121002, **श्री सुमत कुमार पुत्र जगजीत साहू,** मकान नं. 385 जीवन नगर, गाँधी बल्लभगढ़, फरीदाबाद 121002	13.05.2019 रु. 20,51,809.57 दिनांक 31-03-2019 तक + भविष्य का ब्याज इत्यादि 11.09.2019 सांकेतिक	**साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. 53, उत्तरी हिस्सा, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, जिसे अब एमसीएफ नं. 385/87 कहते है, जीवन नगर II, लाल कोठी के पास, सोहना रोड, मौज़ा गौउंची बल्लभगढ़, फरीदाबाद में स्थित, सेल डीड नं. 5387 दिनांकित 03.01.2001, यह सम्पत्ति कुंती देवी पत्नी सुमन कुमार के नाम पर है।** **PUNB2182240013** **Latitude:-28°20'57.2"N Longitude:-77°17'12.7"E**	30.83 लाख 3.10 लाख 29.03.2024 0.50 लाख	30.03.2024 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं प्राधिकृत अधिकारी प्रवीन कुमार सम्मी, मुख्य प्रबंधक 8527977711
3	पीएनबी: शाखा: न्यू रेलवे रोड, गुड़गाँव **(007110)** **श्री नरेंद्र कुमार पुत्र किशन,** मकान नं. 992, गली नं. 4, अशोक विहार, फेज–1, ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल के पास, गुड़गाँव–122001 **श्री विजेंद्र सिंह पुत्र किशन और श्रीमती मीना देवी,** मकान नं. 992, गली नं. 4, अशोक विहार, फेज–1, ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल के पास, गुड़गाँव–122001 **गारंटर: श्रीमती मीना देवी पत्नी नेरन्दर कुमार,** मकान नं. 992, गली नं. 4, अशोक विहार, फेज–1, ज्ञान दीप पब्लिक स्कूल के पास, गुड़गाँव–122001	07-12-2021 रु. 17,47,880.86/- दिनांक 31-08

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा

आतंकियों पर प्रतिबंध के प्रस्ताव को बाधित करना दोहरा मापदंड

संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च (भाषा)।

भारत ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादियों को काली सूची में डालने से संबंधित सबूतों पर आधारित प्रस्तावों में अकारण बाधा पैदा करने से इस बुराई से निपटने में दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। उसका परोक्ष इशारा चीन की ओर था जिसने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों पर पाबंदी लगाने की कोशिशों में अडंगा लगा रखा है।

भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र में कहा कि अब हम ऐसे उपसंगठनों की ओर नजर डालें जो अप्रत्यक्ष रुप से रहकर ऐसी निजी कार्यशैली एवं अस्पष्ट तौर-तरीके अपनाते हैं जिनका चार्टर या परिषद के प्रस्तावों में कोई कानूनी आधार नहीं है। कंबोज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति का जिक्र कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमें किसी को (काली) सूची में डालने के इन समितियों के फैसले का पता चल जाता है लेकिन सूची में डालने के अनुरोध को खारिज करने का निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यह निश्चित ही छद्म वीटो है, उससे भी अधिक गूढ़ है जिसपर वाकई सदस्यों के बीच व्यापक चर्चा की जरूरत है। जब आतंकवाद से निपटने की परिषद की कटिबद्धता की बात आती है तो आतंकवादियों को काली सूची में डालने से संबंधित वास्तविक साक्ष्यों पर आधारित प्रस्तावों को बिना कोई उचित कारण दिए रोक दिया जाना अवांछनीय है और इससे निपटने में दोहरा मापदंड अपनाया जाता है।

चीन पर परोक्ष रूप से साधा निशाना

कंबोज की टिप्पणी परिषद के स्थायी और वीटो अधिकार प्राप्त सदस्य चीन के परोक्ष संदर्भ में प्रतीत होती है, क्योंकि उसने परिषद में पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों को काली सूची में डालने के भारत के प्रयासों को बार-बार अवरुद्ध किया है या उन पर तकनीकी रोक लगाई है। पिछले साल जून में चीन ने मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप में आतंकी साजिद मीर को सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया था।

'भारतीय मुसलमानों को सीएए पर चिंता की जरूरत नहीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। नागरिकता कानून का वर्तमान उन 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पड़ोस के तीन मुसलिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि पर असर पड़ा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले लोगों की पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 साल से कम कर पांच साल कर दिया है।

सीएए कानून की जरूरत पर बल देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। नागरिकता कानून अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है। इसलिए, मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता अनुचित है कि सीएए मुसलिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मंत्रालय के मुताबिक, नागरिकता अधिनियम की धारा-6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है।

खबर कोना

पश्चिमी रूस के हवाई अड्डे से मंगलवार को उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के विमान से उठता धुआं। विमान में 15 लोग सवार थे।

मोदी और सुनक ने एफटीए पर वार्ता की प्रगति का स्वागत किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द संपन्न कराने के लिए जारी वार्ता में हुई प्रगति का स्वागत किया। एक बयान में कहा गया कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ह्यएक्सह्न पर लिखा कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने 2030 की रूपरेखा के तहत व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और अन्य सहित विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने परस्पर लाभ वाले मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति का सकारात्मक आकलन किया। बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारतीय मूल की सातवीं पीढ़ी के मारीशसवासियों के लिए विशेष प्रावधान

'भारत की विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे'

पोर्ट लुईस, 12 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मारीशस के लिए एक नए विशेष प्रावधान की घोषणा की, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल की सातवीं पीढ़ी के मारीशसवासी अब भारत की विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे। इस कदम से कई युवा मारीशसवासी अपने पूर्वजों की भूमि के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रपति मुर्मू ने मारीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ द्वारा सोमवार को आयोजित राजकीय भोज में अपने संबोधन में गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकिसत करने में मारीशस सरकार का समर्थन करने की भी घोषणा की। मारीशस के राजकीय दौरे पर पहुंचीं मुर्मू ने कहा कि यह निर्णय हमारे साझा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति भारत के सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस परियोजना में हमारा सहयोग दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव को और मजबूत बनाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुझे आप सभी को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल की सातवीं पीढ़ी के मारीशसवासी अब भारत की विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई युवा मारीशसवासी अपने पूर्वजों की भूमि के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों सरकारों के एक-दूसरे को प्राथमिकता देने और रिश्ते में निवेश करने के कारण ही द्विपक्षीय संबंधों में प्रभावशाली प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ के दृढ़ नेतृत्व और इस विशेष साझेदारी को और गहरा बनाने के लिए उनकी सरकार द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता के लिए विशेष सराहना करती हूं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे आप सभी को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने एक विशेष प्रावधान को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल की सातवीं पीढ़ी के मारीशसवासी अब भारत की विदेशी नागरिकता के लिए पात्र होंगे।

पाक : इशाक डार ने नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला

इस्लामाबाद, 12 मार्च (भाषा)।

वरिष्ठ राजनेता और अर्थशास्त्री इशाक डार ने मंगलवार को पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पाकिस्तान की नवगठित नई सरकार भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने सहित घरेलू और बाहरी मोर्चों पर अनगिनत समस्याओं से पार पाने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोहम्मद इशाक डार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के 39वें विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। विदेश मामलों के प्रबंधन के कम अनुभव के बावजूद 73 वर्षीय इशाक डार ने विदेशमंत्री का महत्वपूर्ण प्रभार ऐसे समय संभाला है जबकि पड़ोसी भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहद निम्न स्तर पर हैं।

हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों से उच्चतम न्यायालय ने पूछा

अयोग्य ठहराए जाने पर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के छह बागी नेताओं से मंगलवार को पूछा कि वे विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट क्यों नहीं गए।

इस पर याचिकाकर्ता नेताओं की ओर से तर्क दिया गया कि यह दुर्लभ मामला है, जिसमें 18 घंटे के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य करार दिया। शीर्ष अदालत ने बागी नेताओं के अनुरोध पर इस मामले की सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी है। कांग्रेस के इन बागी नेताओं की याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह कहते हुए पीठ से इस मामले की सुनवाई 15 या 18 मार्च के लिए स्थगित कर देने का अनुरोध किया कि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उनकी ओर से पेश होंगे, लेकिन वह आज सुनवाई में शामिल नहीं हो सके हैं। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछा कि विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए नेता प्रदेश हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इसके जवाब में कांग्रेस के बागी नेताओं के वकील ने कहा कि याचिका में इसकी वजह स्पष्ट की गई है। वे विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं और उन्हें 18 घंटे के अंदर अयोग्य करार दिया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि यह मामला मौलिक अधिकार का नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में हाल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के छह विधायकों ने पाला बदल कर भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था और वह जीत गए थे। इसके बाद प्रदेश के बजट प्रस्ताव को पारित किए जाने के दौरान भी ये विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बीते 29 फरवरी को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस के इन छह विधायकों को (सदन की सदस्यता के लिए) अयोग्य करार दिया था। पार्टी व्हिप के अनुसार, उन्हें विधानसभा में मौजूद रहकर बजट के पक्ष में मतदान करना था। कांग्रेस के इन नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन नेताओं में सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो शामिल हैं।

तैयारी ढाका में रोजा खोलने के लिए खाद्य सामग्री खरीदते लोग।

'यूक्रेन को पुनर्निर्माण के लिए एक अरब डालर से अधिक की जरूरत'

पेरिस, 12 मार्च (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने सोमवार को कहा कि रूस के साथ युद्ध के दो वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए यूक्रेन को एक अरब डालर से अधिक की आवश्यकता होगी। यूनेस्को ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि 1,443 से अधिक वैज्ञानिक सुविधाएं जिनमें से ज्यादातर देश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, को क्षति पहुंची है या नष्ट हो गई हैं। इनमें 750 विशिष्ट तकनीकी उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनकी अब मरम्मत संभव नहीं है। युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसके कारण यूक्रेन में विज्ञान क्षेत्र धन के संकट का सामना कर रहा है। युद्ध से पहले यूक्रेन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान, परमाणु भौतिकी और खगोल विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में योगदान के लिए जाना जाता था।

संप्रभुता की रक्षा करने को लेकर मालदीव का समर्थन : चीन

बेजिंग, 12 मार्च (भाषा)।

चीन ने मंगलवार को कहा कि वह मालदीव की संप्रभुता की रक्षा करने और स्वतंत्र रूप से सभी पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग करने को लेकर उसका समर्थन करता है। मालदीव में एक हेलिकाप्टर का परिचालन कर रहे भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह के द्वीपीय राष्ट्र से रवाना होने और उनका स्थान असैन्य चालक दल के लेने पर चीन ने यह कहा।

मालदीव की मीडिया में सोमवार को आई खबर के अनुसार, भारत के सैन्य कर्मी हेलिकाप्टर के परिचालन की जिम्मेदारी एक भारतीय असैन्य चालक दल को सौंपने के बाद देश से रवाना हो गए। घटनाक्रम पर टिप्पणी करने का अनुरोध किए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि वे इससे अवगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चीन मालदीव की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने और स्वतंत्र रूप से सभी पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग करने में उसका समर्थन करता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक नेता माना जाता है। उन्होंने कहा था कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी, यहां तक कि सामान्य वेशभूषा में भी उनके देश के अंदर नहीं रहेगा।

मालदीव **की मीडिया में सोमवार को आई खबर के अनुसार, भारत के सैन्य कर्मी हेलिकाप्टर के परिचालन की जिम्मेदारी एक भारतीय असैन्य चालक दल को सौंपने के बाद देश से रवाना हो गए।**

अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की

गाजा में युद्ध व मानवीय सहायता पर चर्चा की

यरुशलम, 12 मार्च (भाषा)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर भीषण खाद्य संकट से जूझ रहे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति की समस्या को सुलझाने की तत्काल आवश्यकता और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की।

इजराइल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक हैंडल से एक्स पर साझा की गई पोस्ट में लिखा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी में जारी युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रम की जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों पक्षों ने बंधकों को छुड़ाने के प्रयास और मानवीय सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की। इजराइल-हमास संघर्ष के कारण पैदा हुआ मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा पट्टी में कम से कम 5,76,000 लोग यानी कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा खाद्य संकट से जूझ रहा है। डोभाल ने अपने इजराइली समकक्ष तजाखी हानेग्बी से भी मुलाकात की, जो नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक के दौरान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और जार्डन जैसे क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

भारत ने गाजा में फिलिस्तीनी आबादी को जरूरी वस्तुओं की खेप भेजकर आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने के प्रयासों में मदद की है। हमास के नेतृत्व वाले आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर सात अक्तूबर, 2023 को हमला कर दिया था जिसमें करीब 1,200 लोगों की मौत हो गई थी और उसने 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास की कैद में अब भी करीब 100 बंधकों के होने का अनुमान है।

मुल्तान में इमारत ढही, नौ लोगों की मौत

मुल्तान, 12 मार्च (एपी)।

पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मंगलवार तड़के एक तीन मंजिला आवासीय इमारत ढह गई, जिससे नौ लोगों की मौत हो गई। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रिजवान कादिर ने कहा कि ढही हुई इमारत का मलबा आसपास के घरों पर भी गिरा, जिससे कई लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मृतकों में एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं। पाकिस्तान में इमारतों का ढहना आम बात है क्योंकि यहां इमारतों का निर्माण सस्ती निर्माण सामग्री से किया जाता है और लागत में कटौती के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों की अनदेखी की जाती है। जून 2020 में देश के सबसे बड़े शहर कराची में एक इमारत गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई थी।

'20 डेज इन मारियुपोल' में दिखाई गई है युद्ध की भयावहता | पुरस्कार | निर्देशक ने कहा, काश मैंने यह वृत्तचित्र कभी नहीं बनाया होता

सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए यूक्रेन को मिला पहला आस्कर

कीव, 12 मार्च (एपी)।

खार्किव और ओडेसा क्षेत्रों में इमारतों को रूसी ड्रोनों की ओर से निशाना बनाए जाने के साथ ही यूक्रेन में युद्ध के एक और दिन के रूप में सोमवार की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही उसे एक खुशखबरी भी मिली कि उसने पहला आस्कर जीता है। मस्टीस्लाव चेर्नोव द्वारा निर्देशित वृत्तचित्र '20 डेज इन मारियुपोल' को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का आस्कर पुरस्कार मिला है। यह वृत्त चित्र साल 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन में शुरू किए गए युद्ध की पीड़ा को व्यक्त करता है।

इसमें रूस के हमले के शुरुआती दिनों के गवाह बने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के पत्रकार चेर्नोव ने आंखों देखा हाल बयां किया है। रविवार को एकेडमी पुरस्कार समारोह में चेर्नोव ने भावुक होते हुए कहा कि यह यूक्रेन के इतिहास में पहली बार आस्कर पुरस्कार जीता गया है। इसे हासिल कर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। चेर्नोव ने कहा कि संभवतः मैं इस मंच पर यह कहने वाला पहला निर्देशक होऊंगा कि काश मैंने यह वृत्तचित्र कभी नहीं बनाया होता। इस युद्ध की क्रूर विभीषिका को लोगों के सामने लाने तथा सबसे बड़े मंचों में से एक दुनिया को संदेश भेजने को लेकर इस वृतचित्र की यूक्रेन में सराहना की जा रही है। कीव में एक कार्यालय के कर्मी ओलेक्सी कुर्का ने कहा कि आस्कर पुरस्कार स्वीकार करते समय निर्देशक ने जो कुछ कहा, वाकई वह मुझे पसंद आया, लेकिन अगर उन्होंने यह फिल्म नहीं बनाई होती और अगर यह सभी नहीं हुआ होता तो वह बेहतर होता।

कुर्का ने कहा कि यूक्रेन को अपना पहला आस्कर मिला और दुनिया मारियुपोल में रूसी सेना द्वारा की गई भयावहता को फिर देखेगी, यह बात निश्चित रूप से झूठ पर सच्चाई की जीत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस पुरस्कार को यूक्रेन के लिए महत्त्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वे इस वृत्त चित्र को बनाने वाली टीम के प्रति आभारी हैं। उन्होंने दुनियाभर के पत्रकारों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि तीसरे साल लड़ाई जारी रहने के बीच उसपर लोगों का ध्यान घट जाने तथा हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई पर विश्व का ध्यान चले जाने के बाद भी वे इस युद्ध को कवर कर रहे हैं।

युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले ही पहुंचे थे

समाचार एजंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के पत्रकार मस्टीस्लाव चेर्नोव, फोटोग्राफर एवगेनी मालोलेटका और निर्माता वासिलिसा स्टेपानेंको रूस द्वारा यूक्रेन पर बमबारी शुरू करने से करीब एक घंटा पहले यूक्रेन के मारियुपोल पहुंचे थे। उन्होंने रूस के हमले से नागरिकों की मौत, सामूहिक कब्रें खोदे जाने, अस्पतालों पर बमबारी आदि अपने कैमरे में रिकार्ड किया था।

पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जरदारी ने वेतन नहीं लेने की घोषणा की

इस्लामाबाद, 12 मार्च (भाषा)।

पाकिस्तान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंगलवार को घोषणा की कि वे आर्थिक संकट से जूझ रहे देश की चुनौतीपूर्ण हालात में मदद करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान कोई वेतन नहीं लेंगे। रविवार को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले 68 वर्षीय जरदारी की पार्टी पीपीपी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ने विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति सचिवालय प्रेस विंग ने मंगलवार को विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने की जरूरत को समझकर वेतन नहीं लेने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को प्रति माह 8,46,550 रुपए वेतन मिलता था, जो 2018 में संसद ने तय किया था।

www.readwhere.com

जम्मू कश्मीर : जेकेएनएफ पर पांच साल की रोक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के संगठन जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट (जेकेएनएफ) पर रोक लगा दी है। इस बाबत मंगलवार देर रात गृह मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण वशिष्ठ के आदेशों से एक अधिसूचना जारी की गई।

अधिसूचना में बताया गया है कि नईम अहमद खान की अध्यक्षता में बना यह संगठन देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। इस संगठन पर पांच वर्ष के लिए रोक लगाई गई है। ये जम्मू कश्मीर में अलगावाद को बढ़ावा देते हैं और इस संगठन का तंत्र भारत विरोधी प्रचार और आतंकी समर्थन प्रदान करने में शामिल पाया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस संगठन पर रोक लगाने फैसला किया है।

नईम अहमद खान की अध्यक्षता में बना यह संगठन देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

बताया गया है कि इस संगठन के माध्यम से सुरक्षा बलों पर पथराव जैसी घटनाएं भी की गई है और इस संगठन में भारत के प्रति अनादर की भावना है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने और सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने में शामिल रहा है। इसलिए सरकार ने इस संगठन को विधि विरूद्ध संगठन करार दिया है और इस पर पांच साल के लिए रोक लगाई है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हो सकती है बारिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 मार्च।

देश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र व अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 13 मार्च को पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी काफी बढ़ जाएगी और 14 मार्च से कम हो होगी, जबकि 13 मार्च को पंजाब, हरियाणा और उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बिजली गिरने और गरज के साथ हल्की व मध्यम बारिश संभव है।

विभाग ने बताया कि मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी राजस्थान से दक्षिणपूर्व मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ निचले स्तर पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए गुजर रही है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इन मौसमी हालातों के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। जबकि पंजाब के कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी केरल में हल्की बारिश हुई। जबकि पूर्वी व उत्तरपूर्वी इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है।

ओडिशा में कुछ स्थानों पर और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री ऊपर रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार में अलग-अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 या उससे अधिक ऊपर रहा।

विभाग ने बताया कि मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी राजस्थान से दक्षिणपूर्व मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ निचले स्तर पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए गुजर रही है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इन मौसमी हालातों के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। जबकि पंजाब के कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी केरल में हल्की बारिश हुई।

कड़ी सुरक्षा के बीच गिरोहबाज काला जठेड़ी ने अनुराधा चौधरी के साथ लिए सात फेरे

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

गिरोहबाज संदीप उर्फ काला जठेड़ी और हिस्ट्रीशीटर अनुराधा चौधरी उर्फ 'मैडम मिंज' मंगलवार को दिल्ली में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच सात फेरे लिए। चौधरी हरियाणा के सोनीपत से एक एसयूवी कार में विवाह स्थल पर पहुंची थी।

पुलिस ने द्वारका सेक्टर-3 के संतोष गार्डन इलाके में स्थित बारात घर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। संदीप के वकील ने 51,000 रुपये में बारात घर बुक किया है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने संदीप की आपराधिक छवि और उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक योजना बनाई थी। एक समय वांछित अपराधी और सात लाख रुपये के ईनामी रहे संदीप को अपनी शादी के लिए दिल्ली की एक अदालत से छह घंटे की पैरोल मिली थी। चौधरी के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई शादी, अदालत ने दी थी छह घंटे की पैरोल।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने संदीप की आपराधिक छवि और उसके पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एक योजना बनाई थी। एक समय वांछित अपराधी और सात लाख रुपये के ईनामी रहे संदीप को अपनी शादी के लिए दिल्ली की एक अदालत से छह घंटे की पैरोल मिली थी।

नई एअरलाइन 'फ्लाई 91' की पहली उड़ान का उद्घाटन

नई दिल्ली, 12 मार्च (ब्यूरो)।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को आभासी माध्यम से नई क्षेत्रीय एअरलाइन सेवा 'फ्लाई91' का उद्घाटन किया।

इसके अलावा सिंधिया ने गोवा में मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीपसमूह के बीच पहली उड़ान सेवा को हरी झंडी प्रदान की।

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India.

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
भूखंड 8–बी, प्रथम तल,
राजेंद्र पार्क, पूसा रोड,
नई दिल्ली–110060

दूरभाष : 011–40591567, (एक्स. 240),
ई–मेल : delhiarm@ktkbank.com
वेबसाइट : www.karnatakabank.com
सीआईएन : एल85110केए1924पीएलसी001128

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कर्नाटका बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 12–12–2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरों : (1) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सचेन्द्र सिंह, (2) श्री सचेन्द्र सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह, दोनों नंबर (1) और (2) का पता : (ए) जरुण कटरा, जरूआ, आगरा – 283102, उत्तर प्रदेश (बी) आवासीय भवन, प्लॉट नंबर 03, दीक्षा एस्टेट मौजा नैनाना जाट, तहसील सदर और जिला आगरा–282009, उत्तर प्रदेश (सी) आवासीय फ्लैट नंबर 18 बी, प्रथम तल, प्लॉट नं. 18पर निर्मित भवन में, खसरा नंबर 52 और 53 का हिस्सा, जो गौरी कुंज, मौजा– रोहता, ग्वालियर रोड, तहसील सदर, जिला आगरा–282009, उत्तर प्रदेश में स्थित है, (3) श्री लोकेश सिंह पुत्र सचेन्द्र सिंह, जरूण कटरा, जरूआ, आगरा–283102, उत्तर प्रदेश को, सूचना में अंकित राशि रु. 72,60,451.53 (रुपये बहत्तर लाख साठ हजार चार सौ इक्यावन एवं तिरेपन पैसे मात्र) अर्थात् (1) रु. 56,15,654.00 सावधि ऋण खाता संख्या 0307001600025101 के अंतर्गत, 23.11.2023 से भावी ब्याज के साथ, (2) रु. 16,44,767.53 पीएस सावधि ऋण खाता संख्या 0307001800006601 के अंतर्गत, 21.11.2023 से भावी ब्याज के साथ, साथ में लागत का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्तागण, बंधककर्तागण एवं गारंटरगण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं, गारंटरों को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 12 मार्च 2024 को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ताओं, बंधककर्ताओं एवं गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि यहां इसमें निम्न वर्णित संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 72,70,112.53 (रुपये बहत्तर लाख सत्तर हजार एक सौ बारह एवं तिरेपन पैसे मात्र) अर्थात् (1) रु. 56,11,870.00 सावधि ऋण खाता संख्या 0307001600025101 के अंतर्गत, 23.02.2024 से भावी ब्याज के साथ, (2) रु. 16,58,242.53 पीएस सावधि ऋण खाता संख्या 0307001800006601 के अंतर्गत, 21.02.2024 से भावी ब्याज के साथ, साथ में लागत हेतु कर्नाटका बैंक लिमिटेड, आगरा शाखा के प्रभाराधीन होगा। (ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति संख्या 1: आवासीय भूखंड संख्या 03 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो दीक्षा एस्टेट में, माप 133.45 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 74 का हिस्सा, वहां उस पर निर्मित भवन के साथ, जो मौजा नैनाना जाट, तहसील सदर और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा **श्रीमती कमलेश देवी** से संबंधित है,
सीमाएँ : पूर्व– प्लॉट नंबर 4, पश्चिम– प्लॉट नंबर 2, उत्तर– 9.0 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण– दूसरे की संपत्ति

संपत्ति संख्या 2: संख्या 18बी धारक आवासीय फ्लैट के समस्त वह भाग तथा अंश, जो प्रथम तल पर, अधिमापन 50.14 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. 18 पर निर्मित भवन में, खसरा संख्या 52 और 53 के भाग पर, गौरी कुंज, मौजा– रोहता, ग्वालियर रोड, तहसील सदर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा श्रीमती कमलेश देवी से संबंधित है,
सीमाएँ: पूर्व– दूसरों की संपत्ति, पश्चिम– 9.00 चौड़ी सड़क, उत्तर– संपत्ति सं. बी–17 एफ.एफ., दक्षिण– संपत्ति सं. बी–19 एफ.एफ.

हस्ता./–
स्थान : आगरा — कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड
दिनांक : 12–03–2024 — मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LIMITED
(CIN L65910DL1989PLC034812)
Regd. Office: 4th Floor, NBCC Plaza, Tower 1, Sector V, Pushp Vihar, Saket, New Delhi-110 017,
Website: www.tfciltd.com Phone: 011-29561180, 47472200 Email: complianceofficer@tfciltd.com

Corrigendum to the Notice of the Extra-ordinary General Meeting to be held on Friday, 22nd March, 2024

Tourism Finance Corporation of India Limited had issued NOTICE dated 26th February, 2024 for an Extra-ordinary General Meeting (EGM) to be held on Friday, 22nd March, 2024 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business stated therein. The Notice of the EGM has been dispatched to the shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder.

In respect of the Resolution proposed for consideration and passing as a Special Resolution, the Company had appended Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013. In the said Statement, point no.7, 'Basis or justification for the price (including the premium, if any) has been arrived at' and point no.9, 'Certificates' has been amended and stands substituted as per the corrigendum to the notice of EGM dated 12th March, 2024 sent on 12th March, 2024 through electronic mode only to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agent (R&STA)/ Depository Participant(s) and the details are as under:

7. Basis or justification for the price (including the premium, if any) has been arrived at:

Considering that the allotment would result in more than 5% of the post issue fully diluted share capital of the Company, the minimum price of Rs.200.14/- of the equity shares to be issued and allotted to the proposed allottees has been determined taking into account the revised Valuation Report dated March 8, 2024 issued by, Vasudevan Gopu, Registered Valuer (registration no. IBBI/RV/05/2018/10287), registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), in accordance with Regulation 166A of the SEBI (ICDR) Regulations.

The revised Valuation Reports will be available on the website of the Company i.e., https://www.tfciltd.com/public/investor/1710144558Revised%20Certificates-%20Preferential%20Issue.pdf and available for inspection at the registered office of the Company during office hours.

The equity shares of the Company are listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and the equity shares are frequently traded in terms of the SEBI (ICDR) Regulations and the trading volume of Equity Shares of the Company was higher on NSE during the preceding 90 trading days prior to the Relevant Date for computation of issue price. Therefore, trading volume of the Equity Shares on the NSE has been considered to determine the issue price. In terms of the provisions of Regulation 164(1) of SEBI (ICDR) Regulations, the price at which equity shares shall be allotted shall not be less than higher of the following:

a. 90 (ninety) trading days volume weighted average price (VWAP) of the equity shares of the Company preceding the Relevant Date: i.e. Rs.165.65 per equity share;

b. 10 (ten) trading days volume weighted average price (VWAP) of the equity shares of the Company preceding the Relevant Date: i.e. Rs.200.14/- per equity share.

It is to be noted that nothing mentioned in the Articles of Association of the Company provide for a method of determination of floor price for equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue.

Pursuant to above, the minimum issue price determined in accordance with Chapter V of the SEBI (ICDR) Regulations is Rs.200.14/- per equity share.

In view of the above and the offers received from the proposed allottees, the Board of Directors of the Company has fixed the issue price of Rs.225/- (Rupees Two Hundred Twenty Five only) per equity share including a premium of Rs.215/- (Rupees Two Hundred Fifteen only) which is above the minimum issue price of Rs.200.14/- per equity share as determined in compliance with the requirements of Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations.

Since the equity shares of the Company have been listed on the recognized Stock Exchanges for a period of more than 90 trading days prior to the Relevant Date, it is not required to recompute the price per equity share to be issued and therefore, the Company is not required to submit the undertaking specified under the Regulations 163 (1) (g) and 163 (1) (h) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

(ii) In the said Statement, point no.9, 'Certificates' has also been amended and stands substituted by the following:

9. Certificates:

The Company has obtained a revised certificate from M/s Naveen Narang & Associates, Practicing Company Secretary (Membership No: 5698), having his office at H-3/63, First Floor, Vikas Puri, New Delhi – 110018, certifying that the Preferential Allotment is being made in accordance with the requirements contained in Chapter V of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

Further, the Company has also obtained the revised pricing certificate from M/s N B T & Co (FRN:140489W), Chartered Accountant, having his office at 201, Mahindra M-Space, Off. Aarey Road, Goregaon (West), Mumbai – 400104, as required for obtaining in-principle approval from the stock exchange under Regulation 28(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015.

The Company has also obtained revised Valuation Report from Vasudevan Gopu, Registered Valuer (registration no. IBBI/RV/05/2018/10287), having his office at G.V. Enclave, 18/30, Ramani Street, K.K.Pudur, Sai Baba Colony, Coimbatore – 641038, in accordance with Regulation166A of the SEBI (ICDR) Regulations.

All these certificates shall be made available for inspection by the Members during the Extra Ordinary General meeting and will also be made available on the Company's website i.e. https://www.tfciltd.com/public/investor/1710144558Revised%20Certificates-%20Preferential%20Issue.pdf

The corrigendum as aforesaid forms integral part of the EGM Notice dated February 26, 2024. All other contents of the Notice of the EGM dated February 26, 2024 remain same as before. The Corrigendum to the notice of EGM is available on the website of the Company at www.tfciltd.com, and Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Members are requested to take note of the above.

For Tourism Finance Corporation of India Ltd.
Place: New Delhi — (Sanjay Ahuja)
Date: March 12, 2024 — Company Secretary

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
यूनियन बैंक भवन, प्रथम तल, हेमुमानी खण्ड, विकास नगर, गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष:–0522–2306910, 2306900

शुद्धि-पत्र

इस समाचार पत्र लखनऊ संस्करण में दिनांक 08.03.2024 को हमारे द्वारा प्रकाशित **मेसर्स श्री बालाजी फार्मेट्स** का अधिग्रहण सूचना का संदर्भ ग्रहण करें। सम्पत्ति के विवरण में अचल सम्पत्ति के अलावा स्टॉक व बुक डेब्ट का भी दृष्टिकरण है।

प्राधिकृत अधिकारी

महत्वपूर्ण सूचना

दिनांक 12.03.2024 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित 'होली विशेष रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि' संबंधी सार्वजनिक सूचना में आंशिक संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

- रेलगाड़ी सं. 01663 सहरसा जं. – आनंद विहार (ट) को रेलगाड़ी सं. 01661 सहरसा जं. – आनंद विहार (ट) त्यौहार विशेष एक्सप्रेस रेलगाड़ी पढ़ा जाए।

नोट : अन्य विवरण पूर्ववत् रहेगा।

रेलयात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है।

रेलयात्रियों को परामर्श दिया जाता है कि रेलमदद हेल्पलाईन सं. 139 अथवा NTES App पर रेलगाड़ियों की स्थिति देखकर अपनी यात्रा प्लान करें।

रेलमदद वेबसाइट देखें: www.railmadad.indianrailways.gov.in रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

पर हमें फॉलो करें

उत्तर रेलवे
हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिले
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No.: JDA/EE(PHE-I)/2024/D-118 — Date: 12.03.2024

NOTICE INVITING BID
NIB No.: JDA/EE (PHE-I)/18/2023-24

Online Bids are invited up-to 06:00 PM of 26.04.2024 for "Engineering, Procuring, Construction, Commissioning (EPC) and Performance run followed by Ten Years O&M of Sewerage Treatment Plant of 30 MLD capacity at Swarn Vihar, Sanganer of Jaipur City based on "Sequential Batch Reactor (SBR) Technology". Estimated cost of Rs. 6154.19 Lacs. The last date for Applying Bid and making online payment on JDA portal is up-to 06:00 PM of 26.04.2024. Details may be seen in the Bidding Document at our office or the State Public Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in.

UBN No.: JDA2324WLOB00762

To participate in the bid, bidder has to be :-

1. Registered on JDA website www.jda.rajasthan.gov.in for participating in the Bid, the Bidder has to apply for the Bid and pay the Bidding Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit online only.
2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Raj. Samvad/C/2023-24/5019 — Executive Engineer (PHE-I)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण) तीसरा तल, सोरबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005
ई–नीलामी बिक्री सूचना (सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के बकाये की वसूली हेतु उसकी **बिक्री 29.03.2024 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है।

29.03.2024 को आयोजित होने वाली ई-नीलामी (15 दिवसीय सूचना)

रू. लाख में

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / सेवा शुल्क
1.	ओखला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9999917125	श्री विशाल एवं श्रीमती आशा देवी	संपत्ति संख्या आरजेड-16ए/15-डी/2 (खसरा संख्या 392 में से) दूसरी मंजिल (दाहिनी ओर) बिना छत के अधिकार के साथ एक बाइक पार्किंग ग्राम नांगल राया, पश्चिम सागरपुर, नई दिल्ली-110046 माप क्षेत्र 65 वर्ग गज। **श्री विशाल और श्रीमती आशा देवी के नाम पर।**	28.06.2021 रू.25,63,238/- + उसके बाद ब्याज	11.04.2022 (भौतिक)	₹ 17.55 लाख / ₹ 1.75 लाख / ₹ 0.20 लाख
2.	जसोला नई दिल्ली	श्री अशोक कुमार मोबाइल: 8447633471	श्री प्रीतपाल सिंह एवं श्रीमती मनप्रीत कौर	छत/टेरेस अधिकारों के साथ पूरी तीसरी मंजिल, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या WZ-III-B/10 का हिस्सा होने के नाते, प्लॉट संख्या बी-10 एवं बी-11 का हिस्सा। आयत क्रमांक 31 से लगभग 104 वर्ग गज क्षेत्रफल में निर्मित। किला नंबर 15/1, ख्याला गांव के क्षेत्र और राजस्व संपदा में, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018 में स्थित है। माप क्षेत्रफल 842 वर्गफुट **श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी श्री प्रीतपाल सिंह के नाम पर।**	29.10.2019 रू.33,56,461/- + उसके बाद ब्याज	06.07.2022 (भौतिक)	₹ 46.98 लाख / ₹ 4.70 लाख / ₹ 0.50 लाख
3.	नारायणा नई दिल्ली	श्री विनय कुमार मोबाइल: 9999917177	श्रीमती बिनिमोल बालचंद्रन एवं श्री बालचंद्रन नायर	ए-80, ऊपरी भूतल, गुलाबबाग, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059 कारपेट एरिया 450 वर्ग फुट, **मालिक - श्रीमती बिनिमोल बालचंद्रन**	04.11.2020 रू.19,67,290.65 + उसके बाद ब्याज	26.08.2022 (भौतिक)	₹ 18.00 लाख / ₹ 1.80 लाख / ₹ 0.20 लाख
4.	गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	मिस स्नेह मीरचंदानी मोबाइल: 8448296394	श्री सिगी चारिवुपराम्पिल मैथ्यू	ऊपरी भूतल पर आवासीय फ्लैट (पीछे की ओर), प्लॉट नम्बर आरजेड-20/26, गली नं.26, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019, फ्लैट का कवर्ड एरिया-450 वर्गफुट है। **श्री सिगी चारिवुपराम्पिल मैथ्यू** के नाम पर।	12.03.2020 रू.20,74,531/- + उसके बाद ब्याज	01.04.2021 (भौतिक)	₹ 16.00 लाख / ₹ 1.60 लाख / ₹ 0.20 लाख

ई–नीलामी की तिथि: 29.03.2024, समय: 11:00 बजे दोपहर से 05:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय: 28.03.2024 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट: https://www.mstcecommerce.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी वालेट में जमा की जानी है (https://www.mstcecommerce.com से चालान के सृजन के बाद)। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता "https://www.mstcecommerce.com" के माध्यम से संचालित की जायेगी। ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर आयोजित की जायेगी। **(सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे)** विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म {https://mstcecommerce.com} में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-22901004.

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांक: 12.03.2024 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली — सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. दिल्ली (दक्षिण), नई दिल्ली

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
भारत सरकार का उपक्रम (प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामगंगा विहार, फेज-2, मुरादाबाद (उ.प्र.)

क्षेत्रीय कार्यालय: गाजियाबाद
18, संजय नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0), फोन- 0120-2986071
E: rmgzb@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक (पूर्व नाम सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैंक, भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना दि0 22.02.19 के अन्तर्गत दि0 01.04.2019 से प्रथमा बैंक के साथ समामेलन किया गया है।) को बंधक अचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पपचात उनके द्वारा ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है ।

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्तियों का विवरण	देय राशि	रिजर्व मूल्य (लाखों में)	ईएमडी मूल्य (लाखों में)	कब्जा की तिथि	नीलामी की तिथि, समय व स्थान
1.	रेलवे रोड़ (मेरठ)	ऋणी: श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल गारन्टर: श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 9155NC00003282 91559300003113 9155CF00002003	फ्लैट नं0 एस-2, तृतीय मंजिल, प्लॉट नं0 ए48, खसरा नं0 2112एम, प्रताप विहार। जिसका क्षेत्रफल 90.99 वर्ग मीटर है। उक्त प्रोपर्टी के हक विलेख उप निबन्धक तृतीय मेरठ के बही सं0 1, जिल्द सं0 10890 पृष्ठ सं0 249-282 क्र0 सं0 13411 दिनांक 24-11-2015 पर दर्ज है ।	19.54 लाख + देय ब्याज + अन्य खर्चे। -वसूली यदि हो तो	15.30	1.53	11.11.2022 सांकेतिक कब्जा	दिनांक: 28.03.2024, गुरुवार, समय: अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक। स्थान: प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक। शाखा: रेलवे रोड़, मेरठ। पता: शाखा रेलवे रोड़, मेरठ।

उक्त के सम्बन्ध में सम्पर्क करें: 1. श्री सुरज सोनी, वरिष्ठ प्रबंधक, 7217029155, रेलवे रोड़ मेरठ।
सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।
नियम एवं शर्तें: (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेंगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेंगी।
2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रातः 10:00 से सायं 4:00 बजे तक निम्नानुसार जमा करनी होगी:
शाखा का नामः रेलवे रोड़, अर्नेस्ट धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि 27.03.2024, भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के पक्ष में: **Prathama UP Gramin Bank, Branch Railway Road.**
(3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई0एम0डी0 जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई0एम0डी0 प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी

खबर कोना

मुंबई में मंगलवार को आइएसएल में नार्थईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ गोल करने के बाद मुंबई सिटी एफसी के विक्रम प्रताप सिंह।

भारतीय निशानेबाजों ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण जीता

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

भारत ने मंगलवार को यहां पैरा निशानेबाजी विश्व कप के चौथे दिन मिश्रित 10 मीटर एअर पिस्टल स्टैंडर्ड (एसएच1) टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। यह मौजूदा विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक हैं। रुद्रांश खंडेलवाल (364), आकाश (346) और संदीप कुमार (340) की टीम 1050 के कुल स्कोर के साथ दक्षिण कोरिया (1037) से आगे रही, जबकि चीन (1019) तीसरे स्थान पर रहा। इसी श्रेणी के व्यक्तिगत वर्ग में, रुद्रांश को कोरिया के किम जुंगनाम के साथ बराबरी पर रहने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

ओलंपिक का कोटा हासिल करने से चूके भारतीय पुरुष मुक्केबाज

बुस्तो अर्सिजियो, 12 मार्च (भाषा)।

निशांत देव 71 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार के साथ पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने से चूक गए जबकि यहां पहले विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर से सभी नौ भारतीय मुक्केबाज खाली हाथ लौटे। निशांत को सोमवार देर रात हुए लाइट मिडिलवेट वर्ग के क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप 2021 के रजत पदक विजेता अमेरिका के ओमारी जोन्स के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। निशांत अगर अंतिम आठ चरण का मुकाबला जीत लेते तो पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लेते।

विश्व के 123वें नंबर के खिलाड़ी ने नोवाक जोकोविच को हराया

इंडियन वेल्स, 12 मार्च (एपी)।

लुका नार्डी ने अपने बचपन के आदर्श और शीर्ष वरीय नोवाक जोकोविच को बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराकर उलटफेर किया। दुनिया के 123वें नंबर के खिलाड़ी नार्डी ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविच को 6-4, 3-6, 6-3 से हराया।

इटली के 20 साल के नार्डी ने ऐस के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने 'लकी लूजर' के रूप में टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में जगह बनाई थी। लकी लूजर वह खिलाड़ी होता है जो क्वालीफाइंग के अंतिम दौर में हार जाता है लेकिन पहले दौर से पूर्व हटने वाले चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर उसे मौका मिलता है। नार्डी ने मुख्य ड्रा में दुनिया के 30वें नंबर के खिलाड़ी टामस मार्टिन एचवेरी की जगह ली थी और उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी। नार्डी ग्रैंडस्लैम या एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर के टूर्नामेंट में जोकोविच को हराने वाले सबसे अधिक रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2008 में मियामी में दुनिया के 122वें नंबर के खिलाड़ी केविन एंडरसन ने जोकोविच को हराया था।

महिला एकल में कोको गाफ ने लूसिया ब्रोनजेटी को सीधे सेट में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बुधवार को 20 बरस की होने वाली गाफ ने लूसिया के खिलाफ 6-2, 7-6 से जीत दर्ज की। उन्होंने 11 में से 10 ब्रेक प्वाइंट बचाए। इस जीत के साथ अमेरिका में गाफ की जीत का क्रम 18 मैच तक पहुंच गया है जिसमें पिछले साल अमेरिकी ओपन की खिताबी जीत भी शामिल है।

दो बार की आस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन और दूसरी वरीय एरिना सबालेंका ने ऐमा राडुकानु को 6-3, 7-5 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में सातवें वरीय होल्गर रूने ने टूर्नामेंट में पहला मैच खेलते हुए लोरेंजो मुसेटी को 6-2, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी और दूसरे दौर में चोट के कारण मिलोस राओनिक के हटने पर उन्हें तीसरे दौर में प्रवेश मिला।

गेल मोनफिल्स ने 2021 के विजेता कैमरन नोरी को तीन घंटे से अधिक चले मुकाबले में तीन सेट में हराया।

जबकि अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और टॉमी पॉल ने भी सीधे सेट में जीत दर्ज की।

लुका नार्डी ने टेनिस टूर्नामेंट में किया उलटफेर

मुकाबले के दौरान नोवाक जोकोविच (बाएं) और इटली के लुका नार्डी।

नार्डी ने लकी लूजर' के रूप में टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में जगह बनाई थी

इटली के 20 साल के नार्डी ने ऐस के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने 'लकी लूजर' के रूप में टूर्नामेंट के मुख्य ड्रा में जगह बनाई थी। लकी लूजर वह खिलाड़ी होता है जो क्वालीफाइंग के अंतिम दौर में हार जाता है लेकिन पहले दौर से पूर्व हटने वाले चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर उसे मौका मिलता है। नार्डी ने मुख्य ड्रा में दुनिया के 30वें नंबर के खिलाड़ी टामस मार्टिन एचवेरी की जगह ली थी और उन्हें पहले दौर में बाई मिली थी।

यशस्वी जायसवाल महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए

दुबई, 12 मार्च (भाषा)।

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद मंगलवार को फरवरी के लिए आइसीसी 'महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' पुरस्कार के लिए चुना गया।

22 साल के इस खब्बू बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की इस श्रृंखला में 712 रन बनाए, जो इंग्लैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। उन्होंने इस दौरान दो दोहरे शतक और तीन अर्धशतक लगाकर भारत को 4-1 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राजकोट में अपने दोहरी शतकीय पारी के दौरान 12 छक्के लगाकर टैस्ट की एक टैस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रेकार्ड की बराबरी की। जायसवाल ने आइसीसी का महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने के बाद कहा कि मैं आइसीसी पुरस्कार हासिल करके वास्तव में खुश हूं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मुझे और पुरस्कार मिलेंगे।

आइसीसी पुरस्कार

यशस्वी ने इंग्लैंड के खिलाफ टैस्ट मैचों में 712 रन बनाए, जो श्रृंखला में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।

मुकाबले के बीच से यिवोनी ली हटीं, पीवी सिंधु दूसरे दौर में

बर्मिंघम, 12 मार्च (भाषा)।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु ने मंगलवार को यहां जर्मनी की यिवोनी ली के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हटने पर आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के महिला एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई।

पूर्व विश्व चैंपियन और दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने पहला गेम 21-10 से जीता जिसके बाद दुनिया की 26वें नंबर की खिलाड़ी ली ने मुकाबले से हटने का फैसला किया। हैदराबाद की 28 साल की सिंधु अगले दौर में कोरिया की शीर्ष वरीय आन से यंग से भिड़ेंगी जिनके खिलाफ उन्होंने अब तक सभी छह मुकाबले गंवाए हैं।

सिंधु दुनिया की नंबर एक कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ सिर्फ एक बार गेम जीतने में सफल रही हैं और उन्होंने पिछले साल दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच पिछली बार हुए मुकाबले में ऐसा किया था। दाएं घुटने की चोट से उबर रहीं आन से ने रविवार को फ्रेंच ओपन के रूप में सत्र का अपना दूसरा खिताब जीता था। सिंधु ने ली के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और 4-4 के स्कोर के बाद लगातार अंक बनाते हुए ब्रेक तक 11-7 से आगे हो गईं।

आल इंग्लैंड चैंपियनशिप

पीवी सिंधु ने जर्मनी की यिवोनी ली से पहला गेम 21-10 से जीता। जिसके बाद 26वें नंबर की खिलाड़ी ली ने मुकाबले से हटने का फैसला किया। सिंधु अगले दौर में कोरिया की शीर्ष वरीय आन से यंग से भिड़ेंगी

आरसीबी ने मुंबई को हरा कर प्लेआफ में जगह पक्की की

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

आस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिस पेरी (15 रन पर छह विकेट और नाबाद 40 रन) के हरफनमौला खेल के दम पर रायल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने मंगलवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्लूपीएल) टी20 में मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराकर प्लेआफ में अपनी जगह पक्की की।

मुंबई की पारी को 19 ओवर में 113 रन पर समेटने के बाद आरसीबी ने 15 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर ग्रुप चरण में अपने अभियान का अंत तीसरी स्थान पर किया। टीम की यह आठ मैचों में चौथी जीत है। मुंबई की टीम पांच जीत के साथ अभी दूसरे स्थान पर है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स सात मैच में इतने ही अंक के साथ पहले स्थान पर है। इन तीनों टीमों ने प्लेआफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं। प्लेयर आफ द मैच पेरी ने चार ओवर में 15 रन पर छह विकेट चटकाकर डब्लूपीएल इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रेकार्ड बनाने के बाद 38 गेंद में पांच चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 40 रन बनाने के साथ ऋचा घोष के साथ 53 गेंद में 76 रन की अटूट साझेदारी कर टीम की जीत पक्की की।

ऋचा 28 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से नाबाद 36 रन का योगदान दिया। मुंबई के लिए हेली मैथ्यूज (26) और संजीवन संजना (30) ने छह ओवर में 43 रन की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन पेरी ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी कर मैच पर आरसीबी की पकड़ बना दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति ने मैथ्यूज और शबनम इस्माइल के खिलाफ चौके जड़े।

डब्लूपीएल

मुंबई ने विदर्भ को 538 रन का लक्ष्य दिया

मुंबई, 12 मार्च (भाषा)।

युवा मुशीर खान (136) के शतक के अलावा श्रेयस अय्यर (95) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (73) के अर्धशतकों से मुंबई ने रणजी ट्राफी फाइनल के तीसरे दिन मंगलवार को यहां विदर्भ को 538 रन का विशाल लक्ष्य देकर अपना पलड़ा भारी रखा। दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने बिना विकेट खोए 10 रन बना लिए हैं। ध्रुव शोरे सात जबकि अथर्व ताइडे तीन रन बनाकर खेल रहे है। टीम को जीत के लिए 528 रन और बनाने हैं। मुंबई ने 538 रन का लक्ष्य देकर अपना 42वां रणजी खिताब जीतने का दावा मजबूत कर दिया है।

मुंबई के बल्लेबाजों ने दूसरे दिन सतर्क रवैया अपनाया था लेकिन मंगलवार को उसके बल्लेबाज अधिक स्वच्छंद होकर खेले और टीम ने दूसरी पारी में 418 रन बनाए। मुंबई के पहली पारी के 224 रन के जवाब में विदर्भ की टीम पहली पारी में 105 रन ही बना सकी थी और 119 रन से पिछड़ गई थी।

रणजी ट्राफी फाइनल

मुंबई ने विशाल रन का लक्ष्य देकर अपना 42वां रणजी खिताब जीतने का दावा मजबूत कर दिया है। *युवा* मुशीर खान (136) के शतक के अलावा श्रेयस अय्यर (95) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (73) ने लगाए अर्धशतक।

श्रेयस अय्यर

फाइनल देखने के लिए पहुंचे तेंदुलकर और रोहित

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) की घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने की पहल की एक बानगी मंगलवार को यहां देखने को मिली जब दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई और विदर्भ के बीच चल रहे रणजी ट्राफी फाइनल के तीसरे दिन का खेल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। इंग्लैंड के खिलाफ टैस्ट श्रृंखला में 4-1 से जीत के बाद रोहित सहज नजर आ रहे थे। वह मुंबई के ड्रेसिंग रूम में गए तथा इस बीच उन्होंने शार्दुल ठाकुर सहित मुंबई के अपने साथियों के साथ बातचीत की।

ऋषभ पंत आइपीएल के लिए स्वस्थ्य घोषित, होगी वापसी

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ने मंगलवार को ऋषभ पंत को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलने के लिए स्वस्थ्य घोषित कर दिया जिससे टी20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी की उनकी संभावना भी बढ़ गई। पंत को 14 महीने पहले एक दर्दनाक कार दुर्घटना में काफी चोटें लगी थी। पंत आइपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में वापसी करेंगे और विस्तृत रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद 22 मार्च से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं।

इससे लीग में उनकी भूमिका को लेकर लग रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। बीसीसीआइ ने एक बयान में कहा कि 14 महीने के विस्तृत रिहैबिलिटेशन और उबरने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऋषभ पंत को आगामी आइपीएल 2024 के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में फिट घोषित किया गया है।

भारतीय पुरुष हाकी टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसकी

नई दिल्ली, 12 मार्च (भाषा)।

भारतीय पुरुष हाकी टीम मंगलवार को जारी एफआइएच विश्व रैंकिंग में एक पायदान नीचे चौथे स्थान पर खिसक गई जबकि हाकी ओलंपिक क्वालीफायर्स में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाली जर्मनी की टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।

भारत के 2761 रैंकिंग अंक हैं। उसने पिछले साल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत कर पेरिस ओलंपिक में जगह बना दी थी और इस कारण ओलंपिक क्वालीफायर्स में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ जर्मनी (2786 अंक) ओमान में खेले गए ओलंपिक क्वालीफायर्स में अजेय रहा था, जिससे वह विश्व रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ने में सफल रहा। नीदरलैंड (3060 अंक) पहले की तरह शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद बेल्जियम (2848 अंक), जर्मनी, भारत और आस्ट्रेलिया (2757 अंक) का नंबर आता है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 41, अंक 117
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication, release or distribution outside India and is not an Offer Document announcement. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 06, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE")

valencia nutrition

VALENCIA NUTRITION LIMITED

Valencia Nutrition Limited (**"Company"** or **"Issuer"**) was incorporated as "Valencia Nutrition Private Limited" on April 01, 2013 under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Karnataka bearing Registration No. 068380. Subsequently, the status of our Company was changed to public limited company and the name of our Company was changed to "Valencia Nutrition Limited" vide Special Resolution dated March 09, 2018. A fresh certificate of incorporation consequent to conversion into public limited company was issued to our Company by the Registrar of Companies, Bangalore on April 09, 2018. The registered office of the Company is situated at 601A, Neelkanth Business Park, Nathani Road, Vidyavihar (West), Mumbai- 400 086, Maharashtra, India. For further details in relation to our Company, please refer to the section titled "General Information" beginning on page 34 of this Letter of offer.

Registered Office: 601A, Neelkanth Business Park, Nathani Road, Vidyavihar (West), Mumbai - 400 086, Maharashtra, India. | **Tel:** +9122 2509 4351/2, | **Website:** www.valencianutrition.com;
Contact Person: Nishi Jain, Company Secretary and Compliance Officer,
Email: compliance@valencianutrition.com | **Corporate Identity Number:** L51909MH2013PLC381314

PROMOTER OF OUR COMPANY: MANISH TURAKHIA AND DEEPTHI ANAND#

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ONLY

ISSUE OF UP TO 83,78,012 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10.00/- (RIGHTS EQUITY SHARES) OF VALENCIA NUTRITION LIMITED ("VALENCIA") OR THE COMPANY OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹26/- (RUPEES TWENTY SIX ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹16/- (RUPEES SIXTEEN ONLY) PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT UP TO ₹2,178.28 LAKHS ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN THE RATIO OF 15 RIGHT SHARES FOR EVERY 10 EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, MARCH 07, 2024 ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 2.60 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 140 OF THIS LETTER OF OFFER.

***Assuming full subscription**

#Company has received request letter cum undertaking from Deepthi Anand, Promoter of the Company on November 27, 2023 for reclassifying her shareholding from 'Promoter' to 'Public Category' under Regulation 31 A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Our Company has initiated the process of re-classification of Deepthi Anand from 'Promoter' to 'Public Category'and has made the relevant application and other submissions as prescribed in the Listing Regulations to BSE for the same.

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION	*ISSUE CLOSES ON
FRIDAY, MARCH 15, 2024	TUESDAY, MARCH 19, 2024	FRIDAY, MARCH 22, 2024

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.*
***Our Board or Rights Issue and Allotment committee thereof will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

Amount Payable per Rights Equity Shares	Face Value	Premium	Total
On Application	Rs. 10.00	Rs. 16.00	Rs. 26.00
Total	**Rs. 10.00**	**Rs. 16.00**	**Rs. 26.00**

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENT WILL BE TRADED ONLY ON BSE

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!

***Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below**

PROCEDURE FOR APPLICATION

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, bearing reference number SEBI/HO/CFD/CIR/CFD/DIL/67/2020 dated April 21, 2020, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dated May 6, 2020, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 dated July 24, 2020 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 dated January 19, 2021, SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552 dated April 22, 2021, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/633 dated October 01, 2021 and SEBI//HO/CFD/SSEP/CIR/P/2022/66 dated May 19, 2022 (Collectively hereafter referred to as "SEBI Rights Issue Circulars") and SEBI circular SEBI/CFD/DIL/ASBA/1/2009/30/12 dated December 30, 2009, SEBI circular CIR/CFD/DIL/1/2011 dated April 29, 2011 and the SEBI circular, bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020 (Collectively hereafter referred to as "ASBA Circulars"), all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Kindly note that Non- Resident Investors will have to apply through ASBA mode. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their Application through ASBA. For details, see *"Making of an Application through the ASBA process"* page 152 of the Letter of offer.

Further, in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the issue opening date, the rights entitlement of those resident eligible equity shareholders, among others, whose demat account details are not available with our company or the registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our company.

Facility for Application in the Issue

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Eligible Shareholders should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see ***"Making of an Application through the ASBA process"*** on page 152 of the Letter of Offer.

Making of an Application through the ASBA process

Eligible Shareholders desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Eligible Shareholders should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link. Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular No. CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012 within the periods stipulated therein. ASBA Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs, in case of Applications made through ASBA facility.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular No. CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012 within the periods stipulated therein. Applications may be submitted at Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, SCSBs should have a separate account in their own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making Application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for Applications. SCSBs applying in the Issue shall be responsible for ensuring that they have a separate account in their own name with any other SCSB having clear demarcated funds for applying in the Issue and that such separate account shall be used as the ASBA Account for the Application, for ensuring compliance with the applicable regulations.

ALLOTMENT IN DEMATERIALIZED FORM ONLY: Eligible Shareholders may please note that the Rights Equity Shares in the Issue can be allotted only in dematerialized form and to the same depository account in which the Rights Entitlements are held by such Applicant on the issue closing date.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER ("ALOF") AND APPLICATION FORM: The dispatch of the ALOF and Application Form for the Issue was completed on Tuesday, 12 March, 2024 by Registrar to the Issue, i.e., Big Share Services Private Limited to the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners of the Company, on the Record date, i.e., Thursday, March 07, 2024 through electronic dispatch to the shareholders who have registered their email ids and physically through speed/registered post on Tuesday, 12 March, 2024

a. Eligible Shareholders can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Right Shares under applicable securities laws) on the websites of: Our Company's website at www.valencianutrition.com Registrar to the Issue's website at www.bigshareonline.com; BSE Limited's website at www.bseindia.com;.

   Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar to the Issue at www.bigshareonline.com; by entering their DP-ID and Client-ID and PAN.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: The Registrar has electronically dispatched an Application Form to all Eligible Equity Shareholders as per their Rights Entitlements on the Record Date for the Issue. The Renouncees and Eligible Equity Shareholders who have not received the Application Form can download the same from the websites of the Registrar (www.bigshareonline.com), the Company (www.valencianutrition.com) and the Stock Exchange (www.bseindia.com).

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNTS: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the credit of Rights Entitlement and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only.

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account (namely, Unclaimed Securities Suspense Account") opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) credit of the Rights Entitlements returned/reversed/failed; or (d) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (e) non-institutional equity shareholders in the United States.

Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their Rights Entitlements from the website of the Registrar i.e., www.bigshareonline.com by entering their DP ID and Client ID and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company www.valencianutrition.com.

Making of an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above and only such plain paper applications which provide all the details required in terms of Regulation 78 of SEBI ICDR Regulations shall be accepted by SCSBs. In such cases of non-receipt of the Application Form through physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to the Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, the Stock Exchanges

An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

a. Name of our Company, being VALENCIA NUTRITION LIMITED;
b. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
c. Registered Folio No./DP and Client ID No.;
d. Number of Equity Shares held as on Record Date;
e. Allotment option – only dematerialised form;
f. Number of Equity Shares entitled to;
g. Number of Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
h. Number of additional Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
i. Total number of Equity Shares applied for;
j. Total amount paid at the rate of ▯ 26/- per Equity Share;
k. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
l. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an Application with an Indian address, details of the NRE/ FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
m. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue
n. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
o. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and

   All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities" shall include the following:

   "I/We hereby make representations, warranties and agreements set forth in "Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities" of the Letter of Offer.

   I/We acknowledge that the Company, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein."

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where a Shareholders submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Shareholders. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at https://bigshareonline.com

Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB, or funds are not blocked in the Shareholders' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

In case an Investor makes an application as well as on plain paper, his application is liable to be rejected.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in Application Form is the Issue Closing Date i.e. Friday, March 22, 2024. Our Board or Rights Issue and Allotment committee thereof may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the provisions of the Articles of Association, and subject to the issue period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application along with the amount payable is either (i) not blocked with an SCSB or (ii) not received by the Bankers to the Issue or the Registrar on or before the close of banking hours on the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as provided under "Terms of the Issue – Basis of Allotment" on page 165 of the Letter of Offer.

APPLICANTS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE ("Stock Exchange"). Our Company has received 'in- principle' approval from BSE for listing the Rights Equity Shares to be allotted pursuant to this Issue vide its letter dated March 01, 2024. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange is BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of BSE"* on page 135 of the Letter of Offer.

AVAILABILITY OF THE LETTER OF OFFER: A copy of the Letter of Offer can be downloaded from the website of a) our Company at www.valencianutrition.com; b) the Registrar to the Issue at www.bigshareonline.com and c) the Stock Exchange at www.bseindia.com

NOTICE TO OVERSEAS SHAREHOLDERS: No action has been or will be taken to permit the Issue in any jurisdiction where action would be required for that purpose, except in India. Accordingly, the Rights Entitlements or Rights Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer or any offering materials or advertisements in connection with the Issue may not be distributed, in whole or in part, in any jurisdiction, except in accordance with legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make such an offer (**"Restricted Jurisdictions"**) and, in those circumstances, the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer must be treated as sent for information purposes only and should not be acted upon for subscription to the Rights Equity Shares and should not be copied or redistributed. Accordingly, persons receiving a copy of the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer or Application Form should not, in connection with the issue of the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, distribute or send the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer to any person outside India where to do so, would or might contravene local securities laws or regulations. If the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer or Application Form is received by any person in any Restricted Jurisdiction, or by their agent or nominee, they must not seek to subscribe to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements referred to in the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer. Envelopes containing an Application Form should not be dispatched from a Restricted Jurisdiction and all the persons subscribing for the Rights Equity Shares must provide an Indian address. For more details, see "Selling Restrictions" on page 135 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended (the **"Securities Act"**), or the securities laws of any state of the United States of America and may not be offered or sold in the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States, and the District of Columbia (**"United States"**), except in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold only (a) to persons in the United States who are reasonably believed to be qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act (**"U.S. QIBs"**) pursuant to Section 4(a)(2) of the Securities Act and (b) to persons outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act (**"Regulation S"**). In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the Issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares in the United States by a dealer (whether or not it is participating in the Issue) may violate the registration requirements of the Securities Act if such offer or sale is made otherwise than in accordance with an exemption from registration under the Securities Act. The Rights Equity Shares are transferable only in accordance with the restrictions described in "Selling Restrictions" on page 135 of the Letter of Offer.

The Application Form along with the Abridged Letter of Offer and the Rights Entitlement Letter has been sent through email to email address to eligible shareholders if they have provided an Indian address to our Company or who are located in jurisdictions where the offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions.

BANKER TO THE ISSUE AND REFUND BANK: Axis Bank Limited.

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER AND ABRIDGED LETTER OF OFFER.

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE:

a) Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.bigshareonline.com
b) Updation of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: rightsissue@bigshareonline.com
c) Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Equity Shareholders: Registrar website: www.bigshareonline.com. Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

COMPANY SECRETARY	REGISTRAR TO THE ISSUE
VALENCIA NUTRITION LIMITED **Corporate Identification Number :** L51909MH2013PLC381314 **Registered Office:** 601A, Neelkanth Business Park, Nathani Road, Vidyavihar (West), Mumbai- 400 086, Maharashtra, India. **Contact Person:** Nishi Jayantilal Jain, Company Secretary & Compliance Officer **E-mail:** compliance@valencianutrition.com, **Website:** www.valencianutrition.com	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400 093. Maharashtra, India **Telephone:** +91 22 6263 8200 **Email:** rightsissue@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Investor grievance e-mail:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Suraj Gupta **SEBI Registration No.:** INR000001385
Investors may contact the Registrar to Issue / Company Secretary in case of any Pre Issue/ Post Issue related problems such as non-receipt of Allotment advice/demat credit etc.	

For VALENCIA NUTRITION LIMITED
Sd/-
Nishi Jain
Company Secretary

Date : March 12, 2024
Place : Mumbai

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 16 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Equity Shares in the United States.*

AdBaaz

www.readwhere.com

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document announcement)

THE RAMARAJU SURGICAL COTTON MILLS LIMITED

THE RAMARAJU SURGICAL COTTON MILLS LIMITED

Corporate Identity Number: L17111TN1939PLC002302

Our Company was incorporated as *'The Surgical Cotton Mills Limited'* as a public limited company under the India Companies Act, 1913 at Madras pursuant to certificate of incorporation dated February 20, 1939, issued by the Registrar of Joint Stock Companies, Madras. Thereafter, our Company was granted the certificate of commencement of business dated February 7, 1940. The name of our Company was changed to *"The Ramaraju Surgical Cotton Mills Limited"* pursuant to a resolution passed by the shareholders of our Company at the 3rd AGM held on December 30,1942 and a fresh certificate of incorporation dated June 22,1943 was issued by the Registrar of Companies, Madura. For details of change in name and registered office of our Company, see *"General Information"* on page 36 of the Letter of Offer dated March 1, 2024 ("Letter of Offer")

Registered office: Post Box No. 2, 119/120, P.A.C. Ramasamy Raja Salai, Rajapalayam – 626117 Tamil Nadu, India | **Telephone:** +91-4563-235904 | **Email:** rscm@ramcotex.com | **Website:** www.ramarajusurgical.com

Contact Person: P Muthukumar, Company Secretary and Compliance Officer | **Email:** muthukumar_p@ramcotex.com

PROMOTER OF OUR COMPANY: P R VENKETRAMA RAJA

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE RAMARAJU SURGICAL COTTON MILLS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*	ISSUE CLOSES ON#
FRIDAY, MARCH 15, 2024	MONDAY, MARCH 18, 2024	FRIDAY, MARCH 22, 2024

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.*

**Our Board or the Rights Issue Committee will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.*

ISSUE OF UP TO 18,17,227 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹204 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹194 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT UP TO ₹3,707.14 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 5(FIVE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 11(ELEVEN) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON TUESDAY, MARCH 5, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 20.4 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE THE CHAPTER TITLED *"TERMS OF THE ISSUE"* BEGINNING ON PAGE 208 OF THE LETTER OF OFFER.

**Assuming full subscription*

ASBA* — **Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!**
***Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below**

PROCESS OF MAKING AN APPLICATION IN THE ISSUE

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, please see *"Procedure for Application through the ASBA Process"* on pages 211 of the Letter of Offer.

The Application Form can be used by the Eligible Equity Shareholders as well as the Renouncees, to make Applications in this Issue basis the Rights Entitlement credited in their respective demat accounts or demat suspense escrow account, as may be applicable. For further details on the Rights Entitlements and demat suspense escrow account, see *"Term of the Issue - Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders"* on page 221 of the Letter of Offer.

Please note that one single Application Form shall be used by Investors to make Applications for all Rights Entitlements available in a particular demat account or entire respective portion of the Rights Entitlements in the demat suspense escrow account in case of resident Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form as on Record Date and applying in this Issue, as applicable. In case of Investors who have provided details of demat account in accordance with the SEBI ICDR Regulations, such Investors will have to apply for the Rights Equity Shares from the same demat account in which they are holding the Rights Entitlements and in case of multiple demat accounts, the Investors are required to submit a separate Application Form for each demat account.

Investors may accept this Issue and apply for the Rights Equity Shares by submitting the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Investors are also advised to ensure that the Application Form is correctly filled up stating therein the ASBA Account in which an amount equivalent to the amount payable on Application as stated in the Application Form will be blocked by the SCSB.

Applicants should note that they should very carefully fill-in their depository account details and PAN in the Application Form or while submitting application through online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB). Please note that incorrect depository account details or PAN, or Application Forms without depository account details shall be treated as incomplete and shall be rejected. For details see *"Terms of the Issue - Grounds for Technical Rejection"* on page 217 of the Letter of Offer. Our Company, the Lead Manager, the Registrar and the SCSBs shall not be liable for any incomplete or incorrect demat details provided by the Applicants.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in this Issue by making plain paper Applications. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in the plain paper application. If an Eligible Equity Shareholder makes an Application both in an Application Form as well as on plain paper, both applications are liable to be rejected. Please note that in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. For details, see *"Terms of the Issue - Making an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process"* on page 212 of the Letter of Offer.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circular, the Abridged Letter of Offer, Application Form, the Rights Entitlement Letter and other applicable Issue material will be sent / dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address to our Company. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

1. Our Company at www.ramarajusurgical.com;
2. The Registrar at https://rights.cameoindia.com/ramaraju
3. The Lead Manager i.e., Vivro Financial Services Private Limited at www.vivro.net and
4. The Stock Exchange https://www.msei.in/Index

Further, our Company will undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible. Our Company, the Lead Manager and the Registrar will not be liable for non-dispatch of physical copies of Issue materials, including the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form attributable to the nonavailability of the e-mail addresses of Eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in transit.

Shareholders who have not received the Application Form may apply, along with the requisite Application Money, by using the Application Form available on the websites above, or on plain paper, with the same details as mentioned in the Application Form available online.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.cameoindia.com), by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date), PAN and such other credentials. The link for the same shall also be available on the website of our Company i.e., (i.e., www.ramarajusurgical.com).

Our Company along with the Lead Manager will undertake all adequate steps to reach out to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible.

MAKING AN APPLICATION THROUGH THE ASBA PROCESS: An Investor, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with a SCSB prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online / electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34.

Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

The Lead Manager, our Company, its directors, its employees, affiliates, associates and their respective directors and officers and the Registrar shall not be responsible for acts, mistakes, errors, omissions and commissions etc., in relation to Applications accepted by SCSBs, Applications uploaded by SCSBs, Applications accepted but not uploaded by SCSBs or Applications accepted and uploaded without blocking funds in the ASBA Accounts.

Making an Application by Eligible Equity Shareholders on Plain Paper under ASBA process

An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the websites of the Registrar, Stock Exchange or the Lead Manager. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address or is a U.S. Person or in the United States.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in this Issue by making plain paper Applications. Please note that SCSBs shall accept such applications only if all details required for making the application as per the SEBI ICDR Regulations are specified in the plain paper application. If an Eligible Equity Shareholder makes an Application both in an Application Form as well as on plain paper, both applications are liable to be rejected.

Please note that in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being The Ramaraju Surgical Cotton Mills Limited; 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); 3. Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) / DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option - only dematerialised form; 7. Number of Rights Equity Shares entitled to, 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; 9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate of ₹204 per Rights Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); 16. An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar and 17. All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

*"I/ We understand that neither the Rights Entitlements nor the Rights Equity Shares have been, or will be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (**U.S. Securities Act**), or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (**United States**), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. I/ we understand the Rights Equity Shares referred to in this application are being offered and sold only in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act (**Regulation S**) to existing shareholders who are located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions. I/ we understand that the Issue is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements in the United States. I/ we confirm that I am/ we are (a) not in the United States and eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws, (b) complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, and (c) understand that neither the Company, nor the Registrar, the Lead Manager or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who the Company, the Registrar, the Lead Manager or any other person acting on behalf of the Company have reason to believe is in the United States or is outside of India and ineligible to participate in this Issue under the securities, laws of their jurisdiction. I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Rights Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation. I/ We satisfy, and each account for which I/ we are acting satisfies, (a) all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of my/our residence, and (b) is eligible to subscribe and is subscribing for the Rights Equity Shares and Rights Entitlements in compliance with applicable securities and other laws of our jurisdiction of residence. I/we hereby make the representations, warranties, acknowledgments and agreements set forth in 'Restrictions on Foreign Ownership of Indian Securities' on page 235 of the Letter of Offer. I/ We understand and agree that the Rights Entitlements and Rights Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in accordance with Regulation S to a person outside the United States. I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States or a Qualified Institutional Buyer (as defined in the U.S. Securities Act), and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S or in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. I/ We acknowledge that we, the Company, the Lead Manager, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements.*

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMATERIALISED ACCOUNT: In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in the account of the IEPF authority; or (b) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or the Equity Shares which are lying in the unclaimed suspense account (including those pursuant to Regulation 39 of the SEBI Listing Regulations) or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date; or (c) Equity Shares held by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date where details of demat accounts are not provided by Eligible Equity Shareholders to our Company or Registrar; or (d) credit of the Rights Entitlements returned/ reversed/failed; or (e) the ownership of the Equity Shares currently under dispute, including any court proceedings, if any; or (f) non-institutional equity shareholders in the United States.

In this regard, our Company has made necessary arrangements with CDSL and NSDL for crediting the Rights Entitlements to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders in a dematerialized form. A separate ISIN for the Rights Entitlements has also been generated which is INE328E20019. The ISIN for the Rights Entitlements shall remain frozen (for debit) until the Issue Opening Date. The ISIN for the Rights Entitlements shall be suspended for transfer by the Depositories post the Issue Closing Date.

Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details / records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to our Company or the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e., by Wednesday, March 20, 2024, to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their demat account at least 1 day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar account is active to facilitate the aforementioned transfer.

Additionally, our Company will submit the details of the total Rights Entitlements credited to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders and the demat suspense escrow account to the Stock Exchange after completing the corporate action. The details of the Rights Entitlements with respect to each Eligible Equity Shareholders can be accessed by such respective Eligible Equity Shareholders on the website of the Registrar after keying in their respective details along with other security control measures implemented thereat.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHTS EQUITY SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE AND MAKE PAYMENT OF THE APPLICATION MONEY. FOR DETAILS, SEE *"TERMS OF THE ISSUE"* ON PAGE 208 OF THE LETTER OF OFFER.

NOTICE TO INVESTORS

No action has been or will be taken to permit the Issue in any jurisdiction where any action would be required for that purpose. Accordingly, the Rights Entitlements or Rights Equity Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, and the Issue Material or any offering materials or advertisements in connection with the Issue may not be distributed, in whole or in part, in any jurisdiction, except in accordance with legal requirements applicable in such jurisdiction. Receipt of the Issue Material will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make such an offer and, in those circumstances, the Issue Material must be treated as sent for information only and should not be copied, redistributed or acted upon for subscription to Rights Equity Shares or the purchase of Rights Entitlements. Accordingly, persons receiving a copy of the Issue Materials should not, in connection with the issue of the Rights Entitlements or Rights Equity Shares, distribute or send such document in, into the United States or any other jurisdiction where to do so would, or might contravene local securities laws or regulations or would subject the Company, Lead Manager or their respective affiliates to any filing or registration requirement (other than in India). If Issue Materials is received by any person in any such jurisdiction, or by their agent or nominee, they must not seek to subscribe to the Rights Entitlement or Rights Equity Shares referred to in Issue Materials. Envelopes containing an Application Form should not be dispatched from any jurisdiction where it would be illegal to make an offer, and all persons subscribing for the Rights Equity Shares in this Issue must provide an Indian address.

THE RIGHTS ENTITLEMENTS AND THE RIGHTS EQUITY SHARES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT, 1933, AS AMENDED (**"SECURITIES ACT"**), OR ANY U.S. STATE SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD, RESOLD OR OTHERWISE TRANSFERRED WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE TERRITORIES OR POSSESSIONS THEREOF (**"UNITED STATES"** OR **"U.S."**) OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, "U.S. PERSONS" (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT (**"REGULATION S"**), EXCEPT IN A TRANSACTION EXEMPT FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE RIGHTS ENTITLEMENTS AND RIGHTS EQUITY SHARES REFERRED TO IN THE LETTER OF OFFER ARE BEING OFFERED IN INDIA AND IN JURISDICTIONS WHERE SUCH OFFER AND SALE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES AND/ OR RIGHTS ENTITLEMENTS ARE PERMITTED UNDER LAWS OF SUCH JURISDICTIONS, BUT NOT IN THE UNITED STATES. THE OFFERING TO WHICH THE LETTER OF OFFER, AND ABRIDGED LETTER OF OFFER RELATES IS NOT, AND UNDER NO CIRCUMSTANCES IS TO BE CONSTRUED AS, AN OFFERING OF ANY SECURITIES OR RIGHTS FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AS A SOLICITATION THEREIN OF AN OFFER TO BUY ANY OF THE SAID SECURITIES OR RIGHTS.ACCORDINGLY, THE LETTER OF OFFER/ABRIDGED LETTER OF OFFER, RIGHTS ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM SHOULD NOT BE FORWARDED TO OR TRANSMITTED IN OR INTO THE UNITED STATES AT ANY TIME.

Neither our Company nor any person acting on our behalf will accept a subscription or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company or any person acting on our behalf has reason to believe, is in the United States when the buy order is made. No payments for subscribing for the Rights Equity Shares shall be made from US bank accounts and all persons subscribing for the Rights Equity Shares and wishing to hold such Rights Equity Shares in registered form must provide an address for registration of the Rights Equity Shares in India.

We, the Registrar, the Lead Manager or any other person acting on behalf of us, reserve the right to treat as invalid any Application Form which: (i) does not include the certification set out in the Application Form to the effect that the subscriber does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States and is authorised to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations; (ii) appears to us or its agents to have been executed in, electronically transmitted from or dispatched from the United States; (iii) where a registered Indian address is not provided; or (iv) where we believe that Application Form is incomplete or acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; and we shall not be bound to allot or issue any Rights Equity Shares in respect of any such Application Form.

Rights Entitlements may not be transferred or sold to any person in the United States.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Friday, March 22, 2024, i.e., Issue Closing Date. Our Board, or, the Rights Issue Committee may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). If the Application Form is not submitted with a SCSB, uploaded with the Stock Exchange and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board or any committee thereof, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as set out in entitled *'Terms of the Issue - Basis of Allotment'* on page 229 of the Letter of Offer. Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchange. Please ensure that the Application Form and necessary details are filled in. In place of Application number, Investors can mention the reference number of the e-mail received from Registrar informing about their Rights Entitlement or last eight digits of the demat account. Alternatively, SCSBs may mention their internal reference number in place of application number.

ALLOTMENT OF THE EQUITY SHARES IN DEMATERIALIZED FORM

PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE. FOR DETAILS, SEE *"TERMS OF THE ISSUE - ALLOTMENT ADVICE OR REFUND / UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS"* ON PAGE 230 OF THE LETTER OF OFFER.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS ENTITLEMENTS WHICH ARE NEITHER RENOUNCED NOR SUBSCRIBED BY THE INVESTORS ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE SHALL LAPSE AND SHALL BE EXTINGUISHED AFTER THE ISSUE CLOSING DATE.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited. Our Company has received an "in-principle" approval from MSEI for listing of the Rights Equity Shares to be allotted in this Issue pursuant to letter dated February 20, 2024. Our Company will also make an application to the Stock Exchange to obtain the trading approval for the Rights Entitlements as required under the SEBI Rights Issue Circular. MSEI shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the SEBI under the heading *"Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer clause of SEBI"* on page 200 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE is solely for the use of the bidding platform of BSE i.e. Internet based-Book Building Software (iBBS) for the Rights Issue and that it should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been scrutinized, cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of BSE. It should also be distinctly understood that BSE is only providing its iBBS platform to the Company for its Rights Issue and equity shares issued by the Company are listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited. For Details, see *"Disclaimer Clause of BSE"* on page 204 of the Letter of Offer.

Disclaimer Claue of MSEI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to MSEI should not, in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by MSEI. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the MSEI under the heading *"Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer clause of MSEI"* on page 203 of the Letter of Offer.

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE: In accordance with the SEBI Rights Issue Circular, frequently asked questions, and online / electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors will be available on the website of the Registrar www.cameoindia.com. Further, helpline number provided by the Registrar for guidance on the Application process and resolution of difficulties is 1800 309 4001

BANKER TO THE ISSUE: Axis Bank Limited.

DISPATCH OF THE ABRIDGED LETTER OF OFFER AND THE APPLICATION FORM: The dispatch of the Abridged Letter of Offer along with the Application Form for the Issue has been completed by the Registrar to the Issue i.e., Cameo Corporate Services Limited in electronic mode through Email on March 11, 2024 and physically through Speed Post on March 12, 2024, to the Eligible Equity Shareholders of the Company, whose names appeared in the Registrar of Members/Beneficial Owners of the Company, on the Record Date i.e., Tuesday, March 5, 2024.

FOR RISK FACTORS AND OTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE LETTER OF OFFER / ABRIDGED LETTER OF OFFER.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
VIVRO **Vivro Financial Services Private Limited** Vivro House, 11, Shashi Colony, Opposite Suvidha Shopping Center, Paldi, Ahmedabad – 380 007, Gujarat, India. **Telephone:** +91-79-4040 4242 **Email:** investors@vivro.net **Website:** www.vivro.net **Investor Grievance Email:** investors@vivro.net **Contact Person:** Kruti Saraiya/Jay Dodiya **SEBI Registration Number:** INM000010122 **CIN:** U67120GJ1996PTC029182	CAMEO **Cameo Corporate Services Limited** Subramanian Building, No. 1, Club House Road,Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India. **Telephone:** + 91-44-4002 0700/ 28460390; **Email:** rights@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Investor Grievance Email:** investor@cameoindia.com **Contact Person:** K Sreepriya **SEBI Registration Number:** INR000003753 **CIN:** U67120TN1998PLC041613	THE RAMARAJU SURGICAL COTTON MILLS LIMITED **The Ramaraju Surgical Cotton Mills Limited** Post Box No. 2, 119/120, P.A.C. Ramasamy Raja Salai, Rajapalayam – 626117, Tamil Nadu, India **Telephone:** +91-4563-235904 **E-mail:** muthukumar_p@ramcotex.com **Website:** www.ramarajusurgical.com **Contact Person:** P Muthukumar **CIN:** L17111TN1939PLC002302

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section entitled "Terms of the Issue" on page 208. of the Letter of Offer.

For The Ramaraju Surgical Cotton Mills Limited
Sd/-
P Muthukumar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Rajapalayam
Date: March 12, 2024

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. MSEI at https://www.msei.in/Index and the website of the Lead Manager at www.vivro.net. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 17 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.*

AdBaaz

भारतीय स्टेट बैंक
240, नेहरू एन्क्लेव, अलीपुर, दिल्ली–110036
फोन: 011–27201452,
ईमेल: sbi.17884@sbi.co.in

स्वर्ण नीलामी सह–आमंत्रण सूचना

नीचे वर्णित ऋणधारक को एसबीआई से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्वर्णाभूषणों के लिये ऋणसुविधा की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये सूचना जारी किया गया है। चूंकि, ऋणधारक इसे वापस करने के में विफल रहे, हम 14.03.2024 को गिरवी आभूषणों की नीलामी करने के लिये बाध्य हैं। इस नीलामी से किसी अधिशेष राशि प्राप्त करने की स्थिति में वह संबंधित ऋणधारक को वापस लौटा दी जाएगी एवं नीलामी के उपरांत राशि की वसूली में न्यूनता होने की स्थिति में शेष राशि उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ऋणधारक से वसूल की जाएगी। एसबीआई को बिना कारण बताएं नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकारी है।

ऋणधारक का नाम: श्री अजय
ऋणखाता संख्या: 41828807848

नीलामी गुरुवार, 14.03.2024 को एसबीआई अलीपुर, दिल्ली–36 एवं शाखा परिसर में 3.00 बजे अप. में आयोजित होगी। इच्छुक क्रेता नीलामी में शामिल हो सकते है।

कृपया ध्यान रहें कि समय सीमा के कारण यदि उक्त दिवस को नीलामी पूरी नहीं हो पाती है तो वह परवर्ती दिवस को उसी समय एवं स्थान में आयोजित की जाएगी।

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक
के समक्ष (उत्तरी क्षेत्र बेंच) ऑफिस : बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (ए) के मामले में

और

फ्लेक्सीडिजिटल टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में फिगुलर टेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
CIN : U72900DL2023PTC409311

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी और इसका पंजीकृत कार्यालय : हाऊस नं. 210, चौथा फ्लोर, ब्लॉक–एम शास्त्री नगर, दिल्ली–110052

.....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India. Initial public offer of equity shares on the main board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, the "Stock Exchanges") in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

JG CHEMICALS

(Please scan the QR code to view the Prospectus)

J.G.CHEMICALS LIMITED

Our Company was initially formed as a partnership firm on March 15, 1975 under the name "J.G.Chemicals" at West Bengal as a partnership at will which was registered under the Indian Partnership Act, 1932 with the Registrar of Firms, West Bengal in 1983. Subsequently, the partnership firm was converted into a joint stock company and was registered as a private limited company in the name and style "J.G.Chemicals Private Limited" pursuant to a certificate of incorporation dated June 28, 2001, issued by RoC, in accordance with provisions of the Companies Act, 1956. Thereafter, pursuant to a resolution passed at the meeting of the Board of Directors held on March 16, 2022, and a special resolution of the Shareholders at the EGM held on April 30, 2022, the name of our Company was changed to J.G.Chemicals Limited, pursuant to its conversion into a public limited company. A fresh certificate of incorporation dated May 24, 2022, consequent upon conversion, was issued by the RoC. For details relating to changes in the name and registered office of our Company, please see section titled *"History and Certain Corporate Matters"* on page 203 of the Prospectus dated March 8, 2024 filed with RoC (**"Prospectus"**).

Corporate Identity Number: U24100WB2001PLC093380
Registered Office: Adventz Infinity @ 5, 15th Floor, Unit 1511, Plot 5 Block - BN, Sector - V, Salt Lake Electronics Complex, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Saltlake, West Bengal, 700 091, India;
Tel: +91 33 4014 0100; **Contact Person:** Swati Poddar; **Website:** www.jgchem.com; **E-mail:** corporate@jgchem.com

THE COMMENCEMENT OF TRADING OF THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY ON THE STOCK EXCHANGES SHALL BE WITH EFFECT FROM WEDNESDAY MARCH 13, 2024. IN TERMS OF THE SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/CFD/TPD1/ CIR/P/2023/140 DATED AUGUST 09, 2023. OUR COMPANY IS REQUIRED TO LIST THE EQUITY SHARES ON T+3 DAY (T BEING THE OFFER CLOSING DATE).

OUR PROMOTERS: SURESH JHUNJHUNWALA, ANIRUDH JHUNJHUNWALA AND ANUJ JHUNJHUNWALA

Our Company has filed the Prospectus dated March 08, 2024 with the ROC, and the Equity shares are proposed to be listed on the BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and trading is expected to commence on Wednesday, March 13, 2024

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 1,13,66,063 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF J.G.CHEMICALS LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 221 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 211 PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ 2,511.90 MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF 74,66,063 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 1,650.00 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 3,900,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 861.90 BY THE SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") COMPRISING 2,028,900 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 448.39 MILLION BY VISION PROJECTS & FINVEST PRIVATE LIMITED, 1,100 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹0.24 MILLION BY JAYANTI COMMERCIAL LIMITED, 1,260,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 278.46 MILLION BY SURESH KUMAR JHUNJHUNWALA (HUF), AND 610,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹134.81 MILLION BY ANIRUDH JHUNJHUNWALA (HUF) (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE 29.01% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

We are the largest manufacturer of zinc oxides in India and among the top ten manufacturers of zinc oxides globally *(Source: CARE Report)*

ANCHOR INVESTOR OFFER PRICE: ₹ 221 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH
OFFER PRICE: ₹ 221 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH
THE OFFER PRICE IS 22.10 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE ₹ 10 EACH

RISKS TO INVESTORS:

1. Complete Dependence on sale of single product, i.e. zinc oxide: Our business is almost completely dependent on the sale of one principal product i.e. zinc oxide (in various grades) and any reduction in the demand of the same may have an adverse effect on our business and financial performance. Our revenue from operations contributed by the sale of all types/ grades of zinc oxide was ₹ 4,863.22 million, ₹ 7,842.31 million, ₹ 6,125.07 million and ₹ 4,339.90 million for the nine months period ended December 31, 2023 and Fiscals 2023, Fiscal 2022 and Fiscal 2021, which translates to 99.03%, 98.75%, 98.30% and 98.54%, of our total income, respectively.
2. Significant Dependence on Material Subsidiary: We are significantly dependent on the business operations of our material subsidiary i.e. BDJ Oxides Private Limited and any deterioration in the performance of our material subsidiary may adversely affect our business, financial condition and results of operations. Our Material Subsidiary contributes 63.83%, 57.60%, 58.20% and 57.63% for the nine months period ended December 31, 2023 and Fiscals 2023, Fiscal 2022 and Fiscal 2021, respectively to our Revenue from Operations on a consolidated basis.
3. Customer Concentration: We derive a significant part of our revenue from select customers. If one or more of such customers choose not to source their requirements from us, our business, financial condition and results of operations may be adversely affected. Our top 10 customers contributed ₹ 3,745.72 million, ₹ 5,969.78 million, ₹ 4,634.99 million and ₹ 3,337.20 million constituting 77.02%, 76.09%, 75.63% and 76.67% of our revenue from operations, as on nine months period ended December 31, 2023 and in Fiscal 2023, Fiscal 2022 and Fiscal 2021, respectively
4. Unregistered Trademark: Our logo is not registered as a trademark. If we are unable to protect our intellectual property rights, our business, financial condition and results of operations may be adversely affected.
5. Competition Risk: We operate in a competitive industry with a few organised manufacturers that produce competing products, both in India and internationally. Any inability to compete effectively may lead to a lower market share or reduced operating margins. Our foreign competitors may be able to supply similar products at lower prices due to proximity to our customers, larger scale of operations and export benefits provided in their respective countries.
6. Dependence on Application Industries: Rubber (tyre & other rubber products) contributes to 90.50%, 90.46%, 90.10% and 89.20% to our revenue from operations on a consolidated basis for the nine months period ended December 31, 2023 and Fiscals 2023, Fiscal 2022 and Fiscal 2021 respectively. Our operations are heavily dependent on the rubber and tyre industry and there is a lack of diversification in our business across other Application Industries.
7. Dependence on Overseas Suppliers: Our business is heavily dependent on procurement of raw materials from overseas suppliers. Since we do not usually enter into long-term supply contracts with our suppliers of Zinc Dross and typically, we source Zinc Dross from domestic and international third-party suppliers, including steel galvanizers by way of issuing purchase orders or by participating in online auctions and our business is heavily dependent on procurement of raw materials from overseas suppliers. The terms and production volumes of our raw material supplies are negotiated at the time of issuance of purchase order and the pricing is either determined on a spot basis or linked to a formula basis the LME pricing of zinc. Shortage of raw materials would lead to our estimates being adversely affected, resulting in loss of our business and an adverse impact on our results of operations, cash flows and financial condition.
8. Risk from use of Hazardous Substance: We are subject to certain risks consequent to our operations involving the manufacture, usage and storage of various hazardous substances.
9. No prior experience in operating a R&D facility: As a part of our Objects of the Offer, we intend to set up an R&D center at our Naidupeta Facility. Our Company has not incurred any identifiable expenses towards R&D in Fiscal 2023, Fiscal 2022 and Fiscal 2021 and the nine months period ended December 31, 2023.
10. New Product Risk: In accordance with our strategy to diversify our product offerings and enter into new verticals, we intend to gradually increase the production of pharmaceutical grade zinc oxide and also intend to cater to the demand for active zinc oxide grade, which is extensively used in electronics, high-end specialty chemicals and other niche applications, petroleum and environmental protection industries as well as other zinc based chemicals and nutrients which find application in agriculture, micro-nutrients and zinc based feeds & additives. If any new products that we may produce are not as successful as we anticipate, our business, cash flows, results of operations and financial conditions may be adversely affected.
11. No Longterm agreements: We do not have long term agreements with our customers and rely on purchase orders for delivery of our products. Loss of one or more of our customers or a reduction in their demand for our products could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
12. The Price/Earnings ratio based on diluted EPS for latest full financial year 2023 for the issuer at the upper end of the Price band is as high as 12.76 as compared to the average industry peer group PE ratio of 31.48.
13. Average cost of acquisition of equity shares for the selling shareholders in IPO is 0.38 and offer price at upper end of the price band is ₹ 221.
14. Weighted Average Return on Net Worth for Fiscal 2023, 2022 and 2021 is 26.38%.
15. Weighted average cost of acquisition of all shares transacted (i) in the preceding three years, (ii) in the preceding one year, and (iii) in the preceding 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus:

Period	Weighted average cost of acquisition (₹)	Upper end of the price band (i.e. ₹221) is 'X' times the weighted average cost of acquisition	Range of acquisition price: Lowest price-Highest price (in ₹)
Last one year	0.39	566.67	0.39*
Last 18 months	0.39	566.67	0.39*
Last three years	0.07	3,157.14	Nil to 0.39

*There was only 1 transaction during the last 1 year and 18 months. Accordingly, the range of acquisition price has not been provided.

16. Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Share)	Floor price* (i.e. ₹ 210)	Cap price* (i.e. ₹ 221)
Weighted average cost of acquisition of primary/new issue of equity shares or convertible securities during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-Offercapital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days	NA^	NA	NA
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition of equity shares or any convertible securities, where the promoters, members of the promoter group, selling shareholders, or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts) except 68,25,000 Equity Shares acquired by Vision Projects & Finvest Private Limited under a scheme of merger *, during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paidup share capital of the Company (calculated based on the pre-Offer capital before such transaction/s and excluding employee stock options ranted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.	0.39	566.67 times	566.67 times
Weighted average cost of acquisition of last 5 primary transactions, not older than 3 years prior to the date of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of transactions.	Nil	Nil	Nil

*Pursuant to a scheme of merger u/s 230 & 232 of the Companies Act, 2013, approved by Hon'ble National Company Law Tribunal dated. June 19, 2023, Alkan Fiscal Services Private Limited, BDJ Chemicals Private Limited, Prestige Towers Private Limited, Swarnim Complex Private Limited, Eeshwar Fiscal Services Private Limited, BDJ Speciality Chemicals Private Limited, (collectively, "Transferor Companies") has merged with Vision Projects & Finvest Private Limited ("Transferee Company") with effect from July 14, 2023, appointed date being April 01, 2021.

17. The three Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 3 public Issue in the past three Financial Years, out of which 1 Issue closed below the IPO price on the listing date.

Name of the BRLMs	Total public Issues	Issues closed below IPO price on listing date
Centrum Capital Limited	Nil	Nil
Emkay Global Financial Services Limited	01	01
Keynote Financial Services Limited	02	Nil
Total	03	01

Continued on next page...

www.readwhere.com

...continued from previous page.

BID/OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTOR BID/OFFER PERIOD OPENED AND CLOSED ON MONDAY, 4 MARCH, 2024

BID/OFFER OPENED ON TUESDAY, 5 MARCH, 2024

BID/OFFER CLOSED ON THURSDAY, 7 MARCH, 2024

The Offer is being made through Book Building Process in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts Regulation Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and is being made through Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be allotted on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Portion"**), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis (**"Anchor Investor Portion"**). One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the **"Net QIB Portion"**). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of UPI Bidders) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* on page366 of the Prospectus.

The bidding for Anchor Investor opened and closed on March 4, 2024. Our Company received 4 applications from 4 Anchor Investors for 3,432,276 Equity Shares. The Anchor Investor Offer Price was finalized at ₹ 221 per Equity Share. A total of 3,409,818 Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹ 753,569,778.

The Offer received **9,14,421** applications for **23,06,37,182** Equity Shares resulting in **20.29** times subscription as disclosed in the Prospectus. The details of the applications received in the Offer from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders and QIBs are as under (before technical rejections):

Sl no .	Category	No of Applications applied	No. of Equity Shares	Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
A	Retail Individual Investors	8,77,016	7,19,20,547	39,78,123	18.08	15,89,22,82,951.00
B	Non-Institutional Investors-More than ₹ 2 lakhs and upto ₹10 lakhs	25,213	2,48,98,004	5,68,303	43.81	5,49,95,05,591.00
C	Non-Institutional Investors – More than ₹10 lakhs	12,162	5,76,22,680	11,36,607	50.70	12,73,45,09,703.00
D	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	26	7,27,63,675	22,73,212	32.01	16,08,07,72,175.00
E	Anchor Investors	4	34,32,276	34,09,818	1.01	75,85,32,996.00
	Total	**9,14,421**	**23,06,37,182**	**1,13,66,063**	**20.29**	**50,96,56,03,416.00**

Final Demand

A summary of the final demand as per NSE and BSE as on the Bid/Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
1	210	2,99,758	0.12	2,99,758	0.12
2	211	41,071	0.02	3,40,829	0.13
3	212	26,197	0.01	3,67,026	0.14
4	213	9,581	0.00	3,76,607	0.15
5	214	10,988	0.00	3,87,595	0.15
6	215	1,27,568	0.05	5,15,163	0.20
7	216	25,393	0.01	5,40,556	0.21
8	217	15,075	0.01	5,55,631	0.22
9	218	24,254	0.01	5,79,885	0.23
10	219	64,856	0.03	6,44,741	0.25
11	220	1,28,506	0.05	7,73,247	0.30
12	221	17,25,65,535	67.72	17,33,38,782	68.03
	CUTOFF	**8,14,72,536**	**31.97**	**25,48,11,318**	**100.00**
		25,48,11,318	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on March 11, 2024.

A. Allotment to Retail Individual Bidders (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at cut-off or at the Offer Price of ₹ 221 per Equity, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 17.58581 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 39,78,123 Equity Shares to 59,374 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sl no	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	67	7,89,375	92.47	5,28,88,125	75.60	67	143 : 2056	36,78,568
2	134	33,680	3.95	45,13,120	6.45	67	45 : 647	1,56,914
3	201	10,478	1.23	21,06,078	3.01	67	45 : 647	48,843
4	268	4,389	0.51	11,76,252	1.68	67	45 : 647	20,435
5	335	4,056	0.48	13,58,760	1.94	67	45 : 647	18,894
6	402	1,573	0.18	6,32,346	0.90	67	45 : 647	7,303
7	469	1,736	0.20	8,14,184	1.16	67	45 : 647	8,107
8	536	694	0.08	3,71,984	0.53	67	24 : 347	3,216
9	603	462	0.05	2,78,586	0.40	67	16 : 231	2,144
10	670	1,998	0.23	13,38,660	1.91	67	45 : 647	9,313
11	737	296	0.03	2,18,152	0.31	67	5 : 74	1,340
12	804	370	0.04	2,97,480	0.43	67	13 : 185	1,742
13	871	4,552	0.53	39,64,792	5.67	67	45 : 647	21,239
						1	13 : 894	65
	TOTAL	**8,53,659**	**100.00**	**6,99,58,519**	**100.00**			**39,78,123**

Note: 1 additional Share shall be allotted to 65 Allottees from amongst 4470 Successful Applicants from the categories 134 - 871 (i.e. Excluding successful applicants from Category 67) in the ratio of 13 : 894

B. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹ 0.20 million and upto ₹1.00 million) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹ 0.20 million and upto ₹1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹ 221 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 42.92929. The total number of Equity Shares allotted in this category is 5,68,303 Equity Shares to 605 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sl no	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	938	23,079	93.33	2,16,48,102	88.73	938	49 : 1998	5,30,908
2	1005	566	2.29	5,68,830	2.33	938	7 : 283	13,132
3	1072	105	0.42	1,12,560	0.46	938	3 : 105	2,814
4	1139	65	0.26	74,035	0.30	938	2 : 65	1,876
5	1206	42	0.17	50,652	0.21	938	1 : 42	938
6	1273	38	0.15	48,374	0.20	938	1 : 38	938
7	1340	138	0.56	1,84,920	0.76	938	1 : 46	2,814
8	1407	53	0.21	74,571	0.31	938	1 : 53	938
9	1474	12	0.05	17,688	0.07	938	0 : 12	0
10	1541	8	0.03	12,328	0.05	938	0 : 8	0
11	1608	10	0.04	16,080	0.07	938	0 : 10	0
12	1675	20	0.08	33,500	0.14	938	1 : 20	938
13	1742	11	0.04	19,162	0.08	938	0 : 11	0
14	1809	30	0.12	54,270	0.22	938	1 : 30	938
15	1876	64	0.26	1,20,064	0.49	938	1 : 32	1,876
16	1943	7	0.03	13,601	0.06	938	0 : 7	0
17	2010	53	0.21	1,06,530	0.44	938	1 : 53	938
18	2077	8	0.03	16,616	0.07	938	0 : 8	0
19	2144	5	0.02	10,720	0.04	938	0 : 5	0
20	2211	169	0.68	3,73,659	1.53	938	4 : 169	3,752
21	2278	29	0.12	66,062	0.27	938	1 : 29	938
22	2345	22	0.09	51,590	0.21	938	1 : 22	938
23	2412	7	0.03	16,884	0.07	938	0 : 7	0
24	2479	4	0.02	9,916	0.04	938	0 : 4	0
25	2546	4	0.02	10,184	0.04	938	0 : 4	0
26	2613	3	0.01	7,839	0.03	938	0 : 3	0
27	2680	10	0.04	26,800	0.11	938	0 : 10	0
28	2747	7	0.03	19,229	0.08	938	0 : 7	0
29	2814	10	0.04	28,140	0.12	938	0 : 10	0
30	2881	1	0.00	2,881	0.01	938	0 : 1	0
31	2948	3	0.01	8,844	0.04	938	0 : 3	0
32	3015	6	0.02	18,090	0.07	938	0 : 6	0
33	3082	2	0.01	6,164	0.03	938	0 : 2	0
34	3149	3	0.01	9,447	0.04	938	0 : 3	0
35	3216	2	0.01	6,432	0.03	938	0 : 2	0
36	3283	1	0.00	3,283	0.01	938	0 : 1	0
37	3350	18	0.07	60,300	0.25	938	1 : 18	938
38	3417	1	0.00	3,417	0.01	938	0 : 1	0
39	3618	4	0.02	14,472	0.06	938	0 : 4	0
40	3752	12	0.05	45,024	0.18	938	0 : 12	0
41	3886	2	0.01	7,772	0.03	938	0 : 2	0
42	3953	2	0.01	7,906	0.03	938	0 : 2	0
43	4020	7	0.03	28,140	0.12	938	0 : 7	0
44	4087	7	0.03	28,609	0.12	938	0 : 7	0
45	4154	1	0.00	4,154	0.02	938	0 : 1	0
46	4221	1	0.00	4,221	0.02	938	0 : 1	0
47	4288	1	0.00	4,288	0.02	938	0 : 1	0
48	4355	3	0.01	13,065	0.05	938	0 : 3	0
49	4422	4	0.02	17,688	0.07	938	0 : 4	0
50	4489	69	0.28	3,09,741	1.27	938	2 : 69	1,876
						20	1 : 1	780
						1	11 : 13	33
	Total	**24,729**	**100.00**	**2,43,96,844**	**100.00**			**5,68,303**

Please Note: 20 additional Share shall be allotted to 39 Successful Allottees from Slno. 2 to Slno 50 (excluding successful applicants from Category 938) in the ratio of 1 : 1

Please Note:1 additional Share shall be allotted to 39 Successful Allottees from Slno. 2 to Slno 50 (excluding successful applicants from Category 938) in the ratio of 11:13

C. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than₹1.00 million) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹ 221 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 50.11358 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 11,36,607 Equity Shares to 1,211 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Sl no	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	4,556	11,406	94.57	5,19,65,736	91.23	938	21 : 209	10,74,948
2	4,623	105	0.87	4,85,415	0.85	938	11 : 105	10,318
3	4,690	188	1.56	8,81,720	1.55	938	19 : 188	17,822
4	4,757	29	0.24	1,37,953	0.24	938	3 : 29	2,814
5	4,824	31	0.26	1,49,544	0.26	938	3 : 31	2,814
6	4,891	13	0.11	63,583	0.11	938	1 : 13	938
7	4,958	17	0.14	84,286	0.15	938	2 : 17	1,876
8	5,025	25	0.21	1,25,625	0.22	938	3 : 25	2,814
9	5,092	25	0.21	1,27,300	0.22	938	3 : 25	2,814
10	5,159	5	0.04	25,795	0.05	938	1 : 5	938
11	72,360	1	0.01	72,360	0.13	938	0 : 1	0
12	90,584	1	0.01	90,584	0.16	938	0 : 1	0
13	91,053	1	0.01	91,053	0.16	938	0 : 1	0
14	2,26,259	1	0.01	2,26,259	0.40	938	0 : 1	0
15	5,293	4	0.03	21,172	0.04	938	0 : 4	0
16	5,494	4	0.03	21,976	0.04	938	0 : 4	0
17	5,695	4	0.03	22,780	0.04	938	0 : 4	0
18	11,256	4	0.03	45,024	0.08	938	0 : 4	0
19	22,579	4	0.03	90,316	0.16	938	0 : 4	0
						938	1 : 5	3,752
						1	33 : 58	689
	TOTAL	**12,061**	**100.00**	**5,69,59,447**	**100.00**			**11,36,607**

Please Note: 1 (One) lot of 938 shares have been alloted to All the Applicants from Serial No. 84 to 88 in the ratio of 1:5 (All these categories have been moved at the end for easy reference)

Please Note: 1 additional Share shall be allotted to 689 Allottees from amongst 1211 Successful Applicants from all the categories in the ratio of 33 : 58

D. Allotment to QIBs (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 221 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 32.00919 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e. Nil Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 22,73,212 Equity Shares (i.e. including unsubscribed portion of 1,13,660 equity shares from QIBMF category) on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 22,73,212 Equity Shares, which were allotted to 26 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	5,73,688	-	70,679	-	-	5,20,225	11,08,620	22,73,212

E. Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections)

Our Company, in consultation with the BRLMs, have allocated 34,09,818 Equity Shares to 4 Anchor Investors (through 4 Anchor Investor Application Forms) (including Nil domestic Mutual Funds through Nil schemes) at an Anchor Investor Offer Price at ₹221 per Equity Share in accordance with SEBI ICDR Regulations. This represents 60 % of the QIB portion.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	OTHERS	Total
ANCHOR	-	-	4,52,585	-	6,94,643	22,62,590	-	34,09,818

The Board of Directors of our Company at its meeting held on March 11, 2024 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on March 11, 2024 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on March 12, 2024. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on March 12, 2024 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. Our Company has filed the Listing application with NSE and BSE on March 12, 2024. Our Company has received the listing and trading approval from NSE & BSE, and trading will commence on March 13, 2024.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus

INVESTORS, PLEASE NOTE

These details of the Allotment made was hosted on the website of Registrar to the Offer, KFin Technologies Limited at www.kfintech.com.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

KFINTECH

KFin Technologies Limited

Selenium, Tower B, Plot No. 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad, Rangareddi 500 032, Telangana, India
Telephone: +91 40 6716 2222; **Toll Free No.:** 18003094001; **E-mail:** jgchemicals.ipo@kfintech.com; **Website:** www.kfintech.com
Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com; **Contact Person:** M. Murali Krishna; **SEBI registration number.:** INR000000221

For J.G.CHEMICALS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Swati Poddar
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: March 12, 2024

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF J.G.CHEMICALS LIMITED

J.G.Chemicals Limited has filed a Prospectus dated March 08, 2024 with the RoC. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Centrum Capital Limited at www.centrum.co.in, Emkay Global Financial Services Limited at www.emkayglobal.com and Keynote Financial Services Limited at www.keynoteindia.net, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at www.jgchem.com. Any investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 33 of the Prospectus.

The Equity Shares in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares were offered and sold only outside the United States to investors in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where those offers and sales occurred. This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holders and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No public offering or sale of securities in the United States is contemplated.

CONCEPT

भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड
CIN : U31101DL2006PLC148862
पंजीकृत कार्यालय : भीलवाड़ा भवन, 40–41, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065
कॉर्पोरेट ऑफिस : भीलवाड़ा टॉवर, ए–12, सैक्टर–1, नोएडा–201301 (यू.पी.),
फोन नं. : 0120–4390300 (ईपीबीएक्स),
ई मेल : ravi.gupta@lnjbhilwara.com, वेबसाइड : www.bhilwaraenergy.com

"फार्म नं. आईएनसी–26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय : भीलवाड़ा भवन, 40–41, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065 में स्थित है

__कंपनी/आवेदक कंपनी

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"मध्य प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए तारीख **11 मार्च, 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संगम ज्ञापन (मेमोरंडम ऑफ एसोसिशन) में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **14 (दिनों) के भीतर** क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को भीलवाड़ा भवन, 40–41, कम्युनिटी सेंटर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065 पर भी भेजेगा।

कृत्ते के लिए और उनकी ओर से
भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड
हस्ता./–
रवि गुप्ता
कंपनी सचिव
मेम्बरशिप नंबर : एफ5731

तिथि : 13.03.2024
स्थान : नई दिल्ली

---

motherson

मदरसन टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
(पूर्व में मदरसनसुमी इन्फोटेक एंड डिजाइन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
रजि. कार्यालयः दूसरी मंजिल, एफ–7, ब्लॉक बी–1, मोहन सहकारी औद्योगिक एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110044
फोन नंबरः +91–120–4365555 वेबसाइटः www.mothersontechnology.com,
ई–मेलः info.mts@motherson.com, सीआईएनः U67120DL1985PLC020695

अतिरिक्त साधारण आम बैठक की सूचना

शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं किः

ए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित क्रमशः 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14 और 17/2020 को ध्यान में रखते हुए। भारत सरकार ('एमसीए सर्कुलर'), कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) मंगलवार, 19 मार्च, 2024 को सुबह 11:30 बजे अल्प सूचना पर आयोजित की जाएगी। (प्रथम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।

बी) लागू परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ईमेल सुविधा के माध्यम से पंजीकृत हैं। नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य केवल वीसी सुविधा के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं।

ग) कंपनी से सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिएः

i) जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर के विवरण के साथ कंपनी को लिखकर और पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करके इसे पंजीकृत/एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड **admin@mcsregistrars.com** पर अपडेट करें।

ii) डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

घ) ईजीएम नोटिस शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार उचित समय पर भेजा जाएगा।

मदरसन टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के लिए
(पूर्व में मदरसनसुमी इन्फोटेक एंड डिजाइन्स लिमिटेड)
हस्ता/–
सुरभि सहगल
कंपनी सचिव
एम. नं. A54552

स्थानः नोएडा
दिनांकः 13 मार्च, 2024

केन फिन होम्स लि.
59–60, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी, फरीदाबाद–121001
फोन : 0129–2436596, 2436527 मोबाइल : 7625079140
E-mail: faridabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA198PLC008699

मांग सूचना

"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं 50) की धारा 13(2) के अधीन

सेवा मे,

1. **श्री अंकन विश्वास पुत्र अशीम कुमार विश्वास** (उधारकर्ता), मकान नंबर 4120, आई.पी. एक्सटेंशन–2 सैनिक कॉलोनी, सेक्टर 49 फरीदाबाद हरियाणा 121001.
2. **श्रीमती प्रीति विश्वास पत्नी अंकन विश्वास** (सह–उधारकर्ता), मकान नंबर 4120, आईपी एक्सटेंशन–2 सैनिक कॉलोनी, सेक्टर 49 फरीदाबाद हरियाणा 121001
3. **श्री राज कुमार शर्मा** (गारंटर), मकान नंबर 3867 जवाहर कॉलोनी एन.आई.टी फरीदाबाद हरियाणा 121001

नंबर 1 और 2 के बीच आपने हमारी शाखा से **नं. 1** की निम्नलिखित संपत्ति को गिरवी रखने की जमानत पर आवास ऋण लिया है। रुपये की राशि **रु. 14,25,193/-** (रुपये चौदह लाख पचीस हजार एक सौ तिरानबे मात्र) 04.03.2024 को कैन फिन होम्स लिमिटेड को अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ देय है।

बंधक रखी आस्ति का विवरण

ग्राउंड फ्लोर, बैक पोर्शन, प्लॉट नंबर 4120, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी एक्सटेंशन, सेक्टर 49, फरीदाबाद तहसील एवं जिला फरीदाबाद में आवास इकाई का पूरा हिस्सा और पार्सल जिसमें दो बेडरूम, एक ड्राइंग–कम डाइनिंग रूम, एक किचन और दो लॉइट्स शामिल हैं, जिसमें कुल मिलाकर कवर किया गया क्षेत्रफल 740 वर्ग फुट है। प्लॉट की **सीमाएं** निम्नानुसार हैः उत्तरः प्लॉट नंबर 4121, दक्षिणः प्लॉट नंबर 4119, पूर्वः 23' चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट नंबर 4113

आप को सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(2) के अधीन पंजीकृत मांग सूचना **क्रमांक 1 – 3 को** प्रेषित की गई थी। परंतु सूचना बिना सुपुर्दगी वापस प्राप्त की जा चुकी है। अतएव अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त **कर्जदार/रों** के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चस्पा करवा दी है। अतः समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। चूंकि आप मंजूरी की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः यह खाता एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक **22.02.2024** को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान दिनांक **04.03.2024** से उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लिमिटेड

दिनांकः 12–03–2024
स्थानः फरीदाबाद

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008

कब्जा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

जैसा कि